लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th

LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र
Twelfth Session]

सत्यमेव जयते

[खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—3, बुधवार, 11 नवम्बर, 1970/20 कार्तिक 1892 (शक)
No.—3, Wednesday, November 11, 1970/Kartika 20, 1892 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
निधन संबंधी उल्लेख	OBITUARY REFERENCES	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
61. छोटी सदरी स्वर्ण काण्ड की जांच	Inquiry into Chhoti Sadri Gold Case	2—6
62. पश्चिम बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम को फिर से लागू करना	Revival of Preventive Detention Act in West Bengal	6—11
63. भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्तियों को अधिकार में लेना	Taking over of Properties of Former Rulers	11—18
64. संयुक्त उपक्रमों के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और अन्य मन्त्रियों द्वारा विदेशों का दौरा	State Chief Ministers' and other Ministers' Visit to Foreign Countries to have Joint Ventures	18—19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
65. इड्डिकी पन बिजली परियोजना के पूरा होने में विलम्ब	Delay in Completion of Iddiki Hydel Project	19

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
66. देश को चार पांच बहु भाषीय प्रशासनिक क्षेत्रों में पुनर्गठित करने का संकल्प	Resolution to Reconstitute Country into Four Five Multi Lingual Administrative Zones	20
67. भूतपूर्व नरेशों द्वारा हथियारों तथा गोलाबारूद का बेचा जाना	Sale of Arms and Ammunitions by Former Rulers	20
68. श्रीमति ललिता शास्त्री द्वारा ताशकन्द में हुई अपने पति की मृत्यु के बारे में व्यक्त की गई शंकायें	Doubts raised by Shrimati Lalita Shastri about Death of her Husband in Tashkent	20—21
69. नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों के तरीकों का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रयास	Special Efforts to Combat the Technique of Naxalite Violence	21
70. मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के लिए आन्दोलन	Campaign for Full Statehood to Meghalaya	21—22
71. मैसूर में दशहरा समारोह	Celebration of Dussehra in Mysore	22
72. राजधानी में डकैती और लूटमार के मामले	Cases of Dacoity and Robbery in the Capital	22—23
73. भारत में जासूसी करने वाले गिरोहों का सफाया न किया जाना	Liquidation of Espionage Rings Spying against India	23
74. अत्यधिक मात्रा में रेत के बहकर आने को रोकना	Check on Abnormal Quantity of Silt Discharge	23—24
75. मनीपुर में बौरक परियोजना के लिये स्थान	Site for Borak Project in Manipur	24—25
76. बाढ़ों के कारणों की जांच करने के लिए समिति	Committee to Inquire into Causes of Floods	25
77. राज्यपालों के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त	Guide-Lines for Governors	26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
78. नये उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब	Delay in Clearance of Applications for Starting new Industries	26
79. कावेरी जल विवाद के सम्बन्ध में केरल, मैसूर और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Representatives of Kerala Mysore and Tamil Nadu Re. Cauvery Water Dispute	27
80. चीन तथा चीन समर्थक देश द्रोही लोगों द्वारा जाली भारतीय मुद्रा की तस्करी का अभियान	Compaign to Smuggle Fake Indian Currency through Nepal by China and Pro-China Fifth Columnists	27
81. दिल्ली के मीना टण्डन हत्या-कांड में जिन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध निंदाजनक टिप्पणियां की गई थीं, उन के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action taken against Police Officials against whom Structures were Passed in Meena Tandon Murder Case, Delhi	27—28
82. गंगानगर में जमी मिट्टी निकालने पर हुआ व्यय	Expenditure Incurred on Desilting of Ganga Canal	28
83. यमुना नदी पर एक नये बांध का निर्माण	Construction of a New Barrage at Jamuna	28
84. भारती मिल्स, पांडिचेरी	Bharathi Mills, Pondicherry	29
85. मुस्लिम लीग के उद्देश्य तथा उसकी गतिविधियां	Aims and Activities of Muslim League	29—30
86. कपड़ा उद्योग में करघों की कमी	Shortage of Looms in Textile Industry	30
87. केरल में काजू के कारखानों का बन्द होना	Closure of Cashew Factories in Kerala	30—31
88. देश में साम्प्रदायिक प्रचार के लिए जिम्मेदार दल	Parties Responsible for Communal Propaganda in the Country	31
89. अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में रिपोर्ट	Report on Communal Riots in Ahmedabad	31
भारत तथा यूगोस्लेविया के मध्य व्यापार संतुलन की स्थिति	Position of Balance of Trade between Yugoslavia and India	31—32

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अतारांकित प्रश्न संख्या		
U. S. Q. Nos.		
401. हुसैनीवाला पड़ताल चौकी का विकास	Development of Hussaniwala Check Post	32—33
402. सेवा निवृत्ति के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां	Employment of Judges of Supreme Court after Retirement	33
403. हरिजन, आदिवासी तथा अनुसूचित जन जातियों के अधिकारी	Number of Harijans, Adivasis and Scheduled Tribe Officers	33—34
404. भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा अफगानिस्तान तथा मारीशस में छविगृहों का निर्माण	Construction of Cinema in Afghanistan and Mauritius by I. M. P. E. C.	34—35
405. गत तीन वर्षों में वैदेशिक व्यापार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earned from Foreign Trade during the Last Three Years	35
407. यूगोस्लोविया के साथ व्यापार संवर्द्धन	Trade Expansion with Yugoslavia	35—36
409. दिल्ली नगर निगम को धोखा देने वाले ट्रक चालकों के विरुद्ध जांच	Enquiry against Truck Drivers who Cheated Delhi Municipal Corporation	36
410. योजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं के बारे में सरकार तथा योजना आयोग में मतभेद	Difference of Opinion between Government and Planning Commission on Plan Priorities	36—37
411. अनुसंधान कार्यक्रमों की जांच के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक कार्यकारी दल की स्थापना	Setting up of a Working Group by Council of Scientific and Industrial Research to Screen Research Programmes	57—38
412. दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के लिये एक वेतन समिति की नियुक्ति	Appointment of a Pay Committee for the Employees of Damodar Valley Corporation	38

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
413. बिजली सप्लाई की दर में वृद्धि से दामोदर घाटी निगम को अतिरिक्त आय	Additional Revenue to Damodar Valley Corporation from Increased Rate of Power Supply	38—39
414. फरक्का बांध परियोजना में मुख्य कार्यों का ठेका देना	Contract for Major Works in Farakka Barrage Project	39—40
415. जोर्डन दूतावास, नई दिल्ली पर आक्रमण	Attack on Jordan Embassy, New Delhi	40
416. बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों के परामर्श से दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति	Appointment of Chairman of Damodar Valley Corporation in Consultation with Government of Bihar and West Bengal	40—41
417. आसनसोल में फारवर्ड ब्लाक नेता श्री राय चौधरी की मृत्यु के बारे में जांच	Inquiry into Death of Shri Roy Chowdhury, Forward Block Leader in Asansol	41
420. ईराक के साथ व्यापार	Trade with Iraq	41
421. दीर्घावधि करार के आधार पर लौह अयस्क का निर्यात	Long Term Agreements for Export of Iron Ore	42
422. ताइवान के साथ व्यापार	Trade with Taiwan	42
423. विदेशों से व्यापार संबन्ध बढ़ाना	Strengthening of Trade Relations with Foreign Countries	42
424. अपरिष्कृत जूट के समर्थन मूल्य के लिए योजना	Scheme for Raw Jute Price Support	42—43
425. औद्योगिक सुरक्षा दल में भर्ती के लिये माप-दंड	Criteria for Recruitment in the Industrial Security Force	43
426. मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदायों की शिकायतों की जाँच के लिए आयोग नियुक्त करने के लिए माँग	Demand for Appointing a Commission for a Probe into Grievances of Muslims and Minority Communities	44
427. राज भाषा के प्रसार में प्रगति	Propagation of Official Language	44
428 फिलिप्स कम्पनी द्वारा निर्मित टेलीविजन सेट	T. V. Set Developed by the Philips Company	44—45

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
429.	राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों में हड़ताल	Strike in Offices of STC	45
430.	इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इन्डिया द्वारा टेली-विजन सेटों का निर्माण	Manufacture of T. V. Sets by Electronics Corporation of India	45—46
431.	दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा केबल का क्रय	Purchase of Cable by DESU	46—47
432.	नियंत्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव	Proposal to Increase the Price of Controlled Cloth	47
433.	नई पटसन मिलों के लिए लाइसेंस	Licences for New Jute Mills	47—48
434.	टायर तथा ट्यूबों की वर्तमान ऊंची दरें	Prevailing High Prices of Tyres and Tubes	48
435.	रेशम कारखानों के पुनर्गठन का प्रस्ताव	Proposal to Reconstruct Silk Mills	48—49
436.	तमिलनाडु में आयात लाइसेंस गिरोह	Import Licence Racket in Tamil Nadu	49—50
437.	महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद पर संसदीय समिति	Parliamentary Committee on Maharashtra-Mysore Border Dispute	50
438.	दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग	Demand for Statehood for Delhi	50
439.	विभिन्न राज्यों में बाढ़ से हुई हानि और बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता	Flood Demage and Assistance to Flood Victims in Different States	51—53
440.	शाहदरा के थाना इन्चार्ज को हटाये जाने की मांग	Demand for Removal of Shahdara Station House	53—54
441.	सूती कपड़े के निर्यात में कमी	Decline in Exports of Cotton Textiles	54
442.	प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में वृद्धि	Increase in the Price of Natural Rubber	54—55

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
443. संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हत्यायें और हिंसक गतिविधियां	Murders and Acts of Violence Committed in West Bengal	55
444. नवयुवतियों का अरब देश को बेचा जाना	Alleged Sale of Girls to Arab Countries	55
445. राजनीतिक दलों की संख्या सीमित करने के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार	Observation of Chief Justice of India Regarding Restriction on the Number of Political Parties	56
446. बाढ़ नियन्त्रण के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित उपाय	Flood Control Measures Proposed by Different States	56—57
447. प्रिवी पर्सों की समाप्ति के बाद भूतपूर्व नरेशों को दिया जाने वाला मुआवजा	Compensation to Ex-rulers after Abolition of Privy Purses	57
448. सरकारी अधिकरणों द्वारा तस्करी रोकने हेतु उपभोक्ता वस्तुओं का आयात	Import of Consumer Articles through Government Agencies to Prevent Smuggling	57
449. उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड राज्य की मांग	Demand for Bundelkhand State in Uttar Pradesh	57—58
450. अन्तर्राष्ट्रीय जाली मुद्रा के प्रचलन के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियां	Arrests made by Delhi Police in Connection with Circulation of Forced International Currency	58
451. महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों की लाटरियों पर प्रतिबन्ध	Lotteries of other States Banned by Government of Maharashtra	58
452. मस्जिद के लिए निर्धारित की गई भूमि पर विनायक की मूर्ति के बारे में जांच	Enquiry into an Idol of Vinayak on a Plot of Land Earmarked for Mosque	59
453. निजी लाटरियां चालू करने की अनुमति देने की कसौटी	Criteria to Grant Permission to Private Lotteries	59

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
454. पंजाब में बिजली की भारी कमी	Acute Power Shortage in Punjab	59—60
455. भीड़ पर पुलिस द्वारा उपयोग के लिए उपद्रव नियंत्रक साधनों का आयात	Import of Riot Control Aids for use by Police on Mob	60
456. तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास नगर का नाम बदलने की मांग	Demand for Changing Name of Madras City by Tamilnadu Government	60—61
457. देश में पिछड़ापन दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम	Special Programme for Removing Backwardness in the Country	61
458. हेली रोड, नई दिल्ली पर एक बच्चे की हत्या करने वालों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	Action Against Culprits who Murdered Child at Halley Road, New Delhi	61
459. बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन	Report of the Expert Committee on Unemployment	61 - 63
460. भूतपूर्व नरेशों, की मान्यता समाप्त किये जाने के पश्चात् दी जाने वाली सुविधाएं	Facilities to be Provided to De-recognised Ex-Rulers	63
461. एक दिन की सार्वजनिक (पब्लिक) छुट्टी के परिणाम स्वरूप सरकार को होने वाली हानि के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार आयोग का सर्वेक्षण	Survey by Administrative Reforms Commission on Loss to Government by One Day's Public Holiday	63
462. डिब्बे बन्द केलों का निर्यात	Proposal to Export Tinned Bananas	63—64
463. छतीसगढ़ क्षेत्र में रेशा उत्पादों का वितरण	Distribution on Fibre Products in Chhatisgarh Area	64
464. एक्सपो 70 में प्रतिनियुक्त मध्य प्रदेश के अधिकारी	Officials Deputed at Expo-70 from Madhya Pradesh	64
465. मध्य प्रदेश में पावर लूम बुनकरों की स्थिति	Condition of Powerloom Weavers in Madhya Pradesh	64—65

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
466. पावर लूम वित्त निगम की स्थापना	Setting up of Powerloom Finance Corporation	65
467. प्रधान मन्त्री का आसाम का दौरा	Prime Minister's Visit to Assam	65
468. मनीपुर उत्तर जिला में कर्फ्यू लगाना	Imposition of Curfew in Manipur North District Area	65—66
469. त्रिपुरा सेंट्रल जेल में नजर-बन्द किये गए मणिपुरी नवयुवक	Manipuri Youths Detained in Tripura Central Jail	66
470. मणिपुर में बिजली कनैक्शन के लिए आवेदक	Applicants for Electricity Connection in Manipur	66—67
471. लोकटक परियोजना के कार्य में प्रगति	Progress in the Working of Loktak Project	67
472. राजस्थान में काली मन्दिर में कथित नर बलि	Reported Human Sacrifice made in Kali Temple in Rajasthan	67—68
473. भाखड़ा जलाशय में जल के निम्न स्तर होने के कारण उत्तरी क्षेत्र में बिजली का संकट	Power Crisis in Northern Region Caused by Low Level in Bhakra Reservoir	68
474. चौथी योजना में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की नई परियोजनाओं का समावेश	Inclusion of New Projects of Council of Scientific and Industrial Research in Fouth Plan	68—69
475. व्यापार में घाटे को कम करने के लिए योरूपीय साझा बाजार के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार	Commercial Cooperation Agreement with ECM to reduce Trade Deficit	69—70
476. योजना आयोग द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का अवलोकन	Review of Economy of the Country by Planning Commission	70—72
477. मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाना	Appointment of Secretaries of Ministries/ Departments as Member of a Board	72

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
478. भूतपूर्व शासकों के अंग रक्षकों तथा अन्य आश्रितों से उनके उपदान तथा भविष्य निधि के भुगतान के बारे में ज्ञापन	Memorandum from Body-guards and other Dependents of former Rulers for Payment of their Gratutity and Provident Fund	72
479. राज्यों के बीच सीमा विवादों का निपटारा	Settlement of Border Disputes Among States	73
480. राजसी विशेषाधिकारों को वापस लेने के लिये पंजाब सरकार द्वारा नोटिस	Notice by Punjab Government for withdrawal of Princely Privileges	73
482. भारत-नेपाल व्यापार करार	Indo-Nepal Trade Agreement	73—74
483. ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति परिवार वार्षिक औसत आय	Annual Average Income Per Family in Rural Areas	74
484. जनता फाइनेंस कारपोरेशन, मोदीनगर के नाम की जाली फर्म	Bogus Firm in Name of Janata Finance Corporation, Modinagar	74—75
486. दामोदर घाटी निगम के बांधों तथा जलाशयों से निष्कासित जल के कारण हुगली, हावड़ा तथा बर्दवान जिलों में बाढ़	Floods in Hooghly, Howrah and Burdwan Districts Caused by Discharge of Water from Dams of Damodar Valley Corporation and Reserviors	75
487. राज्य व्यापार निगम के पास बेकार पड़ी आयातित मशीनें	Imported Machines Lying Idle with STC	76
488. राज्य व्यापार निगम द्वारा कनाडा को रेयन से बने कपड़ों का निर्यात	Export of Rayon Textiles to Canada through State Trading Corporation	76
489. विद्युत उत्पादन की चालू योजना कार्यक्रम में कमी	Shortfall in Current Plan Programme of Power Generation	77
490. गुरदासपुर जिले के कलानौर क्षेत्र में जासूसों के गिरोह का पकड़ा जाना	Spy Ring Unearthed in Kalanaur Area of Gurdaspur District	77—78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
491. कलकत्ता में नक्सलवादियों की छापामार चालों का मुकाबला करने के लिए पुलिस के छापमार दस्ते	Guerilla Police Squads to Counter Guerilla Tactics of Naxalities in Calcutta	77—78
492. निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी अध्ययन	Study of Export Promotion	78
493. ब्रिटिश ग्रुप द्वारा भारतीय इन्जीनियरिंग वस्तुएं खरीदने का निर्णय	Decision to buy Indian Engineering Items by British Group	78—79
494. नारियल जटा तथा नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात की संभावना का सर्वेक्षण	Survey of Export Potential of Coir and Coir Products	79
495. देश में सभी प्रकार के अपराधों में वृद्धि	Increase in Crimes of All Types in the Country	79—80
496. भूतपूर्व शासकों के कर्मचारियों के लिए रोजगार	Employment to Employees working with Ex-rulers	80
497. राज्यों में परमाणु शक्ति केन्द्रों की स्थापना	Setting up of Atomic Power Stations in States	80—81
498. अलीपुर द्वार (पश्चिम बंगाल) में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समर्थकों की कथित अन्धा धुन्ध गिरफ्तारियां और यातनाएं	Alleged Indiscriminate Arrests and Torture of CPI(M) Supporters in Alipur Duar (West Bengal)	81
499. पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की संख्या	Strength of Central Reserve Police in West Bengal	81—83
500. पुलिस के हाथों कलकत्ता में समीर भट्टाचार्यजी नामक एक नवयुवक की मृत्यु	Death of a Young Boy, Samir Bhattacharjee in Calcutta in the Hands of Policemen	83
501. भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र से पारे की चोरी	Theft of Mercury from Bhabha Atomic Research Centre	83—84
502. पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Jute Enquiry Commission	84

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
503. व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने के बारे में विदेशों से मिले सुझाव और शिकायतें	Complaints and Suggestions from abroad Re : Increasing Trade Relations	84
504. मुस्लिम लीग संगठन के बारे में आल इन्डिया मुस्लिम लीग के सचिव का वक्तव्य	Statement made by Secretary of All India Muslim League Regarding Muslim League Organisation	85
505. पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी का सिंचाई पर प्रभाव	Irrigation Affected by Power Shortage in Western U. P.	85
506. थोरियम से यूरेनियम-233 का पृथकीकरण	Separation of Uranium-233 from Thorium	85
507. पूर्व योरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार	India's Trade with East European Countries	86—87
508. चाय के निर्यात में गिरावट	Decline in Exports of Tea	87
509. आयरलैंड के आयातकर्त्ताओं द्वारा भारतीय चाय की किस्म के बारे में शिकायत	Complaint by Irish Importers Regarding the Quality of Indian Tea	87—88
510. तिलहन उत्पादों के निर्यात में कमी	Decline in Export of Oil Seeds Products	88—89
511. पश्चिम बंगाल में सेवा से निकाले गये पुलिस के सिपाहियों का नक्सलवादियों में सम्मिलित होना	Dismissed Policemen Joining Naxalites in West Bengal	89
513. राज्यपाल की नियुक्ति	Appointment of Governors	89
514. नक्सलवादी तथा अन्य लोगों की गतिविधियों के परिणाम-स्वरूप पश्चिम बंगाल में जान माल की क्षति	Loss of Life and Property in West Bengal as a result of Activities of Naxalites and others	90
515. निर्यात की दर में वृद्धि करने के लिये अमरीका के साथ दीर्घावधि औद्योगिक करार	Long Term Industrial Agreement with USA to Increase Rate of Exports	90—91
516. विदेशों को भारतीय तकनीकी जानकारी देने की सम्भावनायें	Possibilities of Export of Indian Know-how	91

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
518. गड़बड़ घोटाले तथा सांठ गाँठ के कारण बोकारो इस्पात कारखाने सहित सरकारी क्षेत्र के कारखानों को हानि	Losses to Public Sector Projects Including Bokaro Steel Plant due to Bunglings and Collusion	91--92
519. पश्चिम बंगाल के पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन	Report of Jute Enquiry Commission, West Bengal	92
520. योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति का कार्यक्रम	Programme of the Research Programme Committee of Planning Commission	93
522. अवैध हथियारों की बरामदगी और हथियारों और गोला बारूद की चोरी में वृद्धि	Increase in Recovery of Illicit Arms and theft of Arms and Ammunition	93—94
523. एक्स्पो 70 में भारतीय मण्डप पर व्यय	Expenditure on Indian Pavilion at Expo 70	94
524. हथकरघा बुनकर समितियों को वित्तीय सहायता	Monetary Assistance to Handloom Weaving Societies	95
525. विद्युतचालित करघों द्वारा रंगीन साड़ियों का उत्पादन	Production of Coloured Sarees by Powerlooms	95
526. देश में बारानी भूमि का सर्वेक्षण	Survey of Unirrigated Lands in the Country	96
527. यूरोपीय देशों को प्रतिस्पर्धी दरों पर मानक मशीनी औजारों की सप्लाई करना	Supply of Standard Machine Tools at Competitive Prices to European Countries	96
528. रबड़ का निर्यात	Export of Rubber	96—97
529. यूरोपीय आर्थिक समुदायों के साथ व्यापार करार	Trade Pact with EEC	97
530. राजस्थान में पुलिस द्वारा पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का खत्म किया जाना	Pakistani Spy Ring Smashed by Police in Rajasthan	97—98

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
531. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए सीमा आयोग	Boundary Commission for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh	98
532. 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर मुकदमा चलाया जाना	Prosecution of Central Government Employees for Participation in the 19th September, 1968 Strike	98—99
533. कोसी तथा गंडक परियोजनाओं के लिए बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त धनराशि की मांग	Demand for Additional Amount by Bihar Government for Kosi and Gandak Projects	99
534. दिल्ली पुलिस के विरुद्ध कार्यवाही करने के सम्बन्ध में मन्त्री द्वारा दिया गया आश्वासन	Assurance given by Minister regarding Action against Delhi Police	100
535. गुजरात में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over Sick Textile Mills in Gujarat	100
536. राज्यों को स्वायत्तता देने के बारे में मद्रास में हुआ सम्मेलन	Conference on State Autonomy held in Madras	100—101
537. राज्यों में अलग अलग झंडे रखने के सम्बन्ध में विचार	Views regarding Separate Flags in States	101
538. बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड, नई दिल्ली की सिफारिशें	Recommendations of Flood Central Board, New Delhi	101—102
539. मध्य प्रदेश में सती प्रथा का प्रचलन	Prevalence of Sati system in M. P.	102
540. खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात तथा आयात	Export and Import Performance of Minerals and Metals Trading Corporation	102
541. केरल में नये विभिन्न संगठन	New Muslim Organisations in Kerala	102—103

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
542. पाकिस्तान के मौलवियों द्वारा हरयाणा के जिलों में गुप्त बैठकें	Secret Rallies being held by Pakistani Maulavis in Haryana Districts	103
544. वैदेशिक व्यापार मन्त्री द्वारा विदेश यात्रा	Foreign Tours by Foreign Trade Minister	103—104
545. मध्य प्रदेश की चौथी पंच-वर्षीय योजना का प्रारूप	Draft Fourth Plan for Madhya Pradesh	104
546. आसाम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद	Boundary Dispute between Assam and Nagaland	105
547. चम्बल नहर की गांधी सागर बांध की जल सप्लाई की क्षमता	Water Supply Capacity of Chambal Canal at Gandhi Sagar Dam	105
548. तमिल नाडु सरकार द्वारा अलग झंडा रखने का निर्णय	Decision to have Separate Flag by Tamil-nadu Government	105
549. काफी हस्तांतरण प्रमाण-पत्रों का निबटारा	Disposal of Coffee Transfer Certificates	106
551. काजू के आयात में कमी	Decline in Imports of Cashew	106—107
552. विभाजन के पश्चात् मुस्लिम लीग की गतिविधियों में वृद्धि	Increase in the Activities of Muslim League after Partition	107
553. पंजाब सरकार की भाषा विज्ञप्ति पर सर्वोच्च न्यायालय का स्थगन आदेश	Stay order by Supreme Court on Language Notification of Government of Punjab	107—108
554. विभिन्न राज्यों में निर्यात सभाव्यताओं का सर्वेक्षण	Survey of Export Potentialities in various States	108
555. उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के विषय में सम्मेलन	Conference on Rural Electrification Scheme in Orissa	109
556. उड़ीसा के स्वर्ण रेखा बेसिन में बाढ़ नियन्त्रण के लिये योजना	Scheme for Flood Control in Subarnarekha Basin in Orissa	110
557. नेपाल से भारत में हिप्पियों का भारी संख्या में आगमन	Influx of Hippies from Nepal into India	110—111

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
558. सिन्धु जल सम्बन्धी भारत पाकिस्तान संधि की समाप्ति पर अतिरिक्त जल का उपयोग	Utilisation of Additional Water on the Expiry of Indo-Pak Treaty on Indus Waters	111—112
559. उत्तर प्रदेश की वार्षिक आयोजना	Annual Plan for Uttar Pradesh	112
560. 1971-72 के लिये वार्षिक योजना को अन्तिम रूप देना	Finalisation of Annual Plan for 1971-72	112
561. सितम्बर, 1970 में काश्मीर में पाकिस्तानी एजेंटों के एक दल का पता लगाया जाना	Unearthing of a Gang of Pakistani Agents in Kashmir in September, 1970	113
562. बिहार में सरकारी उपक्रमों और कार्यालयों में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	Central Government Employees Working in Offices and Public Undertakings in Bihar	113
563. प्रधान मन्त्री के विदेश के दौरे के समय वायुयान में बम रखे जाने के बारे में समाचार	News about a Bomb kept in the Plane during Prime Minister's Foreign Tour	113
564. राजस्थान के लिये रावी नदी से अपर्याप्त पानी	Insufficient water from River Ravi for Rajasthan	113—114
565. वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति द्वारा विद्युत की कमी के सम्बन्ध में चेतावनी	Warning by Annual Electric Survey Committee Re : Power Shortage	114
566. देश में बेरोजगारी की समस्या	Unemployment Problem in the Country	114—116
567. पश्चिमी बंगाल में देहातों में बिजली लगाया जाना	Rural Electrification in West Bengal	116
568. व्यास बांध परियोजना की लागत	Cost of Beas Dam Project	117
569. पश्चिम बंगाल के नक्सलवादियों में भूतपूर्व अपराधी	Ex-criminals out of Naxalites in West Bengal	117

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
570. योजना आयोग द्वारा मध्य प्रदेश को वर्ष 1971-72 के लिये करार की गई राशि	Amount Sanctioned by Planning Commission for Madhya Pradesh for 1971-72	117
571. राज्य व्यापार निगम द्वारा चमड़े का निर्यात	Leather Exports through STC	117—118
572. चमड़े के निर्यात में कदाचार	Malpractices in Export of Leather	118—119
573. अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूहों के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को विशेष भत्ते की अदायगी	Payment of Special Allowance to Non-Gazetted Government Employees of Andaman and Nicobar Islands	119
574. भाखड़ा जलाशय में वर्षा के पानी का आना	Inflow of Monsoon Water in Bhakra Reservoir	119—120
575. पश्चिमी बंगाल में पुलिस पर आक्रमण	Attacks on Police in West Bengal	120
577. क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों की स्थापना	Setting up of Regional Power Grids	120 - 121
578. विदेशी सहयोग के साथ सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना	Irrigation Projects with Foreign Collaboration	121
580. फिलपाइन का व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल	Trade Delegation from Philippines	121 - 122
581. थोरियम से यूरेनियम-233 आइसोटोप का अलग किया जाना	Separation of Uranium-233 Isotope from Thorium	122—123
582. दामोदर घाटी निगम की सेवाओं का अत्यावश्यक सेवा घोषित किया जाना	Declaration of Services in Damodar Valley Corporation as Essential Services	123
583. असम की मिजो पहाड़ियों में फुलदंगशे स्थान पर सुरक्षा दलों द्वारा मारे गये नागरिक	Civilians killed by Secruity Forces at Phuldungshe, Mizo Hills, Assam	123
584. राजस्थान में खटकर से लाखेडी तक नहर का निर्माण	Construction of Canal from Khatkar to Lakheri, Rajasthan	124

अता० प्र० संख्या U. S. Q Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
585. सरकारी परियोजनाओं और बिहार राज्य बिजली बोर्ड में प्राधिकारियों का दुरुपयोग	Misuse of Authority in Public Sector Projects and Bihar State Electricity Board	124
586. प्रधान मंत्री के अधीन कार्य कर रहीं इंटेलीजेंस एजेंसियों में समन्वय	Coordination among Intelligence Agencies working under Prime Minister	125
587. बिहार सरकार द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के लिये किये गये प्रबन्ध	Arrangements made by the Government of Bihar for the AICC Meeting	125
588. सरकारी क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को हानि	Loss to Irrigational Projects in Public Sector	125—126
589. राज्य व्यापार निगम द्वारा चलाया जा रहा वैदेशिक व्यापार	Foreign Trade Handled by STC	126
590. कलकत्ता के एक भूतपूर्व पुलिस कांस्टेबल का नक्सलवादी गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किया जाना	Former Police Constable Arrested in Calcutta for the Naxalite Activities	127
591. रेल डिब्बों के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों का यूगोस्लाविया जाना	STC Officials Visit to Yugoslavia for Exporting Rail Wagons	127
592. उड़ीसा राज्य के लिये 1971-72 के लिये वार्षिक योजना	Annual Plan for Orissa for 1971-72	127
593. चीनी साहित्य का प्रदर्शन और माओ विचारधारा के प्रचार जैसी नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि	Increase in Naxalite Activities like Display of Chinese Literature and Propagation of Mao's Thoughts	128
594. उत्तर प्रदेश के विकास के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Help for Development of Uttar Pradesh	128

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
595. लघु उद्योग क्षेत्र में रेडियो का उत्पादन कर रही कम्पनियों का बन्द होना	Closing Down of Firms Producing Radios in Small Scale Sector	128—129
596. कूच बिहार में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कम्पनी कमान्डर की हत्या	Company Commander of C. R. P. Murdered in Cooch Behar	129
598. भाखड़ा जलाशय में पानी की कमी के कारण विद्युत संकट	Power Crisis due to Depression in Bhakra Reservoir	129—130
599. महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के बारे में महाजन आयोग के पंचाट को स्वीकार करने के लिए मैसूर के राज्यपाल का सुझाव	Suggestion by Governor of Mysore for the Acceptance of Mahajan Commission Award on Maharashtra-Mysore Border Dispute	130
600. पुरस्कारों तथा कमीशन के सम्बन्ध में समान लाटरी नियमों की आवश्यकता	Need for Uniform Lottery Rules regarding Prizes and Commissions	130
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	131
चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में एक नये इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए उड़ीसा की सरकार और जनता की कथित मांग	Reported demand of Government and people of Orissa for a New Steel Plant in the State during the Fourth Five Year Plan	131—137
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	131—137
श्री ब० रा० भक्त	Shri B. R. Bhagat	131—137
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	Re. Adjournment Motion	137—145
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	145—150
श्रीमती शाहजहां बेगम को पेंशन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 122 के सम्बन्ध में पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	Correction of Answer to Supplementary Question in Connection with S. Q. No. 122 Re. Pension to Shrimati Shahjahan Begum	150

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
समितियों के निर्वाचन	Election to Committee	151
(1) रबड़ बोर्ड	(i) Rubber Board ;	151
(2) इलायची बोर्ड	(ii) Cardamem Board	151
कार्य मंत्रणा समिति	Business Advisory Committee	152
53 वां प्रतिवेदन	Fifty-third Report	152
कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक	Taxation Laws (Amendment) Bill	154—164
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as reported by Select Committee	154—186
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	154—155
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	155—157
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	157—158
श्री विक्रम चन्द्र महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	158—159
श्री तेन्नेटी विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham	159—160
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N. K. P. Salve	160—163
श्री शिंकरे	Shri Shinkre	163
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	163—164
श्री शिवचंद्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	164
कलकत्ता में श्रीमती परूल बोस को संरक्षण देने में सरकार की असफलता के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Failure of Government to Protect the Life of Mrs. Parul Bose in Calcutta	164—186
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	164—167
श्री हिम्मतसिंहका	Shri Himatsingka	166—168
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	168—170
श्रीमती इला पालचौधरी	Shtimati Ila Palchoudhury	170—171
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी	Shri S. S. Kothari	171—173
श्री रा० ढो० भंडारे	Shri R. D. Bhandare	173—174
श्री एस० कंडप्पन	Shri S. Kandappan	174
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	174—176
श्री विक्रम चंद्र महाजन	Shri Vikram Chand Mahajan	176—178

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री रवि राय	Shri Rabi Roy	177—178
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	178
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	178—180
श्री त्रिदीब कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhary	180—181
डा० मैत्रेयी बसु	Dr. Maitreyee Basu	181 - 182
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री	Shri Raghuvir Singh Shastri	182
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	182
श्री कृष्ण चंद्र पंत	Shri K. C. Pant	182—184
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamurti	184—185

लोक-सभा
LOK SABHA

बुधवार, 11 नवम्बर, 1970/20 कार्तिक, 1892 (शक)
Wednesday, November 11, 1970/Kartika 20, 1892 (Saka)

लोक-सभा 11 बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

निधन सम्बन्धी उल्लेख
OBITUARY REFERENCE

प्रधान मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं जनरल चार्ल्स डिगाल को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ जिनके निधन से इतिहास के एक युग का अन्त होता है। वे एक महान सैनिक तथा कुशल राजनीतिज्ञ थे और वे फ्रांस तथा यूरोपीय सभ्यता के ज्वलंत प्रतीक थे। फासिज्म के विरुद्ध उन्होंने जो संघर्ष किया, वह मनुष्य को अदम्य मुक्तिबोध का प्रतीक था। बाद में उन्होंने विश्व की राजनीति में जो भूमिका अदा की। वह कम महत्वपूर्ण नहीं थी। उन्होंने बहुत कठिन परिस्थितियों में फ्रांस का सत्ताभार संभाला था मगर उन्होंने अपने देश में स्थिरता का वातावरण पैदा किया और अपने देश को अन्तर्राष्ट्रीय रंगमंच में एक नया स्थान प्रदान किया। अलजीरिया के साथ अपने देश के सम्बन्ध को सुधारने के लिए उन्होंने जो कार्य किये, वह उच्च कोटि की राजनैतिक सूझबूझ का परिचय देते हैं साथ ही साथ उन्होंने समय की प्रेरणा तथा मानवीय स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा की पहचान का परिचय दिया।

मैं अपने अनुभव की कुछ बातें भी बताना चाहती हूं। मुझे कई बार उनसे मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ और मैंने देखा कि वह भारत में और विशेषकर यहां की वैज्ञानिक प्रगति में अत्यधिक रुचि रखते थे। जब मैं 1966 में प्रधान मन्त्री की हैसियत में संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में भाग लेने के लिए जाते वक्त उनसे मिली, तो उन्होंने अणुशक्ति के विकास के संबंध में विस्तृत रूप से बातचीत की और उन्होंने जानना चाहा कि इस दिशा में फ्रांस हमारी किस प्रकार सहायता कर सकता है। पिछले हफ्ते, लगभग पांच दिन पहले, मुझे उनसे अपने संस्मरण की एक प्रति प्राप्त हुई जिस में उन्होंने मेरे पिताजी को स्मरण किया है।

मैं, आपके माध्यम से सरकार में और इस सदन में अपने सहयोगियों की ओर से इस महान् व्यक्ति के देहांत पर फ्रांस की सरकार और जनता के प्रति गहरा शोक प्रकट करती हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री ने जो शोक संवेदना प्रकट की है मैं उसमें शरीक होता हूं जनरल डिगाल केवल फ्रांस के महानतम नेताओं में एक नहीं थे, उन्होंने विश्व में अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था। उनके विचारों का विश्व भर में सम्मान किया जाता था। सदन की ओर से मैं फ्रांस की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना प्रकट करता हूं।

दिवंगत व्यक्ति के सम्मानार्थ सदस्य थोड़ी देर मौन खड़े रहें।

उसके पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर तक खड़े रहे।

The Members then stood in silence for a short while.

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

छोटी सदरी स्वर्ण काण्ड की जांच

*61. **श्री राम किशन गुप्ता :** क्या प्रधान मन्त्री छोटी सदरी स्वर्ण-कांड के सम्बन्ध में 31 जुलाई, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 814 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या छोटी सदरी स्वर्ण-कांड के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने प्रारम्भिक जांच पूरी कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Ram Kishan Gupta : During the last time on the 31st July, 1970, also this reply was given, and earlier on 17th April, 1970 when this question was raised, no satisfactory reply was given. May I know why this case has been delayed so far ? Is it not due to the reason that it is the Chief Minister of Rajasthan who is responsible for the misappropriation of gold and who is a member of the ruling party ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Mr. Speaker, Sir, as has been said on prior occassions, a case is *sub judice* regarding the misappropriation of gold. Until the case is settled in the court of law or the witnesses are produced before. The court, it would not be proper for the CBI to take evidences from them. Therefore, the investigations in this case have been delayed. The case was filed in the High Court once or twice and then a transfer petition was submitted. The delay was due to this. On one occassion, the court had taken statements of 54 witnesses but some legal problems had arisen and then the trial has begun

denovo The present position is that statements of 15 witnesses have been taken and 13 witnesses have been left out. According to our information, it seems that only after some twenty appearances, statements of all the remaining witnesses can be taken. In this way again it will take 6 months before the court finishes its investigations. After giving evidences before the court, the witnesses one by one will appear before the CBI to give evidence there also and thereafter a decision will be taken in this respect.

Shri Ram Kishan Gupta : Will the Minister be pleased to state as to what is the estimated value of the gold that had been given to the Chief Minister by Shri Ganpat Lal during the last war ?

Shri Ram Niwas Mirdha : No gold was given to the Chief Minister of Rajasthan. Earlier, Shri Ganpat Lal was willing to give this gold during the war time. He met the Chief Minister and other persons at Jaipur and the Finance Secretary has ordered the collector to deposit the gold in the court treasury. Subsequently, the collector and the police superintendent together went with Shri Ganpat Lal and recovered a certain quantity of gold from a field. It was weighed and deposited in the court treasury. The cash is regarding this.. (*Interruptions*).

An. hon. Member : What is the total value of gold.

Shri Ram Kishan Gupta : what was the quantity and value of the gold.

Shri Ram Niwas Mirdha : Seven complete slabs and 37 pieces of gold were recovered from a field on the due given by Shri Ganpat Lal. It was brought to Chittorgarh and weighed there. The weight was 56.863 kgs. This was deposited in the treasury on the some day and the District Magistrate of Chittorgarh gave the receipt to Shri Ganpat Lal.

Shri Ram Kishan Gupta : The Chief Minister of Rajasthan had made a request to assess the weight of the then Prime Minister. Then it was estimated that the weight of the gold will be as much as that of the Prime Minister. Have the Government of Rajasthan or the Government of India inquired as to whether there was as much gold in the hands of Shri Ganpat Lal as the weight of the then Prime Minister and whether he had deposited the gold in treasury through the Government of Rajasthan ? How is it that so much of gold was found in the field ? What happend to the rest of the gold ? To what extent the Government of Rajasthan is responsible in this respect ?

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have submitted, the question of weighing the Prime Minister was raised here in Delhi and the news was broadcast through radio and was published in the newspapers. Shri Ganpat Lal went to Jaipur and said that he was willing to away the said gold. The Government on its part sent a letter to the concerned collector asking him to help him to deposit the gold in the treasury. 56.863 kgs. gold was recovered and deposited in the treasury. The receipt was given and the Panchnama was prepared as per the rules. There is no mention of any other gold than this in the regard.

Shri Atal Bihari Vajpayee : The Minister just now said that the case is *sub judice* and therefore the CBI cannot conduct an inquiry or that the enquiry is being delayed. May I know whether the CBI has made any effort to find out the source from which Shri Ganpat Lal obtained this much of Gold and whether he was asked as to how he was successful in collecting the gold ? This is not a matter related to the court. Even when the case is *sub judice*, the CBI can definitely inquire the sources from which he got this much of gold. Has the Government made any efforts in this direction ?

Shri Ram Niwas Mirdha : The CBI will make an enquiry in regard to the gold about which the hon. Members raised an issue in the House. A case is before the court of law,

far as the source from which the gold was recovered is concerned. The Finance Ministry of the Government of India has intervened in this matter. After the judicial inquiry is held, the Customs Department or other concerned authorities of the Finance Ministry will held an inquiry. Then only we can find out the source from where the gold has come and decide what action is to be taken on that etc.

Shri Madhu Limaye : I had raised this question here first in 1966 and submitted an application to the President. Along with that, half an hour discussion also was held during which two documents were presented to the House. One was the Panchnama and the other one was a letter written by the Finance Secretary to the Government of Rajasthan according to which this gold was deposited in the treasury at Udaipur. I would like to know if the case has not been settled even after four years ? When it will be settled ? Will the Reserve Bank of India ask the Rajasthan Government to deposit the gold in the Reserve Bank which was deposited in the treasury as well as that gold referred in the Panchnama during this period ?

Shri Ram Niwas Mirdha : Hon. Members had written a letter in this connection to the Prime Minister and in the reply given to them it was clearly stated that there doesnot arise a question of depositing the gold in the Reserve Bank, as a case is pending in the court. It is *sub judice*. The gold is deposited in the treasury. Until the court give its verdict, neither the Reserve Bank nor the Finance Ministry can do anything in this respect.

Shri Madhu Limaye : When the court will give its verdict ? It is four years since this question had been raised. How much time the Minister will take further for a final decision ? Have both kinds of gold been deposited in the treasury ? It may be stated clearly whether the gold stated to be deposited in the treasury on the issuance of the letter of the Finance Secretary as well as the one referred to in the Panchnama the copy of which is with me, have been both deposited in the treasury or not ?

Shri Ram Niwas Mirdha : There is only one category of gold.

Shri Madhu Limaye : It is not so. I have submitted two documents. Mr. Speaker Sir, I want to raise a point of order... (*Interruption*).

Mr. Speaker : Why are you shouting so much. The hon. Members must have some consideration for the House.

Shri Onkar Lal Berwa : Can the Minister go to the extent of giving false statement that both the categories of gold are one and the same ?

Shri Madhu Limaye : Please listen to me. I was telling that I had submitted a copy of Panchnama here. The Panchnama is prepared when gold is recovered...

Mr. Speaker : Please do not argue.

Shri Madhu Limaye : I want a clear cut reply in 'yes' or 'no'. May I know whether both the categories of gold are deposited in the treasury or not ? Will the Minister State it clearly ? I had submitted two documents.

Shri Ram Niwas Mirdha : As I have submitted, the Finance Secretary had written a letter. It has gone on record and what I say is that there is the Panchnama also. The letter to which the hon. Member refers, is also present here. When Shri Ganpat Lal went to Jaipur and expressed his willingness to deposit the gold, the Finance Secretary in a letter

asked the collector to help him in that respect. The superintendent of police and the collector arrived on the scene in time and recovered the gold from the field.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, first of all you please understand my question and make the Minister reply. You also are well aware of the fact that when something is recovered, Panchnama is prepared on that and when something is deposited in the treasury, receipt is given thereof. I have submitted copy each of the receipt as well as of Panchnama. Both these documents are different and even both the processes are different. The Minister says that both categories of gold are one and the same.

Shri Ram Niwas Mirdha : My reply is based on the record available. The collector and the suprintendent of police had prepared the Panchnama and it bears the signature of the superintendent of police also. Subsequently the gold was deposited in the treasury and the receipt was given to Shri Ganpat Lal.

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि देश में भ्रष्टाचार को जो सब से बड़े मामलों में से एक है, जिसमें कई बड़े-बड़े नेता लोग भी शामिल हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से कहा है कि वह शीघ्र जांच करे ताकि देश भर में लोगों के मन में व्याप्त यह धारणा दूर हो कि सरकार कुछ बड़े-बड़े नेता लोगों को संरक्षण दे रही है।

श्री राम निवास मिर्धा : किसी के संरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता। केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है। परन्तु, चूंकि मामला न्यायालय में चल रहा है, अतः जांच ब्यूरो कुछ हद तक ही जांच कर सकता है। इसके बावजूद भी जांच ब्यूरो ने 18 गवाहों के बयान लिये हैं। ये गवाह न्यायालय में भी पेश हो चुके हैं। श्री सुखाडिया या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार का संरक्षण देने का सवाल ही नहीं उठता। वस्तुतः श्री सुखाडिया ने ही स्वयं जांच कराने का अनुरोध किया था और जांच उनके अनुरोध पर आरंभ कर दी गई है। किसी को संरक्षण देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम् : बरामद किये गये सोने का वजन लगभग स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के वजन के बराबर है। क्या सोने का वजन प्रधान मन्त्री के वजन के बराबर कर दिया गया था या अब भी सोना बरामद किया जाना है ? यदि तस्करी सोना बरामद करने का यही तरीका है तो क्या प्रधान मन्त्री अन्य अवसरों पर भी अपने आपको तोलने का प्रयत्न करेंगीं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : इस कार्य के लिए मैं श्री पीलु मोदी के नाम का सुझाव दूंगी।

Shri Onkar Lal Berwa : No sooner did Shri Ganpat Lal deposited the gold in the treasury than Shri Sukhadia rushed to Delhi and met a Central Minister and held talks. I would like to know only one thing. Is there any consipracy between the Central Minister and Shri Sukhadia in this case, and is there the hand of Central Minister in delaying this case ? It is four years since this issue had been raised. How much time it will take further in deciding it finally ? Can person involved in corruption, like him, contest the election ?

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, Sir, please ask the Minister to reply.

Shri Onkar Lal Berwa : Had Shri Sukhadia come to Delhi or not ? Please ask the Minister to give reply in 'yes' or 'no'.

Mr. Speaker : What is your direct question.

Shri Onkar Lal Berwa : The question is whether Shri Sukhadia had come to Delhi and met the Central Minister on that date and whether it is due to the Minister that the case is being delayed. Is it not due to the pressure of the Minister that the case is being delayed ? Does a person involved in corruption, like him, has the right to contest the election ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I have already submitted the cause for delay. The case is going on in the court. It went to the High Court twice and the transfer petition was given. It is delayed due to this.

Shri Onkar Lal Berwa : Is there not any kind of pressure being exerted by the Central Minister ?

Shri Ram Niwas Mirdha : No Central Minister has any hand in this.

Shri Kanwar Lal Gupta : There is no case going on against Shri Sukhadia. There are allegations of building levelled against him. Why the Government are not instituting an inquiry into Shri Sukhadia's case ? This was the question raised here and it has not been replied to.

Shri Ram Niwas Mirdha : What ever statements were given against Shri Sukhadia or other persons regarding this case, are being examined properly by the CBI but the delay is occurring because the examination of the witnesses has not been completed. It is yet to be held.

Shri Madhu Limaye : Delay is due to the fact that they have crossed over to Indicate from Syndicate overnight.

Shri Sheo Narain : Who owned the field from where the gold was recovered ? Has any one been arrested in this connection ? I would like to know against how many persons cases are going on ?

Shri Ram Niwas Mirdha : I cannot say whose field it was, but a case is going on against Shri Ganpat Lal on whose giving the clue the gold was recorded, and there are two or three other persons also with him, in the case.

पश्चिम बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम को फिर से लागू करना

\+

*62. श्री यशपाल सिंह : श्री ई० के० नायनार :
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के राज्यपाल/सरकार की ओर से, राज्य में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाने के कारण, निवारक निरोध अधिनियम फिर से लागू करने की बार-बार मांग की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मांग को पूरा करने का निर्णय कर लिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

पश्चिम बंगाल सरकार से पश्चिम बंगाल निवारक नजरबन्दी विधेयक 1970 को राष्ट्रपति के एक अधिनियम के रूप में अधिनियमित करने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। विधेयक का उद्देश्य राज्य सरकार को निवारक नजरबन्दी के साधन से उन लोगों के विरुद्ध जिनकी गतिविधियां राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के प्रतिकूल हों, सशक्त करना था। पश्चिम बंगाल सलाहकार समिति ने 11 जून, 1970 की अपनी बैठक में इस प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया और इसका अनुमोदन नहीं किया। स्पष्ट रूप से सीमित प्रयोजन वाला एक समुचित विधान अधिनियमित करने के लिए एक नया प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

Shri Yashpal Singh : For how long this Government will let lakhs of innocent people of that state to be tortured by those ruthless, anti-social elements ? When they will take some tangible steps to curb the violent activities of these anti-national forces ?

Shri K. C. Pant : Efforts are being made even today to ensure protection to the peace-loving people of West Bengal. Details regarding the steps taken have already been given several times in the house. All the details regarding the tangible step suggested by him included therein.

Shri Yashpal Singh : The Congress Party led by the Prime Minister has recomended that the Preventive Detention Act should be revived. May I know what objection the Government have to reviving this Act.

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री और योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : हमारा उद्देश्य निवारक नजरबंदी कानून को पुनः लागू करना नहीं है, बल्कि कुछ सीमित कानून बनाना है जो इस खास समस्या का निपटारा करने में प्रभावी होगा, क्योंकि विपक्ष के कुछ मित्र यह आशंका अनुभव करते हैं कि सरकार इस अवसर का लाभ उठाकर कोई विस्तृत कानून बनायेगी जिसका उन पर असर पड़ेगा। मैं उन्हें आश्वासन देना चाहती हूँ कि यह हमारा उद्देश्य है ही नहीं। परामर्शदात्री समिति इस बात पर एकमत थी कि ऐसा कोई कानून बनाया जाना चाहिए जिसका प्रभाव सीमित हो।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या वह नक्सलपंथियों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए है ?

श्रीमती इंदिरा गांधी : उग्रपंथी नक्सलवादी तथा अन्य तत्वों की गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए है जो हिंसा तथा हत्या करते हैं।

श्री ई० के० नायनार : बिगड़ती हुई कानून तथा व्यवस्था की स्थिति के नाम से केवल केन्द्रीय सरकार परन्तु इंदिरा सरकार का अनुसरण करने वाली कुछ राज्य सरकारें भी न केवल

बंगाल में ही निवारक निरोध अधिनियम लागू करने पर विचार कर रही हैं परन्तु विरोधी राजनीतिक दलों को दबाने के लिये समूचे देश में इसे लागू करने के बारे में सोच रही है। समूचे देश में राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। पश्चिम बंगाल परामर्शदात्री समिति ने इस प्रस्ताव को 11 जून, 1970 को निरनुमोदित कर दिया था। उसके पश्चात् पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? हरयाणा की पुलिस के व्यक्ति, सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस सहित 25,000 सशस्त्र पुलिस के व्यक्ति दुर्गापुर में शिविर लगा रहे हैं और वहां के 60,000 कार्यकर्त्ताओं को दबाने के कार्य उन्हें छोड़ दिया है। पश्चिम बंगाल में 70,000 मार्क्सवादी कार्यकर्त्ता और मजदूर श्रेणी के लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी के वारंट जारी किये गये थे। और 7000 गिरफ्तार किये गये। 107 मार्क्सवादी कार्यकर्त्ता और नेता या तो मारे गये या उन्हें भूखों मार दिया गया। सरकार ने वर्तमान कानूनों को लागू नहीं किया है परन्तु उनके स्थान पर सरकार निवारक निरोध अधिनियम लागू करने के नाम से पश्चिम बंगाल में विरोधी राजनैतिक दलों को दबाना चाहती है। वहां पर जनता की प्रतिनिधि सरकार के बिना सरकार इसे नहीं कर सकी। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार निवारक निरोध अधिनियम को लागू करने के स्थान पर बंगाल में कानून तथा व्यवस्था को बनाये रखने के लिये पश्चिम बंगाल के अन्य दलों तथा प्रगतिशील वर्गों से सलाह कर रही है और क्या सरकार बंगाल में लगी धारा 144 को तथा मामलों को वापस लेगी? क्या सरकार बंगाल में निर्वाचन करवाने और लोकप्रिय सरकार बनाने के लिये भी उचित कार्यवाही करेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मुझे खेद है कि माननीय मित्र द्वारा जिन आंकड़ों का उल्लेख किया गया है वे मेरे पास जो कागज है उनमें नहीं हैं।

जहां तक जनता में व्यवस्था बनाये रखने के लिये राजनैतिक दलों का सहयोग लेने का प्रश्न है, निश्चय ही हम जनता में व्यवस्था बनाये रखने के लिये राजनैतिक दलों का सहयोग लेना चाहते हैं। ऐसा तभी होता है जब कुछ राजनैतिक दलों के सदस्यों पर आक्रमण होते हैं और वे हमारे पास पुलिस की सहायता लेने के लिये आते हैं।

श्री ई० के० नायनार : कलकत्ता के महापौर पर कैसे आक्रमण किया गया? एक हाई स्कूल की अध्यापिका परुल बोस के किस प्रकार छुरा मारा गया? तीन दिन पहले उसने गुंडों द्वारा छुरे मारे जाने के बारे में पुलिस आयुक्त को सूचना दी थी। जब वह स्कूल में थीं तो दिन दहाड़े गुंडों द्वारा उसके छुरा कैसे मारा गया? प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिये कि यह सब कैसे घटित हुआ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आक्रमण से पीड़ित सभी व्यक्तियों के साथ मेरी सहानुभूति है। वे लोग किस राजनैतिक दल से सम्बन्ध रखते हैं, इसकी कोई बात नहीं है परन्तु सरकार की उनके साथ पूर्णतया सहानुभूति है। जब कहीं हिंसात्मक घटना घटित होती है और किसी व्यक्ति पर आक्रमण होता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। अतः निश्चय ही हम सभी को एक मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिये। इसका सूक्ष्म रूप से यह कारण है कि जब राजनैतिक दलों और व्यक्तियों को धमकी दी जाती है तो वे हमारे पास पुलिस संरक्षण के लिये आते हैं। इसलिये पुलिस को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता है।

श्री ई० के० नायनार : पुलिस भी गुंडों तथा सी०आई०ए० का साथ दे रही है।

Shri Prakash Vir Shastri : All the political parties could not agree with the Government regarding the enactment of the Preventive Detention Act only because they were afraid of its being used against the other political parties by the Government. But there was a proposal to this effect in the consultative committee of the Ministry of Home Affairs that all of the political parties would support the Bill which would be brought or the effective step which would be taken by the Government to check the Naxalite Activities in West Bengal and violence in other parts of the country. Firstly, I want to know when it has been decided, then why the Government are hesitant to take such step and why are they avoiding action in such dangerous circumstances in West Bengal ?

What effective steps have been taken by the Government to prevent such activities before any such Act or Bill is brought and whether it has also been suggested that the present Governor is unable to present such activities, therefore, he must be asked to relinquish his office ? Why the Government is hesitant to remove him ?

Shri K. C. Pant : There is no hesitation regarding the Bill or P. D. Act. As Shri Shastriji knows, this matter was raised earlier also on 11th June in the consultative committee of the West Bengal. The idea was not accepted there. But as he has just said, a Bill of the limited purpose has been prepared which can be utilised against the Naxalities and similar elements. Even today we are consulting the opposition parties. We propose to bring it before the consultative committee of West Bengal.

Shri Prakash Vir Shastri : I have asked about the steps which are being taken by the Government to prevent daily violence, before this Bill is brought. I have also asked regarding the action being taken by the Government to call the Governor of West Bengal back.

Shri K. C. Pant : We are sending there the required contingent of army. The C. R. P. and the B. S. F. are also there. The hon. Member has just said that the police have been sent there. Besides, efforts have been made to strengthen the intelligence. So many Naxalites have been arrested. Ample explosives and arms have been siezed in raids. All the possible steps are being taken by the police there. If any reshuffling of the officers and police there is required, that is also being done. In this regard, all possible efforts are being made. The question about the Governor has been put here so many times. No answer can be given to this question because it is not relevant here.

डा० राम सुभग सिंह : वहां की स्थिति का सामना करने के लिये संघ सरकार के पास जो हथियार हैं उनमें से राष्ट्रपति शासन सभी हथियारों का अन्तिम हथियार है और पश्चिम बंगाल में वह शासन सरकार की अयोग्यता व गलत नीति के परिणामस्वरूप पूर्णतया असफल हो चुका है।

श्री रंगा : शर्म, शर्म।

डा० राम सुभग सिंह : जैसा कि कुछ समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है, सरकार पश्चिम बंगाल को सैनिक शासन के अन्तर्गत देने पर विचार कर रही है तो क्या मैं जान सकता हूँ कि यह सही है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : वहां के असैनिक प्राधिकारी स्थिति को संभालने में सर्वथा योग्य हैं। स्थिति पर नियंत्रण करने वाले कदमों में से यह प्रस्तावित कदम भी एक है और कोई भी व्यक्ति यही चाहेगा कि सभी राजनैतिक दल इस कदम का स्पष्ट रूप से समर्थन करें।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जब कि बंगाल में गत तीन वर्षों से खून खराबा हो रहा है और सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है तथा उस राज्य से व्यापार समाप्त हो रहा है, ऐसी स्थिति में सरकार अब भी सीमित कानून बनाने पर विचार कर रही है। जिस प्रकार देश के अन्य भागों के नागरिकों को सुरक्षा प्राप्त है उसी प्रकार क्यों न पश्चिम बंगाल के लोगों को भी सुरक्षा प्राप्त हो ? यदि सरकार जन शान्ति बनाये रखने पर विचार कर रही है तो उसे जांच करने के लिये लोगों को 24 घंटे तक बन्दी बनाने का भी अधिकार होना चाहिये। मैं जानना चाहूंगी कि जब सरकार को पश्चिम बंगाल में ऐसे तत्वों, जो विदेशों के प्रति निष्ठा दिखाते हैं, से निबटना पड़ता है तो अव्यवस्था को दबाने के लिये जितनी अधिकतम शक्ति संभव हो उतनी शक्ति क्यों नहीं प्राप्त कर लेती ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार यथासंभव अधिकतम शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न कर रही है और जिसे देने के लिये यह संसद तैयार है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : देश के उस भाग में असंतोष को दबाने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने में असफलता को ध्यान में रखते हुये, बंगाल में व्याप्त रोष के लिये यह आवश्यक है कि वहां पर दंडात्मक कार्यवाही के बजाय राजनैतिक उपाय काम में लाये जायें। इस बात को ध्यान में रखते हुये सरकार क्यों कानून पर कानून बनाने पर विचार कर रही है जबकि पर्याप्त कानून हैं जो कि उसे सभ्य तरीके से कार्यवाही करने में सक्षम बनाते हैं और साथ ही जो प्रभावी भी हैं और सरकार आगामी वर्ष फरवरी अथवा मार्च में निर्वाचन की घोषणा जैसे राजनैतिक उपाय क्यों नहीं अपना रही है जिससे कि इस समस्या के दंडात्मक हल की अपेक्षा राजनैतिक हल मिल सके ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : सरकार दंडात्मक उपाय नहीं करना चाहती है वह तो निवारक उपाय ढूंढ़ रही है।

जहां तक निर्वाचन का प्रश्न है, इस समस्या का कोई राजनैतिक उपाय नहीं है। क्योंकि, महोदय, जो तत्व वहां पर हिंसा उत्पन्न कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग इस समय समझ से काम नहीं ले रहे हैं अथवा ऐसा मुझे लगता है, परन्तु हम तो उसके साथ राजनैतिक वार्ता करने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। हम यह भी चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल के बुद्धिमान नेता उनके साथ इस सीमा तक राजनैतिक वार्ता करें कि उन्हें सही रास्ते पर ला सकें और उस दिशा में हम हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ समाज-विरोधी तत्व हैं, जिन्हें समाप्त करना है।

Shri Om Prakash Tyagi : Shri Charu Mazumdar announced some days ago that the police personnel and external traders should also be beaten up A number of traders there have been beaten up which has created terror among them. I want to know the steps taken by the Government to ensure that the traders do not shift from there, faith may be created in them and mutual struggle, communal struggle or any sort of struggle may not be started ?

Shri K. C. Pant : It is not the question of only traders. Clashes are taking place these between different parties and lives are lost. As the hon. Member has just said that there attacks are being made on police. Therefore, forces are necessary in order to maintain law and order and safety there and the administration needs the Preventive Detention Act. All the steps mentioned by me are being taken.

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री समर गुह : महोदय, यह उचित नहीं है ।**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अगले प्रश्न के लिए कह दिया है । यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्री गणेश घोष : आपने हमें पश्चिम बंगाल पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है । आप प्रश्नों की भी अनुमति नहीं दे रहे हैं । कृपया हमें पश्चिम बंगाल पर चर्चा करने की अनुमति दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

भूतपूर्व नरेशों की सम्पत्तियों को अधिकार में लेना

*63 **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न राज्यों में भूतपूर्व नरेशों को क्या-क्या विशेषाधिकार प्राप्त थे और उनकी मान्यता समाप्त करने के पश्चात् उन विशेषाधिकारों को समाप्त करने के लिए क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ;

(ख) उन राज्यों के विलय के समय भूतपूर्व नरेशों द्वारा अपने पास रखी गई सम्पत्तियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन नरेशों के पास या तो इनके स्वयं के नाम से या परिवार के सदस्यों के नाम से या न्यासधारियों आदि के नाम से जो दोनों चल और अचल सम्पत्तियां थीं उन्हें अधिकार में लेने के बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह-मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भूतपूर्व नरेशों द्वारा, मान्यता समाप्त होने से पूर्व उपयोग किये जाने वाले विशेषाधिकारों की सूची वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है । राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के मन्त्रालयों को सलाह दी गई है कि मान्यता समाप्त करने के पश्चात् ऐसे विशेषाधिकार नहीं रहे हैं ।

(ख) सरकार सार्वजनिक हित में यह उचित नहीं समझती है कि भूतपूर्व नरेशों का धन या सम्पत्ति के ब्यौरे को जिसे निजी सम्पत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है प्रकाशित किया जाये ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान् ।

(घ) इन सम्पत्तियों पर भूतपूर्व नरेशों का स्वामित्व अधिकार है ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

विवरण

भूतपूर्व नरेशों द्वारा, मान्यता समाप्त होने से पूर्व, उपयोग किये जाने वाले विशेषाधिकारों की सूची

[टिप्पणी :—इस सूची में दिये गये सारे विशेषाधिकार सभी भूतपूर्व नरेशों को उपलब्ध नहीं थे ।]

1. सरकारी अस्पतालों में भूतपूर्व नरेशों और उनके परिवारों की निःशुल्क चिकित्सा।
2. नरेशों के पदावासों पर सशस्त्र महल रक्षकों की व्यवस्था ।
3. उचित दरों के भुगतान पर यात्रा के समय नरेशों और उनके परिवारों के लिये अनुरक्षकों की व्यवस्था ।
4. नरेशों और उनकी पत्नियों को अपने आवासों, मोटरकारों और वायुयानों पर अपने-अपने झण्डे फहराने का अधिकार ।
5. नरेशों और उनके परिवारों के सदस्यों को भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 तथा उसके अधीन नियमों के अन्तर्गत अर्थात बिना लाइसेंस के कुछ प्रकार के हथियार रखने आदि की कुछ छूट दी जाती है ।
6. नरेशों के प्रीवी पर्स को आयकर तथा अधिकर दोनों से और कुल आय व विश्व आय के विनिमय से छूट है ।
7. नरेश के पदावास के वार्षिक किराया मूल्य को आय-कर से छूट है ।
8. नरेशों को मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत बिना भुगतान के अपनी कारों को पंजीकृत कराने व चालक लाइसेंस लेने की अनुमति दी जाती है ।
9. स्थानीय कर से नरेशों को छूट देना राज्य सरकारों के निर्णय पर छोड़ दिया है, सामान्य धारणा यह रही है कि 15 अगस्त, 1947 से पहले की स्थिति कायम रखी जाय । राज्यों को सलाह दी गई थी कि भूतपूर्व राज्यों में पड़ने वाले क्षेत्रों में मकान-कर लगाये जाने अथवा उनको लागू होने पर नरेशों के मुख्य आवासीय महलों को कर से छूट दी जाय ।
10. नरेशों की जागीर व व्यक्तिगत सम्मत्ति को करों से छूट का प्रश्न राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था । भारत सरकार ने यह राय व्यक्त की थी कि सामान्य भूराजस्व कानून ऐसे मामलों को नियंत्रित करे ।
11. 15 अगस्त, 1947 से नरेशों को प्राप्त श्रेष्ठता का अधिकार जारी रखा गया ।
12. नरेशों द्वारा अपनी कारों पर लाल रंग की नम्बर प्लेटों के प्रयोग की अनुमति दी गई ।
13. जिन नरेशों को 10 और उससे अधिक तोपों की सलामी दी जाती है उनके साथ के सामान और नरेशों को 19 और उससे अधिक तोपों की सलामी दी जीती है उनके निजी सामान, चाहे उनके साथ हों अथवा उनके साथ न हों, पर सीमा

शुल्क नहीं लगता। जिस नरेश को 19 तथा उससे अधिक तोपों की सलामी दी जाती है, उसके तथा उसके परिवार के सदस्यों के निजी प्रयोग की सभी वस्तुयें सीमा शुल्क से मुक्त हैं। जिन नरेशों को 19 तथा उससे अधिक तोपों की सलामी दी जाती है उनके द्वारा खरीदे गये पैट्रोल पर दिया गया उत्पादन शुल्क वापिस कर दिया जाता है।

14. नरेशों के विरूद्ध मुकदमा दायर करने तथा अभियोग चलाने के लिए भारत सरकार की अनुमति अनिवार्य है।

15. नरेशों को उनके सामान्य खिताबों से सम्बोधित किया जाता है।

16. नरेशों के मछली पकड़ने और शिकार खेलने के अधिकारों की रक्षा की जाती है।

17. किसी नरेश अथवा उसकी पत्नी अथवा युवराज के दाह संस्कार के समय सैनिक सम्मान की व्यवस्था की जाय बशर्ते कि सुविधायें पास हों और विलयन से पूर्व नरेश आई० एस० एफ० की टुकड़ियां रख रहा हो।

18. नरेशों के रिहायशी प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली सम्पत्ति उनकी सहमति के बिना और उचित क्षतिपूर्ति किए बिना मांगी अथवा प्राप्त नहीं की जाएगी।

19. नरेशों के भूतपूर्व क्षेत्रों में स्थिति अवतारण स्थानों पर उनको अवतारण शुल्क के भुगतान से छूट।

20. राज्य के भीतर निजी रिहायशी आवासों के लिए, जितना उपभोग हो, पानी व बिजली की निःशुल्क सप्लाई। किन्तु यह छूट केवल कुछ नरेशों तथा उनके परिवारों के सदस्यों को लागू है।

21. भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण से छूट। यह छूट कुछ नरेशों को ही लागू है।

22. भूतपूर्व राज्य में पड़ने वाले क्षेत्रों में नरेश के जन्म दिन पर सार्वजनिक छुट्टी। यह छूट कुछ नरेशों को ही लागू है।

23. डाक व तार सम्बन्धी विशेषाधिकार जैसे निःशुल्क वायर लैस रिसिवर लाइसेंस देना, 'प्राथमिक' व 'तत्काल' टेलिग्रामों की बुकिंग (केवल तोपों की सलामी वाले कतिपय चुने हुए नरेशों द्वारा)।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, recently the recognition of the former rulers has been withdrawn and they have been given the status of common citizens like others. In this context, I want like to draw the attention of the Government to certain follow up steps which are to be taken. In the statement which has been circulated by him, it is mentioned that it was left to the State Governments to decide as to whether they would impose tax on these ex-rulers or not, to decide as to whether the Jagirs, personal property or land will remain with them or not. Therefore, I want to know in which of the States they were exempted from tax and land laws and in which of the States the laws are applicable to them. The hon. Minister has just stated that they would not disclose the individual property of the former rulers. This is a serious matter...*(Interruptions)*. Will the hon. Minister disclose the number of residential houses of the Rulers, the number of palaces and the hotels which are run by them? If the hon. Minister does not disclose the inventories of

the properties in detail, how can people know and how would the willing persons help the Government ? Therefore, I am asking whether he would lay on the Table of the House inventories of the houses of the ex rulers other than their residential houses ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र ने विवरण की मद संख्या 10 का उल्लेख किया है जो इस प्रकार है :

"नरेशों को जागीर तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति पर कर लगाने से मुक्त करने का प्रश्न राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया था ।"

श्री भोगेन्द्र झा : मैं मद संख्या 9 तथा 10 का उल्लेख कर रहा हूँ ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मेरे माननीय मित्र जानना चाहते हैं कि किन किन राज्य सरकारों ने कौन कौन से कर आदि लगाये हैं । मेरे पास इस बारे में अभी जानकारी नहीं है ।

जहां तक नरेशों को उनकी सुविधाओं सहित रखने का प्रश्न है ; मुझे आशा है कि इस बारे में मेरे माननीय सदस्य इस सरकार पर विश्वास रखेंगे, जिसने निजी थैलियों और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया है कि वह कानून का पालन करेगी ।

Shri Bhogendra Jha : Mr. Speaker, Sir, the question to which I wanted a categorical reply, has again been made ambiguous. While they have been exempted from various taxes for their residential houses, we want to know how many palaces or houses are in possession of the Rulers. Will the hon. Minister place the inventories before the House alongwith the details of the rented hotels of the Rulers ? There appeard a news recently in the 'Link' weekly to the effect that Shrimati Vijay Raje transferred property worth crore of rupees in the name of another persons deceiviry the State. In this connection she has served with the notice etc. Why do the hon. Minister not place before the House the inventories of the properties of the Rulers ? What objection is there to this ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : एक महल को सम्पत्ति कर से मुक्त किया गया है । महलों के बारे में जो दूसरी जानकारी मेरे पास है वह यह है कि नरेशों द्वारा आवास के लिए जो सम्पत्ति प्रयोग में लाई जाती है उसे बिना उनकी सहमति और उन्हें उचित मुआवजा दिये बिना न तो मांगा जायेगा और न ही उनका कब्जा लिया जायेगा ।

सामान्य प्रश्न के उत्तर में मेरा फिर कहना है कि विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है । अब इस अवस्था में उन मामलों की जांच करने का प्रश्न नहीं है । अब विशेषाधिकार नहीं रहे हैं ।

जहां तक नरेशों की निजी सम्पत्ति की सूची का प्रश्न है, जैसा कि मैं अपने मुख्य उत्तर में बता चुका हूँ, निजी सम्पत्ति की सूची को गोपनीय दस्तावेज समझा जा रहा है तथा वे केवल सरकारी प्रयोग के लिए ही है और हम उन कागजातों को न्यायालयों में पेश करने के विशेषाधिकार के लिए मांग करते रहे हैं ।

Shri Bhogendra Jha : Since they are no longer princes, how their properties can be kept secret ? Is this a new privilege being added to ? The property of anybody can not be kept secret.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं ? उनके साथ अन्य नागरिकों जैसा व्यवहार किया जायेगा और हम किसी भी नागरिक की निजी सम्पत्ति की जांच नहीं करते हैं ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : I want to know from the hon. Minister in the context of his statement just made that the privileges of the princes have been done away with, whether the Government are aware of the fact that in Madhya Pradesh guards are still serving the princes and the number plates on their cars are their own ?

Shri K. C. Pant : If the State Government deems it fit that guards are necessary for the safety of life and property then they can have guard service. Probably there might be pieces of Arts at certain palaces which require guards. In such cases they can have guards. But now it is not the question of privilege. If the State Government deems it necessary and they make payment for the guards service then they can be provided with the service. So far as the number plates are concerned, if the hon. Member is aware of any number plate, he can inform us because we have got no information in this regard.

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : विशेषाधिकारों की जो सूची सभा-पटल पर रखी गई, उसकी मद संख्या 13 से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी भूतपूर्व नरेश विदेश जाते हैं, चाहे वे परिवार सहित जाते हों या अकेले, उन पर सामान साथ ले जाने या न ले जाने और व्यक्तिगत प्रयोग के लिए इच्छित वस्तुयें ले लाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाता । जहां तक मुझे पता है, विदेशों में मुद्रा साथ ले जाने पर भी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये थे । मेरा प्रश्न विशेषाधिकारों के दुरुपयोग से सम्बन्धित है । ऐसा खुले आम कहा जाता है कि विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए कुछ भूतपूर्व नरेश काफी मात्रा में धन-राशि विदेश ले गये हैं और उन्हें विदेशी बैंकों में जमा करा दिया है जहां उसे छुआ नहीं जा सकता । अब चूंकि भूतपूर्व नरेशों को मान्यता समाप्त हो चुकी है, क्या सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए यह पता लगाने का प्रयत्न करेगी कि इस प्रकार कितना धन अनधिकृत रूप से नरेशों ने, विशेषाधिकारों का दुरुपयोग करते हुए, स्विस बैंक या अन्य बैंकों में जमा करा रखा है और क्या सरकार इस प्रकार के धन को वापिस लेने के लिए कार्यवाही करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि कुछ विशिष्ट मामले हमारे ध्यान में लाये गये तो हम निश्चित रूप से उन पर ध्यान देंगे ।

Shri Beni Shanker Sharma : Mr. Speaker, Sir, the persons who maintain accounts or have knowlege of accounts know that property or assets are always accompained with liabilities. So I would like to know what action Government are taking in regard to the liabilities of former rulers, the property of whom has been acquired by the Government ? For example, these rulers are having hundreds and in certain places thousands of servants. They will be rendered jobless. What steps Government are taking to provide them with jobs ?

Shri K. C. Pant : It is not possible for the Government to make arrangements for all of them.

Shri Shashi Bhushan : These former rulers are having thousands of pistols and guns in their possession even after the abolition of their privileges. (*Interruptions*). The former ruler of Gwalior has also pistols and guns in his possession. Besides, he has not paid water tax for the last 25 years. Their plants are irrigated with fresh water whereas people of Gwalior are provided saline water. So, I would like to know when water tax and

electricity tax will be imposed on them and by what time possession of arms by them will be declared illegal and name plates will be removed from their cars ?

Shri K. C. Pant : Mr. Speaker, Sir I do not think that people of today get afraid of old guns. So, far as the question of privileges is concerned, they have been abolished. How will they continue now ?

Shri Shashi Bhushan : They have not returned even a single gun.

श्री राममूर्ति : माननीय मंत्री ने यह तर्क दिया है कि कर-मुक्त मकानों की संख्या सभा पटल पर रखने जैसे सरल प्रश्न का उत्तर देना जन-हित में नहीं है। मेरे विचार में इस तरह बचने की अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती। देश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि सरकार ने कितने मकानों को कर-मुक्त किया है। यदि कल को यह कहा जाता है कि सरकार इसको लागू नहीं कर रही है तो हम आश्वस्त कैसे हो सकेंगे जब तक हमें इस जानकारी का पता नहीं चलता ? यह जानकारी जन-हित में क्यों नहीं है कि कितने मकान कर-मुक्त किये गये हैं ? इसमें क्या हानि हैं ? क्या इसमें देश की सुरक्षा का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है ? अतः आप मंत्री महोदय को निदेश दें कि वे इस प्रश्न का उत्तर दें क्योंकि ऐसा जन-हित में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कोई निदेश नहीं दूंगा।

श्री राममूर्ति : आप प्रश्न की जांच कर सकते हैं और मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए निदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि नियमों के अधीन मुझे यह अधिकार हुआ, तो मैं निश्चित रूप से निदेश दूंगा।

श्री राममूर्ति : आपके पास यह अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में मेरे पास अधिकार नहीं है।

श्री राममूर्ति : आप अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं बशर्ते कि आपकी इच्छा हो।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियमों से परिचित हूं और मैंने उन्हें अपना विचार बता दिया है। यदि ऐसा कोई नियम है, तो मेरा ध्यान उस ओर आकर्षित किया जा सकता है।

श्री ए० श्रीधरन : यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को स्पष्ट निदेश भेज दिया है तथापि केरल सरकार ने उसका पालन नहीं किया है। त्रिवेन्द्रम में एक वार्षिक उत्सव होता है जिसका संचालन त्रावनकोर के महाराजा करते हैं। पहले, इस उत्सव के समय महाराजा के साथ-साथ पुलिस सशस्त्र भी होती थी। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार समाप्त करने सम्बन्धी निदेश दे दिये हैं तथापि तथाकथित प्रगतिशील केरल सरकार ने पुलिस तथा सशस्त्र पुलिस को जुलूस के साथ चलने की अनुमति दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस घटना का पता है ? क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि केरल

सरकार ने केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गये निदेश का उल्लंघन किया है, और यदि हां, तो सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जैसा कि मुख्य उत्तर में मैंने कहा है, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को यह लिखा है और बताया है कि भूतपूर्व नरेशों की मान्यता समाप्त होने के बाद उनके कोई विशेषाधिकार नहीं रह गये हैं ।

श्री पीलू मोदी : अभी तक मामले का निर्णय सरकार के पक्ष में नहीं हुआ है ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : जहां तक केरल के वार्षिकोत्सव का सम्बन्ध है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है परन्तु बिना लोगों के भाग लिए कोई भी उत्सव नहीं होता ।

श्री ए० श्रीधरन : मैं लोगों के भाग लेने की बात नहीं कर रहा हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : यदि उत्सव में लोग भाग लेते हैं तो कानून और व्यवस्था को बनाये रखने के लिए पुलिस को तैनात करना पड़ता है । ऐसा करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

श्री ए० श्रीधरन : यह एक औपचारिक जुलूस है, इसमें कानून तथा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या समाचारपत्रों में ऐसा समाचार छपा है कि सरकार भूतपूर्व नरेशों को अन्तरिम राहत देने पर विचार कर रही है ? मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ क्योंकि मैंने कभी नहीं सुना कि राजा महाराजा कृष्टमय स्थिति में हैं । यह कहां तक सच है ? क्या सरकार उन लोगों को भी कुछ धन-राशि देने का विचार कर रही है जिनको प्रति मास 5 रुपये से 10 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं ? उनकी संख्या एक लाख है । क्या सरकार भूतपूर्व नरेशों को धन-राशि देने की बजाय उन लोगों को नौकरियां या अधिक पेंशन देगी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पंत : राष्ट्रपति ने फरवरी में घोषणा की थी कि सरकार भूतपूर्व नरेशों को बदली हुई परिस्थितियों में भली प्रकार निर्वाह करने के लिए अन्तर्वर्ती व्यवस्था करेगी । सरकार की इस इच्छा की पुष्टि वित्त मंत्री ने 7 सितम्बर, 1970 को राज्य-सभा में की थी । अभी तक इस बारे में वही स्थिति है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया । उन एक लाख लोगों के भाग्य का निर्णय कौन करेगा जो बहुत निर्धन हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । अगला प्रश्न लिया जाए... (व्यवधान)

श्री उमानाथ : क्या सरकार को इस बात का पता है कि इंडियन एयरलाइन्स ने हवाई जहाज की उड़ान इसलिए रद्द कर दी ताकि महाराजा की भावनाओं को ठेस न पहुंचे ?

अध्यक्ष महोदय : आप फिर अपनी पुरानी आदत दोहरा रहे हैं। 30 प्रश्नों में से केवल 3 प्रश्न हुए हैं। इण्डियन एयरलाइन्स के साथ माननीय मंत्री का सम्बन्ध नहीं है। अगला प्रश्न लिया जाए।

संयुक्त उपक्रमों के लिए राज्यों के मुख्य मंत्रियों और अन्य मंत्रियों द्वारा विदेशों का दौरा

*64. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि कुछ राज्यों के मुख्य मंत्री तथा अन्य मंत्री विदेशों में गये और उन्होंने अपने राज्यों में संयुक्त उपक्रम अथवा उद्योग चालू करने के लिए विदेशी सरकारों से सम्पर्क किया ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या किसी राज्य में उद्योग चालू करने के उद्देश्य से राज्यों के मुख्य मंत्रियों अथवा अन्य मंत्रियों का विदेशी सरकारों से सीधी वार्ता करना उचित है ; और

(घ) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ऐसे निदेश दिये हैं कि विदेशी सरकारों से ऐसे अनुरोध केवल केन्द्रीय सरकार के माध्यम से किये जाने चाहियें ; और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Shri Kanwar Lal Gupta : Will the hon. Minister be pleased to state the names of the Chief Ministers who went abroad, the projects about which discussions were held and finalised and the number of Chief Ministers who had obtained permission for that ?

Shri L. N. Mishra : There is a long list which I will lay on the Table of the House later on. However, persons from Assam and Maharashtra went abroad...

Shri Kanwar Lal Gupta : I am not asking about persons. Please mention the names of the Chief Ministers.

Shri L. N. Mishra : The Chief Minister of Mysore visited Japan and the Chief Minister of Punjab went to Europe. Nothing has been finalised so far. Only exploratory talks were held and matter is to be discussed with the Department of Economic Affairs and Ministry of Industrial Development. State Governments have no right to finalise the matter about project in consulation with any foreign firm or foreign Government. They will have to take clearance from the above-mentioned Department and Ministry. After that the matter can be finalised.

Shri Kanwar Lal Gupta : Many Chief Minister, when they go abroad, behave there in such a manner as if they are having independent States. This practice is not proper and it has adverse effects. This is the sphere of the Central Government. Therefore they should go there after seeking permission from the Central Government. To avoid such things, will the Government give proper guidelines to the Chief Ministers so that whenever they go abroad, they might act according to the guidelines and such type of confusion might not be created. Will Government make any provision for this ?

Shri L. N. Mishra : In 1958, a circular was sent from Cabinet Secratariat to the State Governments that whenever they prepare any scheme for discussion, while they are abroad, they should show it first to the Central Government and discuss only after taking permission from the Central Government. But there are some cases where the Ministers or the Chief Ministers of States has discussed with foreign firms. But they do it because they are much concerned about the development and progress of the State and they take clearance from the Central Government only then discussions could be held, otherwise not.

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister has not mentioned the names of the Chief Ministers who did not act according to the guidelines given by the Central Government.

Shri L. N. Mishra : There is no Chief Minister who did not consult the Central Government before discussions were held. It is the Central Government which provides foreign exchange and licences to them...(*Interruptions*).

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि आसाम के कुछ मंत्री अपनी पत्नियों तथा कुछ अधिकारियों और उनकी पत्नियों सहित विदेशों में गये और विदेशी सरकारों से बातचीत की ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिये। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

इडुिकी पन-बिजली परियोजना के पूरा होने में विलम्ब

*65. **श्री अदिचन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इडुिकी पन-बिजली परियोजना निर्धारित समय से दो वर्ष पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस विलम्ब का निवारण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). प्रथम यूनिट को 1970 के अन्त तक चालू करने का मूल लक्ष्य था। अब संशोधन करके 1973 के उत्तरार्ध में चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रगति में देरी के मुख्य कारण ये हैं :—श्रमिक विवाद, अनुसूची के अनुसार कार्यों को पूरा करने के लिये ठेकेदारों की असमर्थता, कुलामाउ बांध स्थल पर दुर्घटना के कारण एक ठेकेदार की मृत्यु और परिणामस्वरूप कार्य की क्रियान्विति के लिये वैकल्पिक प्रबंध करने में देरी। इस बात को सुनिश्चित करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं कि संशोधित अनुसूची के अनुसार इडुिकी का प्रथम यूनिट चालू हो जाए। सिविल कार्यों की प्रगति को तेज करने के लिए अतिरिक्त उपकरण प्राप्त किया गया है। श्रमिक विवादों का निपटारा किया जा रहा है और संकट पूर्ण कार्य विभागीय तौर पर हाथ में ले लिए गए हैं।

देश को चार पांच बहु-भाषीय प्रशासनिक क्षेत्रों में पुनर्गठित करने का संकल्प

*66. **श्री क० लकप्पा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस की तमिलनाडु शाखा के इस संकल्प पर विचार किया है कि देश को चार या पांच बहु-भाषीय प्रशासनिक क्षेत्रों में पुनर्गठित किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपर्युक्त संकल्प को क्रियान्वित करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस विषय पर पहले विचार किया जा चुका है। सरकार का मत है कि देश का ऐसा पुनर्गठन व्यावहारिक नहीं होगा।

भूतपूर्व नरेशों द्वारा हथियारों तथा गोलाबारूद का बेचा जाना

*67. **श्री मुहम्मद शरीफ :** **श्री दण्डपाणि :**
श्री मयाबन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व नरेशों द्वारा प्राइवेट पार्टियों को अपने हथियार बेचने से रोकने के लिए कोई निर्णय किया है ;

(ख) क्या प्रत्येक नरेश के पास कितने हथियार हैं इसकी विस्तृत सूची तैयार की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) सरकार ने भूतपूर्व नरेशों के हथियारों के निपटारे के विषय में क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, गृह कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से एकत्रित की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती ललिता शास्त्री द्वारा ताशकन्द में हुई अपने पति की मृत्यु के बारे में व्यक्त की गई शंकायें

*68. **श्री राम चरन :** **श्री जगेश्वर यादव :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री की विधवा श्रीमती ललिता शास्त्री ने 11 जनवरी, 1966 को ताशकन्द में हुई अपने पति की मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में शंकायें व्यक्त की हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) तत्कालीन विदेश मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह ने दिनांक 16 फरवरी 1966 को लोक सभा में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में एक वक्तव्य दिया था। तत्कालीन गृह मंत्री श्री यशवन्त राव चव्हाण ने भी इस विषय में राज्य सभा में 4 अप्रैल 1970 को एक वक्तव्य दिया। सरकार ने हाल में श्रीमती ललिता शास्त्री से हुए साक्षात्कार के समाचार को देखा है और उसका निकट भविष्य में इस संबंध के उठाये गये प्रश्नों से सम्बन्धित तथ्यों का एक विवरण सभा पटल पर रखने का विचार है। जैसा कि सुझाव दिया गया है जांच कराने का कोई औचित्य नहीं है।

नक्सलियों की हिंसक गतिविधियों के तरीकों का मुकाबला करने के लिये विशेष प्रयास

*69. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नक्सलियों की गतिविधियों के तरीकों का मुकाबला करने के लिए एक विशेष प्रकार की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनके लिये उक्त सुविधाओं की व्यवस्था की गई है ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकारों ने लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रशासनिक प्रबन्धों को सशक्त करने हेतु कदम उठाये हैं। उठाये गये कदमों में न केवल आसूचना व्यवस्था को प्रवाहयुक्त करना बल्कि प्रशासनिक अभिकरणों को उचित प्रशिक्षण देना तथा परिष्कार करना भी शामिल है। केन्द्रीय सरकार पुलिस कुमकों तथा संचार सुविधाओं द्वारा ऐसी सहायता भी दे रही है जो मांगी जाती है।

मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने के लिए आन्दोलन

*70. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 3 अक्तूबर, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस

समाचार की ओर दिलाया गया है कि मेघालय में गठित एक नये दल ने मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर अभियान आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). सरकार ने समाचार देखा है । मेघालय को राज्य का दर्जा देने की मांग, समाचार पत्र में खबर छपने से पहले से ही सरकार के विचाराधीन थी । मेघालय को सिद्धान्त रूप से राज्य का दर्जा देने का सरकार का निर्णय सदन को पहले से ही विदित है ।

मैसूर में दशहरा समारोह

*71. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर में दशहरा समारोह से सरकार को प्रति वर्ष आर्थिक लाभ होता है ;

(ख) क्या महाराज के दरबार करने और भव्य जलूस में शामिल होने की अनिच्छा के कारण इस बार मैसूर का प्रारंभिक दशहरा नहीं मनाया गया ; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार की हानि को ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्र सरकार अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस प्रसिद्ध पर्व को राज्य स्तर पर मनाने की राज्य सरकार को सलाह देगी ?

गृह मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). मैसूर में दशहरा मनाने के विषय का संबंध राज्य सरकार तथा भूत पूर्व मैसूर नरेश से है । केवल संयोगवश यह पर्यटकों के लिए आकर्षण केन्द्र था ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

राजधानी में डकैती और लूटमार के मामले

*72. **श्री चेंगलराया नायडू :**

श्री रा० बरुआ :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत थोड़े समय में ही राजधानी में डकैती और लूट-मार की अनेक घटनायें घटी हैं ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि

मध्य प्रदेश की चम्बल घाटी के डाकुओं ने राजधानी के अनेक लोगों को पकड़ लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन तत्वों तथा घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) पिछले कुछ महीनों के दौरान ऐसे अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।

(ख) जी हां, श्रीमान्। मध्य प्रदेश में सक्रिय डाकुओं के एजेंटों द्वारा 1970 (31-10-1970 तक) के दौरान दिल्ली से 5 मामलों में 7 व्यक्तियों के अपहरण की सूचना है।

(ग) स्थानीय पुलिस को सतर्क रहने और कठोर और तुरन्त कार्रवाई करने के उपयुक्त आदेश दिये गये हैं।

अपहरण के संबंध में लोगों को जानकारी दी गई है कि अजनबी लोगों से लिफ्ट स्वीकार न करें। इन मामलों की जांच करने और दिल्ली में डाकुओं के एजेंटों को पकड़ने के लिए विशेष पुलिस का प्रबन्ध कर दिया है। डाकुओं के तीन एजेंटों को पकड़ लिया गया है।

Liquidation of Espionage Rings Spying against India

*73, **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the number of espionage rings, spying against India and gangs including in subversive activities in Kashmir, liquidated since 1st January, 1968 ; and

(b) the total number of persons arrested during the same period and the action taken against them ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

अत्यधिक मात्रा में रेत के बह कर आने को रोकना

*74. **श्री हेम बरुआ** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यधिक मात्रा में रेत के बह कर आने को रोकने से सम्बन्धित वर्तमान विनियम/आदेश अपर्याप्त हैं ;

(ख) अलकनन्दा जैसी और दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या स्थाई उपाय किये गये हैं ; और

(ग) विनियमों/आदेशों में परिवर्तन करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

हरिद्वार में अपर गंगा नहर के लिए विनियमन सम्बन्धी नियमों में बाढ़ गहनताओं के संदर्भ में न कि नदी की गाद के संदर्भ में द्वारों के नियमन के लिए कहा गया है। चालू वर्ष तक इन विनियमों ने संतोषजनक रूप से कार्य किया और 1964 अथवा 1963 में भी जबकि गंगा में बहुत भयंकर बाढ़ें आई थीं, कोई कठिनाई अनुभव नहीं की गई थी।

इस वर्ष के दौरान अपर गंगा में जैसी भारी क्षति हुई, उसको बचाने के लिए उन सभी राज्यों को सुझाव दिया गया है जहां से हिमालयी नदियां बहती हैं कि विभिन्न शीर्ष कार्यों में गाद प्रेक्षण कार्य आरंभ किया जाए, मानसून ऋतुओं के दौरान परियोजनाओं के रोजमर्रा प्रचालन में गाद का विशेष नोट रखा जाए ; जब गाद कुछ प्रतिशतता तक पहुँच जाए, नहरों को बन्द करने के लिए कार्यवाही की जाए ; और विनियमन के विभिन्न स्थाई आदेशों और नियमों में इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुदेश शामिल कर दिए जाएं।

भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सलाह करके निम्नलिखित पर जांच करने के लिए और उस पर रिपोर्ट देने के लिए समिति की स्थापना की गई है :—

1. नहर में गाद पड़ने के कारण।
2. नहरों के प्रचालन के लिए चालू नियम और विनियम तथा उनकी पर्याप्तता और क्या उनका बुद्धिमत्ता से अनुसरण किया गया था।
3. स्थिति को और प्रभावकारी रूप से नियन्त्रित करने के लिए कोई और उपाय जिनकी प्रत्याशा की जा सकती थी और जिन्हें हाथ में लिया जा सकता था, तथा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए संरचना और संरचनेतर दोनों प्रकार के उपयुक्त सुझाव देना।

समिति से यह कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट दो महीनों के भीतर प्रस्तुत करे। समिति द्वारा वर्तमान विनियमों में सुझाए गए किन्हीं और संशोधनों को 1971 की मानसून से कार्यान्वित किया जाएगा। चमोली और जोशीमठ के बीच संकटपूर्ण क्षेत्रों के सर्वेक्षण सीमा सड़क संस्था द्वारा केन्द्रीय सड़क गवेषणा संस्थान के साथ और भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के साथ सड़क के किसी पुनः सर्वेक्षण, जिसकी आवश्यकता पड़े, को निर्धारित करने के लिए किए गए हैं। सीमा सड़क संस्था क्षेत्र में बेतार संचारों में सुधार लाने के लिए भी कार्य कर रही है।

मनीपुर में बोरक परियोजना के लिए स्थान

*75. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर सरकार ने बोरक परियोजना के स्थान के बारे में अपनी राय भेज दी है ;

(ख) यदि हां, तो मनीपुर राज्य के किस स्थान का प्रस्ताव किया है, और प्रस्तावित स्थान का आधार क्या है ; और

(ग) आसाम सरकार का प्रस्ताव क्या है और उस प्रस्ताव का आधार क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). चूंकि नारायणघर में प्रस्तावित स्थल पर बांध के निर्माण से मूल्यवान कृष्य भूमि जलमग्न हो जाएगी और बड़ी संख्या में लोगों को हटाना भी आवश्यक होगा, मनिपुर सरकार ने सुझाव दिया था कि बांध को प्रति-प्रवाह दिशा में और आगे ले आया जाये। अभी तक मनिपुर सरकार अथवा असम सरकार से किसी विशिष्ट स्थल का प्रस्ताव नहीं हुआ है यथा सम्भव अधिकतम जलप्लावन को बचाकर अति उपयुक्त स्थल ढूंढने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

बाढ़ों के कारणों की जांच करने के लिये समिति

*76. **श्री नि० रं० लास्कर :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 सितम्बर, 1970 को हुए राज्यों के सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रियों के सम्मेलन में देश में विध्वंसक बाढ़ों के कारणों की जांच करने तथा जन धन की भारी हानि को रोकने के उपाय सोचने के लिये एक समिति स्थापित की गई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो समिति ने क्या कार्य किया ; और

(ग) क्या समिति द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग). राज्यों के सिंचाई व बिजली मन्त्रियों का पांचवां सम्मेलन 24 और 25 सितंबर, 1970 को हुआ था। सम्मेलन ने अन्य बातों के साथ-साथ ये सुझाव दिये—गत मानसून ऋतु के दौरान बाढ़ों और भारी वर्षापात के परिणामस्वरूप बहुत सी जानों के चले जाने के विभिन्न कारणों की जांच करना, भविष्य में इतने भारी जानी नुकसान को बचाने के लिये उपयुक्त प्रस्ताव तैयार करना, बाढ़ सहायता उपाय करने में विभिन्न अधिकरणों द्वारा समन्वित कार्यवाही के प्रश्न का अध्ययन करना। समिति 24 अक्तूबर, 1970 को स्थापित की जा चुकी है। यह समिति अपने कार्य को शीघ्र ही आरम्भ करेगी।

Guide-Lines for Governors

*77. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have decided to lay down guide-lines for the Governors, keeping in view the changing political situation in the States, so that healthy democratic precedents are established ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) to (c) Attention is invited to the answer furnished to Starred Question No. 941 in the Lok Sabha on 10.4.1970. It was stated that, in 1967, the views of some leading jurists were taken on the question of evolving guide-lines that a Governor could follow in appointing a Chief Minister. The matter was further discussed at meetings in February-March 1968 with leaders of opposition parties and there was general agreement on certain points. The participants of the meetings were requested to confirm whether Governors could be informed accordingly. Inspite of reminders, replies were not received from some of them and therefore the matter was not pursued. Copies of the answer given in Parliament on 10.4 1970 along with copies of the correspondence between the Home Minister and the jurists, were subsequently forwarded to all Governors for their information.

2. The Administrative Reforms Commission have also made recommendations on this subject in their report on Centre-State Relationship. The Report is under consideration of Government.

नए उद्योग स्थापित करने के लिए आवेदन पत्रों के निपटान में विलम्ब

*78. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने दो वर्ष पूर्व नई औद्योगिक योजनाओं के लिए स्वीकृति देने की प्रक्रिया निर्धारित करने संबंधी कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत रखे थे ;

(ख) क्या शायद ही कुछ मंत्रालय उनका पालन करते हैं और आवश्यक आधार सामग्री के अभाव में योजना आयोग उन पर शीघ्र निर्णय नहीं ले पाता ;

(ग) क्या सभी मंत्रालयों में योजना प्रकोष्ठ नहीं है और इसलिए वे उचित स्तर के सम्भाव्यता प्रतिवेदन तैयार करने में असमर्थ हैं ;

(घ) क्या उस कारण से सहस्रों आवेदन पत्र अनिर्णीत पड़े हैं, जब कि औद्योगिक उत्पादन का वृद्धि-दर निश्चित लक्ष्य से काफी नीचे है ; और

(ङ) यदि हां, तो वह इस स्थिति को कैसे सुधारना चाहती है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के व्यावहारिकता अध्ययन के मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्धारित करते हुए, एक ज्ञापन, योजना आयोग द्वारा 1966 में प्रकाशित किया गया था।

(ख) जब कि कुछ परियोजनाएं व्यापक औचित्य के आधार पर योजना में शामिल की गई हैं, परियोजना की स्वीकृति से पूर्व व्यावहारिकता का अध्ययन करना आवश्यक है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं। उपर्युक्त (क) से (ग) तक के भागों का कोई सम्बन्ध निजी क्षेत्र के लाइसेंस-आवेदनों के निपटान से नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

कावेरी जल-विवाद के सम्बन्ध में केरल, मैसूर और तमिलनाडु के प्रतिनिधियों की बैठक

79. **श्री सीताराम केसरी :** **श्री पी० विश्वम्भरन :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कावेरी जल विवाद के समाधान हेतु नई दिल्ली में, अक्तूबर, 1970 में, केरल मैसूर तथा तमिलनाडु के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) क्या कोई अन्य बैठक बुलाई जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो किस तारीख को और किस स्थान पर ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ). मैसूर तथा तमिलनाडु के मुख्य मंत्रियों और केरल के जनकार्य तथा पर्यटन मन्त्री की बैठकें 12 और 27 अक्तूबर, 1970 को हुई थीं। भागीदार राज्यों के मतभेदों को दूर करना संभव नहीं पाया गया था। आगे को जाने वाली कार्रवाई भारत सरकार के विचाराधीन है।

Campaign to Smuggle Fake Indian Currency Through Nepal by China and Pro-China Fifth Columnists

*80. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to a report appearing in the newspapers that China and pro-China fifth columinists in India have hatched a conspiracy to smuggle fake Indian currency in the country through Nepal and to bring it in circulation in large quantities in big cities in order to disrupt the economy of India ; and

(b) if so, whether Government have tried to find out the truth in the above report and have taken any stern measures to frustrate the conspiracy ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Government have seen such reports in the newspapers. However,, inquiries so far made do not confirm such reports. However, the utmost vigilance is being maintained.

दिल्ली के मीना टण्डन हत्याकांड में जिन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध टिप्पणियां की गई थीं, उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही

*81. **श्री गणेश घोष :** **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मीना टण्डन हत्याकाण्ड पर पुलिस अधिकारियों द्वारा अपराधी का पूर्ण पक्षपात करने की भूमिका के विषय में सेशन जज, दिल्ली के न्यायनिर्णय की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसका क्या कारण है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) सरकार को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत राज्य बनाम गुलजारी लाल टण्डन के मामले में सेशन जज, दिल्ली के न्यायनिर्णय की जानकारी है ।

(ख) और (ग). पुलिस सर्जन और एक पुलिस उप अधीक्षक समेत चार अधिकारियों को मुअत्तल कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने पर विचार किया जा रहा है । उत्तरदायित्व की सीमा तथा पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही पर भी विचार किया जा रहा है ।

Expenditure Incurred on Desilting of Ganga Canal

*82. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure incurred on desilting the Ganga Canal ;

(b) whether any estimate has been worked out regarding the lose suffered by power houses, industries and crops as a result of non-functioning of the Canal ;

(c) if so, the total amount of the loss so estimated ; and

(d) the names of the Officers found guilty and the nature of punishment awarded to them ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) About Rs. 1.5 crores.

(b) and (c). The Government of Uttar Pradesh have reported that the loss of power generation was about Rs. 60 lakhs. The loss due to damage to crops has not been reported, but it has been stated that initial estimates do not indicate any large scale damage to crops, owing to timely rainfall during the canal closure.

(d) A Committee has been set up by the Government of India in consultation with the Government of Uttar Pradesh to enquire and report on the following :

1. The causes that led to the silting of the canal ;
2. The current rules and regulations for the operation of the canal and their adequacy, and whether they were followed intelligently ;
3. Any measure that should have been anticipated and taken to control the situation more effectively, and to make suitable recommendations, both structural and non-structural, to avoid such mishaps in future.

The Committee has been asked to submit its report within two months.

Construction of a New Barrage at Yamuna

*83. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state the progress made so far in regard to the construction of a new barrage of Jamuna river to ensure just and adequate supply of water to Haryana and Uttar Pradesh ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : The Chief Engineers of Uttar Pradesh and Haryana have in September 1970 jointly drawn up proposals to locate a barrage at Kalesar, upstream of the present Tajewala headworks. These proposals are under consideration of the U.P. Government.

भारती मिल्स, पांडिचेरी

*84. **श्री उमानाथ** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी संसत्सदस्य ने भारती मिल्स, पांडिचेरी के अधिकृत नियंत्रक द्वारा किये गये लेन-देन के बारे में जांच की मांग करने के आशय वाला एक ज्ञापन पेश किया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या प्रमुख आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) उन आरोपों की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या कोई प्रारम्भिक निष्कर्ष निकाले गये थे और यदि हां, तो किस प्रकार के निष्कर्ष निकाले गए थे तथा इस मामले में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) आरोप मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं :

(1) भिन्न-भिन्न काउंटों के लिए अपेक्षित किस्म से घटिया किस्म की रुई खरीदना और प्रयुक्त करना ।

(2) बाजार भाव से कम पर धागे की बिक्री करके घांघली ।

(3) मंत्रालय से सच को छिपाने के लिए लेखाओं में हेरा-फेरी ।

(ग) और (घ). राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने, जिसे मामले की जांच करने के लिए कहा गया था, प्रतिवेदन दे दिया है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

मुस्लिम लीग के उदेश्य तथा उसकी गतिविधियां

*85. **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री शिव चंद्र झा :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि मुस्लिम लीग के उद्देश्य तथा उसकी गतिविधियां ऐसी हैं जो हमारे देश की धर्मनिर्पेक्षता की बुनियाद को खोखला करती हैं, राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात करती हैं तथा प्रथकतावादी विष फैलाती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मुस्लिम लीग की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) किसी साम्प्रदायिक संगठन की वृद्धि, चाहे इसका सम्बन्ध किसी भी सम्प्रदाय से हो, धर्मनिर्पेक्षता की हमारी धारणा की अनुभूति में बाधा डालती है ।

(ख) साम्प्रदायिक संगठनों की आपत्तिजनक गतिविधियों पर कार्यवाही करने के लिए कोई कानून नहीं है । आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को, जिसमें इससे संबंधित उपबंध विद्यमान हैं, गत सत्र में इसके लोक सभा में पुरः स्थापित किये जाने के समय

वापिस ले लिया गया था। विधेयक के मूल सिद्धांतों पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

कपड़ा उद्योग में करघों की कमी

*86 **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सूती कपड़ा उद्योग के 1969 के कार्यकरण के बारे में वार्षिक सांख्यकीय बुलेटिन में दक्षिण भारतीय मिल मालिक एसोसिएशन ने इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि यद्यपि सूत कातने की क्षमता अधिकतम सीमा पर पहुंच चुकी है किन्तु करघों की संख्या बहुत कम है तथा यह आशय व्यक्त किया गया था कि मिलों में 80,000 करघे और लगाये जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो सूती कपड़ा उद्योग का संतुलित विकास करने के लिए अतिरिक्त करघे लगाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) वर्ष 1970-71 में तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने अतिरिक्त करघे लगाये जाने हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां, परन्तु अधिक करघे लगाये जा सकने की गुंजाइश के सम्बन्ध में बुलेटिन में दी गई संख्या 80,000 नहीं है बल्कि 18,000 है।

(ख) और (ग). शक्ति चालित करघा जांच समिति ने यह सिफारिश की थी कि चतुर्थ योजना के दौरान कपड़े के उत्पादन में समस्त वृद्धि विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में होनी चाहिए और यह सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है। तथापि, मिल क्षेत्र में निर्यात बाध्यता के साथ 18,000 तक अतिरिक्त करघे लगा देने का प्रश्न विचाराधीन है। मिल क्षेत्र में इन करघों के वर्षवार आवंटन का कोई विचार नहीं है।

केरल में काजू के कारखानों का बंद होना

*87. **श्री जनार्दनन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित अपरिष्कृत काजू की कमी के कारण केरल में काजू के कई कारखाने बन्द हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो अपरिष्कृत काजू की कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) कारखानों को अपरिष्कृत काजू की पर्याप्त सप्लाई कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). केरल के अधिकतर काजू कारखाने अक्तूबर/नवम्बर में एक या दो मास की अवधि के लिए बन्द हो जाते हैं। यह नियमित बात है, और इस वर्ष भी, कुछ कारखाने बन्द हो गए हैं। काजू उद्योग के मौसमी उद्योग होने का कारण यह है कि जहां प्राधिक करने वाले एककों के लिए 300,000 मे० टन से भी अधिक

कच्ची काजू गिरी आयात करने की आवश्यकता है, वहां वास्तविक आयात केवल 200,000 मे० टन के लगभग होते हैं। यह सीमित आयात विश्व बाजार में काजू की सीमित प्राप्यता के कारण है। भारतीय काजू निगम कच्ची काजू गिरी के आयात का प्रबन्ध कर रहा है और विभिन्न पूर्तिकर्त्ता देशों के साथ बातचीत चल रही है।

देश में साम्प्रदायिक प्रचार के लिये जिम्मेदार दल

*88. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे कुछ दल हैं जो देश में साम्प्रदायिक प्रचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, उन दलों के नाम क्या है और उनके द्वारा किये गये प्रचार का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस प्रकार के प्रचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) कुछ संगठनों द्वारा प्रचारित विचार सम्प्रदायों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

(ख) साम्प्रदायिक संगठनों की आपत्तिजनक गतिविधियों पर कार्यवाही करने के लिए कोई कानून नहीं है। अतः औपचारिक रूप से यह निश्चित करने का सरकार को कोई अवसर नहीं मिला है कि कौन से संगठन साम्प्रदायिक हैं।

(ग) आपराधिक कानून (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 को, जिसमें साम्प्रदायिक संगठनों की आपत्तिजनक गतिविधियों पर कार्यवाही करने की व्यवस्था है, गत सत्र में इसके लोक सभा में पुरःस्थापित करने के समय वापिस लेना पड़ा। विधान के मूल सिद्धान्तों पर राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव है।

अहमदाबाद में साम्प्रदायिक दंगों के बारे में रिपोर्ट

*89. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष अहमदाबाद में होने वाले साम्प्रदायिक दंगों के बारे में सरकार को रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बाते क्या हैं ; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में भविष्य में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (ग). गुजरात सरकार को आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और वह उसके विचाराधीन है।

भारत तथा यूगोस्लाविया के मध्य व्यापार संतुलन की स्थिति

*90. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूगोस्लेविया के साथ व्यापार संतुलन की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सितम्बर, 1969 तक यूगोस्लेविया को कितना निर्यात तथा वहां से कितना आयात किया गया ;

(ख) क्या यूगोस्लेविया ने अपनी पूर्व-संचित समूची रुपया-मुद्रा का उपयोग कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इससे दोनों देशों के बीच व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा सामान्य व्यापार बनाये रखने के लिए क्या उपाय स्वीकार किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र): (क) जनवरी-जून, 1970 के बीच व्यापार की नवीनतम उपलब्ध स्थिति इस प्रकार है :

भारतीय निर्यात : 16.87 करोड़ रुपये

भारतीय आयात : 3.87 करोड़ रुपये

व्यापार संतुलन : (+) 13 करोड़ रुपये

जनवरी-सितम्बर, 1969 के बीच निर्यात/आयात के आंकड़े इस प्रकार थे ।

भारतीय निर्यात : 13.87 करोड़ रुपये

भारतीय आयात : 3.86 करोड़ रुपये

(ख) जी हां ।

(ग) दोनों के बीच व्यापार तथा भुगतान करार के उपबंधों के अनुसार दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

हुसैनीवाला पड़ताल चौकी का विकास

401. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हुसैनीवाला पड़ताल चौकी के विकास के लिए 10 लाख रुपये से भी अधिक धन राशि नियत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस पड़ताल चौकी का विकास किया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या हमारे कर्मचारियों को विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तथा पर्यटक हमारे अधिकारियों को असन्तोषजनक व्यवस्था के लिए अपमानित करते हैं ; और

(घ) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी ?

गृह मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख). हुसैनीवाला पड़ताल चौकी पर उपयुक्त मिश्रित भवनों के निर्माण के लिए योजना और प्राक्कलन तैयार किए गए ताकि वहां पर स्थित पड़ताल चौकी, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा और वहां पर तैनात अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त बाहर जाने वाले और आने वाले मुसाफिरों और पर्यटकों को आवश्यक सुविधा और आराम देने की आवश्यकता पूरी हो सके । इन प्राक्कलनों की संबंधित विभागों के द्वारा समीक्षा की जा रही है ।

(ग) हुसैनीवाला पड़ताल चौकी पर वर्तमान आवास और सुविधाओं की कमी के कारण पड़ताल चौकी पर भवन निर्माण के प्रस्ताव का विवाद उठा था। यदि ये भवन निर्मित हो जाते हैं तो पड़ताल चौकी पर जो कठिनाइयां पर्यटकों और वहां पर तैनात विभिन्न राजकीय कर्मचारियों को हो रही हैं दूर हो जायेंगी।

(घ) यह परियोजना सम्भवतः 1971 के अन्त तक पूरी हो जायेगी।

सेवा निवृति के पश्चात् उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियां

402. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय के उन न्यायाधीशों के क्या नाम हैं जो 1 अप्रैल, 1967 से अब तक सेवा निवृत हुए हैं तथा वे किन-किन तारीखों से सेवा निवृत हुए हैं ;

(ख) इनमें से ऐसे न्यायाधीशों के क्या नाम हैं जिन्हें आयोगों का कार्य, उपकुलपति-पद, राजदूत-पद अध्यक्ष पद, तथा अन्य सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी कार्य प्रदान किये गये, उन्हें ये कार्य-पद किस-किस तारीख से दिये गये, कितनी अवधि के लिये दिये गये तथा प्रत्येक मामले में कितनी-कितनी परिलब्धियां दी गई ;

(ग) सेवा निवृत न्यायाधीशों की सूची में से उन न्यायाधीशों के क्या नाम हैं जिन्हें उनकी सेवा निवृति के पश्चात् घटी दरों पर सरकारी आवास प्रदान किये गये ;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कोका सुब्बाराव को उनकी सेवा निवृति के पश्चात् किसी आयोग का सरकारी अथवा अर्द्ध-सरकारी कार्य सौंपा गया ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). सूचना का एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4228/70]

(घ) तथा (ङ). सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार श्री सुब्बाराव को सेवा-निवृति के बाद ऐसा कोई पद नहीं दिया गया। ऐसी कोई नीति अथवा प्रथा नहीं है कि प्रत्येक सेवा-निवृत न्यायाधीश को कोई नियुक्ति दी जाय, और प्रत्येक सेवा-निवृत न्यायाधीश को कोई नियुक्ति देना व्यावहार्य नहीं है।

हरिजन, आदिवासी तथा अनुसूचित जन-जातियों के अधिकारी

403. **श्री अब्दुल गनी डार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) गत तीन वर्षों में दूसरी, तीसरी तथा चतुर्थ श्रेणी में भर्ती किये गए हरिजन, आदिवासी तथा अनुसूचित जन जातियों के अधिकारियों की वर्षवार, राज्यवार तथा संघ राज्य क्षेत्रवार पृथक-पृथक संख्या क्या है ;

(ख) क्या इस प्रकार भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या उनकी कुल जनसंख्या के 10 प्रतिशत कम है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) भारत सरकार के अन्द्धर्गत पदों । सेवाओं पर नियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षण किया गया है । वर्ष 1967, 1968 तथा 1969 के दौरान केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी-2 श्रेणी-3 तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों । सेवाओं में नियुक्त किए गए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यार्थियों की संख्या के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी । एक राज्य में स्थित किसी कार्यालय/संस्थान के कई राज्यों में अधीनस्थ कार्यालय । एकक हो सकते हैं । आरक्षण उन कार्यालयों/संस्थानों के पदों/सेवाओं सब के लिये लागू होगा । चूंकि अधिकारियों के तैनात किये जाने में आरक्षण का अनुसरण नहीं किया जाता इसलिये किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र-वार आरक्षण का ब्यौरा आरक्षण की सही स्थिति प्रकट नहीं करेगा ।

(ख) किसी पद/सेवा में होने वाली रिक्तियों के प्रतिशत के अनुसार अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आरक्षण की व्यवस्था की गई है और पिछले तीन वर्षों की अवधि में आरक्षित रिक्तियों पर भर्ती किये गये अभ्यार्थियों की संख्या इन समुदाओं की जन-संख्या का 10 प्रतिशत नहीं हो सकती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय चलचित्र निर्यात निगम द्वारा अफगानिस्तान तथा मारीशस में छविगृहों का निर्माण

404. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम अफगानिस्तान तथा मारीशस में एक छविगृह निर्माण करने की योजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा उक्त छविगृहों पर क्या लागत आयेगी तथा उसमें स्थानीय योगदान कितना होगा और उस कार्य को करने वाले शिल्पिकारों के क्या नाम हैं ;

(ग) क्या भारतीय चलचित्र निर्यात निगम अदन स्थित बिलविक्स थियेटर को लम्बे पट्टे पर अधिगृहीत करने का विचार कर रहा है ;

(घ) यदि हां, तो पट्टा-करार की प्रमुख बातें क्या-क्या हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ने विभिन्न समुद्रपार देशों में छविगृहों का निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है, और यदि हां, तो उक्त योजना की प्रमुख बातें क्या हैं तथा इसमें कितनी पूंजी लगने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). अफगानिस्तान तथा मारीशस में छविगृहों के स्थापित करने तथा अदन में एक थियेटर का अधिग्रहण करने सम्बन्धी प्रस्थापनाएं अभी भारतीय चलचित्र निगम के विचाराधीन हैं। इस विषय में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

गत तीन वर्षों में विदेशी व्यापार द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा

405. **श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी व्यापार से वर्ष 1968-69, 1969-70 तथा वर्ष 1970-71 में (30 सितम्बर, 1970 तक) सरकार द्वारा प्रत्येक देश से प्रति वर्ष अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इस अवधि में कितने प्रतिशत व्यापार रुपये के आधार पर किया गया था तथा 30 सितम्बर, 1970 तक प्रत्येक देश के बारे में वार्षिक ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण (विवरण संख्या 1) (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा गया है, जिसमें 1 68-69, 1969-70, 1970-71 (30 जून, 1970 तक) में विश्व के विभिन्न क्षेत्रों तथा उन क्षेत्रों के महत्वपूर्ण देशों को भारत से किए गये निर्यातों के मूल्य दिये गये हैं। **ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी०—4229/70] बाद की अवधि के लिए आंकड़े अभी तक संकलित नहीं किये गये हैं।

(ख) दो विवरण (विवरण 2 तथा 3) (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखे गए हैं, एक में रुपया भुगतान देशों को दिये गए निर्यातों का ब्यौरा दिया गया है और दूसरे विवरण में यह दिखाया गया है कि कुल निर्यात के प्रतिशत के रूप में इन निर्यातों का भाग कितना है। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए** संख्या एल० टी०—4229/70]

यूगोस्लोविया के साथ व्यापार संवर्धन

407. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में आयोजित भारत, संयुक्त अरब गणराज्य तथा यूगोस्लाविया की एक त्रिपक्षीय बैठक में उन्हें यूगोस्लाविया के साथ आगामी वर्षों में व्यापार संवर्धन की बहुत सम्भावनायें प्रतीत हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त वक्तव्य का क्या महत्व है ;

(ग) क्या यूगोस्लाविया के साथ व्यापार समवर्धन में कोई विशेष समस्यायें हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वह कैसी समस्यायें हैं तथा उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) त्रिपक्षीय करार के साथ संलग्न सामान्य सूची में शामिल भारत की बहुत सी अपरम्परागत निर्यात मदों के करार के प्रवर्तन से लाभ हुआ है तथा आगामी वर्षों में यूगोस्लाविया के साथ व्यापार में विस्तार के लिये और भी अधिक गुंजाइश है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली नगर निगम को धोखा देने वाले ट्रक चालकों के विरुद्ध जांच

409. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम द्वारा मकान गिराने तथा विभिन्न नागरीय क्षेत्रों में अन्य कार्य के लिये निर्माण विभाग के काम आने हेतु किराये पर दिये गये कुछ गैर सरकारी ट्रकों के उन मालिकों के विरुद्ध इस बीच जांच आरम्भ की है जिन्होंने मील मापक में फेर बदल की थी तथा दिल्ली नगर निगम को धोखा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि 6 अक्तूबर, 1970 को उनके सतकर्ता विभाग द्वारा आयोजित छापे में उनके द्वारा किराये पर लिए गये ट्रकों में से चार ट्रकों पर ऐसे माइलोमीटर लगे पाये गए जिनमें लगे पेचों की सहायता से हेर-फेर की जा सकती थी। स्पीडौमीटर के तार भी सील नहीं थे। उन्होंने मामला विस्तृत जांच पड़ताल के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को भेज दिया गया है। इन चार ट्रकों की सेवायें बन्द कर दी गई हैं और मामले पर अन्तिम निर्णय होने तक भुगतान रोक दिए गए हैं।

योजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं के बारे में सरकार तथा योजना आयोग में मतभेद

410. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना सम्बन्धी प्राथमिकताओं के बारे में तथा उनको क्रियान्वित किए जाने की नीति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार और योजना अधिकारियों के विचारों में मतभेद बढ़ रहा है ;

(ख) क्या गत 18 महीनों में, विशेषकर औद्योगिक क्षेत्र में योजना के कार्य में प्रगति संतोषजनक नहीं रही है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). राष्ट्रीय आय की वृद्धि की दर 1969-70 में अनुमानतः लगभग उतनी ही है जितनी 1969-70 की वार्षिक योजना में सम्भावना की गई थी यानी लगभग 5.5 प्रतिशत । 1970-71 की सम्भावित वृद्धि दर 5.5 प्रतिशत है । पिछले 6 महीनों के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं अतः वर्ष के दौरान वास्तविक उपलब्धि को अभी बताना सम्भव नहीं है ।

जहां तक औद्योगिक क्षेत्र का सम्बन्ध है 1969-70 में वृद्धि की दर 7.2 प्रतिशत के लगभग थी जबकि 8 प्रतिशत दर की सम्भावना की गई थी । यद्यपि बहुत से उद्योग जैसे, सीमेंट, कागज, सोडा राख, कास्टिक सोडा, सल्फ्यूरिक अम्ल, आटोमोबाइल टायरों, साइकिलों, कृषि ट्रेक्टरों, डीजन इंजनों, बिजली द्वारा चलने वाले पम्पों, संशिलस्ट कपड़ों, मोटर साइकिलों और स्कूटरों, रेडियो रिसिवर आदि कार्य संचालन सम्भावना के अनुसार ही रहा और कुछेक मामलों में और भी अच्छा रहा । परन्तु इस्पात, उर्वरक, भारी धातु कर्मक सामान, बिजली का भारी सामान, मशीनी औजार, इस्पात की ढलाई और घड़ाई जैसे आदि के कतिपय उद्योगों में उत्पादन में कुछ कमी आई ।

अनुसंधान कार्यक्रमों की जांच के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक कार्यकारी दल की स्थापना

411. **श्री देविन्दर सिंह गार्चा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के बोर्ड ने राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा क्रियान्वित किए जाने से पहले सभी अनुसंधान कार्यक्रमों की जांच करने के लिए एक कार्य कारी दल की स्थापना करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन संस्थाओं में अनुसंधान के लिए आने वाले अधिकतर विषयों की केवल प्रक्रिया की पुनः खोज करना होता है तथा वे उत्पाद पहले ही से पर्याप्त प्रसिद्ध होते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रयोगशालाओं में होने वाले अनुसंधान कार्य पर, जो कि अन्य देशों में किए गए अनुसंधान का केवल पुनरावर्तन माना है, समय, धन तथा श्रम के अपव्यय को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). दिनांक 30 सितम्बर, 1970 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान मंडल की बैठक में सी०एस०आई०आर० की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते समय यह तय किया गया कि चतुर्थ योजना काल में योजना के उन प्रस्तावों को जिनके लिये सी०एस०आई०आर० वचनबद्ध है स्वीकार किया जा सकता है, और उसमें प्रारंभ की जाने वाली नवीन परियोजनाओं की प्राथमिकता को आर्थिक विकास योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण में रखते हुए जाँच की जाये । अध्यक्ष, सी०एस०आई०आर० द्वारा संगठित एक छोटे विशेषज्ञ दल द्वारा यह कार्य किया जायेगा।

(ग) और (घ). सम्बन्धित प्रयोगशालाओं की कार्यकारी परिषदों द्वारा विज्ञान तथा तकनीकी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये, सब पहलुओं को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान की उन्नति में स्वदेशी साधनों और कच्चे माल की उपयोगिता के लक्ष्य में रख कर ही राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों का अनुसंधान कार्य निर्धारित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त सी०एस०आई०आर० ने योजना आयोग के सदस्य (उद्योग) की अध्यक्षता में एक समिति प्रयोगशालाओं के अनुसंधान कार्यक्रमों के साथ साथ राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का योजना में मार्गदर्शन करने के लिये नियुक्त की है।

दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों के लिये एक वेतन समिति की नियुक्ति

412. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 19 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3195 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम को वेतन समिति की नियुक्ति करने में उनके मंत्रालय से कोई निदेश प्राप्त हुआ है अथवा उनके परामर्श से यह कार्य किया गया है ;

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल और बिहार के सदस्यों ने वेतन समिति की नियुक्ति को स्वीकार करने में अपनी-अपनी सरकारों से परामर्श किया है ;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम के प्रशासन ने वेतन समिति के गठन के उपरांत कर्मचारियों को कोई वचन दिया है और यदि हां, तो वे वचन क्या थे ; और

(घ) क्या यह वचन निगम के सदस्यों के परामर्श से दिया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं। वेतन समिति की नियुक्ति दामोदर घाटी निगम जो एक सांविधिक स्वायत्त संस्था है, के सामर्थ के अन्तर्गत आती है। बहरहाल, दामोदर घाटी निगम ने केन्द्रीय सरकार को इस मामले में अपना निर्णय सूचित कर दिया है।

(ख) वेतन समिति की नियुक्ति के लिए भागीदार सरकारों से सलाह करना आवश्यक नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिजली सप्लाई की दर में वृद्धि से दामोदर घाटी निगम को अतिरिक्त आय

413. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 19 अगस्त, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3194 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1970 से कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम को बिजली सप्लाई की दर बढ़ा देने से दामोदर घाटी निगम को कितनी अतिरिक्त आय होगी ;

(ख) क्या बढ़ी हुई दर से प्राप्त होने वाली अतिरिक्त आय का मुख्य रूप से प्रयोग निगम के कर्मचारियों के वेतन में प्रत्याशित वृद्धि को पूरा करने में किया जाना था ;

(ग) क्या दामोदर घाटी निगम पर यह दबाव डाला गया था कि वह बिजली सप्लाई की दर से अधिक बढ़ा कर यथा सम्भव अधिक धन वसूल करे ; और

(घ) क्या सरकार के विचार में कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम पश्चिमी बंगाल और बिहार के राज्य बिजली बोर्डों के निम्नलिखित बातों में समान स्तर पर हैं (1) एक प्वाइंट पर मांग की मात्रा (2) परिचालन परिस्थितियां और (3) सप्लाई करने की लागत ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) लगभग साढ़े पांच लाख रुपये प्रतिमास।

(ख) टैरिफ में वृद्धि इसलिए की गई थी कि दामोदर घाटी निगम के खर्च में हुई कुल वृद्धि के लिए खर्च पूरा किया जा सके।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी, नहीं। क्योंकि कलकत्ता विद्युत प्रदाय निगम घने शहरी इलाकों को बिजली की मांग पूरा करती है जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार राज्य बिजली बोर्डों को दूर-दूर स्थित ग्रामीण इलाकों को भी बिजली सप्लाई करनी पड़ती है।

फरक्का बांध परियोजना में मुख्य कार्यों का ठेका देना

414. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल की स्थानीय फर्म को फरक्का बांध परियोजना के मुख्य कार्यों के लिए कोई ठेका प्राप्त नहीं हुआ है ;

(ख) उन स्थानीय फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने परियोजना के अन्तर्गत कार्यों के लिए टेंडर भेजे हैं ; और

(ग) उनको कोई ठेका न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कृपया नीचे (ग) को देखिये।

(ख) उन फर्मों के नाम नीचे दिये जाते हैं जिन्होंने बृहत् कार्यों के लिए टेंडर दिए थे :—

(1) मैसर्स चन्दा कन्ट्रक्शन कम्पनी

(2) मैसर्स ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी

(3) मैसर्स जेस्सप एण्ड कम्पनी

(4) मैसर्स जीवनानी इन्जीनियरिंग वर्क्स

(5) मैसर्स के० एस० अल्वल एण्ड कम्पनी

(6) मैसर्स एन० के० राय चौधरी एण्ड संस

(7) मैसर्स बी० बी० जे० एण्ड कम्पनी

(8) मैसर्स टेक्समेको

(9) मैसर्स ओरियन्टल इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग कम्पनी

(10) मैसर्स शिव बैनजी एण्ड कम्पनी

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में क्रमसंख्या 1 से 5 तक बताई गई फर्मों को परियोजना पर ठेके दिए गए । क्रम संख्या 6 से 10 तक उल्लिखित शेष 5 फर्मों को या उनके टैंडर न्यूनतम न होने के कारण या टैंडर में बताये गए कार्य को हाथ में लेने के लिए तकनीकी और वित्तीय क्षमता न होने कारण काम नहीं दिया गया।

जोर्डन दूतावास, नई दिल्ली पर आक्रमण

415. **श्री नारायणन :** **श्री सामिनाथन :**

श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली स्थित जोर्डन दूतावास पर हाल ही में अरब छात्रों ने आक्रमण किया था तथा पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो जोर्डन दूतावास को कोई सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) और (ख). 18 सितम्बर, 1970 को सूचना मिलने पर कि अरब देशों के कुछ छात्र जोर्डन दूतावास के बाहर प्रदर्शन करेंगे, वहां एक पुलिस दल भेजा गया था। लगभग 36 अरब छात्रों ने दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया और अनुशासन हीनता के कुछ कार्य किये, जिसमें दूतावास के झंडे का फाड़ना आदि सम्मिलित थे। बाद में वे दूतावास के अहाते में धरना देकर बैठ गये । शान्ति भंग होने की आशंका में 22 सितम्बर, 1970 को 24 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था।

बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों के परामर्श से दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष की नियुक्ति

416. **श्री चपलाकांत भट्टाचार्य :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दामोदर घाटी निगम के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते समय बिहार और पश्चिमी बंगाल की सरकारों से परामर्श लेती है ;

(ख) क्या सदस्यों की नियुक्ति उनके स्वतन्त्र हैसियत से अथवा अपने-अपने सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में की जाती है ;

(ग) क्या वे सदस्य दामोदर घाटी निगम के बारे में अपने-अपने राज्यों द्वारा अपनाई गई नीतियों का उल्लंघन कर सकते हैं ; और

(घ) राज्य सरकार के व्यस्त अधिकारियों के दामोदर घाटी निगम में अंशकालिक

सदस्य बनाने के क्या कारण हैं, जो कि उत्कट इच्छा रखते हुए भी दामोदर घाटी निगम के कार्य में पर्याप्त समय नहीं दे पाते हैं ?

सिचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) दामोदर घाटी निगम के सदस्यों की नियुक्ति उनकी व्यक्तिगत हैसियत में की जाती है।

(ग) निगम के सदस्यों के रूप में अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में उनके लिए अपनी-अपनी सम्बन्धित राज्य सरकारों को सलाह लेना अपेक्षित नहीं है।

(घ) दामोदर घाटी निगम अधिनियम को 1957 में संशोधित किया गया था ताकि वे अंशकालिक सदस्यों की नियुक्ति कर सके क्योंकि यह ख्याल किया गया था कि दामोदर घाटी निगम की बहुत सी वृहत् परियोजनाओं के पूर्ण हो जाने के कारण पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति करना आवश्यक नहीं होगा। वर्तमान व्यक्तियों को अंशकालिक सदस्यों के रूप में अपने कर्त्तव्यों को पालना करने में कोई कठिनाई नहीं है।

आसनसोल में फारवर्ड ब्लाक नेता श्री राय चौधरी की मृत्यु के बारे में जांच

417. **श्री बे० कु० दास चौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1970 को आसनसोल सब-डिवीजन में फारवर्ड ब्लाक के नेता श्री राय चौधरी की मृत्यु के बारे में कोई जांच की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।

इराक के साथ व्यापार

420. **श्री जी० वेंकटास्वामी** : क्या वैदेशिक-व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में इराक के साथ कुल कितना व्यापार हुआ ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : वर्ष 1968-69 तथा 1969-70 में इराक के साथ भारत का कुल व्यापार निम्नोक्त प्रकार था :—

	लाख रुपये में	
	1968-69	1969-70
इराक से भारत में आयात (लागत बीमा भाड़ा सहित)	313	385
भारत से इराक को निर्यात (पोतपर्यन्त निःशुल्क)	1149	939

Long Term Agreements for Export of Iron Ore

421. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state the names of countries with which long term agreements for the export of iron-ore have been concluded and the terms and conditions thereof alongwith the quantities to be exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : A statement regarding long term agreements for the exports of iron ore from India to Japan and Rumania is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—4230/70].

Trade with Taiwan

422. **Shri Valmiki Choudhary.** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state the items that the exported to and imported from Taiwan ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4231/70].

Strengthening of Trade Relations with Foreign Countries

423. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether certain countries had made proposals for strengthening trade relations during the foreign tour of our President ; and

(b) if so, the types of goods to be imported from and to be exported to these countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a)[1] and (b). During the President's recent State visit to U.S.S.R. Bulgaria and Hungary, on y a general review of commercial relations between India and those countries was made and no detailed discussions on any specific commodities took place.

अपरिष्कृत जूट के समर्थन मूल्य के लिए योजना

424. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपरिष्कृत जूट तथा मेस्टा की विभिन्न किस्मों के लिए फसल के दौरान उत्पादकों को देय समर्थन-मूल्य सम्बन्धी कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या उत्पादकों ने इस योजना की सराहना की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) योजना, पटसन उगाने वालों के लिए लाभप्रद है ।

विवरण

वर्ष 1970-71 के मौसम के लिए कच्चे पटसन की समर्थन मूल्य योजना की मोटे तौर से रूपरेखा निम्नलिखित है :—

(1) कलकत्ता में कच्चे पटसन की असम बाटम किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 107.17 रु० प्रति क्विंटल होगा ।

(2) वर्ष 1968-69 में लागू किये श्रेणी-भेद वर्ष 1969-70 में जारी रहेंगे ।

(3) देश के ग्राम्य बाजारों के लिए व्युत्पन्न न्यूनतम मूल्य इस प्रकार निर्धारित किये गये हैं कि कलकत्ता तथा देश के ग्राम्य बाजार के बीच भाड़े तथा अन्य प्रभारों के कारण होने वाला अन्तर 17.42 रु० प्रति क्विंटल से अधिक न हो ।

(4) समर्थन मूल्य सम्बन्धी कार्यों को करने का उत्तरदायित्व अनन्य रूप से राज्य व्यापार निगम पर ही रहेगा ।

औद्योगिक सुरक्षा दल में भर्ती के लिए माप दण्ड

425. **श्री मंगलाथुमाडम** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औद्योगिक सुरक्षा दल में भर्ती के लिए वर्तमान प्रणाली क्या है ;

(ख) क्या इस दल के लिये प्रादेशिक केन्द्र है ;

(ग) क्या केरल में इस दल की कोई शाखा है, और यदि नहीं, तो सरकार का इसे कब तक खोलने का विचार है ;

(घ) इस औद्योगिक सुरक्षा दल के लिए पुलिस दल में से कितने वरिष्ठ अधिकारी लिए गए ; और

(ङ) इस सुरक्षा दल में कितने आई० पी० एस० अधिकारी काम कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) (i) उपक्रमों के वर्तमान सुरक्षा कर्मचारियों में से विकल्प देने वाले व्यक्तियों को खपा कर ;

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ;

(iii) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा ; और

(iv) सेना से सेवा-निवृत्त/सेवामुक्त कर्मचारियों के पुनः सेवा नियोजन द्वारा ।

(ख) इस बल में दो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, दक्षिणी क्षेत्र के लिए मद्रास में और दूसरी पूर्वी क्षेत्र के लिए रांची में ; वे निर्माण की प्रक्रिया में है और क्षेत्र का प्रभारी एक पुलिस उप-महा निरीक्षक होगा । इसके अतिरिक्त, इस बल की उपक्रमों में, जो विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं, रखा गया है ।

(ग) केरल में, फर्टिलाइजर और केमिकल, त्रावनकोर (कोचीन) में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल तैनात किया गया है ।

(घ) 12 (राजपत्रित अधिकारी)

(ङ) 5 (पांच)

मुसलमानों और अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतों की जांच के लिए आयोग नियुक्त करने के लिए मांग

426. **श्रीमती सुचेता कृपालानी :**

श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 3 अक्तूबर, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित, उन समाचारों की ओर ध्यान दिया है जिनमें यह कहा गया है कि कुछ विशिष्ट मुस्लिम व्यक्तियों और संसद् सदस्यों ने सरकार से मुसलमानों और अल्प-संख्यक समुदाय की शिकायतों की जांच करने के लिए एक आयोग अथवा समिति नियुक्त करने की माँग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त मांग को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(घ) यह कब से अस्तित्व में आयेगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

Propagation of Official Language

427. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether any further progress has been made in her Ministry for the propagation of Official Language ;

(b) whether some additional programmes have been formulated in this regard in the current year ; and

(c) if so, the outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) A statement giving the requisite information is annexed. [*Placed in Library. See* No. LT-4232/70].

फिलिप्स कम्पनी द्वारा निर्मित टेलीविजन सेट

428. **श्री राम चरण :**

श्री शिव चरण लाल :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स कम्पनी ने एक टेलीविजन सेट तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी विशेषतायें क्या हैं तथा यह बाजार में कब तक उपलब्ध हो जायेगा ; और

(ग) इस सेट के मूल्य-पट आकार तथा कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सर्वश्री फिलिप्स भारत ने कोई टेलीविजन सेट विकासित किया है। टेलीविजन सेटों का निर्माण स्थापित करने के लिए बहुत से प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। सर्वश्री फिलिप्स भारत ने भी प्रार्थना पत्र भेजा है।

राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों में हड़ताल

429. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री जनेश्वर मिश्र :**

श्री बे० कु० दास चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हड़ताल के फलस्वरूप राज्य व्यापार निगम के दिल्ली, बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता स्थित कार्यालयों ने 27 सितम्बर, 1970 से कार्य करना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो ये कार्यालय कितनी अवधि तक बन्द पड़े रहे ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). 26 सितम्बर, 1970 से 2 अक्तूबर 1970 तक की अवधि में जिन स्थानों का उल्लेख किया गया है वहां पर राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों के कार्य में निगम के कर्मचारियों द्वारा 'बैठे रहो'। हड़ताल के कारण काफी गड़बड़ी हुई। 3 अक्तूबर से राज्य व्यापार निगम के कार्यालयों में सामान्य कार्य पुनः प्रारंभ हो गया।

इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा टेलीफोन सैटों का निर्माण

430. **श्री अदिचन :** **श्री केदार नाथ :**

श्री दे० अमात : **श्री केदार नाथ सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या मध्य आय वर्ग के लिए टेलीविजन सैट निर्मित करने हेतु इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया को लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो लाइसेंस देने में विलम्ब का कारण क्या है ;

(ग) बनाये जाने वाले टेलीविजन सैट की मुख्य विशेषतायें तथा कीमत क्या होगी ; और

(घ) कितनी उत्पादन क्षमता का लाइसेंस दिया जायेगा ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलैक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). बहुत से प्रार्थियों में से इलेक्ट्रानिक्स निगम, (भारत) हैदराबाद एक है कि जिन्होंने टेलीविजन सैट निर्माण करने के लिए प्रार्थना पत्र भेजे हैं। उनका 1000 रुपये की औसतन लागत पर एक लाख ट्रांजिस्ट्रीकृत टेलीविजन सेट वार्षिक उत्पादन करने का प्रस्ताव है। अन्य प्रार्थनाओं सहित उनकी प्रार्थना सरकार द्वारा विचाराधीन है।

(घ) दो लाख टेलीविजन सेट वार्षिक उत्पादन करने के लिए क्षमता स्थापित करना अभीप्रेत है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा केबल का क्रय

431. **श्री हरदयाल देवगुण :** **श्री दे० अमात :**
श्री केदार नाथ सिंह :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा वर्ष 1965 में खरीदे गये 25 के० एम० 33 के० वी० केबल का मूल्य क्या है ;

(ख) ये केबल किस फर्म से खरीदे गये तथा इसका आधार क्या था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केबल के साथ जायन्ट बक्से नहीं खरीदे गये, और यदि हाँ, तो क्यों ;

(घ) इस समय दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का अध्यक्ष कौन था ; और

(ङ) क्या इस मामले को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपा गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

फर्म का नाम	केबलों की मात्रा (कि०मी०)	कुल मूल्य—ठेके में उल्लिखित विभिन्नताओं के अधीन
1. मैसर्स इंडस्ट्रियल केबल्स (इण्डिया) लि० राजपुर, पंजाब	40	63,78,310 रुपये
2. मैसर्स ओरियंटल पावर केबल्स लि०, कोटा, (राजस्थान)	55	1,02,43,500 रुपये
कुल	95	1,66,21,810 रुपये

प्राप्त टेंडरों के आधार पर उपर्युक्त फर्मों को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने, यह विचार करके सप्लाई आदेश दिये थे कि उपर्युक्त फर्में दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान से कच्ची सामग्री अथवा विदेशी मुद्रा के प्रबन्ध की मांग नहीं करेंगी।

(ग) केबल बक्सों को अलग से खरीदा जाना था क्योंकि इनका आयात करना था और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को विदेशी मुद्रा के लिए और आयात लाइसेंस जारी करने के लिए प्रबन्ध करना था। यह विदेशी मुद्रा विश्व बैंक पारेषण ऋण के अन्तर्गत उपलब्ध थी और तदनुसार विश्व भर से टेंडर मंगवाए गए थे।

(घ) 1965-67 की अवधि के लिए श्री ए० एन० चावला और उसके पश्चात 1967-68 के लिए श्री सिकन्दर बख्त ।

(ङ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने के लिए अवसर नहीं आया ।

नियन्त्रित कपड़े के मूल्य में वृद्धि का प्रस्ताव

432. **श्री नारायणन् :** **श्री सामिनाथन् :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत ब्यूरो ने सरकार को कपड़े की नियन्त्रित किस्मों के मूल्य में वृद्धि करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) कपड़े की वह कौन सी किस्में हैं जिनके मूल्य में वृद्धि की मांग की गई है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या अन्तिम निर्णय लिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) औद्योगिक लागत ब्यूरो ने अभी तक सरकार को कोई सिफारिशें नहीं भेजी हैं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

नई पटसन मिलों के लिए लाइसेंस

433. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के किसी भाग में नई पटसन मिलों की स्थापना के लिये लाइसेंस जारी करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) इस तथ्य के विचार से कि उड़ीसा में अच्छी पटसन का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन होता है क्या सरकार उड़ीसा में सहकारी क्षेत्र अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में पटसन मिल स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि पटसन पैदा करने वाले पश्चिम बंगाल, असम तथा उड़ीसा राज्यों में से उड़ीसा ही एक ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक कोई पटसन मिल नहीं लगाई गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) व्यावहारिकता सम्बन्धी प्रतिवेदनों के साथ भेजे गये प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा ।

(ख) एक पार्टी को, जिसने लाइसेंस के लिए आवेदनपत्र भेजा था, व्यावहारिकता संबंधी प्रतिवेदन भेजने की सलाह दी गई है।

(ग) जी, हां।

टायर तथा ट्यूबों की वर्तमान ऊंची दरें

434. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक रबड़ की वर्तमान कीमतें नवम्बर-दिसम्बर, 1968 की कीमतों से काफी कम हैं, जब कि पिछली बार टायर और ट्यूबों की कीमतों में वृद्धि की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में व्यापक कमी होने के बावजूद भी, निर्माताओं ने टायर और ट्यूबों की कीमतों में कमी नहीं की है ; और

(ग) इन उत्पादों की कीमतों को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) सितम्बर, 1970 में कच्चे रबड़ का मूल्य आर० एम० ए० ग्रेड-1 के लिए 520 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया जोकि 1968 के अन्त में विद्यमान मूल्यों से, जबकि टायर तथा ट्यूब के मूल्यों में वृद्धि की गई थी, कुछ कम हैं।

(ख) और (ग). टायर तथा ट्यूबों के मूल्यों में कमी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा इस विषय पर टायर निर्माताओं को लिखा गया है।

रेशम कारखानों के पुनर्गठन का प्रस्ताव

435. **श्री जी० वेंकटस्वामी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम तीन रेशम कारखानों के पुनर्गठन का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों के नाम क्या हैं और इन कारखानों पर कितना व्यय आयेगा ;

(ग) क्या निगम ने आठ कारखानों के पुनर्गठन तथा आधुनिकीकरण के लिये सरकार से सिफारिश की थी ; और

(घ) यदि हां, तो इन कारखानों के नाम क्या हैं तथा इनके बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). संभवतः सदस्य महोदय का आशय, सूती वस्त्र समवाय (उपक्रमों का प्रबन्ध तथा परिसमापन अथवा पुनः

स्थापन) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत सूती वस्त्र मिलों की कम्पनियों के पुनःस्थापन से है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने अब तक निम्नलिखित सूती वस्त्र मिलों की कम्पनियों का पुनःस्थापन करने की सिफारिश की है।

(1) माडल मिल्स नागपुर लि०, नागपुर।

(2) आर०एस०आर०जी० मोहता स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, अकोला।

(3) इंडिया युनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई।

(4) प्रताप स्पिनिंग एंड वीविंग मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, अमलनेर।

(5) न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स लि०, भोपाल।

(6) हीरा मिल्स लि०, उज्जैन।

(7) स्वदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स लि०, इन्दौर।

(8) महालक्ष्मी मिल्स कं० लि०, व्यावर।

(9) म्यूर मिल्स कं० लि०, कानपुर।

निम्नलिखित तीन मिलों की कम्पनियों के पुनःस्थापन के सम्बन्ध में पहले से ही आदेश जारी किये जा चुके हैं:

(1) आर०एस०आर०जी० मोहता स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि०, अकोला।

(2) न्यू भोपाल टैक्सटाइल्स लि०, भोपाल।

(3) स्वेदेशी काटन एंड फ्लोर मिल्स लि०, इन्दौर।

उपरोक्त तीन मिलों के विषय में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा खर्च किये जाने वाला प्रत्याशित कुल व्यय लगभग 190 लाख रुपये है।

इण्डियन युनाइटेड मिल्स लि०, बम्बई का पुनःस्थापन करने का निश्चय किया जा चुका है और आदेश जारी किये जा रहे हैं। प्रताप स्पिनिंग एण्ड वीविंग एण्ड मैन्युफैक्चरिंग कं० लि०, अमलनेर को इसके स्वामियों को वापस करने का निश्चय किया गया है और शेष चार मिलों के मामलों पर, सम्बन्धित राज्य सरकारों की सलाह से, विचार किया जा रहा है।

तमिल नाडु में आयात लाइसेंस गिरोह

436. श्री राम किशन गुप्त : श्री केदार नाथ सिंह।
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने तमिल नाडु में एक बड़े गिरोह का पता चलाया जिसमें बीस से अधिक फर्में अन्तर्ग्रस्त हैं और जिन्होंने जाली कारखानों के नाम से 22 लाख रुपयों के आयात लाइसेंस प्राप्त किये थे; और

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). केन्द्रीय जांच ब्यूरो उन मामलों की जाँच कर रहा है जिनमें यह कहा जाता है कि गलत-बयानी करके 22 लाख रुपये मूल्य के आयात लाइसेंस प्राप्त किये गये। क्योंकि कुछ मामलों की जांच अभी भी चल रही है, अतः इस समय उनके नाम बताना लोक हित में नहीं होगा।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद पर संसदीय समिति

437. **श्री राम किशन गुप्त :**
श्री बे० कु० दासचौधरी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद सम्बन्धी महाजन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम और अन्य ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) यह एक विकल्प है जो सरकार के विचाराधीन है।

(ख) अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली को राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग

438. **श्री राम किशन गुप्त :** **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली निवासियों की राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली को देश की राजधानी के रूप में बनाये रखने के लिये निकटवर्ती प्रदेशों से उसे विशेष रूप से अलग करके सीधे केन्द्रीय शासन के अधीन एक प्रशासनिक एकक बनाया गया था। सरकार समझती है कि राज्य-स्तर की मांग दिल्ली की वर्तमान प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है।

विभिन्न राज्यों में बाढ़ से हुई हानि और बाढ़ पीड़ितों को दी गई सहायता

439. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री अविचन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष वर्षाकाल में गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में भारी बाढ़ से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितनी सम्पत्ति को हानि हुई ;

(ख) बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता के लिये सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कौन से राहत कार्य किये गए ;

(ग) क्या बाढ़ पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कोई सहायता दी है, और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई ; और

(घ) भविष्य में इन राज्यों में बाढ़ों को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) राज्य सरकारों में अब तक पिछले मानसून के दौरान भारी बाढ़ों के कारण जान व माल की निम्नलिखित क्षति की सूचना दी है :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	मृत पशु संख्या	मृत व्यक्ति संख्या	फसलों, मकानों तथा जनोपयोगी सेवाओं की कुल क्षति लाख रुपयों में
1.	गुजरात	2601	432	6930.9
2.	उत्तर प्रदेश	3913	344	6908.0
3.	पश्चिम बंगाल	4014	84	8570.7
4.	आंध्र प्रदेश	412	99	1237.3

(ख) राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए बचाव उपायों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय ने 1970 के बाढ़ों के कारण 1970-71 में बाढ़ सहायता व्यय के लिए अब तक निम्नलिखित धन राशियां स्वीकार की हैं :

	(करोड़ रुपयों में)
(1) गुजरात	2.00
(2) उत्तर प्रदेश	3.00
(3) पश्चिम बंगाल	3.00

केन्द्रीय दलों ने हाल ही में बाढ़ों द्वारा हुई क्षति का मौके पर मूल्यांकन करने तथा सहायता के लिए सहायता पर व्यय करने के लिए अपेक्षित राशि का मूल्यांकन करने के लिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश राज्यों का दौरा किया, केन्द्रीय दल ने जिसने पश्चिम बंगाल का दौरा किया, केन्दीय सहायता के उद्देश्य से व्यय की निम्नलिखित सीमाओं की सिफारिश की है जिन्हें भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया है :

	(लाख रुपयों में)
(1) सहायता मदें	329
(2) मरम्मत मदें	600
(3) ऋण मदें	185

जिस दल ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया था उसकी सिफारिशों की वित्त मन्त्रालय में जांच हो रही है। गुजरात तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के सम्बन्ध में रिपोर्टों की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) तटबन्धों का निर्माण, नालियों का सुधार, नदी नियन्त्रण कार्य, जल निस्सार सुधार, संचय जलाशयों का निर्माण, बाढ़ चेतावनी तथा बाढ़ पूर्व सूचना आदि जैसे विभिन्न उपाय पहले से ही योजनाओं के दौरान हाथ में लिए गए हैं। कार्य भविष्य में भी लागू रहेंगे।

विवरण

बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राज्य सरकारों ने निम्नलिखित राहत उपाय किये हैं :

(1) गुजरात

राज्य सरकार ने बचाव और राहत के लिए, सभी आवश्यक उपाय किए जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना, खाद्यान की सप्लाई, स्वास्थ्य निवारक उपाय और मृत्यु इत्यादि के मामले में अहेतुक सहायता तथा नकद सहायता जैसे उपाय शामिल हैं। बाढ़ों के दौरान जल-मग्न लोगों के लिए जहाजों से खाद्यान के पैकट गिराने की व्यवस्था की गई। राहत कार्यों के लिए सैनिक व्यक्तियों की सेवाएं ली गई और दो हैलीकाप्टरों का इस्तेमाल किया गया। राज्य सरकार ने 1.01 करोड़ रुपये उपदान और अहेतुक सहायता के लिये और 44.4 लाख रुपये ऋणों और तकावी के लिये आवंटित किये/घरों, झौपड़ियों की मरम्मत और पुनर्निर्माण जैसे पुनर्वास उपायों के लिए उपदान और ऋण दिए जा रहे हैं।

(2) उत्तर प्रदेश

राज्य सरकार ने टैस्ट रिलीफ कार्यों के लिये 12.6 लाख रुपये, मकान बनाने के लिये उपदान तथा अहेतुक सहायता के लिये 160 लाख रुपये और तकावी तथा छूटकर आकस्मिक व्यय के लिये 137 लाख रुपये मंजूर किये। भारी वर्षा और बाढ़ों से गम्भीर रूप से प्रभावित होने वाले राज्य के जिलों में अनुदेश जारी कर दिये गये हैं कि प्रभावित क्षेत्रों से विद्यार्थियों को उनकी ट्यूशन फीस वापस कर दी जाए। देवरिया जिले में प्रभावित व्यक्तियों को नौकरी देने

के लिए टैस्ट कार्य शुरू किये गए हैं। अन्य प्रभावित जिलों में, जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे प्रभावित व्यक्तियों को, यदि आवश्यक हो, नौकरी देने के लिए टैस्ट कार्य शुरू करे। भू-राजस्व, चालू और बकाया, तकावी तथा अन्य कृषि सम्बन्धी अन्य देय रकमों को प्रभावित क्षेत्रों में निलम्बित करने के आदेश दिये गए हैं और भू-राजस्व में छूट तक मन्जूर की जायेगी जब राज्य सरकार फसलों की क्षति का पक्का मूल्यांकन कर लेगी। प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिये सस्ती दरों पर भूसा सप्लाई करने की व्यवस्था कर दी गई है।

(3) **पश्चिम बंगाल**

राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में से लोगों को हटाने के लिये और वहां अन्य सहायता कार्य हाथ में लिये। इस उद्देश्य के लिये सेना की सहायता भी मांगी गई थी। हुगली, वीरभूमि, हावड़ा और 24-परगना जिलों में सेना की 42 किश्तियां प्रयोग में लाई गई। आरामबाग क्षेत्रों में खाना पहुंचाने के लिये हैलीकाप्टर भी प्रयोग किये गये। मुफ्त सहायता के रूप में 104.3 लाख रुपये, आवास भवन अनुदान के लिये 96.5 लाख रुपये, आकस्मिक सहायता के रूप में 5.2 लाख रुपये और कृषि ऋण के रूप में 39.5 लाख रुपये स्वीकार किये गये। दुग्धचूर्ण, तरपालें आदि की खरीद के लिये सहायता कार्य के सम्बन्ध में 21.7 लाख रुपये की और राशि आवंटित की गई।

(4) **आंध्र प्रदेश**

जलमग्न लोगों को वहां से निकालने के लिए और प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को शरण और सहायता देने के लिये जिला अधिकारियों ने सभी आवश्यक प्रबन्ध किये। प्रभावित क्षेत्रों में लोगों में बांटने के लिए अनिवार्य उपयोगी वस्तुएं, खाद्यान, दवाइयां आदि दी गई है। प्रभावित लोगों को नकद अनुदान भी दिए गये हैं। हाल के वर्षापात के दौरान लगभग 6300 लोगों को खाना खिलाने के लिये 20 पुनर्वास केन्द्र खोले गये। राज्य सरकार ने टाइलों के घर के लिये 200 रुपये का और झौंपड़ी के लिये 100 रुपये का अधिकतम अनुदान भी स्वीकार किया और मृतकों के परिवारों के लिये अधिकतम 500 रुपये तक अधिकतम अनुदान स्वीकार किया।

शाहदरा के थाना इन्चार्ज को हटाये जाने की मांग

440. **श्री यशपाल सिंह** : गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा और पार्श्ववर्ती कालोनियों की जनता ने शाहदरा पुलिस स्टेशन के थाना इन्चार्ज को हटाने की मांग की है, क्योंकि उस पर से जनता का विश्वास उठ चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). जनता के कुछ व्यक्तियों ने शिकायत की थी कि शाहदरा में विधि और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई है और यह कि स्टेशन

हाउस अधिकारी दुष्चरित्रों को प्रोत्साहित कर रहा है। स्टेशन हाउस अधिकारी के तबादले के लिए मांग की गई थी ।

(ग) आरोपों की जांच की गई किन्तु वे सिद्ध नहीं किये जा सके। फिर भी, स्टेशन हाउस अधिकारी का स्थानान्तरण नेमी स्थानान्तरणों के क्रम में कर दिया गया था ।

सूती कपड़े के निर्यात में कमी

441. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह इस बात से अवगत हैं कि कई एशियाई देशों ने भारत से आयात में, विशेषकर सूती कपड़ों के आयात में कटौती की है ;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं ; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एशियाई देशों को सूती वस्त्रों के निर्यात में जो प्रवृत्ति चल रही है उससे इस मत की पुष्टि नहीं होती ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

प्राकृतिक रबड़ के मूल्य में वृद्धि

442. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में हाल ही में हुए चुनावों के अवसर पर सरकार ने प्राकृतिक रबड़ की कीमत में वृद्धि करने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि टेरिफ आयोग ने पिछले वर्ष अप्रैल में मूल्य वृद्धि करने की सिफारिश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो मूल्य वृद्धि में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) कच्चे रबड़ के मूल्यों के पुनरीक्षण से संबंधित टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन जून, 1969 से ही सरकार के विचाराधीन था । कच्चे रबड़ के मूल्यों के निर्धारण सम्बन्धी प्रश्न में अनेक सम्बद्ध मामले अन्तर्ग्रस्त थे जो उत्पादन, जोतों की लाभप्रदता तथा निर्मित वस्तुओं मूल्य दोनों से सम्बन्धित थे। इन पर अनेक अन्तः मंत्रालय स्तर की बैठकों में विचार करना पड़ा । सरकार इस विषय में उत्सुक थी कि रबड़ चुआई मौसम 1970 के लिए ठीक समय पर अन्तिम विनिश्चय करके उसकी घोषणा कर दी जानी चाहिए। तदनुसार सितम्बर के आरम्भ में ही विनिश्चय की घोषणा कर दी गई। इस घोषणा का केरल के चुनावों से कोई संबन्ध नहीं था और जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इसका उद्देश्य शुद्ध रूप में रबड़ बागान उद्योग का लाभ ही था ।

(ख) कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्यों के निर्धारण से संबंधित टैरिफ आयोग का अंतिम प्रतिवेदन जून, 1969 में प्राप्त हुआ था।

(ग) कच्चे रबड़ के न्यूनतम मूल्यों से संबंधित टैरिफ आयोग के 1969 के प्रतिवेदन के फलस्वरूप सरकार द्वारा सभी पहलुओं और विभिन्न स्तरों पर व्यापक विचार करना आवश्यक हो गया जिससे देरी हो गयी।

संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हत्यायें और हिंसक गतिविधियां

443. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष विधान मंडल भंग होने से पूर्व संयुक्त मोर्चा शासन के दौरान पश्चिम बंगाल में हत्याओं और हिंसा की अन्य गतिविधियों की कुल संख्या कितनी है और राष्ट्रपति शासन के दौरान अब तक उनकी संख्या क्या है ;

(ख) उपर्युक्त दो अवधियों के दौरान इस प्रकार की गतिविधियां, उन पर की गई कार्यवाही और उनके व्यावहारिक प्रभाव का मासिक विवरण पत्र क्या है ; और

(ग) पुलिस कार्यवाही के फलस्वरूप घायल अथवा गिरफ्तार निरपराध व्यक्तियों की कुल संख्या क्या है इस बारे में कितनी और शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है।

नवयुवतियों का अरब देश को बेचा जाना

444. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक वर्ष में अरब देशों को ले जायी जाने वाली कुछ नवयुवतियों को केरल में गिरफ्तार किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी नवयुवतियों की संख्या कितनी है और उस घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि इन नवयुवतियों को उन देशों में अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जाया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

राजनीतिक दलों की संख्या सीमित करने के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार

445. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्रीमती सुचेता कृपलानी :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में भारत के मुख्य न्यायधीश द्वारा अहमदाबाद में व्यक्त किये गये विचारों की ओर दिलाया गया है कि देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए राजनीतिक दलों की संख्या छः तक होनी चाहिए और विधायकों के लिए कुछ न्यूनतम शैक्षिक अर्हताए लागू की जानी चाहिए ; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) सरकार ने 30 सितम्बर, 1970 को गुजरात विश्व विद्यालय में भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा दिये गए दीक्षान्त भाषण के अखबारी समाचार देखें हैं।

(ख) सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है।

बाढ़ नियंत्रण के संबंध में विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तावित उपाय

446. **श्री अदिचन :** **श्री रा० बरुआ :**
श्री केदार नाथ सिंह :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य में विभिन्न नदियों में बाढ़ को रोकने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा यदि कोई उपाय सुझाये गये हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) प्रत्येक योजना का परिव्यय क्या है ; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). कुछ राज्यों द्वारा विभिन्न नदी बेसिनों में बाढ़ नियंत्रण के लिए योजनाओं के मसौदे बना लिए हैं। योजनाओं के मसौदे में शामिल भावी कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग 1040 करोड़ रुपये है। जिन राज्यों के लिए योजनाएं बना ली हैं, उनके कार्यों की श्रेणियों के अनुसार ब्यौरा संलग्न है। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०—4223/70] बाढ़ नियंत्रण और जल निकास के लिए योजनाओं के मसौदे तैयार करने के प्रश्न का 1968 में हुई केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में पुनरावलोकन किया गया था और उस समय यह निर्णय किया गया था कि राज्य हाल ही के वर्षों की बाढ़ों से प्राप्त अनुभव को ध्यान में रख कर योजनाओं के मसौदों का संशोधन करे। योजनाओं का मसौदा तैयार हो जाने के पश्चात, राज्यों की तकनीकी सलाह-

कार समितियां और राज्य बाढ़ नियंत्रण बोर्ड और उसके पश्चात नदी आयोग उस की जांच करेंगे और उन्हें राज्य सरकारों की निकासकारी योजनाओं के एक भाग के रूप में क्रियान्वित किया जाना होगा ।

प्रिवीपर्सों की समाप्ति के बाद भूतपूर्व नरेशों को दिया जाने वाला मुआवजा

447. **श्री अदिचन :** **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भूतपूर्व प्रिवीपर्स धारियों को जब तक उनको दिये जाने वाले मुआवजे का अन्तिम रूप से फैसला नहीं हो जाता अनुगृहपूर्ण अदायगी पाने का है ताकि वे अपनी वित्तीय कठिनाइयों पर काबू पा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और सरकार इस प्रकार की अदायगी किन कारणों से कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). भूतपूर्व महाराजाओं की बदली हुई परिस्थितियों में उनके आवश्यक व्यवस्थापन के लिए सरकार ने पहले ही संक्रमण कालीन भुगतान करने के अपने आशय की घोषणा की है । ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

सरकारी अभिकरणों द्वारा तस्करी रोकने हेतु उपभोक्ता वस्तुओं का आयात

448. **श्री अदिचन :** **श्री दे० अमात :**
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई ऐसा प्रस्ताव है कि वह कुछ उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे फाउन्टेन पैन, ट्रांसिस्टर आदि जिनकी देश में बहुत बड़ी मात्रा में तस्करी होती है, का आयात अपने हाथ में ले ताकि इससे होने वाले भारी लाभ का कुछ भाग सरकारी खजाने को प्राप्त हो तथा तस्कर व्यापार रुक सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड राज्य की मांग

449. **श्री क० लकप्पा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के लोगों द्वारा बुन्देलखण्ड को पृथक राज्य बनाने की मांग की गई है ;

(ख) यदि हां, तो मांग का स्वरूप क्या है ; और

(ग) मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

अंतर्राष्ट्रीय जाली मुद्रा के प्रचलन के सम्बन्ध में दिल्ली पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारियां

450. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 सितम्बर, 1970 को नई दिल्ली में, अन्तर्राष्ट्रीय जाली मुद्रा का प्रचलन करने वाले गिरोह को खत्म करने के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारियां की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). पार्लियामेंट पुलिस थाने में दिनांक 9-9-1970 को भारतीय दंड संहिता की धारा 489 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय जाली मुद्रा का प्रचलन करने वाले एक गिरोह से संबंधित एक मामला दर्ज किया गया । प्रचलन के लिए जाली डालर बिल अपने पास रखने के कारण दिनांक 9-9-1970 को एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया । उसकी व्यक्तिगत तलाशी लेने पर 10 डालर मूल्य के 13 जाली अमरीकी डालर देयक बरामद किए गये थे । पुलिस द्वारा उसकी पूछताछ के पश्चात् दिनांक 10, 12 और 14 सितम्बर 1970 को चार और व्यक्ति गिरफ्तार किए गये थे । मामले की जांच दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा की जा रही है ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों की लाटरियों पर प्रतिबंध

451. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अपने राज्य में दूसरी लाटरियों के बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से अपेक्षित सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

"मस्जिद के लिए निर्धारित की गई भूमि पर विनायक की मूर्ति" के बारे में जांच

452. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास में फैशनेबल टी० नगर क्षेत्र में एक मस्जिद के लिए निर्धारित की गई भूमि पर विनायक की मूर्ति के अचानक उत्पन्न होने के मामले के बारे में कोई जांच की थी, जिसने मस्जिद के मामले को विवादास्पद बना दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

निजी लाटरियां चालू करने की अनुमति देने की कसौटी

453. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी लाटरियां चालू करने की अनुमति देने के बारे में कोई कसौटी निश्चित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) चूंकि निजी लाटरियां चलाने की अनुमति देने का सम्बन्ध राज्य सरकारों का है, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब में बिजली की भारी कमी

454. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 19 अक्तूबर के **"टाइम्स आफ इण्डिया"** के पृष्ठ 6 पर **'करंट टापिक्स'** के अन्तर्गत प्रकाशित उस रूपक की ओर दिलाया गया है जिसमें पंजाब में विद्युत बिजली की अत्यन्त कमी पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इससे कुशल कर्मचारियों की संख्या में कमी आ गई है वे अन्य स्थानों को चले गये हैं, क्योंकि उनमें से अधिकतर कार्य के आधार पर नियुक्त किए गये थे ; और

(ग) क्या पंजाब के उद्योगपतियों से केन्द्रीय सरकार के पास सहायतार्थ कोई प्रतिवेदन आया है, और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हां, ।

(ख) और (ग). पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को कुशल कर्मकों की कमी के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं मिली है ; और न ही सिंचाई व बिजली मंत्रालय को पंजाब के उद्योगपतियों से प्राप्त अभ्यावेदन में इसका जिक्र किया गया है। उद्योगपतियों के अभ्यावेदन में पंजाब में बिजली

की कमी को दूर करने हेतु सहायता करने के लिए अनुरोध किया गया है। रबी मौसम के दौरान पानी के अधिक मात्रा में आ जाने से भाखड़ा को प्लेक्स का उत्पादन बढ़ रहा है और परिणाम-स्वरूप पजाब में उद्योगों के सम्बन्ध में बिजली की कटौतियां 21 दिसम्बर, 1970 से 40 प्रतिशत से घटकर 25 प्रतिशत और 11-10-1970 से 10 प्रतिशत रह गई। नांगल फर्टिलाइजर्ज द्वारा बिजली की खपत पर लगाई गई पाबंदियों और चम्बल सतपुड़ा कांप्लेक्स से होने वाली सप्लाई में वृद्धि के कारण पंजाब के लिए भाखड़ा से बिजली की उपलभ्यता बढ़ गई है। विद्युत उप-लभ्यता में और वृद्धि करने हेतु डीजल उत्पादन सैट लगाने के लिए कार्यवाही कर दी गई है।

भीड़ पर पुलिस द्वारा उपयोग के लिए उपद्रव नियंत्रक साधनों का आयात

455. **श्री मणि भाई जे० पटेल :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में पुलिस द्वारा भीड़ पर प्रयोग किये जाने के लिए नये उपद्रव नियंत्रण साधनों जिनमें रसायन, रंग तथा मिर्चीली धुन्ध (पैपर फांग) शामिल है, का आयात किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पता कर लिया गया है कि इन साधनों का उपद्रवी जनता के शरीरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा ; और

(ग) इन साधनों के आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और भारत की भीड़ पर कब तक इसका प्रयोगात्मक उपयोग किया जा सकेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त) : (क) से (ग). उपद्रवी भीड़ से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए पुलिस बल को उपकरण उपलब्ध कराना निरन्तर अध्ययन, अनुसंधान और विकास का विषय है। विश्व के अन्य देशों में इस दिशा में हो रहे विकासों पर निकट सम्पर्क रखा जा रहा है और विभिन्न प्रकार के निर्मित उपकरण या जिन उपकरणों को पुलिस बलों द्वारा प्रयोग करने की सूचना मिली है, परीक्षण के लिए उनके नमूने उपलब्ध किये जा रहे हैं। अन्य देशों के पुलिस बलों द्वारा ऐसे उपकरणों से सम्बन्धित परीक्षण के परिणाम भी प्राप्त किये गये और अध्ययन किया गया। असंदिग्ध रूप से यह प्रमाणित हो जाय कि ऐसे उपकरणों के प्रयोग से मनुष्य शरीर रचना में स्थायी प्रभाव नहीं पड़ेगा केवल उसके पश्चात ही इस देश में पुलिस बल के प्रयोग के लिए ऐसे उपकरण प्राप्त किये जायेंगे।

तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास नगर का नाम बदलने की मांग

456. **श्री एन० शिवप्पा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिल-नाडु सरकार ने मद्रास शहर का नाम बदलने के लिए केन्द्रीय सरकार को लिखा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) गृह मंत्रालय में

ऐसा पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। मद्रास के मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव किया है कि आकाशवाणी को निदेश दिया जाय कि तमिल प्रसारणों में "मद्रास" शब्द के स्थान पर "चिन्नइ" शब्द का प्रयोग करें। आकाशवाणी के तमिलनाडु केन्द्र से तमिल क्षेत्रीय प्रसारणों के लिए केन्द्रीय सरकार ने इसको मान लिया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश में पिछड़ापन दूर करने के लिये विशेष कार्यक्रम

457. **श्री एन० शिवप्पा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का विचार इस देश का पिछड़ापन दूर करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) (क) और (ख). जी, हां। चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल किये गये विभन्न कार्यक्रमों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट वर्गों और क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाने का भी प्रस्ताव है। संभावित विकास क्षमता वाले किसानों की सहायता के लिए 45 मार्गदर्शी परियोजनायें, उप-सीमान्त किसानों की सहायता के लिए 40 मार्गदर्शी परियोजनायें और गैर सिंचाई वाले क्षेत्रों के किसानों की सहायता के लिए 24 मार्गदर्शी परियोजनायें चलायी जायेंगी। इनके अतिरिक्त गैर योजना विकास कार्यकलाप के एक अंग के रूप में सरकार ऐसे 53 जिलों में जो बहुधा सूखा-ग्रस्त रहते हैं उत्पादक निर्माण कार्यक्रम आरम्भ करेगी जिससे एक तो जब सूखा पड़े तो उसके प्रभाव को कम किया जा सके और दूसरे खेतिहर मजदूरों को रोजगार के अधिक अवसर दिये जा सकें।

Action against Culprits who Murdered a Child at Hailey Road, New Delhi

458. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the culprits who had murdered the child whose dead-body was recovered from Old Baoli (Ugrasen-ki-Baoli) at Hailey Road in Connaught Circus, New Delhi have since been apprehended ; and

(b) if so, the nature of punishment awarded to them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) Yes Sir, the suspect has been arrested.

(b) Investigation has been completed. The case is under scrutiny of the prosecution agency.

बेरोजगारी पर विशेषज्ञ समिति का प्रतिवेदन

559. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता** : **श्री एस० आर० दामानी** :
श्री वेणीशंकर शर्मा :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा देश में बेरोजगारी के आकार का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) उस पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

योजना आयोग द्वारा बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए गठित की गई विशेषज्ञ-समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। सदस्यों के सूचनार्थ तथा उपयोग के लिए रिपोर्ट की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय को भेज दी गई हैं।

2. समिति के सामान्य निष्कर्ष इस प्रकार हैं :—

(1) श्रमिक शक्ति तथा श्रम-वर्षों के अनुसार बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगारी के अनुमान लगाने का तरीका जैसा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में अपनाया गया है, वह हमारी अर्थ व्यवस्था में अनुपयुक्त है क्योंकि यहां स्व-रोजगारी तथा घरेलू धंधों द्वारा उत्पादन तथा ऋतुनिष्ठ बेरोजगारी या अपूर्ण बेरोजगारी का प्राधान्य है।

(2) बेरोजगारी तथा अपूर्ण रोजगार के पिछले अनुमानों में काफी सीमा तक गलती की गुंजाइश है। एक-विभीय परिमाण में प्रस्तुत किये गये ऐसे अनुमान न तो कुछ अर्थ ही रखते हैं और न आर्थिक परिस्थिति के सूचकों के रूप में उपयोगी ही हैं।

(3) श्रम-शक्ति, रोजगार तथा बेरोजगारी के अनुमानों की कितनी ही परिसीमायें हमारे देश की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में निहित हैं तथा इन्हें संकल्पनात्मक परिष्करणों या अनुमानों की तकनीक में विकास के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता।

(4) क्षेत्र, ग्रामीण-शहरी रिहाइश, श्रमिकों का स्तर, शैक्षिक उपलब्धियां, आयु, लिंग इत्यादि महत्वपूर्ण भेदक विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए श्रम शक्ति के विभिन्न खंडों के आंकड़े उपलब्ध करने के लिए तथा अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों के विभिन्न वर्गों को पृथक्-पृथक् जो रोजगार उपलब्ध होने की संभावना है उसका पता लगाने के लिए अध्ययन किये जाने चाहिएं।

(5) जनगणना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण तथा रोजगार कार्यालयों जैसे कुछ अभकरणों के माध्यम से आंकड़ों को एकत्र तथा प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में भी विविध सुझाव रखे गये हैं।

3. केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, व्यावहारिक जन-शक्ति अनुसंधान संस्थान, रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, महापंजीयक का कार्यालय इत्यादि रोजगार तथा मानव शक्ति से संबंधित विशेष अभिकरणों से परामर्श करके उन विविध सुझावों की जांच की जा रही है। इसमें कुछ अधिक समय लगेगा क्योंकि इससे समिति द्वारा दिये गये विभिन्न सुझावों तथा रिपोर्टों पर

विभिन्न संगठनों की टिप्पणियों का विश्लेषण करना है तथा इन सिफारिशों के अनुपालनार्थ कौन से और अध्ययन तथा सर्वेक्षण करने चाहिएं, यह निश्चय करना है।

भूतपूर्व नरेशों को, मान्यता समाप्त किये जाने के पश्चात दी जाने वाली सुविधाएं

460. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देशी राज्यों के भूतपूर्व नरेशों, जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई है, को भविष्य में सार्वजनिक जीवन में कोई विशेष दर्जा अथवा सुविधायें दी जायेंगी ;

(ख) क्या भूतपूर्व नरेशों की अपनी आवश्यकताओं आदि की पूर्ति करने के लिये निजी थैलियों के स्थान पर कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में किये गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और क्या भूतपूर्व नरेशों के साथ उनकी मान्यता समाप्त किये जाने के पश्चात् कोई परामर्श किया गया था ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). भूतपूर्व महाराजाओं की बदली हुई परिस्थितियों में उनके आवश्यक व्यवस्थापन के लिये सरकार ने पहले ही संक्रमण कालीन भुगतान करने के अपने आशय की घोषणा की है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। भूतपूर्व महाराजा समय-समय पर सरकार के आगे अपने विचार रखते रहे हैं।

Survey by Administrative Reforms Commission on Loss to Government by One Day's Public Holiday

461. **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Administrative Reforms Commission has conducted a survey to find out the loss caused to Government by one day's public holiday ; and

(b) if so, the amount of loss in rupees to Government ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) and (b). The Administrative Reforms Commission in its Report on Personnel Administration has observed while dealing with the subject of holidays that an extra holiday means an extra outlay to the Government of the order of Rs. 11 crores for the purpose of maintaining the level of output.

Proposal to Export Tinned Bannanas

462. **Shri G. C. Dixit ;**
Shri Mohd. Sheriff :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether any plan for exporting tinned bananas to foreign markets during the current year is under consideration of Government ;

(b) whether Government have conducted any survey of foreign markets for this purpose ;

(c) whether Government propose to export bananas in any other manner during the current year ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). No, Sir.

(c) and (d). There is no proposal under consideration of the Government for exporting bananas in any other form. However, efforts are being made for introducing banana powder in the foreign markets.

Distribution of Fibre Products in Chhatisgarh Area

463. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether the products of Kosa fibre, produced in Chattisgarh area of Madhya Pradesh, are sold through the traders ;

(b) if so, the action being taken by Government to ensure equitable distribution of the products through the recognised Associations on the basis of looms ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) The Commerce and Industry Department of the State Government of Madhya Pradesh has been purchasing Kosa Cocoons and supplying to Government institutions and co-operatives engaged in reeling, spinning and weaving.

Official Deputed at Expo-70 from Madhya Pradesh

464. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government officials and Minister deputed for work in the Indian Pavillion at Expo-70 included some officials and Minister of Madhya Pradesh also ;

(b) if so, their names and designations and the amount spent on each of them ;

(c) whether lady workers selected to work in the Indian Pavillion included some girls belonging to Madhya Pradesh also ; and

(d) if so, their names and designations ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Shri Vasant Rao Uikey, Minister for Commerce and Industry Government of Madhya Pradesh was included as one of the members of the team accompanying the Minister of Foreign Trade, who was invited with a party of 5 members, as guest of the Expo authorities. The total expenditure was Rs. 8503.73 of which Rs. 983.23 in foreign exchange.

(c) Yes, Sir.

(d) Miss Rita Hari Singh, Girl Guide.

Conditions of Powerloom Weavers in Madhya Pradesh

465. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the condition of weavers of Madhya Pradesh particularly of Burhanpur city has become very pitiable due to an abnormal increase in the prices of fibre, colours and chemicals and lesser scale of the articles made by power-looms ;

(b) whether they are facing unemployment problem on a large scale and whether the condition of powerloom weavers is worsening ;

(c) whether any proposal of the Government or State Government is under consideration to study the serious problem of the industry and to save it from being closed down ; and

(d) if so, the salient features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (c). No, Sir.

(d) Does not arise.

Setting up of Powerloom Finance Corporation

466. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh or any other State had requested the Central Government to set up a Powerloom Finance Corporation and, if so, when such a request was made ;

(b) whether any action has been taken thereon ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

प्रधान मंत्री का आसाम का दौरा

467. **श्री हेम बरुआ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में गोहाटी तथा आसाम के कुछ भागों का दौरा किया ; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस समय राज्य के सन्मुख आ रही कुछ समस्यों से युक्त एक ज्ञापन उन्हें दिया था, यदि हां, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु-शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन विचाराधीन है ।

मनीपुर उत्तर जिला में कर्फ्यु लगाना

463. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर उत्तर जिला क्षेत्र में मनीपुर सरकार को पहली अक्तूबर से लगभग 10 दिन के लिए किन परिस्थितियों में कर्फ्यू लगाना पड़ा तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 लगानी पड़ी ;

(ख) कर्फ्यू आदेशों का उल्लंघन करने के लिये उक्त अवधि में कितने सिविलियनों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) इस पर जिले की जनता की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जन जीवन और सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने के नागा विद्रोहियों के हिंसात्मक कार्य करने की कथित योजना को ध्यान में रखते हुए मणीपुर में उत्तरी जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने 30 सितम्बर, 1970 से एक महीने की अवधि के लिए माओ ईस्ट और माओ वैस्ट सब-डिवीजनों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत एक आदेश द्वारा कर्फ्यू लगाया। किन्तु आदेश 10 अक्तूबर को वापिस ले लिया गया क्योंकि तब स्थिति में सुधार हो गया था।

(ख) कर्फ्यू आदेश के उल्लंघन के लिये कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किए गए।

(ग) 8 अक्तूबर को 5 व्यक्तियों से आदेश में ढील देने की मांग करते हुए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को एक आवेदन प्राप्त हुआ। इससे पहले कि आवेदन का निपटान किया जाता, आदेश 10 अक्तूबर को वापिस ले लिया गया था।

त्रिपुरा सेन्ट्रल जेल में नजर बन्द किए गये मणिपुरी नवयुवक

469. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तथाथित क्रान्तिकारी सरकार के साथ सम्बन्ध होने की वजह से कितने मणिपुरी नवयुवकों को त्रिपुरा सेन्ट्रल जेल में नजरबन्द किया गया है ;

(ख) दण्ड संहिता की किन धाराओं के अन्तर्गत उन्हें गिरफ्तार किया गया और नजर बन्द रखा गया ;

(ग) क्या मणिपुरी जेल में नजरबन्द रखे गये और गिरफ्तार युवकों ने मणिपुर को राज्य का दर्जा दिये जाने की जनता की मांग सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने का स्वागत किया है और राष्ट्रीय जीवन में लोकतान्त्रिक रूप से और रचनात्मक भाग लेने के लिए भी अपनी आकांक्षा व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और जेल में युवकों द्वारा व्यक्त स्पष्ट विचारों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार उन्हें रिहा करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) छत्तीस।

(ख) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी/121 तथा पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा 11

(ग) और (घ). तथ्य मालूम किए जा रहे हैं।

मणिपुर में बिजली कनैक्शन के लिए आवेदक

470. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मणिपुर, विद्युत प्रभागों में घरेलू बिजली कनैक्शनों के लिए आवेदकों की अब तक की स्थिति के अनुसार संख्या क्या है ; और

(ख) औद्योगिक संस्थानों और घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली की सप्लाई में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) 7789।

(ख) केवल 21 नए घरेलू कनैक्शन दिए गए हैं, डीजल सेटों के प्रतिष्ठापित होने पर 1971 के प्रारम्भ में विद्युत उपलब्धता के सुधर जाने के पश्चात् तथा फिर असम से थोक विद्युत की प्राप्ति पर और अधिक विद्युत कनैक्शन दिए जाएंगे।

लोकटक परियोजना के कार्य में प्रगति

471. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोकटक परियोजना के संचालन में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कर्मचारियों की कमी और इन्जीनियरों की नियुक्ति न किए जाने के कारण कार्य की प्रगति रुकी पड़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान बाधा दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) अन्तर्ग्राही नाली कालोनी और विद्युत नाली के निर्माण के लिये भूमि का अर्जन कार्य पूर्ण हो गया है। इथाई बराज स्थल पर बायां और दायां पहुँच तटबंध पूर्ण हो चुके हैं। कालोनी के कुछ क्वार्टरों के निर्माण, सड़क के निर्माण के लिये पहाड़ी काटने तथा जंगल साफ करने के कार्य ठेके पर दिये गए हैं। सुरंग, सर्ज शेक्ट, कालोनी के आवास क्वार्टर के निर्माण के लिए, इस्पात के अवधारक नलों को बनाने और लगाने के लिए टेण्डर मंगवाये गए हैं और निर्माण संयन्त्र और मशीनरी के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

(ख) और (ग). जैसा कि ऊपर कहा गया है, कार्य प्रगति पर है। भाग (क) में बताये गये प्रारम्भिक कार्यों के पूर्व होने के बाद निकलने वाले कार्य को पूरा करने के लिए हाल ही में और इन्जीनियर चुने गये हैं और परियोजना पर लगा दिये गये हैं।

Reported Human Sacrifice made in Kali Temple in Rajasthan

472. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government are aware about the reported human sacrifice made in Kali temple in the recent past ;

(b) the details of the incident as received by Government from the State Government; and

(c) the steps Government propose to take to prevent the recurrence of such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). According to information received from the Government of Rajasthan, the dead body of a 30 year old school teacher was found inside a temple in district Bikaner,

with stab wounds on the neck. There is suspicion that it may be a case of human scarifice. The evidence so far available, however, is not conclusive. The case is being investigated according to law by the Additional Superintendent of Police, Bikaner.

भाखड़ा जलाशय में जल के निम्न स्तर होने के कारण उत्तरी क्षेत्र में बिजली का संकट

473. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री सामिनाथन् :**
श्री नारायणन :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की आशा है कि भाखड़ा जलाशय में जल के निम्न स्तर होने के कारण उत्तरी क्षेत्र में बिजली का संकट अगस्त, 1970 के अन्त तक दूर हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या अब यह सिद्ध हो चुका है कि वास्तव में बिजली का यह संकट कुछ महीने बाद और बढ़ जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, नहीं। मौनसून ऋतु के आरम्भ से भाखड़ा जलाशय में कम अन्तः प्रद के कारण, मई, 1971 तक विद्युत उत्पादन में कमी प्रत्याशित था।

(ग) भाखड़ा नंगल समूह से विद्युत उत्पादन को सीमित करने और इस प्रकार जलाशय में पानी बचाये रखने के लिए कार्यवाही समय से पहले ही कर ली गई थी। भाखड़ा प्रणाली की सहायता के लिये क्षेत्र में अतिरिक्त उपलब्ध उत्पादन क्षमता के संग्रहण करने के प्रबन्ध भी किए गये हैं। सहवर्ती राज्यों से भी सहायता का प्रबन्ध किया गया है।

चौथी योजना में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की नई परियोजनाओं का समावेश

474. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री सामिनाथन :**
श्री नारायणन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान बोर्ड ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की चौथी योजना में कुछ नई परियोजनाओं को सम्मिलित करने के प्रश्न पर अपना निर्णय इसलिए स्थगित कर दिया है कि वह इस मामले की ओर अधिक जांच करना चाहती है, यदि हां, तो ऐसे निर्णय के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या बोर्ड केवल उन परियोजनाओं को ही योजना में सम्मिलित करने की स्वीकृति देता है जिन पर पहले से काम चल रहा है ;

(ग) क्या बोर्ड ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के अनुदानों के लिए कोई समिति नियुक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो समिति की नियुक्ति के कारण क्या हैं और उसके मुख्य कृत्य क्या हैं ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). दिनांक 30 सितम्बर, 1970 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान मंडल की बैठक में सी० एस० आई० आर० की चतुर्थ पंच वर्षीय योजना के प्रस्तावों पर विचार विमर्श करते समय यह तय किया गया कि चतुर्थ योजना काल में योजना के उन प्रस्तावों को जिनके लिए सी० एस० आई० आर० बचनवद्ध है स्वीकार किया जा सकता है, और उसमें आरम्भ किये जाने वाली नवीन परियोजनाओं की प्राथमिकता का आर्थिक विकास योजना सम्बन्धी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जांच की जाये ।

(ग) और (घ). दिनांक 30 सितम्बर, 1970 को हुई बैठक में बी० एस० आई० आर० ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ अधिक अच्छे प्रस्तावों के अनुसधान अनुदानों का मूल्यांकन करने की दृष्टि से एक समिति अनुसंधान अनुदानों की नीति निर्धारण के लिए गठित करने का फैसला किया है :

(i) विभिन्न समुदायों/क्षेत्रों के बीच संबंधित प्राथमिकताओं सहित अनुसंधान अनुदान पुरस्कृत करने के लिए अनुसंधान समितियों के नीति निर्धारण कार्य की योजना तैयार करने और उसको क्रियान्वित रूप प्रदान करने का आश्वासन देना ।

(ii) विज्ञान और तकनीकी के अतिरिक्त क्षेत्रों में राष्ट्रीय आवश्यकताओं से संबंधित पहलुओं पर जो वर्तमान समितियों के कार्य क्षेत्र के बाहर है, को अनुसंधान समितियों के परामर्श से एकरूपता प्रदान करना ।

(iii) अनुसंधान समितियों की सिफारिशों को जांचना और बी० एस० आई० आर० की ओर से सब परियोजनाओं को जो बी० एस० आई० आर० द्वारा निश्चित की गई धनराशि के नीचे है, स्वीकृति प्रदान करना ।

व्यापार में घाटे को कम करने के लिए यूरोपीय साझा बाजार के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार

475. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत उन देशों के साथ व्यापार में हुए भारी घाटे को पूरा करने के लिए साझा बाजार (कामन मार्केट) के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार के लिए प्रयत्न कर रहा है ;

(ख) तो क्या इस प्रश्न पर भारतीय राजदूत द्वारा साझा बाजार के कार्यकारी आयोग के अध्यक्ष प्रांको मेरिया के साथ विचार विमर्श किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्होंने आश्वासन दिया है कि भारत की समस्याओं का अध्ययन किया जायेगा ;

(घ) ऐसा सहयोग मांगने का उद्देश्य क्या है ; और

(ङ) वे किस सीमा तक भारत की प्रार्थना से सहमत हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ङ). ब्रुसेल्स स्थित भारतीय राजदूत 21 सितम्बर, 1970 को यूरोपीय समुदाय आयोग के अध्यक्ष श्री फ्रांको मारिया मल्फाटी से मिले और उन्हें भारत और समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार के सम्बन्ध में एक स्मरण-पत्र दिया ।

समुदाय के साथ भारत की व्यापारिक समस्याओं को सुलझाने के लिए व्यापक प्रयत्न करने की जरूरत के सम्बन्ध में भारत, समुदाय से आग्रह करता रहा है । विगत में किये गये कुछ छुट-पुट प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत के निर्यात व्यापार के लिए समुदाय द्वारा रियायतें उपलब्ध कराई गई है, परन्तु इस दिशा में कोई व्यापक प्रयत्न नहीं किया गया । इसी संदर्भ में समुदाय के साथ वाणिज्यिक सहयोग करार के लिए वर्तमान प्रयत्न शुरू किये गये हैं । वाणिज्यिक सहयोग करार से सम्बन्धित भारतीय प्रस्ताव अभी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

योजना आयोग द्वारा देश की अर्थ-व्यवस्था का अवलोकन

476. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री दण्डपाणि :
श्री मयावन :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश की अर्थ-व्यवस्था की स्थिति का अवलोकन करने हेतु 7 अक्तूबर, 1970 को योजना आयोग के सदस्यों की एक बैठक का आयोजन हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक में किये गये और सरकार द्वारा स्वीकृत निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां ।

(ख) एक वितरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

योजना आयोग की बैठक में विचारित विषय और किये गये निर्णय

1. औद्योगिक स्थिति :

योजना आयोग ने वर्तमान औद्योगिक स्थिति की समीक्षा की और इस बात पर विचार किया कि औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित नीति के ढांचे के

अन्दर प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए किस प्रकार के सुझाव दिये जाएं। समीक्षा से विदित हुआ कि वर्तमान प्रकृति के अन्तर्गत इस्पात, उर्वरक आदि मुख्य उद्योगों के लक्ष्यों में काफी कमी आ सकती है। अतः मुख्य क्षेत्रों में उत्पादन के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए यह निश्चय किया गया कि इस मामले पर योजना आयोग केन्द्रीय मन्त्रालयों और राज्य सरकारों से आगे और विचार-विमर्श करे। ये विचार-विमर्श शीघ्र ही किए जायेंगे।

2. संस्थागत अभिकरणों से वित्तीय सहायता :

हाल ही में सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों को वित्तीय संस्थानों से धन लेने की अनुमति प्रदान की। इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की प्रक्रियाओं को विकसित करना आवश्यक हो गया जो योजना प्राथमिकताओं को बनाये रखने में सहायता दें। तदनुसार, यह निश्चय किया गया कि मन्त्रालय सार्वजनिक क्षेत्र में जिन नई परियोजनाओं के लिए संस्थागत अभिकरणों से धन लेना चाहे उसके बारे में उनसे प्रस्ताव मांगे जायें और वित्तीय संस्थानों के ताजे अनुमानों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय संस्थानों और वित्त मन्त्रालयों से परामर्श लेकर उन पर प्राथमिकताओं और जीवन-क्षमता के आधार पर विचार किया जाए। जहां तक राज्यों के प्रस्तावों का सम्बन्ध है, इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि प्रस्तावों की प्राथमिकता पर मार्गदर्शन लेने के लिए वित्तीय संस्थान उन्हें योजना आयोग के पास भेजेंगे।

3. योजना परियोजनाओं की छानबीन और स्वीकृति :

सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन में जो देरी हुई उसके मुख्य कारणों में एक कारण यह था कि निर्माण-पूर्व चरण में काफी समय लगा। परियोजनाओं की तैयारी और अग्रिम आयोजन में अपर्याप्तता के कारण उनकी छानबीन करने और स्वीकृति प्रदान करने में अक्सर देरी हुई। अतः परियोजनाओं को पर्याप्त ब्यौरे के साथ तैयार करने को सुनिश्चित करने के लिए मन्त्रालयों में तकनीकी व्यक्तियों से युक्त आयोजना सेल स्थापित करने का निश्चय किया गया। सम्भाव्यता रिपोर्टें और ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय वित्त मन्त्रालय के अधिकारियों को भी सहयोजित करने का भी निश्चय किया गया। जिससे सम्भाव्यता रिपोर्टें/ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्टें तैयार करते समय सम्बद्ध तथ्यों की और परियोजना अधिकारियों का ध्यान दिलाया जा सके। औद्योगिक क्षेत्र में समस्त समन्वय और प्रगति की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए समन्वय व्यवस्था में सुधार करने का निश्चय किया गया। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, मध्यम और लघु उद्योगों के विकास, इस प्रकार की व्यवस्था कर जिससे बड़े उद्योग पुर्जों तथा उनके सहायकों का निर्माण काम लघु उद्योगों के लिए छोड़ दे जिससे लघु उद्योगों और बड़े उद्योगों का एकीकरण हो सके और चुने हुए पिछड़े जिलों में रोजगार उन्मुख छोटे उद्योगों का विकास परीक्षणात्मक आधार पर करने की नमूना स्कीमों के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। कार्यक्रम और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

4. बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए उपाय :

बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार के उपाय अपनाए जाएं तथा किस प्रकार के निर्देश दिये जाएं इस बारे में विचार-विमर्श किया गया। इस संदर्भ में समेकित

जिला (राज्य योजना की आवश्यकता पर बल दिया गया । यह निश्चय किया गया कि जिन जिलों में निम्नतम निर्दिष्ट संख्या में लोगों को रोजगार देने की क्षमता विद्यमान हो उनमें से प्रत्येक में मार्गदर्शी कार्यक्रम शुरू किये जाएं। इस निर्णय का अनुसरण करते हुए कार्रवाई के लिए समुचित कार्यक्रम बनाने और उनका कार्य संचालन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ।

5. प्रधान मन्त्री को प्रगति की रिपोर्ट देने की प्रक्रिया :

विकास योजनाओं के कार्यान्वियन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रधान मन्त्री को समय-समय पर रिपोर्ट देने की प्रक्रिया पर विचार किया गया ।

6. राज्यों के संसाधन :

योजना आयोग ने राज्यों के संसाधनों की स्थिति और चौथी योजना के लिए संसाधनों को जुटाने के लिए उनके प्रयत्नों की समीक्षा की । 1971-72 की वार्षिक योजना तैयार करने के संदर्भ में, आयोग राज्य सरकारों के साथ उनके संसाधनों की स्थिति पर विस्तृत विचार-विमर्श कर रहा है ।

मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाना

477. **श्री प० गोपालन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1961 में ऐसा निर्णय किया था कि मंत्रालय/विभाग के किसी भी सचिव को किसी बोर्ड का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के विरुद्ध कुल कितनी नियुक्तियां की गई ; और

(ग) इस प्रकार की नियुक्तियों के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण सदन के सभा पटल पर प्रस्तुत है । [ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4234/70]

Memoranda from Body-Guards and other Dependants of former Rulers for Payment of their Gratuity and Provident Fund

478. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received any memoranda in which it has been requested that the body-guards and other dependants of the former rulers as well as thousand of employees working their palaces may get their gratuity and Provident Fund amount consequent upon the abolition of their privy purses and privileges ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). A few such memoranda have been received. As it is a matter of private employment, the question of Government granting and relief does not arise. Government however, hope that the former Rulers will assist these employees from the transitional allowances proposed to be paid.

Settlement of Border Disputes Among States

479. **Shri Meetha Lal Meena** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the names of States whose border disputes have not yet been settled and since when and the time by which these disputes are likely to be settled ; and

(b) whether any such scheme is under consideration of Government, whereunder all such disputes can be settled ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) The disputes relate to (1) the boundaries between Maharashtra and Mysore and Mysore and Kerala ; (2) claims and counter-claims for re-adjustment of the existing inter-State boundaries between Punjab, Haryana and Himachal Pradesh ; and (3) Nagaland's claims for certain territories of Assam. The first dispute arose after the State Reorganisation in 1956 and the second after reorganisation of Punjab in 1966, Nagaland Legislative Assembly passed a resolution on the subject in December, 1964. These disputes raise complex issues and it is not possible to indicate any time limit for setting them.

(b) No, Sir.

राजसी विशेषाधिकारों को वापस लेने के लिए पंजाब सरकार द्वारा नोटिस

480. **श्री मीठा लाल मीना** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधान सभा के सदस्य श्री इफतीखार अली खां ने हिमाचल प्रदेश के पूर्वोदाहरण का उल्लेख करते हुए पंजाब सरकार से अनुरोध किया है कि राजसी विशेषाधिकारों को वापिस लेने के लिए एक महीने का नोटिस जारी किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो उनके इस अनुरोध को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधानों विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) नरेशों की मान्यता समाप्त करने के बाद इस प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं रहा । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने भारत सरकार के निर्णय को क्रियान्वित किया है और विशेषाधिकारों को वापिस लिये जाने से पूर्व एक महीने के नोटिस के लिए मालेकोटला के भूतपूर्व नरेश के अनुरोध पर कोई कार्यवाही नहीं की गई थी ।

Indo-Nepal Trade Agreement

482. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : **Shri R. Barua** :
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether any fresh agreement has been concluded between India and Nepal to regularise the trade between the two countries in lieu of the one terminated in October, 1970 last ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the manner in which Government propose to regularise the trade between India and Nepal ?

The Minister of Foreign Trade (Shri L. N. Mishra) : (a) to (c). 1. The Treaty of Trade and Transit between India and Nepal which was concluded in 1960 came to an end on the 31st October, 1970.

2. It has been the earnest endeavour of the Government of India to find mutally acceptable and beneficial arrangements for trade and transit, beyond 31st October, 1970, which while helping Nepal to maximise the export of goods of Nepalese origin to India and to third countries and facilitating the import of goods need for consumption in Nepal or for the development of the economy of Nepal, will take care to avoid diversions and distortions harmful to India's economic interest or injurious to Indian economic policies.

3. A team of officials of His Majesty's Government of Nepal came to New Delhi on the 25th October and had discussions with officials of the Government of India. The Minister for Industry and commerce of his Majesty's Government of Nepal also visited New Delhi. The Nepalese Delegation returned to Kathmandu on the 1st of November. It has been agreed between the two Governments that the current negotiations will be resumed on or around the 12th of November and will be concluded during the course of the month. The Minister of Foreign Trade has invited the Nepalese Minister for Industry and Commerce to send a delegation of official to New Delhi.

4. Meanwhile, in order to avoid dislocation in mutual trade and difficulties to the people on either side of the border, existing arrangements for mutual trade and transit have been continued.

Annual Average Income Per Family in Rural Areas

483. **Shri Molahu Prashad** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether according to the study recently undertaken by the National Council of Applied Economic Research, the annual average income per family in the rural areas has been estimated at Rs. 2206 ;

(b) if so, whether a copy of the report given by that Council will be laid on the Table ;

(c) whether the reaction of Government to that Report will also be attached therewith ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs, Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) to (d). The National Council of Applied Economic Research, which is non-Governmental autonomous and independent organization, is currently undertaking a study entitled "Additional Rural Income Survey with special reference to Agricultural Development and Fertilizer use.". The object of the study is to analyse the changes in income and investment patterns in the rural areas. The survey, spread over three years, is being carried out in three rounds beginning 1968-69. The results of the first round are not yet published and it is understood that the analysis and write-up are in a preliminary form.

Bogus Firm in name of Janta Finance Corporation, Modinagar

484. **Shri Molahu Prashad** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have received the enquiry report about the bogus firm started in Modinagar, (Uttar Pradesh) in the name of the Janta Finance Corporation by two persons of village Palheda under Pratappur Police station, as reported in the daily 'Hindustan' of the 27th September, 1970 ; and

(b) if so, the details thereof and the action being taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The required information is being obtained from the Government of Uttar Pradesh and will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

दामोदार घाटी निगम के बांधों तथा जलाशयों से निष्कासित जल के कारण हुगली, हावड़ा तथा वर्दवान जिलों में बाढ़

486. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदार घाटी निगम के प्राधिकारियों ने दामोदर घाटी निगम के बांधों तथा जलाशयों से सितम्बर, 1970 के प्रारम्भिक भाग में भारी मात्रा में वर्षा का जल निष्कासित किया था ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के कृषि विभाग ने शिकायत की है कि इतनी बड़ी मात्रा में जल के निष्कासन से हुगली, हावड़ा तथा बर्दवान जिलों में बाढ़ आ गई तथा इसके फलस्वरूप लगभग 4 लाख मीटरी टन धान की फसल नष्ट हो गई ;

(ग) क्या वर्ष 1968 में भी फसल की इसी प्रकार की हानि हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय क्यों नहीं किये गये कि दामोदर घाटी निगम के बांधों तथा जलाशयों से निकाले गये अतिरिक्त जल से बाढ़ न आये तथा फसल नष्ट न हो ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस अवधि के दौरान निकाले गए पानी की मात्रा जलाशय चलाने की अनुसूची में निर्धारित मात्रा से कम थी ।

(ख) और (ग). पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग ने सूचित किया है कि उन्होंने ऐसी कोई शिकायत नहीं की है । बहरहाल, किसानों ने जुबानी शिकायत की है कि दामोदर घाटी निगम के अधिकारियों द्वारा छोड़े गए पानी से हावड़ा, हुगली और बर्दवान जिलों में बाढ़ स्थिति बिगड़ गई और परिमानस्वरूप इन जिलों में लगभग 3.57 लाख मेट्रिक टन धान को क्षति हुई । वर्ष 1968 में भी इस प्रकार की क्षतियां होने की सूचना मिली है ।

(घ) जैसाकि ऊपर भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, बांध की सुरक्षा बनाए रखने के लिये जलाशय चलाने की अनुसूची में निर्धारित मात्रा की अपेक्षा कम पानी निकाला गया । दामोदर घाटी निगम ने जलाशयों में व्यस्ततम प्रवाहों का नियंत्रण करके समग्र क्षति को कम करने में काफी मदद की है । लोअर दामोदर परियोजना, जिसमें तटबंधों का निर्माण और कई स्थानों पर नदी नालों का तेलकर्षण शामिल है, लोअर दामोदर बेसिन के क्षेत्रों में जलप्लावन को रोकने के लिये क्रियान्वित की जानी है ।

राज्य व्यापार निगम के पास बेकार पड़ी आयातित मशीनें

487. **श्री वीरेंद्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास लगभग 50 लाख रु० की लागत की 6 आयातित साईंजिंग मशीनें बहुत समय से बेकार पड़ी हैं ;

(ख) किन परिस्थितियों में राज्य व्यापार निगम ने उक्त मशीनों का आयात किया था और बाद में सम्बद्ध पक्ष को उन्हें भेज नहीं सका था ; और

(ग) उक्त मशीनों का निपटान करने तथा इस प्रकार की त्रुटि दुबारा होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) ये मशीनें, रेशम तथा कृत्रिम रेशम निर्यात संवर्धन परिषद् की एक सहायक कम्पनी मे० रेयेक्स इण्डिया लि०, बम्बई, की प्रार्थना पर तथा उसकी ओर से आयात की गई थी। परिषद का विषय निर्यात उत्पादन के लिए रेयन कपड़े की किस्म को सुधारने के लिए साईंजिंग यूनिटों की स्थापना करने का था। वित्तीय तथा अन्य कठिनाइयों के कारण रेयेक्स ने इन मशीनों की सुपर्दगी नहीं ली इसलिए उनकी ओर से राज्य व्यापार निगम को वे मशीनें लेकर अपने भंडार में रखनी पड़ी।

(ग) राज्य व्यापार निगम मशीनों को बेचने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि उद्योग के लाभ के लिए साईंजिंग युनिट स्थापित किए जा सकें।

राज्य-व्यापार निगम द्वारा कनाडा को रेयन से बने कपड़ों का निर्यात

488. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा कनाडा के दो आयातकर्ताओं के साथ पूर्णतया भारतीय रेयन के कपड़े की सप्लाई के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाएं संतोषजनक नहीं रहीं ;

(ख) क्या निगम ने इन व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) विस्तर के गद्दों के गिलाफ का कपड़ा तथा रेयन लाईनिंग की सप्लाई के लिए कनाडा के आयातकों के साथ की गई अनन्य व्यवस्थाएं समाप्त कर दी गई हैं। कनाडा के बाजार को इन माल का निर्यात अब रेशम तथा रेयन वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के माध्यम से किये जा रहे हैं।

विद्युत उत्पादन की चालू योजना कार्यक्रम में कमी

489. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के दो विद्युत संबंधी उपकरणों के दो निर्माताओं द्वारा सप्लाई के समय संबंधी अपने वचनों को पूरा करने में असमर्थ रहने के कारण विद्युत उत्पादन की चालू योजना कार्यक्रम में भारी कमी होने की संभावना है ; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के विद्युत उपकरणों के कारखानों द्वारा विद्युत उपकरणों के उत्पादन को तेज कराने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाओं में सिविल कार्यों की प्रगति और एच० ई० एल०/बी० एच० ई० एल० द्वारा बिजली-उत्पादन उपस्कर के निर्माण पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। उत्पादन संयंत्र तथा उपस्कर के निर्माण की प्रगति में तेजी लाने के लिए कदम उठाए गए हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि लक्ष्य में निर्धारित प्रतिष्ठापित बिजली-उत्पादन क्षमता के चालू करने में कमी को चौथी योजना के अन्त तक न्यूनतम कर दिया जाए।

गुरदासपुर जिले के कलानौर क्षेत्र में जासूसों के गिरोह का पकड़ा जाना

490. **श्री सीता राम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 में पंजाब में गुरदासपुर जिले के कलानौर क्षेत्र में एक जासूसों का एक गिरोह पकड़ा गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार के गिरोहों के अस्तित्व से अवगत है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है। फिर भी, जासूसी की गतिविधियों का पता लगाने तथा उन्हें रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जाती है।

कलकत्ता में नक्सलवादियों की छापामार चालों का मुकाबला करने के लिये पुलिस के छापामार दस्ते

491. **श्री सीताराम केसरी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में नक्सलवादियों की छापामार सम्बन्धी चालों का मुकाबला करने के लिए पुलिस के छापामार दस्ते बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या अन्य राज्यों में भी, जहां नक्सलवादी सक्रिय हैं ऐसे छापामार दस्ते बनाए जाएंगे ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) से (ग). राज्य सरकारों ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्रशानिक प्रबन्धों को पर्याप्तरूप से सशक्त करने हेतु कदम उठाये हैं। उठाये गये कदमों में सतर्कता संगठन को केवल सरल व कारगर बनाना ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि प्रशासनिक एजेंसियों का उपयुक्त प्रशिक्षण व पुनश्चर्या भी सम्मिलित है। केन्द्रीय सरकार द्वारा भी पुलिस कुमुकों तथा वाणिजिक सुविधाओं के रूप में, जो भी अपेक्षित हो, ऐसी सहायता दी जा रही है।

निर्यात बढ़ाने सम्बंधी अध्ययन

492. **श्री सीता राम केसरी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यवहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने निर्यात बढ़ाने के सम्बन्ध में किये गये अपने अध्ययन के निष्कर्ष प्रकाशित कर दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस में दिये गये सुझाव क्या हैं ; और

(ग) इन्हें क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) चुने हुए देशों में भारत की निर्यात क्षमता के सम्बन्ध में व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

(ख) इस रिपोर्ट में भारत के निर्यात संवर्धन हेतु विभिन्न सुझाव दिये गये हैं जो अध्ययन किये गये देशों, विशेष वस्तुओं के सम्बन्ध में नीतियों, बिक्री व संवर्धन, निर्यात सुविधाओं तथा तकनीकी आवश्यकताओं के संदर्भ में है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) विभिन्न बाजारों के लिए निर्यात नीतियां बनाने में व्यापक सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है। निर्यात संवर्धन परिषदों जैसे अन्य संबंधित संगठनों का ध्यान उन सिफारिशों की ओर आकर्षित किया गया है जिनका उनसे सम्बन्ध है। कुछ बाजारों के मामले में और आगे अध्ययन करके व्यापक सिफारिशों को मूर्त रूप देने के लिए कार्यवाही की गयी है।

ब्रिटिश ग्रुप द्वारा भारतीय इंजीनियरिंग वस्तुयें खरीदने का निर्णय

493. **श्री सीता राम केसरी** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ब्रिटेन के 'इण्डो-ब्रिटिश टेक्नोलोजिकल ग्रुप' ने भारत से इन्जीनियरिंग की और अधिक मदें खरीदने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने इन्जीनियरिंग उद्योग की सहायता हेतु कुछ कदम उठाए हैं ताकि वह उत्पादन बढ़ा सके ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). भारत ब्रिटिश प्रोद्योगिकीय दल की जिसमें दोनों देशों की सरकारों तथा उद्योग के प्रतिनिधि शामिल थे, हाल ही की बैठक में यह बात स्वीकार की गयी कि भारत में अपेक्षाकृत कम लागत को देखते हुए ब्रिटेन तथा अन्य देशों की इन्जीनियरी माल के, विशेषत: भारी संघटकों और गौण असेम्बलियों के, भारतीय निर्यातों में उल्लेखन वृद्धि की गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया कि आरम्भिक अवस्था में मोटर तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग के भारतीय बिक्री मिशनों और ब्रिटिश क्रेता मिशनों को प्रोत्साहन देकर इस विषय में सम्भाव्यता का पता लगाया जाये।

(ग) निम्नलिखित का आकलन करने के लिए अनेक विभागीय कार्यकारी दल गठित किये गये हैं :

(1) विभिन्न इन्जीनियरी उत्पादों के निर्यात की संभाव्यता (2) इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित अतिरिक्त निर्माण क्षमता, और (3) अतिरिक्त क्षमता तैयार करने के लिए किये जाने वाले उपाय। निर्यात प्रयोजन के लिए अपेक्षित क्षमताओं की स्थापना सम्बन्धी प्रस्तावों को भी प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाता है।

नारियल जटा तथा नारियल जटा के उत्पादों के निर्यात की संभावना का सर्वेक्षण

494. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नारियल जटा तथा इसके उत्पादों की निर्यात संभावना का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) सर्वेक्षण पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने भारतीय नारियल जटा तथा इसके उत्पादों की निर्यात संभाव्यता का पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण आरम्भ किया है।

(ख) एक नोट संलग्न है, जिसमें सर्वेक्षण योजना का ब्यौरा दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4235/70]

(ग) फरवरी, 1971 के अन्त तक सर्वेक्षण के पूरे होने की संभावना है।

Increase in Crimes of All Types in the Country

495. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether there has been an increase in all types of crimes in various parts of the country during the last three years and it is because of the disparity in the economic development of the various sections of the society ; and

(b) if so, the State-wise data of various types of crimes committed during the last three years and whether Government have gone into the causes of the growing number of crimes and the measures taken to remove these causes at the central level ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) There was an increase in the volume of total cognizable crime under the IPC during the three years, 1967-1969 in Andhra Pradesh, Assam, Gujarat. Haryana, Kerala, Mysore, Nagaland, Orissa, Rajasthan and Tamil Nadu, and in the Union Territories of Dadar and Nagar Haveli, Delhi, Laccadives, Minicoy and Amindivi Islands, Manipur, Pondicherry and Tripura, whereas in the remaining States and Union Territories there was a decrease. There is no reason to believe that the increase in crime is due to disparity in the economic development of the various States and various sections of the society.

(b) A statement giving the State-wise and Union Territory-wise data of the more important types of cognizable crimes under the IPC committed during the last three years as also the total cognizable crimes under IPC committed during the same years is attached. [*Placed in Library. See* No. LT–4236/70]. 'Police' is a State subject and prevention and detection of crime is a "State responsibility". The Central Government have however set up a Bureau of Research whose functions include a close study of the causes of crime, the steps required to be taken to prevent the commission of such crime, etc. Various programmes for modernising the State Police forces with a view to making available to them the facilities of modern science and Technology have been sponsored by the Government of India and financial assistance for the purpose is also being given. With increased efficiency and better aids and technology at their disposal more effective crime prevention as well as detection would be facilitated.

Employment to Employees Working with Ex-Rulers

496. **Shri Ram Avtar Sharma:** **Shri Shankerrao Mane:**
Shri Beni Shankar Sharma:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) the number of employees serving with the ex-rulers rendered jobless as a result of the implementation of the ordinance promulgated by the President de-recognising the rulers of former States;

(b) whether Government propose to provide alternative jobs to those employees on the same basis *i.e.* by giving them priority as is done in the case of employees retrenched from the services of the State Governments or the Central Government; and

(c) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) Government have no information.

(b) and (c). Since the persons were in private employment of the former Rulers there is no quesion of giving them the same treatment as employees retrenched from Government service. Government, however, hope that the former Rulers will assist these employees from the transitional allowances proposed to be paid.

Setting up of Atomic Power Stations in States

497. **Shri Ram Avtar Sharma:**
Shri Ram Gopal Shalwale:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) the names of the States where it has been decided to set up atomic power research stations or in the case of which such a proposal is under consideration;

(b) whether this programme is expected to be taken in hand during the next two years; and

(c) whether backward States will be given priority ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). A Site Selection Committee was appointed in September, 1970 to examine suitable sites in the Northern, Western and Southern Regions for the establishment of new atomic power stations. A suitable site in the Northern region is likely to be identified next year.

(c) Atomic Power Stations are planned to be established wherever they can most effectively contribute to national development taking other alternative options into consideration.

अलीपुर द्वार (पश्चिम बंगाल) में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समर्थकों की कथित अंधाधुन्ध गिरफ्तारियों और यातनायें

498. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इण्डियन ट्रेड यूनियन, पश्चिम बंगाल समिति, कलकत्ता-32 के केन्द्रीय कार्यालय से 29 सितम्बर, 1970 को जारी किये गये प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, पश्चिम बंगाल पुलिस और सीमा सुरक्षा बल अलीपुर द्वार, पश्चिम बंगाल में भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और इसके समर्थकों तथा रेलवे श्रमिकों जिन्होंने दूसरे दिन शांति पूर्वक हड़ताल की थी, को अंधाधुन्ध रूप से गिरफ्तार करने तथा यातना देने में लगे हुए हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षाबल कर्मचारी स्थानीय प्रशासन के सहयोग से उक्त क्षेत्र के लोगों पर अत्याचार करते रहे हैं जिनमें पति को पत्नी और बच्चों की उपस्थिति में पीटना और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना शामिल है ;

(ग) क्या अलीपुर द्वार पुलिस स्टेशन से लगभग 1400 वारंट जारी किये गये हैं और जिन लोगों पर जारी किये गये हैं उनमें अधिकांश लोग रेलवे लोको के तथा रनिंग स्टाफ के कर्मचारी हैं ;

(घ) क्या इन आरोपों की न्यायिक जांच कराए जाने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) सरकार का ध्यान किसी ऐसी प्रेस रिपोर्ट की ओर नहीं दिलाया गया है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ग) से (ङ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की संख्या

499. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कितनी स्वीकृत संख्या है ; (कुल कमचारियों सहित) बढ़ाई गई बटालियनों की कितनी संख्या है और कितनी तैनात है ;

(ख) पश्चिम बंगाल में (कुल कर्मचारियों के साथ) कितनी स्वीकृत बटालियनें हैं ;

(ग) पश्चिम बंगाल में जिलेवार और उप-खंडवार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की कितनी बटालियनें और कर्मचारी तैनात है ;

(घ) पश्चिम बंगाल में तैनात केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों पर (एक) फरवरी 1969 से जनवरी, 1970 तक तथा (दो) फरवरी 1970 से सितम्बर, 1970 तक कितना खर्च हुआ ; और

(ङ) फरवरी, 1970 और सितम्बर 1970 के दौरान पश्चिम बंगाल के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की टुकड़ियों के क्रियाकलाप का ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की कुल स्वीकृत संख्या 52 ड्यूटी बटालियन (आवश्यक सहायक कर्मचारियों सहित) है। बल की वर्तमान संख्या 60072 व्यक्तियों की है। 52 बटालियों में से 51 ड्यूटी पर हैं।

(ख) इस समय पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की 11 बटालियनें और 2 कंपनियां (लगभग 8500 कर्मचारियों सहित) हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) दुर्गापुर में एक बटालियन और फरक्का में 2 कम्पनियों को छोड़कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की यूनिटें विधि और व्यवस्था के कार्यों के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार के अधिकार में सौंपी गई हैं और वे पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा समय-समय पर दिए गये कार्यों को करती है।

विवरण

पश्चिमी बंगाल में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की जिलेवार तैनाती

कलकत्ता	20 कम्पनियां
24 परगना	8 ,,
हुगली	4 ,,
मिदनापुर	4 ,,
हावड़ा	2 ,,
मुर्शिदाबाद	2 ,, (फरक्का बैरिक की रक्षा के लिए)
नादिया	1 कम्पनी
वर्दवान (दुर्गापुर को छोड़कर)	6 कम्पनियां
दुर्गापुर	15 ,, (स्थानीय आरक्षण के रूप में 6 के साथ)

वीरभूम	1 कम्पनी
कुच-बिहार	1 ,,
जलपाइगुडी	1 ,,
दार्जिलिंग	3 कम्पनियां
	68 कम्पनियां

पुलिस के हाथों कलकत्ता में समीर भट्टाचार्यजी नामक एक नवयुवक की मृत्यु

500. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के श्यामपुकुर थाने के पुलिस कर्मचारियों के हाथों समीर भट्टाचार्यजी नामक एक नवयुवक की मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस युवक की आयु क्या थी ;

(ग) क्या पुलिस के उप-आयुक्त ने मामले की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो रिपोर्ट का पूर्ण विवरण क्या है ; और

(ङ) क्या रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, कलकत्ता के कार्यालय के एक कर्मचारी श्री अजय सान्याल की हत्या करने का इसी प्रकार का आरोप पुलिस के विरुद्ध लगाया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ङ). पश्चिम बंगाल सरकार से अपेक्षित सूचना प्राप्त की जा रही है और मिलने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भाभा आणविक अनुसंधान केंद्र से पारे की चोरी

501. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**

श्री बाबू राव पटेल :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र से कुछ लाख रुपयों के मूल्य का पारा चुरा लिया गया और खुले बाज़ार में बेचा गया ;

(ख) क्या भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र के उच्चाधिकारियों का पारे की इस रहस्यमय चोरी में हाथ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अपराधी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या इस संपूर्ण घटना की जांच करवाने के लिए सरकार द्वारा कोई उच्च स्तरीय जांच करने के बारे में विचार किया जा रहा है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) (क) चोरी किये गये पारे का मूल्य लगभग 4,500.00 रुपये है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस चोरी में शामिल तीन तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों (एक सहायक सुरक्षा अधिकारी, एक क्लर्क तथा एक कारीगर) पर पुलिस द्वारा अभियोग चलाया गया है ।

(घ) इस घटना के रूप तथा मात्रा को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने की आवश्यकता नहीं है । तब भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सुरक्षा संबंधी उपाय दृढ़ कर दिये गये हैं ।

पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन

502. **श्री गणेश घोष** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल की भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त किए गए पटसन जांच आयोग ने अपना अंतरिम प्रतिवेदन सरकार को दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशें तथा निष्कर्ष क्या हैं ; और

(ग) इन निष्कर्षों और सिफारिशों के प्रति सरकार ने क्या निर्णय किए हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को एक अन्तरिम प्रतिवेदन भेजा गया था ।

(ख) से (ग). राज्य सरकार ने प्रतिवेदन को प्रकाशित न करने का निर्णय इसलिए किया था कि आयोग के बहुत से निर्देश-पद राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर के पाये गये थे ।

Complaints and Suggestions from Abroad Re. Increasing Trade Relations

503. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether he has received some complaints as well as suggestions from abroad in regard to increasing trade relations with the foreign countries ;

(b) whether the said complaints and suggestions include those received from the Indian Embassies and Consulates located abroad ;

(c) if so, the nature of these complaints and suggestions ; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) to (d). We have been receiving suggestions complaints of various types, including those from Indian Embassies and Consulates located abroad, from time to time. These suggestions complaints have been given due consideration by us and an effort has always been made to eliminate obstacles which interfere in the promotion of our exports.

Statement made by Secretary of All India Muslim League Regarding Muslim League Organisation

504. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether she has described the Muslim League of Kerala as non-communal organisation ;

(b) whether her attention has been drawn to a statement made by Shri Suleman Sait, Secretary of the All India Muslim League, to the effect that the Muslim League is functioning along the same lines in all the States in the country ; and

(c) whether this organisation has started expanding to other States after her declaring it a non-communal organisation ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri R. N. Mirdha) : (a) The Prime Minister had observed that the role of Muslim League in the circumstances prevailing in Kerala had been somewhat different from that of Muslim communal organisations in north India.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Irrigation Affected by Powder Shortage in Western U. P.

505. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that due to power shortage in Western U. P., electricity is not being made available to the newly installed tubewells and thousands of sanctioned connections are being refused ; and

(b) if so, the steps being taken by the Central Government to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) All new connections for tubewells as well as industrial loads are being given and it is not a fact that due to power shortage, thousands of sanctioned connections are being refused and electricity is not being made available to newly installed tubewells.

(b) Does not arise.

'Separation of Uranium-233 from Thorium'

506. **Shri Maharaj Singh Bharati :** **Shri Devinder Singh Garcha :**
Shri Latafat Ali Khan :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Bhabha Atomic Research Centre has succeeded in separating Uranium-233 from Thorium ;

(b) if so, whether the pace of progress in the atomic programme is likely to be accelerated as a result of this ; and

(c) the time by which Uranium-233 would be produced on commercial basis ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) The time by which Uranium-233 will be produced on a commercial basis is dependent on the completion of the Prototype Fast Breeder Reactor and the research work which is being carried out on Thorium Generating Reactors.

पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत का व्यापार

507. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व यूरोपीय देशों के साथ भारत के व्यापार में गत तीन वर्षों में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्रमश: 1966-67, 1967-68 और 1968-69 में भारत तथा हंगरी, पोलैंड, जर्मन जनवादी गणतंत्र, रूमानिया और बुल्गारिया के बीच अलग-अलग कितना व्यापार हुआ ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

हंगरी, पोलैंड, जर्मन जनवादी गणतन्त्र, रूमानिया और बल्गारिया के साथ भारत का व्यापार

(मूल्य लाख रु० में)

	1966-67	1967-68	1968-69
1. हंगरी			
कुल निर्यात	11,34	12,82	10,05
आयात	13,28	11,79	13,98
कुल व्यापार	24,62	24,61	24,03
2. पोलैंड			
कुल निर्यात	13,50	22,01	24,88
आयात	17,87	23,78	21,83
कुल व्यापार	31,37	45,79	46,71
3. जर्मन जनवादी गणतंत्र			
कुल निर्यात	19,39	20,31	19,84
आयात	20,91	21,57	20,52
कुल व्यापार	40,30	41,88	40,36
4. रूमानिया			
कुल निर्यात	5,87	4,22	5,50
आयात	4,21	4,59	7,44
कुल व्यापार	10,08	8,81	12,94

	1966-67	1967-68	1968-69
5. बल्गारिया			
कुल निर्यात	4,75	3,97	7,25
आयात	4,34	1,93	9,93
कुल व्यापार	9,09	5,90	17,18

नोट : कुल निर्यात : निर्यात, जिसमें पुनर्निर्यात भी शामिल हैं।

चाय के निर्यात में गिरावट

508. **श्री धीरेश्वर कलिता :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1963 की तुलना में 1969 में भारतीय चाय के निर्यात में बहुत अधिक कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो 1969 में निर्यात में कितनी कमी हुई, और इसके क्या कारण थे ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) भारत से चाय का निर्यात वर्ष 1968 में 20.844 करोड़ कि० ग्रा० था जो 1969 में 3.973 करोड़ कि० ग्रा० कम होकर 16.871 करोड़ कि० ग्रा० रह गया।

वर्ष 1968 की तुलना में वर्ष 1969 में चाय के निर्यात में इन कारणों से गिरावट आई :

(i) लन्दन में चाय स्टाकों के अधिक मात्रा में जमा रहने से ब्रिटेन द्वारा चाय का कम आयात किया जाना।

(ii) लन्दन में वर्ष 1968 तथा 1969 में अलाभकारी मूल्य प्राप्त होने के परिणाम-स्वरूप लन्दन निलामियों के लिए माल के निर्यात में कमी होना।

(iii) भारत में वर्ष 1969 में फसल कम होना।

आयरलैंड के आयातकर्ताओं द्वारा भारतीय चाय की किस्म के बारे में शिकायत

509. **श्री इसहाक सम्मली :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आयरलैंड के आयातकर्ताओं ने भारत के चाय में कीलें, सिगरेट के टुकड़े आदि होने के बारे में शिकायतें की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). आयरलैंड को निर्यात की गई चाय की एक पेटी में कुछ कीलों के होने का मामला कुछ समय पूर्व चाय बोर्ड, कलकत्ता की जानकारी में लाया गया। इस मामले की जांच की गई, लेकिन कोई निश्चित बात सिद्ध न होने पर इस मामले को समाप्त कर दिया गया।

चाय की पेटियों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच निर्यातक, बीजक संबंधी ब्यौरों तथा

चाय में अन्य पदार्थ जिन स्रोतों से मिल जाते हैं, उनकी जानकारी के आधार पर की जाती है। यदि अपराधी का पता लग जाए और संबंधित मामले के स्पष्ट प्रमाण मिल जाएं तो चाय बोर्ड, चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण आदेश 1957 के अनुबंधों के अंतर्गत उपयुक्त कार्यवाही करता है। चाय बोर्ड के कर्मचारी, जहां भी आवश्यक हो, पैकिंग तथा माल के गुण-स्तर को सुनिश्चित करने के लिए लदान के समय लदानपूर्वक निरीक्षण करते हैं। इसके अतिरिक्त, चाय निलामी की प्रणाली के अन्तर्गत, चाय के दलाल नमूना लेते समय पेटियों की जांच करते हैं ताकि यह सुनिश्चित रहे कि वे भारतीय मानक संस्थान की विशिष्टियों से अनुरूप हैं।

तिलहन उत्पादों के निर्यात में कमी

510. **श्री इसहाक सम्मली** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में तिलहन उत्पादों के निर्यात में कमी आ रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी वास्तविक कमी देखी गई है ;

(ग) कमी के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस कमी को रोकने के लिये यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). वर्ष 1967-68 से तिलहन उत्पादों के निर्यात दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1969-70 के दौरान निर्यातों में हुई अस्थाई गिरावट का कारण तिलहनों के उत्पादन में कमी आना था।

(घ) तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिये खाद्य एवं कृषि मन्त्रालय विशेष उपाय कर रहा है।

विवरण

1967-68 से 1969-70, अप्रैल-जून 1970 तथा अप्रैल-जून 1969 के दौरान

तिलहन का निर्यात

(मूल्य हजार रु० में)

विवरण	1967-68	1968-69	1969-70	अप्रैल-जून 1970	अप्रैल-जून 1969
तिलहन खली और भोजन तथा अन्य वनस्पति तेल अवशेष	454742	494748	414748	162212	94951
स्थिर वनस्पति तेल अस्थिर	1553	2732	2333	386	890

विवरण	1967-68	1968-69	1969-70	अप्रैल-जून 1970	अप्रैल-जून 1969
अन्य स्थिर वनस्पति तेल	38070	114386	47174	9987	12309
अलसी का तेल, उबला हुआ, अक्सीकृत, जलांश रहित, गन्धकीय फुंका हुआ या बहुलीकृत	नगण्य	1	—	—	—
हाइड्रोजनीकृत तेल और बिनौलों एवं मूंगफली की चर्बी	1116	1463	398	24	47
जोड़	495481	613330	464653	172609	108107

पश्चिम बंगाल में सेवा से निकाले गये पुलिस के सिपाहियों का नक्सलवादियों में सम्मिलित होना

511. **श्री कं० हाल्दर :**
श्री देवेन्दर सिंह गार्चा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल पुलिस के डी०आई०जी० ने आरोप लगाया था कि सेवा से निकाले गये अधिकतम पुलिस के सिपाही नक्सलवादियों से मिल गये ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे है ।

राज्यपाल की नियुक्ति

513. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुझाव दिया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति केवल संसद् की अनुमति के पश्चात् ही की जानी चाहिए ;

(ख) क्या उक्त सुझाव पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). सरकार इस सुझाव के पक्ष में नहीं है ।

नक्सलवादी तथा अन्य लोगों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में जानमाल की क्षति

514. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किये जाने से जब तक राज्य में नक्सलवादी, साम्यवादी और अन्य राजनीतिक दलों तथा कार्मिक संघों की गतिविधियों के परिणामस्वरूप जान माल, विशेषकर सरकारी सम्पत्ति को कितनी क्षति हुई है ;

(ख) उस राज्य में इस अवधि में पुलिस के साथ मुठभेड़ के परिणामस्वरूप कितने नक्सलवादी तथा अन्य व्यक्ति मारे गये हैं तथा उनसे जब्त किये गये हथियारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त अवधि में उस राज्य में कानून तथा व्यवस्था को भंग करने के लिए कितने नक्सलवादी तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; दोषी पाया गया है तथा स्थाई रूप से कानून और व्यवस्था लाने के लिये अन्य क्या कार्यवाही की गई है तथा उस राज्य में कानून तथा व्यवस्था की नवीनतम स्थिति क्या है ; और

(घ) नवीनतम स्थिति को देखते हुये उस राज्य में कब तक लोकप्रिय सरकार बनाने की सम्भावना है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). राज्य सरकार से विस्तृत सूचना प्राप्त की जा रही है। राज्य सरकार विधि और व्यवस्था की पुनःस्थापना के लिये सभी कदम उठा रही है और अतिरिक्त पुलिस दलों, उपकरणों तथा आसूचना के एकीकरण के समेत केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सभी आवश्यक सहायता दी जा रही है। हालांकि अराजकता की अन्य घटनाओं की संख्या में जिसका सम्बन्ध नक्सलवादियों तथा अन्य उग्रवादियों की गतिविधियों से नहीं है कुछ कमी हुई है किन्तु ऐसे उग्रवादियों की गतिविधियां अब भी चिन्ता का कारण बनी हुई हैं।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि मतदाता अपने मतों को स्वतन्त्र और निर्भयता से दे सकें पश्चिमी बंगाल विधान सभा के चुनाव के प्रश्न पर तब विचार किया जा सकेगा जब राज्य में विधि और व्यवस्था की सामान्य स्थिति हो जायेगी।

निर्यात की दर में वृद्धि करने के लिए अमरीका के साथ दीर्घावधि औद्योगिक करार

515. **श्री हिम्मतसिंहका : क्या वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक दीर्घावधि करार के अन्तर्गत अमरीका आगामी वर्ष में निर्यात की दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा हर अगले वर्ष इसमें 5 प्रतिशत की और वृद्धि करने को सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो करार का ब्यौरा क्या है तथा इस करार के अन्तर्गत भारत के औद्योगिक माल के निर्यात में, मदवार, कितनी वृद्धि होगी ; और

(ग) क्या भारतीय सूती कपड़े के निर्यात में वृद्धि होने की सम्भावनाओं को देखते हुए क्षमता में अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) इस तरह का कोई सामान्य करार नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संयुक्त राज्य अमरीका के साथ सितम्बर, 1970 में हुये नये द्विपक्षीय वस्त्र करार के परिणामस्वरूप आगामी वर्ष 1970-71 के लिये हथकरघों सहित सूती कपड़े के लिये कोटे में गत वर्षों के कोटे की तुलना में 220 लाख वर्ग गज की वृद्धि होने की आशा है। इसके परिणामस्वरूप होने वाला अतिरिक्त निर्यात हमारे कुल उत्पादन का मामूली भाग ही ठहरता है और इसके लिये अतिरिक्त क्षमता की स्थापना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

विदेशों को भारतीय तकनीकी जानकारी देने की संभावनाएं

516. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को भारतीय तकनीकी, विशेषकर इस्पात कारखानों से सम्बन्धित, जानकारी देने की व्यापक सम्भावनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस तकनीकी जानकारी देने से सम्बन्धित कितने आदेश प्राप्त हुए हैं तथा किन देशों से प्राप्त हुये हैं ; और

(ग) विदेशों को तकनीकी जानकारी देने की व्यापक संभावनाओं की तुलना में वर्तमान उपलब्धि बहुत कम है ; यदि हां, तो इस दिशा में अन्य क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) जी, हां।

(ख) अतारांकित प्रश्न संख्या 8551 दिनांक 5 मई, 1970 तथा सं० 4861 दिनांक 1 सितम्बर, 1970 की ओर ध्यान दिलाया जाता है। (जिनका उत्तर इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्री द्वारा दिया गया था)।

(ग) भारतीय तकनीकी जानकारी का, जिस की पहले ही मांग है, निर्यात बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं।

गड़बड़ घोटाले तथा सांठ गांठ के कारण बोकारो इस्पात कारखाने सहित सरकारी क्षेत्र के कारखानों को हानि

518. **श्री देवेन सेन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय गड़बड़ घोटाले तथा सांठ-गांठ के बारे में फोरम फार पब्लिक ग्रीवान्सिज (दिल्ली) के संयोजक की ओर से केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री डा० कु० ल० राव

को लिखित 28 सितम्बर, 1970 को एक पत्र प्राप्त हुआ है जिनके कारण राष्ट्र को सामान्य तौर से कुछ सरकारी क्षेत्र के कारखानों में तथा विशिष्ट रूप से बोकारो इस्पात कारखाने में भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) उक्त पत्र में लगाये गये गम्भीर आरोपों को देखते हुए क्या सरकार इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंपेगी ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ङ). संयोयक, जनशिकायत फोरम (दिल्ली) ने अपने पत्र दिनांकित 28 सितम्बर, 1970 में बिहार राज्य बिजली बोर्ड के विशेषकर एक अधिकारी के आचरण विरुद्ध, बोकारो स्टील प्लांट पर विद्युत केन्द्रों के प्रतिष्ठापन, भारत सरकार के बदरपुर परियोजना और बिहार राज्य बिजली बोर्ड की पथरातू परियोजना के लिए कार्यों के ठेके दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है। इन आरोपों को बिहार राज्य सरकार को भेज दिया गया था और उन्होंने सूचित किया है कि बोर्ड की कार्यविधियों में हानियों और कमियों के कारणों की जांच करने के लिए जाँच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बिहार सरकार ने 20 अक्तूबर, 1970 को एक जांच आयोग स्थापित कर दिया है। चूंकि यह आयोग संबन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच करने की स्थिति में होगा, इसलिए इस समय अलग से जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया है।

पश्चिम बंगाल के पटसन जांच आयोग का प्रतिवेदन

519. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की भूतपूर्व संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा नियुक्त पटसन जांच आयोग आरम्भ में निर्धारित समय से पूर्व कार्य पूरा नहीं कर सका ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रपति-शासन के अधीन पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसकी अवधि को बढ़ाने से इन्कार कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो अवधि के न बढ़ाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) जिस कार्य के लिए आयोग नियुक्त किया गया था, उसे पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (घ). पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार छः महीने की अवधि के लिए नियुक्त पटसन जांच आयोग ने इस अवधि में केवल एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। राज्य सरकार ने आयोग की अवधि को न बढ़ाने का विनिश्चय किया है क्योंकि यह पता लगा कि आयोग के अधिकांश विचारार्थ विषय राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत नहीं थे।

योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति का कार्यक्रम

520. **श्री मंगलाथुमाडम :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) योजना आयोग की अनुसंधान कार्यक्रम समिति की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) उक्त समिति ने देश में कराधान क्षेत्र के ढांचे के बारे में कितने महत्वपूर्ण अध्ययन किये हैं ; और

(ग) क्या भारत में कृषि श्रमिकों पर पड़े कराधानों के भार का अध्ययन करने के लिए लिए कोई योजना है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) योजना आयोग के अनुसंधान कार्यक्रम समिति का मुख्य काम अनुसंधान संस्थानों/विश्वविद्यालयों के माध्यम से आयोजन और विकास के सीधे सम्बद्ध अनुसंधान अध्ययनों का संचालन करना है। अनुसंधान के विषयों का निश्चय अर्थशास्त्रियों के चार विशेषज्ञ दलों द्वारा किया जाता है।

(ख) अभी तक कराधान के क्षेत्र में तीन अध्ययनों को शुरू किया गया है।

(ग) फिलहाल इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। परन्तु केरल में कृषि तथा कृषि इतर क्षेत्र में कराधान के भार का तुलनात्मक अध्ययन' अभी पूरा हुआ है और रिपोर्ट के प्रारूप की जांच की जा रही है।

अवैध हथियारों की बरामदगी और हथियारों और गोला बारूद की चोरी में वृद्धि

522. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवैध हथियारों की बरामदगी और हथियारों और गला बारूद की चोरी में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि देश में हथियारों की तस्करी और निर्माण बड़े पैमाने पर हो रहा है ;

(ग) उक्त कार्य में लगी विदेशी एजेन्सियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) पिछले कुछ वर्षों में हथियारों के गुम होने/चोरी होने में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है, पुलिस प्राधिकारियों की तरफ से विशेष सतर्कता रखने के फलस्वरूप अवैध हथियारों की बरामदगी में वृद्धि हुई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। फिर भी पुलिस द्वारा अवैध हथियारों की बरामदगी में बढ़ोत्तरी से छोटे अपरिष्कृत अवैध हथियार बनाने वालों के अस्तित्व का पता लगता है।

(ग) सरकार के पास ऐसी सूचना नहीं है।

(घ) हाल ही में मामले पर पुनर्विचार किया गया था और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कहा गया है कि ऐसे अवैध हथियारों को रखने और बनाने को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये जायं।

एक्स्पो-70 में भारतीय मण्डप पर व्यय

523. **श्री न० रा० देवधरे :** **श्री जी० वेंकटस्वामी :**
श्री श्रद्धाकर सुपकार :

क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान में एक्स्पो-70 में भारतीय मण्डप पर कुल कितनी धन राशि खर्च हुई ;

(ख) उसमें विदेशी मुद्रा कितनी थी ;

(ग) मेले में भाग लेने के फलस्वरूप कितनी आय हुई ;

(घ) मेले में भेजे गये उनके मंत्रालय के अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके ओहदे क्या हैं ; और

(ङ) इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर कितनी राशि व्यय हुई ;

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). 1 अगस्त, 1970 के अन्त तक 156.95 लाख रु० की राशि का वास्तविक व्यय हुआ जिसमें 131.18 लाख रु० की विदेशी मुद्रा का व्यय शामिल है। 2. विदेशी व्यापार मन्त्रालय द्वारा भाग लेने पर होने वाला प्राक्कलित व्यय लगभग 195 लाख रु० है जिसमें 170 लाख रु० की विदेशी मुद्रा का व्यय शामिल है। अन्तिम लेखे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) एक्स्पो-70, वर्ष 1928 के पेरिस अभिसमय के अन्तर्गत एक अखिल विश्व प्रदर्शनी थी और यह व्यापार मेला नहीं था। एक्स्पो के 'मानवता के लिए प्रगति और सामंजस्य' के मूल मंत्र के अनुरूप ही भारतीय मंडप को सुसज्जित किया गया था जिसमें कला, संस्कृति, परम्पराओं की विरासत की पृष्ठभूमि में भारत के उदीपमान स्वरूप को प्रस्तुत किया गया था। इस अवसर से लाभ उठाकर वे वस्तुयें तथा उत्पाद भी प्रदर्शित किये गये जिन्हें भारत विश्व के बाजारों में प्रस्तुत कर सकता है।

विभिन्न मदों के सम्बन्ध में की गई व्यापारिक पूछताछ के सम्बद्ध संभरकों को अवगत करा दिया गया ताकि वे अनुवर्ती कार्यवाही कर सकें। भारतीय मंडप के तत्वावधान में एक्स्पो में खोली गई दुकानों और जलपान-गृहों में कुल 187.98 रु० की बिक्री हुई।

(घ) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 4237/70]

(ङ) अगस्त, 1970 तक 13.99 लाख रु०।

हथकरघा बुनकर समितियों को वित्तीय सहायता

524. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र की हथकरघा बुनकर समितियों और निजी बुनकरों को कुछ वित्तीय सहायता देने का है जिससे वे अपना उत्पादन बढ़ा सकें तथा अपने स्टाक को बेच सकें ;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी रामसेवक) : (क) से (ग). ऐसा को प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये गये खण्ड ऋणों तथा अनुदानों में से इस प्रयोजन के लिए धन-राशियां आवंटित करना मुख्यतः राज्य सरकार का कार्य है।

विद्युतचालित करघों द्वारा रंगीन साड़ियों का उत्पादन

525. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **वैदेशिक-व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपने उस निर्णय से अवगत है जो उसने अशोक मेहता समिति की इस आशय की सिफारिशों के आधार पर किया था कि रंगीन साड़ियों का उत्पादन केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया जाये और जिसे महाराष्ट्र में क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है और परिणामतः उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन करके वहां विद्युतचालित करघे बड़े पैमाने पर रंगीन साड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). सरकार को यह सूचना मिली है कि महाराष्ट्र के कतिपय शक्ति-चालित करघों के मालिक अभी तक रंगीन साड़ियों का उत्पादन कर रहे हैं, जो कि हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इस सम्बन्ध में आदेशों का प्रवर्तन राज्य सरकार के माध्यम से किया जाना है। महाराष्ट्र में आदेशों का कठोर प्रवर्तन कठिन हो गया है क्योंकि कतिपय शक्ति-चालित करघों के मालिकों ने अपने मामले में आदेश के प्रवर्तन के विरुद्ध बम्बई उच्च न्यायालय से अन्तरिम निषेधाज्ञा कर ली है। शक्ति-चालित करघों के बेकार मजदूरों के लिए रोजगार के वैकल्पिक उपायों के प्रश्न पर भी राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

देश में बारानी भूमि का सर्वेक्षण

526. **श्री शंकरराव माने** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में बारानी भूमि का सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में बारानी भूमि की प्रतिशतता क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). राज्य सरकार प्रति वर्ष कुल फसली क्षेत्र पर, विभिन्न फसलों के अन्तर्गत सिंचाई क्षेत्र तथा विभिन्न साधनों जैसे राजकीय नहरों, निजी नहरों, तालाब, कुओं, नलकूप तथा दूसरे साधनों से शुद्ध सिंचित क्षेत्रों की सूचना इकट्ठी करती है। ये आंकड़े खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय द्वारा अखिल भारतीय आधार पर संकलित किये जाते हैं। महाराष्ट्र के लिये 1966-67 के आंकड़ों से पता चलता है कि उस वर्ष कुल फसली क्षेत्र का 7.5 प्रतिशत सिंचित किया गया था तथा 92.5 प्रतिशत असिंचित था।

यूरोपीय देशों को प्रतिस्पर्धी दरों पर मानक मशीनी औजारों की सप्लाई करना

527. **श्री शंकरराव माने** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को यूरोपीय देशों से प्रतिस्पर्धी दरों पर मानक मशीनी औजार के पेशकश के लिये प्रौद्योगिकीय क्षमता के सम्बन्ध में क्रयादेश प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनसे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). इन्जीनियरी निर्यात संवर्द्धन परिषद् ने सूचना दी है कि भारतीय मशीनी औजार निर्माताओं ने हाल ही में पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन हौलैंड जैसे यूरोपीय देशों तथा संयुक्त राज्य अमरीका और जापान से लगभग 90 लाख रुपये मूल्य के मशीनी औजारों की सप्लाई के लिये क्रयादेश प्राप्त किए हैं।

रबड़ का निर्यात

528. **श्री शंकरराव माने** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में रबड़ का कितना उत्पादन होता है और गत तीन वर्षों में विदेशों को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में रबड़ का निर्यात किया गया ;

(ख) वर्ष 1969-70 में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई और

(ग) निर्यात में वृद्धि करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) 1967-68, 1968-69 तथा 1969-70 के दौरान भारत में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन क्रमशः 64,468, 71,05। तथा 1,953 मे० टन हुआ। इस समय भारत कच्चे रबड़ का निर्यात नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

यूरोपीय आर्थिक समुदायों के साथ व्यापार करार

529. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने यूरोपीय आर्थिक सामुदायों के साथ कोई व्यापार समझौता करना चाहा था और इस बारे में ब्रुसेल्स में शर्तों पर चर्चा हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या निर्णय लिया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). ब्रुसेल्स स्थित भारतीय राजदूत 2। सितम्बर, 1970 को यूरोपीय समुदाय आयोग के अध्यक्ष से मिले और उन्हें भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच वाणिज्यिक सहयोग करार के सम्बन्ध में एक स्मरण पत्र दिया।

स्मरणपत्र में समुदाय का ध्यान समुदाय के साथ भारत के व्यापार में चल रहे भारी असंतुलन की ओर आकृष्ट किया गया है और समुदाय के साथ भारत की व्यापार समस्याओं को एक वाणिज्यिक सहयोग करार के ढांचे के अन्तर्गत सुलझाने की आवश्यकता पर बल दिया गया है अध्यक्ष को स्मरणपत्र के साथ ऐसे एक करार की रूप रेखा भी दे दी गई है। वाणिज्यिक सहयोग करार से सम्बन्धित भारतीय प्रस्ताव यूरोपीय आर्थिक समुदाय अधिकारियों के विचाराधीन है।

राजस्थान में पुलिस द्वारा पाकिस्तानी जासूसों के गिरोह का खत्म किया जाना

530. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर में पुलिस द्वारा राजस्थान (जयपुर) में पाकिस्तानी जासूसों के एक गिरोह को खत्म किया गया था ;

(ख) क्या कुछ हथियार तथा गोला बारूद भी पकड़ा गया था ; और

(ग) क्या इस बारे में कोई जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और दोषियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग). पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध

जासूसी गतिविधियों के लिये राजस्थान पुलिस द्वारा तीन भारतीयों को गिरफ्तार किया गया है और विशेष पुलिस थाना, जयपुर में राजकीय रहस्य अधिनियम, 1923 की धारा 319 के अधीन उनके विरुद्ध एक मामला दर्ज किया गया है। मामले की छान-बीन की जा रही है अतः इस व्यवस्था में और ब्यौरे देना बांछनीय नहीं होगा।

पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के लिए सीमा आयोग

531. **श्री वे० कु० दासचौधरी :**
श्री हेमराज :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के दावों और प्रतिदावों को तय करने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो लिए गये ब्यौरेवार निर्णय क्या है ;

(ग) क्या आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो वह कब तक प्रस्तुत किया जायेगा ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). आयोग की स्थापना नहीं की गई है क्योंकि उसके विचारार्थ विषय को सम्बन्धित सरकारों से परामर्श करके अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठता।

Prosecution of Central Government Employees for Participation in the 19th September, 1968 Strike

532. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether cases are still pending in the courts against a number of Central Government Employees and their leaders who had taken part in the strike of 19th September, 1968 ;

(b) if so, the number of such persons, state wise ;

(c) whether the State Governments cannot withdraw any of these cases without the consent of the Central Government ;

(d) if so, whether any State Government have sought the permission of the Central Government to withdraw such cases ;

(e) the names of those State Governments and the replies sent to them by the Central Government ; and

(f) whether the Central Government propose to advice the State Governments to withdraw these cases in view of the changed political situation and if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Yes, Sir.

(b) According to information so far made available by the State Governments and Union Territory Administrations, the number of such persons State-wise, is as given in the attached statement.

(c) to (f). Under Section 494 of the Code of Criminal Procedure, the power of withdrawal from the prosecution, with the consent of the Court, is vested in the Public Prosecutor. The policy of the Central Government is to allow the law to take its own course, and not to interfere with the normal course of justice. All the State Governments and Union Territory Administrations have been advised to have the pending prosecution cases scrutinised with a view to terminating the legal proceedings according to law, in cases where there is not sufficient evidence. Apart from this, there is no proposal to withdraw the prosecution cases.

Statement showing the number of Central Government employees against whom cases are pending in courts for participation in the strike of September, 1968

	Name of State/Union Territory Administration	No. of employees
1.	Andhra Pradesh	23
2.	Haryana	66
3.	Mysore	148
4.	Maharashtra	1
5.	Orissa	14
6.	Uttar Pradesh	18
7.	Chandigarh	1
8.	Delhi	1040

Note : Information is being awaited from the State of Kerala, West Bengal, Assam, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan, and will be placed on the table of the House as soon as received. In respect of the other States and Union Territory Administrations, no cases are pending.

Demand for Additional Amount by Bihar Government for Kosi and Gandak Projects

533. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether a request for additional amount of Rs. 17 crores was made to the Prime Minister for Kosi and Gandak Project by the Chief Minister of Bihar at the time of the Chief Ministers' Conference in Delbi ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). No such request appears to have been made to the Prime Minister at the Conference of Chief Ministers in September this year. The Chief Minister had, however, in August made a request for an additional allocation of Rs. 4 crores outside the State Plan Ceilling for the Gandak Project. He has been advised that such additional assistance will not be possible and that the works on the Canals may be suitably phased.

Assurance given by Minister Regarding Action Against Delhi Police

534. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether she is aware that the then Minister of State in the Ministry of Home Affairs had given an assurance in the House during the last Budget Session of Lok Sabha that a solution to the satisfaction of the Members of Parliament will be found in regard to the action being taken against the Delhi Police ;

(b) whether Government have taken any action in this regard ;

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons for delay ; and

(d) the time by which Government hope to find a solution to it as per their assurance ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). The matter is still under consideration of Government and a decision will be taken as soon as possible.

गुजरात में संकटग्रस्त कपड़ा मिलों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

535. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से राष्ट्रीय और राज्य सूती कपड़ा निगमों की सिफारिश के अनुसार राज्य के संकटग्रस्त मिलों को तुरन्त अपने हाथ में लेने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कोई कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). गुजरात सरकार से ऐसी प्रस्थापना तो प्राप्त नहीं हुई है जिसमें यह आग्रह किया गया हो कि उस राज्य की कमजोर कपड़ा मिलों को केन्द्रीय सरकार तुरन्त अपने हाथ में लेले। तथापि, राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने हाल ही में गुजरात की तीन सूती कपड़ा मिलों के प्रबंध को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने की सिफारिश की थी, इनमें से दो मिलों के प्रबन्ध को उपरोक्त अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया गया है और तीसरी मिल के बारे में विचार किया जा रहा है।

राज्यों को स्वायत्तता देने के बारे में मद्रास में हुआ सम्मेलन

536. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री नारायणन :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का ध्यान 14 सितम्बर, 1970 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह कहा गया है कि राज्य स्वायत्तता पर हुए द्राविड मुनेत्र कषगम के सम्मेलन में यह मांग की गई थी कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता दी जाये और केन्द्र में संयुक्त शासन लागू किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा गया है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रति-क्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित प्रश्नों का प्रशासनिक सुधार आयोग और उसके द्वारा नियुक्त अध्ययन दल द्वारा गहन अध्ययन किया गया है । प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्पष्टरूप से सिफारिश की है कि "केन्द्र और रांज्यों के बीच उचित तथा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को सुनिश्चित करने हेतु किसी संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केन्द्र-राज्य सम्बन्धों का नियंत्रण करने वाले संविधान के परन्तुक किसी भी स्थिति का मुकाबला करने अथवा किसी ऐसी समस्या को हल करने हेतु पर्याप्त हैं, जो इस क्षेत्र में उठ खड़ी हो।" केन्द्र राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की परीक्षा की जा रही है ।

राज्यों में अलग-अलग झंडे रखने के सम्बन्ध में विचार

537: **श्री रा० कृ० बिडला** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपने-अपने राज्यों में अलग-अलग झंड़े रखने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों से उन के विचार मांगे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य सरकार के इस सम्बन्ध में विचार क्या हैं ; और

(ग) यदि सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय लिया है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

बाढ़ नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली की सिफारिशें

538. **श्री सी० के० चक्रपाणि** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अगस्त, 1968 को नई दिल्ली में हुई अपनी बैठक में बाढ़ के नियन्त्रण बोर्ड ने बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को धन देने के ढांचे को बदलने तथा समुद्री कटाव विरोधी कार्यों के लिए शत प्रतिशत अनुदान देने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो इस सिफारिश पर क्या निर्णय लिया गया ; और

(ग) सिफारिश के अनुसार जिन राज्यों को सहायता दी गई उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). 16 सितम्बर, 1968 को नई दिल्ली में हुई केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की 14वीं बैठक में बाढ़

नियन्त्रण, निकास तथा समुद्र-कटावसेधी कार्यों की वित्त-व्यवस्था की पद्धति में संशोधन की सिफारिश की गई थी। केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड की सिफारिश पर योजना के साथ सलाह करके विचार किया गया था परन्तु इस सिफारिश को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया था क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद् ने पहले से ही यह फैसला किया था कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना-वधि में राज्यों को केन्द्रीय सहायता को पद्धति ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में होगी और यह किसी विशेष विकास शीर्ष के साथ नहीं जोड़ी जायेगी।

मध्य प्रदेश में सती प्रथा प्रचलन

53०. **श्री हुचे गौडा :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के कोसीर गांव के कुछ भागों में 'सती' प्रथा अभी तक प्रचलित है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रथा को समाप्त करने के लिए सरकार ने समझाने-बुझाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी नहीं, श्रीमान्, किन्तु कोसीर ग्राम में एक बिरल घटना हुई थी जिसमें एक महिला भावात्मक असन्तुलन के परिणामस्वरूप सती हो गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा किया गया निर्यात तथा आयात

540. **श्री एस० आर० दामानी : क्या वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1970 तक खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने किन-किन मुख्य वस्तुओं का आयात-निर्यात किया तथा निर्धारित लक्ष्यों तथा खरीदारी से किये गये वायदे की तुलना में यह कितना है ; और

(ख) जिन वस्तुओं के निर्यात में कमी हुई है उनका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न किये गये हैं?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किये गये हैं। फिर भी, अप्रैल-सितम्बर, 1970 के पूर्वाध में खनिज तथा धातु व्यापार निगम का निर्यात तथा आयात निष्पादन स्तर गत वर्ष की उसी अवधि के निर्यात-आयात की तुलना में काफी ऊंचा रहा है और आशा है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम 1९70-71 के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा की गई वचनवद्धताओं को पूरा कर सकेगा।

केरल में नये विभिन्न संगठन

541. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि कई नये मुस्लिम संगठनों अर्थात—दि केरल

इस्लाम एण्ड मर्डम ऐज सोसाइटी ; एण्टी मार्डन ऐज कान्फ्रेंस; दि थिकर्स एसोसियेशन; मुस्लिम डिफेंस आर्गेनाइजेशन तथा इस्लाम इण्टरनेशनल की केरल में हाल ही में स्थापना की गई है, और इनकी सदस्य-संख्या भी काफी है ;

(ख) क्या एम० डी० ओ० (मुस्लिम डिफेंस आर्गेनाइजेशन) और आई० आई० (इस्लाम इण्टरनेशनल) उग्रवादी संगठन हैं जिन्होंने चीन तथा पाकिस्तान से प्राप्त बन्दूकों और गोला बारूद से अपने सदस्यों को सैनिक प्रशिक्षण देना प्रारम्भ कर दिया है ;

(ग) क्या केरल की पुलिस ने इन नयी सांम्प्रदायिक संस्थाओं द्वारा विशेषतया माला-पुरम जिले में की जा रही अराष्ट्रीय गति-विधियों की जांच करना बन्द कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इन नये उग्रवादी मुस्लिम संगठनों की वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं ।

पाकिस्तान के मौलवियों द्वारा हरयाणा के जिलों में गुप्त बैठकें

542. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई पाकिस्तानी मौलवी हाल ही में हरयाणा के गुड़गांव, करनाल तथा अम्बाला जिलों में गुप्त बैठक करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में गिरफ्तारियां न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ; और यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). गुड़गांव जिले में कुछ पाकिस्तानी मौलवी वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ पाकिस्तानी समर्थन प्रचार करते हुए ध्यान में आये थे । किन्तु उनके विरुद्ध कोई हस्तक्षेप्य अपराध नहीं बना ।

(ग) सीमा पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ को रोकने के लिए लगातार निगरानी रखी जाती है । नियमित तथा कड़ी गस्त लगाई जा रही है ।

Foreign Tours by Foreign Trade Minister

544. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether he toured certain foreign countries during the last three months and, if so, the main purposes of his tours and also the names of the countries visited by him ; and

(b) the names of the countries with which negotiations were held keeping in view the interest of the Indian Trade during the aforesaid tours and the results thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Chowdhary Ram Sewak) : (a) and (b). Yes, Sir. Minister visited Yugoslavia for participating in the Tripartite

Ministerial meeting between the Ministers of Yugoslavia, U. A. R., and India held at Bled. A copy of the Joint Communique issue after the Tripartite Ministers' meeting and a copy of the Declaration of Bled is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—4238/70]. These indicate the framework and the directions for the growth of mutual economic co-operation between India, UAR and Yugoslavia.

Draft Fourth Plan For Madhya Pradesh

545. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have received the draft of the Fourth Five Year Plan from the Madhya Pradesh Government ;

(b) if so, the date of its receipt and the reasons for the delay ; and

(c) the precise details of that plan ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) Yes, Sir.

(b) The draft Fourth Five Year Plan of Madhya Pradesh (1969-74) was received in the Planning Commission on October 19, 1968. There was no delay in its receipt in the Planning Commission.

(c) The details of outlays in draft Plan and approved Plan are given in the enclosed statement.

STATEMENT

Forth Five Year Plan 1969-74

Statement showing the sectorwise outlays

(Rs. in crores)

S. No.	Head of Development	Outlay as in the Draft Fouth Plan submitted by the State Government	Outlay is approved by the Planning Commission.
1	2	3	4
1.	Agricultural Programmes.	129.44	81.50
2.	Cooperation and Community Development.	22.71	20.75
3.	Irrigation and Flood Control.	120.50	83.56
4.	Power	95.00	77.00
5.	Industry and Mining.	24.35	11.69
6.	Transport and Communications.	38.25	28.70
7.	Social Services.	114.80	78.60
8.	Miscellanious	7.65	6.20
9.	Unallocated.	—	5.00
	GRAND TOTAL : —	552.70	393.00

Boundary Dispute between Nagaland and Assam

546. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the boundary dispute between Nagaland and Assam States has assumed serious proportions ; and

(b) if so, the details of the said dispute and the steps taken by the Central Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The Government of Nagaland have been claiming certain adjoining areas of Assam. Sometimes this has led to serious unpleasantness between the two states. I visited Assam and Nagaland on the 14th and 15th September 1970 and had discussions with the Ministers of both she States regarding this matter. Efforts are being made to resolve the dispute.

Water Supply Capacity of Chambal Canal at Gandhi Sagar Dam

547. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) the estimated water supply capacity of the Chambal Canal at Gandhi Sagar Dam as per the original plan ;

(b) the water supply capacity actually built up together with the reasons for which the capacity could not be built according to the original estimates ; and

(c) the water proposed to be released and the acres of land to be irrigated therefrom in Bhind and Morena districts during the current agriculture year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Chambal Right Main Canal receives water supplies from Kota Barrage and not directly from Gandhi Sagar Dam. The designed head discharge of this Canal is 6656 cusecs.

(b) The actual capacity of the Main Canal had decreased last year to about 3000 cusecs, owing to profuse weed growth, silting and some obstructions. Some remedial works were carried out and the present capacity is 5500 cusecs.

(c) 3000 cusecs is expected to be available for Bhind and Morena districts of Madhya Pradesh to serve 2 lakh acres including 30,000 acres of Mexican wheat.

Decision to have Separate Flag by Tamil Nadu Government

548. **Shri Yashwant Singh Kushwah** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether Tamilnadu Government has decided to have a separate flag ;

(b) whether the Central Government have considered this matter and have taken a decision in this regard in the light of the decision taken in the Chief Ministers' Conference, announced earlier ; and

(c) if so, the steps proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) to (c). The proposal received from the Government of Tamil Nadu is for a separate standard to be flown by the Chief Minister and other Ministers on their cars and residences and not for a separate flag. The matter was not discussed in the Chief Ministers' Conference but they have been addressed in the matter. Their views are awaited.

काफी हस्तांतरण प्रमाण पत्रों का निबटारा

549. **श्री लोबो प्रभु** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में काफी बोर्ड के काफी हस्तांतरण प्रमाण-पत्रों के निबटारे में प्रार्थना-पत्र प्राप्ति से लेकर अन्तिम आदेश दिये जाने तक कितना औसत समय लगता है ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे भी मामले हैं जिनमें इस पर तीन वर्ष से अधिक समय लिया गया है ;

(ग) काफी बोर्ड ने ऐसे विलम्ब कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(घ) काफी की बिक्री तथा बागान मालिकों को अदायगी के बीच कितना समय लगता है ; और इस विलम्ब को कम करने के लिए अथवा देय राशि के ब्याज की अदायगी के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ङ) काफी बोर्ड के पास सबसे पुरानी अदत्त राशि कितनी है और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). काफी अधिनियम, 1942 की धारा 14 के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त रजिस्ट्री अधिकारियों द्वारा काफी-बागान-मालिकों का पंजीकरण, जिसमें स्वामित्व परिवर्तन के मामलों में अन्तरण भी शामिल है, किया जाता है । रजिस्ट्री प्राधिकारियों द्वारा प्रार्थना-पत्रों के निपटान के लिए लिया गया समय प्रत्येक मामले में अलग-अलग होता है जो हर एक मामले में अपेक्षित जानकारी के स्वरूप पर निर्भर करता है ।

(घ) तथा (ङ). काफी देने पर की गई प्रारम्भिक अदायगी बड़े बागान-मालिकों के मामलों में काफी के मूल्य की लगभग 66% तथा छोटे बागान-मालिकों के मामलों में लगभग 75% होती है । शेष राशि की अदायगी बाद में 3 या 4 किश्तों में की जाती है । सभी बागान-मालिकों को अन्तिम राशि की अदायगी फसल के अधिकांश भाग के बिक जाने पर की जाती है । इसकी अदायगी सामान्यतः फसल के प्रारम्भ होने के बाद 15 मास के अन्दर कर दी जाती है। क्योंकि पूरा भुगतान सम्पूर्ण फसल के बिकने से पहले ही कर दिया जाता है, अतः भुगतान में देरी का प्रश्न नहीं उठता ।

काजू के आयात में कमी

551. क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 अक्तूबर, 1970 के 'इक्नौमिक टाइम्स' के इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि काजू का भंडार समाप्त होता जा रहा है, और यदि हां, तो ऐसी क्या कार्यवाही की गई है जिस से अक्तूबर के अन्त तक काजू की नई खेप यहां पहुंच जाए ;

(ख) वर्तमान भंडार के दिसम्बर में समाप्त हो जाने के पश्चात इस कार्य में लगे श्रमिकों को बारोजगार बनाये रखने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) क्या किस्म के स्तर को कुछ गिराने और उसी के अनुरूप मूल्यों में कमी करने का

कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो तान्जानिया काफी के साथ पहले समझौते को जारी न रखने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) और (ख). जी, हाँ । कच्ची काजू गिरी का भंडार प्राय: अक्तूबर/नवम्बर, तक चलता है । कारखाने साधारणतः एक या दो मास के लिए बन्द रहते हैं जब तक कि आयातित काजू गिरी की नई खेप न पहुंच जाए । भारतीय काजू निगम, साधित करने वाले एककों को सप्लाई करने हेतु कच्ची काजू गिरी के आयात की व्यवस्था कर रहा है ।

(ग) भारतीय काजू निगम तंजानिया के कृषि उत्पादन बोर्ड के साथ कच्ची काजू गिरी की खरीद के लिए बातचीत कर रहा है । तंजानिया के बोर्ड के साथ कोई करार नहीं था जिसको अब समाप्त किया गया हो ।

Increase in the Activities of Muslim League after Partition

552. **Shri Ram Gopal Shalwale : Shri Shiva Chandra Jha : Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether recently there has been an alround increase in the activities of the Muslim League after the partition of India ; and

(b) the names of the States where Muslim League has become active and the detail of its activities ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) Government are aware that the Indian Muslim League has organised new State units in the recent months and now has branches in Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Mysore, Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh and Bihar.

(b) In Kerala the Indian Union Muslim League has been organised by the Election Commission as a State party and is functioning as such. In Andhra Pradesh the League is not active and is reported to have only about three hundred members. Information regarding the activities of the League in other States is awaited from the State Governments concerned.

Stay Order by Supreme Court on Language Notification of Government of Punjab

553. **Shri Ram Gopal Shalwale :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Supreme Court has issued stay order on the language notification of the Government of Punjab ;

(b) whether the Government of Punjab has deprived the linguistic minorities of their constitutional rights ;

(c) whether the Central Government has taken any action to safeguard the rights of the linguistic minorities of Punjab ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha): (a) No, Sir.

(b) The Government of Punjab is of the view that there is no linguistic miniority in

Punjab which is a unilingual State with Punjabi in the Gurmukhi script as the official language ;

(c) and (d). Under article 350 B of the Constitution, the Commissioner for Linguistic Minorities is required to investigate all matters relating to the safeguards provided for linguistic minorities under the Constitution and to submit annual reports to the President. These reports are placed before Parliament and copies thereof are also sent to the State Governments. At the instance of the Commissioner for Linguistic Minorities, this matter was discussed at the last meeting of the Northern Zonal Council held at Srinagar on 4th October, 1969. The Government of Punjab has also been addressed in the matter.

विभिन्न राज्यों में निर्यात संभाव्यताओं का सर्वेक्षण

554. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय अथवा उसके किसी सम्बद्ध विभाग के देश के विभिन्न राज्यों की निर्यात संभाव्यता का बृहद् सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में भी इस प्रकार का सर्वेक्षण किया गया है । और

(घ) यदि हां, तो सर्वेक्षण के परिणाम क्या हैं और उड़ीसा राज्य से निर्यात के लिए कौन-कौन सी वस्तुओं का चयन किया गया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, उड़ीसा तथा तमिलनाडु की निर्यात क्षमताओं का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण किये हैं। बिहार तथा हरियाणा सम्बन्धी सर्वेक्षण इस समय चल रहे हैं ।

(ख) इसका मुख्य उद्देश्य राज्य की भौगोलिक सीमाओं में उन वस्तुओं का पता लगाना है जो राज्य के निर्यात प्रयत्न के संदर्भ में निर्यात हेतु उपलब्ध हो सकती हैं और सर्वेक्षण रिपोर्ट में निर्धारित निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक उपाय बताना है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि उड़ीसा राज्य के निर्यात को जिनका वर्तमान वार्षिक स्तर 17.4 करोड़ रुपये है, 1973-74 तक लगभग करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है । इसके अनुसार लौह अयस्क, फैरोको, फैरो सिलिकोन, इलेक्ट्रोलिटिक मैंगनीज और ऐसी खनिज तथा धातुकर्मक मदों के साथ-साथ कृषिगत वस्तुओं, अर्थात काजू तथा तेलरहित चावल की भूसी के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होने की सम्भावना है । अनुमान है कि समुद्री उत्पादों की निर्यात संभाव्यता भी काफी होगी । यह भी आशा है कि अपरम्परागत औद्योगिक उत्पाद, जैसे कि इस्पात के पाइप तथा ट्यूबों, तार, तथा केबलों, पुनःबेल्लित उत्पाद, ढले लोहे के उत्पादों और कागज तथा गत्ते की उल्लेखनीय निर्यात सम्भाव्यता है ।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के विषय में सम्मेलन

555. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री रवि राय :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उड़ीसा के ढकानाल जिले के गदाशील स्थान पर उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के संबंध में एक बैठक हुई ;

(ख) क्या इस बैठक में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री भी उपस्थित थे ;

(ग) क्या बैठक में केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था ; यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार कर लिया है और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसे सम्मिलित करने के लिए राजी हो गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना को क्रियान्वित करने में कितना धन व्यय होगा और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ।

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ). सम्मेलन में उड़ीसा में ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों की प्रगति में तेजी लाने के उपायों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ था । सम्मेलन के दौरान कार्यान्वयन करने के लिए ढेंकनल जिले और अष्टागढ़ उपमंडल में विभिन्न स्कीमों के संबंध में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था । ग्राम विद्युतीकरण के संबंध में ज्ञापन में केन्द्रीय सहायता के लिए प्रार्थना की गई थी । यह विचार किया गया था कि चतुर्थ योजना में 750 ग्रामों के विद्युतीकरण और 1500 सिंचाई पंपसैटों के ऊर्जन लक्ष्य को क्रमश: 4000 ग्रामों के विद्युतीकरण और 20,000 सिंचाई पंपसैटों के ऊर्जन तक बढ़ाना संभव होगा । इस त्वरित कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये का परिव्यय, जिसमें 6.05 करोड़ रुपये का वर्तमान योजना आवंटन भी सम्मिलित है, को आवश्यकता होगी । लगभग 14 करोड़ रुपये की कमी को ग्राम विद्युतीकरण निगम से और धन लगाने वाले अन्य संस्थानों की सहायता से पूरा किया जा सकता है । बृहत नदियों से उर्जित लिफ्ट सिंचाई के कार्यक्रम में तेजी लाने के हेतु उच्च वोल्टता के परिषण पथों के विस्तार को आवश्यक समझा गया था । उड़ीसा सरकार ने प्रार्थना की है कि चतुर्थ योजना के दौरान उच्च वोल्टता पारेषण स्कीमों के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए । उड़ीसा प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि आवर्द्धित लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करें । ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए अपेक्षित उच्च वोल्टता पारेषण पथों के संबंध में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के प्रस्ताव पर इन विस्तृत कार्यक्रमों के प्राप्त हो जाने पर विचार किया जाएगा ।

उड़ीसा के स्वर्ण रेखा बेसिन में बाढ़ नियंत्रन के लिए योजना

556. **श्री ब० प्र० सिंह देव** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा के स्वर्ण रेखा बेसिन में बाढ़ नियंत्रण के लिए एक योजना केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषतायें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना को स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना के क्रियान्वयन में अन्तर्ग्रस्त वित्तीय परिव्यय क्या है और इसके क्रियान्वयन में केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार की किस सीमा तक सहायता किए जाने का विचार है और इसको कार्यान्वित करने में कितना समय लगने की संभावना है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). उड़ीसा सरकार ने स्वर्ण रेखा के दोनों तटों पर तटबंधों के निर्माण के लिये जनवरी, 1970 में एक स्कीम प्रस्तुत की थी। इस स्कीम में बायें किनारे पर बंगाल-उड़ीसा सीमा से लेकर वर्तमान भोगराई तटबंध तक 29 मील लम्बे तटबंध और दायें तट पर बंगाल-उड़ीसा सीमा से ले कर वर्तमान जनकुंड तट बंध तक 30 मील लम्बे तटबंध का निर्माण परिकल्पित है। इस स्कीम पर 5.84 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रख कर और भोगराई क्षेत्र में समुद्र तक सीधी काटों और जल विकास की व्यवस्था को शामिल कर के इस स्कीम का संशोधन करना है। संशोधित स्कीम राज्य सरकार से प्रतीक्षित है।

(ग) राज्य सरकार से संशोधित स्कीम के प्राप्त होने के पश्चात् इस पर विचार किया जाएगा।

(घ) स्कीम की वास्तविक लागत का पता तब लगेगा जब संशोधित स्कीम की जांच पूरी हो जाएगी। बाढ़ नियंत्रण स्कीमों को राज्य योजना स्कीमों के एक अंग के रूप में हाथ में लिया जाता है। चौथी योजना से, राज्य योजना स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता ब्लाक अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है और उसे किसी विशेष स्कीम अथवा विकास शीर्ष के साथ नहीं जोड़ा जाता। राज्य सरकारों को विभिन्न स्कीमों और विकास सैक्टरों को अपेक्षाकृत आवश्यकता को देख कर उपलब्ध संशोधनों के आवंटन की स्वतन्त्रता है। राज्य सरकार ने राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिये अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया है।

Influx of Hippies from Nepal into India

557. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether the ban imposed by the Nepalese Covernment on the movement of Hippies lead to an influx of Hippies in thousands into India ;

(b) if so, the steps Government propose to take with a view to ensure that the atmosphere of the country is not spoiled by them ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant): (a) Government have no definite information to show that the Government of Nepal have imposed any restrictions on the movement of Hippies in that country. In any case, there has been no significant increase in the recent past in the number of Hippies coming to India from Nepal.

(b) and (c). Do not arise.

सिन्धु जल सम्बन्धी भारत पाकिस्तान संधि की समाप्ति पर अतिरिक्त जल का उपयोग

558. **श्री केदार नाथ सिंह :**

श्री दे० प्रभात :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्धु जल संबंधी भारत पाकिस्तान सन्धि की अवधि की समाप्ति के उपरान्त भारत को उपलब्ध अतिरिक्त जल को उपयोग में लाने के लिए वर्तमान योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) सरकार द्वारा सामयिक कार्यवाही न करने से कितना जल अप्रयुक्त जा रहा है और जल की पूरी तरह से उपयोग में लाना कब तक संभव होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). भारत इस समय तीनों पूर्वी नदियों (सतलुज, रावी और व्यास) के लगभग तीन-चौथाई पानी का समुपयोजन कर रहा है। यह भाखड़ा नांगल परियोजना, माधोपुर व्यास लिंक, हरिके हैडवर्क्स, सहिन्द फीडर और राजस्थान फीडर के निर्माण से संभव हुआ है। शेष पानी का पूर्णत: उपयोग व्यास पर पोंग संचय बांध, व्यास-सतलुज लिंक, राजस्थान नहर परियोजना और रावी पर थीन संचय बांध के पूरा होने के पश्चात् होगा।

भाखड़ा नांगल परियोजना के निर्माण से सतलुज नदी के सारे पानी का उपयोग पहले ही हो चुका है। रावी और व्यास के सारे पानी का उपयोग भी वर्ष के 9-10 महीनों के दौरान किया जा रहा है। केवल जुलाई से सितम्बर तक के मानसून महीनों के दौरान ही बाढ़ का पानी, जो इस समय हमारी आवश्यकताओं के अलावा होता है, प्रवाहित होकर नीचे चला जाता है। जब तक व्यास पर पोंग बांध और रावी पर थीन बांध बन नहीं जाते, यह स्थिति बनी ही रहेगी।

पूर्व समुपयोजन की योजनाएं बहुत देर से तैयार हैं। बहरहाल, वित्तीय साधनों की तंगी से प्रगति में कुछ हद तक बाधा आ गई है परन्तु इन परियोजनाओं को यथा शीघ्र पूरा करने के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

व्यास सतलुज लिंक पर कार्य और व्यास पर पोंग में संचय बांध और राजस्थान नहर परियोजना के चरण-एक पर कार्य प्रगति की प्रौढ़ावस्था में हैं। निम्नलिखित तारीखों तक इनके पूरा हो जाने की सम्भावना है :

1. पोंग बांध — जून, 1973 (बांध खास)
2. व्यास सतलुज लिंक — दिसम्बर, 1973 (पंदोह बांध और व्यपवर्तन कार्य)
3. राजस्थान नहर परियोजना 1973-74 (चरण-एक)

थीन बांध परियोजना भी इस समय विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश की वार्षिक आयोजना

559. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक आयोजना पर हाल ही में विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और स्वीकृत आयोजना में उस राज्य द्वारा प्रस्तुत आयोजना प्रारूप को किस सीमा तक स्वीकार किया गया है। काट-छांट की गई है। संशोधित किया गया है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

1971-72 के लिये वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना

560. **श्री केदार नाथ सिंह :**
श्री दे० अमात :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1971-72 के लिए वार्षिक योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा 1970-71 में क्या वास्तविक उपलब्धियां होने की सम्भावना है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी, नहीं। 1971-72 की वार्षिक योजना पर इस समय विचार-विमर्श किया जा रहा है। 1971-72 के केन्द्रीय तथा राज्य बजटों को प्रस्तुत करने से पूर्व 1971-72 के वार्षिक योजना प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जायेगा। अपेक्षित ब्यौरा दर्शाने वाले वार्षिक योजना दस्तावेज को इस के बाद प्रकाशित कर दिया जायेगा।

सितम्बर, 1970 में काश्मीर में पाकिसतानी एजेण्टों के एक दल का पता लगाया जाना

561. **श्री केदार नाथ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलिस ने इस वर्ष सितम्बर में काश्मीर में पाकिस्तानी एजेण्टों के एक बड़े दल का पता लगाया है जो पाकिस्तान को भेजने के लिए घाटी में असैनिक, राजनीतिक और प्रतिरक्षा मामलों से सम्बन्धित सूचना एकत्र कर रहा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री, गृह-कार्य मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) जम्मू व काश्मीर सरकार ने बताया है कि 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनपर मुकदमा चलाने तथा जांच के लिये प्रबन्ध किये जा रहे हैं ।

Central Government Employees Working in Offices and Public Undertakings in Bihar

562. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) whether a majority of the employees working in the offices and undertakings of the Central Government located in Bihar belong to the States other than Bihar ; and

(b) if so, the action being taken by Government to increase the percentage of the people of Bihar in these offices ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Ram Niwas Mirdha) : (a) No information is available regarding the proportion of people belonging to different States who are employed in Central Government Offices and Public Sector Undertakings in Bihar.

(b) Does not arise, as the Constitution prohibits discrimination in the matter of Public employment on the grounds of place of birth or residence.

News about a Bomb in the Plane during Prime Minister's Foreign Tour

563. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a news was received that a bomb was kept tn the plane during Prime Minister's recent foreign tour ;

(b) if so, the number of persons arrested in connection therewith ; and

(c) the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) An anonymous message was received about the presence of a bomb in the plane carrying the Prime Minister to Nairobi which on investigation was found to be baseless.

(b) and (c). Do not arise.

Insufficient Water from River Ravi for Rajasthan

564. **Shri Valmiki Choudhary** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether water in sufficient quantity is not available from River Ravi for Rajasthan ; and

(b) if so, the action being taken by Government to increase its water capacity ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Rajasthan has been receiving its due share of the waters from the rivers Ravi and Beas taken together depending upon the river flows which vary from time to time. Proposals for constructing a storage dam on Ravi are under consideration. On conservation of flood waters, the partner States including Rajasthan will have more water to share.

वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति द्वारा विद्युत की कमी के संबंध में चेतावनी

565. **डा० रानेन सेन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण समिति ने देश में बढ़ती हुए विद्युत की कमी के बारे में चेतावनी दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) छठे वार्षिक विद्युत सर्वेक्षण जो अभी हाल में समाप्त हुआ है, के मूल निर्णयों से, पता लगता है कि चतुर्थ योजना के दौरान लाभों को प्राप्त करने के लिए यदि कुछ अधिक उत्पादन स्कीमों को स्वीकृत और कार्यान्वित नहीं किया गया तो देश में विद्युत को उत्तरोत्तर कमी होती जायेगी ।

(ख) (1) चतुर्थ योजना के मसौदे में 220 लाख किलोवाट को प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के प्रति चतुर्थ योजना में 1973-74 के अन्त तक प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमता के लक्ष्य को 230 लाख किलोवाट तक बढा दिया है । प्रत्याशित विद्युत कमी को पूरा करने के हेतु नई स्कीमों को हाथ में लेने के लिए अतिरिक्त संसाधनों को ढूंढ़ने के लिए प्रयत्न किये जाते रहेंगे ।

(2) स्वीकृत स्कीमों को चालू करने की प्रगति में तेजी लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं ।

(3) नई स्कीमों के लिए अनुसंधान कार्य को हाथ में लेने के लिए अग्रिम कार्रवाई की जा रही है ताकि उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत/परियोजना रिपोर्टें कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत की जायें ।

(4) प्रतिष्ठापित उत्पादन क्षमताओं के पूर्ण समुपयोजन को सुनिश्चित करने के लिए और विद्युत प्रणालियों के बीच फालतू विद्युत के विनिमय के लिए अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय पारेषण पथों के निर्माण में तेजी लाने के लिए पहले से ही कार्यवाही की गई है ।

देश में बेरोजगारी की समस्या

566. **डा० रानेन सेन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगारी की समस्या को हल करने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए इस समय विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या चौथी योजना में बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की जा रही है ; और

(घ) इस योजना अवधि में बेरोजगारी को कम करने में ये उपाय कहां तक सहायक होंगे?

प्रधान मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (घ). सरकार शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तत्काल कदम उठा रही है। पृथक-पृथक विकास क्षेत्रों में जो विभिन्न कार्यक्रम चलाये जायेंगे उनका ब्यौरा चौथी पंचवर्षीय योजना 1969-74 दस्तावेज और वर्ष 1970-71 के बजट के साथ प्रस्तुत "सामाजिक न्याय के साथ विकास की ओर" शीर्षक ज्ञापन में दिया गया है। चौथी योजना में श्रम सघन स्कीमों जैसे सड़कें, लघु सिंचाई, भूमि संरक्षण, ग्रामीण बिजलीकरण, ग्रोमोद्योग तथा लघु उद्योग, आवास और शहरी विकास पर पर्याप्त बल दिया गया है। योजना आयोग ने सुझाव दिया है कि यह आवश्यक है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के अधीन जो कार्यक्रम केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघशासित क्षेत्रों के द्वारा चलाये जायेंगे उन्हें अधिक रोजगार उन्मुख किया जाय। मध्यम और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। स्टेट बैंक आफ इण्डिया, राष्ट्रीयकृत बैंकों और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जैसे अन्य संस्थानों से तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को तकनीकी एवं प्रबन्ध सम्बन्धी जानकारी देने तथा आवश्यक ऋण देने की एक स्कीम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे वे उद्यमियों के रूप में आगे आ सकें। कार्यकुशलता तथा मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए समुचित श्रम सघन टेकनालौजी अपनाने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। लघु उद्योगों द्वारा निर्मित सामग्री की बिक्री की समस्या की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

2. जून, 1970 में सभी राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें छोटे किसान अभिकरण और ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम (चिरकाल से सूखे से प्रभावित क्षेत्रों की स्कीमों सहित) जैसी विभिन्न स्कीमों के बारे में राज्य सरकारों / संघशासित क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श किया गया ताकि इन स्कीमों के कार्यान्वयन के बारे में उनके विचारों व उनकी कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त की जा सके। ग्रामीण विकास और रोजगार में समन्वय के लिए एक केन्द्रीय समिति गठित की गई है ताकि ग्रामीण विकास और रोजगार सम्बन्धी स्कीमों में आवश्यक समन्वय सुनिश्चित किया जा सके। राज्य स्तर पर किए जाने वाले प्रयत्न को समन्वित करने के लिए राज्यों में रोजगार सैल स्थापित करने के सुझाव की जांच की जा रही है।

3. विश्वविद्यालयों तथा स्कूलों में पेशे के सम्बन्ध में सलाह देने तथा व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्य को सुदृढ़ करने और जहां इस समय ये सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं वहां इनका सूत्रपात करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का प्रस्ताव भी है। इसके साथ-साथ व्यक्तियों को खासकर इन्जीनियरों व शिल्पियों को अपना काम शुरू करने और रोजगार के बारे में अच्छी तरह सुसज्जित करने के लिए उद्योग में प्रशिक्षण देने के कार्यक्रम और विद्यमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अभिनवीकरण के कार्यक्रमों को भी शुरू किया गया है।

4. ग्रामीण रोजगार के आकार, प्रकार और प्रणाली की ठीक प्रकार से जानकारी हासिल

करने के लिए मार्गदर्शी स्कीमों को शुरू करने की संभाव्यता का पता लगाने तथा उसके बाद ऐसे समुचित रोजगार के अवसर उपलब्ध करने जिनसे विकास कार्यों और परिसम्पतियों का निर्माण हो सके, पर विचार किया जा रहा है।

रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया करने की एक विशेष स्कीम भी विचाराधीन है।

6. इस प्रकार ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार हर सम्भव प्रयत्न कर रही है। फिर भी, जो विभिन्न उपाय अपनाये जा रहे हैं उनके परिणामस्वरूप कितने रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे उनको विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में ठीक प्रकार से निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता।

पश्चिमी बंगाल में देहातों में बिजली लगाया जाना

567. **डा० रानेन सेन :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड ने देहातों में बिजली लगाने के संबंध में केन्द्रीय सरकार को कई योजनायें भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने कितनी योजनायें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) स्वीकृत योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम को 8 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें प्रस्तुत की गई थी जिनमें से 5 स्वीकृत हो चुकी हैं।

(ग) 5 स्वीकृत स्कीमों का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(1) मिदनापुर जिले में 96.14 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 362 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 1045 सिंचाई पंपसेटों/नलकूपों का ऊर्जन ;

(2) 24 परगना जिले में 54.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 390 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 1264 सिंचाई पंपसैटों/नलकूपों का ऊर्जन ;

(3) हुगली जिले में 81.43 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 350 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 1200 सिंचाई पंपसैटों/नलकूपों का ऊर्जन ;

(4) वीरभूम जिले में 38.33 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 150 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 700 सिंचाई पंपसैटों/नलकूलों का ऊर्जन ;

(5) वांकुरा जिले में 43.55 लाख रुपये को अनुमानित लागत पर 120 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 900 सिंचाई पंपसैटों/नलकूपों का ऊर्जन।

ब्यास बांध परियोजना की लागत

568. **डा० रानेन सेन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्यास परियोजना की लागत बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ ।

(ख) बांध की अधिक गहरी नींवो, अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्र में वृद्धि और मई, 1959 से भूमि की दरों में वृद्धि, व्यपवर्तन सुरंगों की संख्या में 1 से 5 तक वृद्धि, विद्युत संयंत्र का प्रबन्ध जिसे मूल परियोजना में शामिल नहीं किया गया था, सामग्री तथा श्रम की लागत में वृद्धि तथा अवमूल्यन के कारण भी परियोजना की लागत अधिक हो गई है ।

Ex-Criminals out of Naxalites in West Bengal

569. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state :

(a) the estimated number of Naxalites in West Bengal at present according to the information available with Government ;

(b) thr details thereof and the number of ex-criminals out of them ; and

(c) the number of murders committed by them during the last two years and the number of persons arrested so far in this connection ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, and Minister of State, Departments of Electronics and Scientific and Industrial Research (Shri K. C. Pant) : (a) to (c). Upto date information is being obtained from the State Government.

Amount Sanctioned by Planning Commission for Madhya Pradesh for 1971-72

570. **Shri Ram Singh Ayarwal :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Prime Minister be pleased to state :

(a) the total amount sanctioned by the Planning Commission for the Annual Plan (1971-72) of Madhya Pradesh ;

(b) the heads under which the said amount is proposed to be spent as per directions of the Planning Commission ; and

(c) the total number of small scale and large scale industries for the development of which the amount would be utilised ?

The Prime Minister, Minister of Atomic Energy, Minister of Home Affairs and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Annual Plan for 1971-72 of Madhya Pradesh has not yet been finalised.

(b) and (c). Do not arise.

राज्य व्यापार निगम द्वारा चमड़े का निर्यात

571. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चमड़े का निर्यात केवल राज्य व्यापार निगम द्वारा ही किये जाने पर विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). देश के निर्यात व्यापार में राज्य व्यापार अधिकरणों के कार्यों का क्रमिक विस्तार करना सरकार की नीति रही है। पूर्णतः तथा अंशतः चमड़े के बने जूतों का निर्यात राज्य व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत कर दिया गया है।

चमड़े के निर्यात में कदाचार

572. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या वैदेशिक-व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भारत से प्रति वर्ष कुल कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के चमड़े का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या चमड़े के निर्यातकों के विरुद्ध मूल्य के अधिक कीमत का बीजक बनाने, मूल्य से कम कीमत का बीजक बनाने, विदेशी मुद्रा का दुरुपयोग करने तथा अन्य भ्रष्टाचार की शिकायतें की गई हैं ;

(ग) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने ऐसे किसी मामले की जांच की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क)

वर्ष	मात्रा (लाख कि० ग्रा०)	मूल्य (लाख रुपये)
1967-68	228	5322
1968-69	335	7200
1969-70	336	8053

(ख) से (घ). वर्ष 1966-67 में निर्यात संवर्धन योजना के अन्तर्गत आयातित खालों तथा चमड़ियों के मूल्य अधिक कीमत के बीजक बनाने से संबन्धित चार मामले विशेष पुलिस संस्थान (मद्रास शाखा) द्वारा दर्ज किये गए थे। ये मामले निम्नलिखित हैं :

1. श्री एन० ए० अब्दुल बहब तथा अन्य 16 के विरुद्ध आर० सी० 11/66 ई० ओ० डब्ल्यू० मद्रास।
2. श्री बी० पी० पटेल तथा अन्य 5 के विरुद्ध आर० सी० 13/66-ई० ओ० डब्ल्यू० मद्रास।

3. श्री संत प्रकाश साहनी तथा अन्य 6 के विरुद्ध आर० सी० 1/67-ई० ओ० डब्ल्यू० मद्रास ; और

4. मैसर्स हिमालयन एक्सपोर्टर्स के विरुद्ध आर० सी० 6/67-ई० ओ० डब्ल्यू० मद्रास।

पहला मामला न्यायालय द्वारा बरखास्त कर दिया गया है। अन्य तीन मामले न्यायालय में हैं।

(ङ) आयातों के मूल्य से अधिक कीमत के तथा निर्यातों के मूल्य से कम कीमत के बीजक बनाने की समस्या पर विचार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल की इस कदाचार को दूर करने सम्बन्धी सिफारिशें जल्दी ही प्राप्त होने की आशा है।

अंदमान और निकोबार द्वीपसमूहों के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों को विशेष भत्ते की अदायगी

573. **श्री जार्ज फरनांडीज** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर के अराजपत्रित सरकारी कर्मचारियों के संघ द्वारा 17 मई, 1970 को विशेष भत्ते की अदायगी के संबंध में कोई ज्ञापन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भत्ता के स्थान। स्थायी निवास स्थान का ध्यान किए बिना सभी को विशेष भत्ता देने से सम्बन्धित मांग को तीसरे वेतन आयोग को विचारार्थ भेज दिया गया है। अन्य कुछ छोटी मांगों पर भी विचार किया जा रहा है।

भाखड़ा जलाशय में वर्षा का पानी का आना

574. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा जलाशय में गत वर्ष की अपेक्षा वर्षा का पानी 40 प्रतिशत कम आया है ;

(ख) क्या गत वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष केवल 70 प्रतिशत जल ही सिंचाई कार्यों के लिए दिया जायेगा ;

(ग) क्या इससे पंजाब में सर्दी के मौसम में भारी संकट पैदा हो जायेगा ;

(घ) क्या पानी की मात्रा में की जा रही 20 से 25 प्रतिशत तक की कटौती 10 दिसम्बर, 1970 तक चलेगी ; और

(ङ) क्या 10 दिसम्बर, 1970 के बाद अनिवार्य रूप से अधिक कटौती करनी पड़ेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ). क्षीणता अवधि के दौरान भाखड़ा जलाशय से सिंचाई के लिए जल की सप्लाई, जलाशय में मानसून अवधि के अन्त तक जमा जल तथा अक्तूबर से अगली मई तक प्रत्याशित अन्तः प्रवाह के आधार पर की जाती है । इस वर्ष क्षीणता अवधि के दौरान औसतन 74 प्रतिशत जल दिया जा रहा है । दिया जाना प्रस्तावित है । जलाशय में कम पानी पड़ने से बिजली उत्पादन पर भी प्रभाव होगा । इस समय भाखड़ा प्रणाली में 13.2 एम० यू० से 13.6 एम० यू० प्रतिदिन तक बिजली उत्पन्न होती है और भागीदार राज्यों के भागों में इसी के अनुसार समंजन किया जाता है । इसके परिणामस्वरूप पंजाब राज्य में विद्युत खपत को लगभग 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कम करना पड़ा है । यह सुनिश्चित करने के लिए स्थिति पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है कि अगली मई तक की क्षीण प्रवाह अवधि में बिजली शक्यता का अत्युत्तम उपयोग किया जा सके ।

पश्चिमी बंगाल में पुलिस पर आक्रमण

575. **श्री श्रीचंद गोयल :**

श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की एक नई बात यह है कि पुलिस पर आक्रमण की घटनाएं बढ़ गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति से निबटने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) जी हां, श्रीमन् ।

(ख) राज्य सरकार ने पुलिस कर्मचारियों पर आक्रमणों का सामना करने के लिए प्रशासनिक प्रबंधों को पर्याप्तरूप से सशक्त करने के कदम उठाये हैं । सभी स्तरों पर संचालन के अच्छे समन्वय के लिए सतर्कता संगठन को भी सरल तथा कारगर बनाया जा रहा है । पुलिस कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा तथा कल्याण सुविधायें प्रदान करने के लिए किए गए अन्य उपायों में कारगर पत्राचार तथा यातायात की सुविधाओं की व्यवस्था, सामूहिक आवास योजनाएं प्रभावित परिवारों को पर्याप्त क्षतिपर्ति की स्वीकृति आदि सम्मिलित हैं ।

क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों की स्थापना

577. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को स्थापित करने में अब तक हुई प्रगति अधिक संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को तेजी से स्थापित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). एक अखिल भारतीय विद्युत ग्रिड बनाने के आखिरी उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय और अन्तर्क्षेत्रीय लाइनों की प्रगति में तेजी लाने के लिए यह निर्णय किया गया है कि इन लाइनों के लिए चौथी योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में धन की व्यवस्था की जाए। योजना में व्यवस्थित परिव्ययों के भीतर और वर्तमान वित्तीय तंगियों को ध्यान में रखते हुए, अन्तर्राज्यीय और अन्तः क्षेत्रीय लाइनों के निर्माण की प्रगति संतोषजनक रही है। 1969-70 में स्वीकृत 3 करोड़ रुपये की सारी राशि विभिन्न राज्य सरकारों में व्यय सम्बन्धी उनके अनुमान के आधार पर अन्तर्राज्यीय और अन्तः क्षेत्रीय लाइनों के निर्माण के लिए वितरित कर दी गई। 1970-71 के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Irrigation Projects with Foreign Collaboration

578. **Shri Sarjoo Pandey** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the names of the States in the country in which irrigation projects are working or are under construction with foreign collaboration ?

(b) whether there is any such project in U. P. also ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) and (b). Financial assistance from the World Bank/International Development Association has been obtained for the following irrigation projects :—

Name of the State	Name of the Project
1. Bihar	Sone Project
2. Gujarat	(a) Shetrunji Project (b) Mahi Stage II (Kadana) Project
3. Maharashtra	Purna Project
4. Orissa	Salandi Project
5. Punjab/Haryana/Rajasthan	Beas Unit I
6. Uttar Pradesh	Tubewell Irrigation Project (this project is under the Ministry of Food and Agriculture).

(c) Does not arise.

फिलपाईन का व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल

580. **श्री ज० अहमद** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1970 के दूसरे सप्ताह में फिलपाईन के एक व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने भारत का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या फिलपाईन को भारतीय वस्तुएं निर्यात करने के सम्बन्ध में कोई बातचीत की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) से (ग). जी नहीं, फिलपाईन के राष्ट्रपति के कार्यकारी सचिव, माननीय श्री एलिजैन्द्रो मैल्कोर अपनी पत्नी तथा एक दल के साथ, जिसमें अन्य के साथ चार सरकारी सहायक शामिल थे, विदेशी व्यापार मंत्री के निमंत्रण पर 23 अक्तूबर, से 26 अक्तूबर, 1970 तक लिए भारत आये थे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाने की दृष्टि से सद्भाव सह अध्ययन यात्रा के रूप में थी। माननीय श्री मैल्कोर ने भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ विचार विमर्श किया तथा दिल्ली, भाखड़ा नांगल, मद्रास व बंगलौर के महत्वपूर्ण औद्योगिक एककों तथा आर्थिक परियोजनाओं को देखा। आर्थिक क्षेत्र में भारत द्वारा की गई प्रगति से फिलपाईन दल पर अच्छा प्रभाव पड़ा और उसने रेलवे, सिंचाई तथा ग्रामीण विद्युतीकरण तथा दूरसंचार संबंधी विशेष परियोजनाओं के क्षेत्र में फिलपाईन के आर्थिक विकास के लिये भारत से सहायता प्राप्त करने की सम्भावना का पता लगाया।

थोरियम से यूरेनियम-233 का अलग किया जाना

581. **श्री समर गुह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के अणु वैज्ञानिक द्वारा थोरियम से यूरेनियम-233 आइसोटोप को अलग कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यू-233 को अलग किये जाने में प्राप्त सफलता केवल प्रयोगशाला परीक्षण तक ही सीमित है अथवा यूरेनियम के इस आइसोटोप को बड़े पैमाने पर अलग किए जाने का तकनीकी ज्ञान भी प्राप्त कर लिया गया है ;

(ग) क्या यू-233 के बड़े पैमाने पर उत्पादन सम्बन्धी परियोजना चालू की जा चुकी है ;

(घ) क्या यू-233 को अलग करने में हुई सफलता से ब्रीडर रिएक्टरों को स्थापित करने तथा कम मूल पर आणविक शस्त्रों के उत्पादन करने में सुविधा होगी ; और

(ङ) क्या उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने उक्त कार्य में सफलता प्राप्त की है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) यूरेनियम-233 का उत्पादन प्रायोगिक मात्रा में ही किया गया है तथा इसका उत्पादन बढ़ाना किरणीयित थोरियम की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(ग) बड़े आकार के संयन्त्र का डिजायन तैयार किया जा रहा है।

(घ) केन्द्र यूरेनियम-233 उत्पादन करने वाले रिएक्टर के बारे में रसायनविज्ञान सम्बन्ध कार्य किया जा रहा है। जब तक इस तकनीक का पूरी तरह विकास नहीं हो जाता, यूरेनियम-233 की लागत का अनुमान लगाना व्यर्थ है।

(ङ) वैज्ञानिकों को उक्त क[illegible] के लिये राष्ट्रीय पुरस्कार देने के प्रश्न पर राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिये निर्धारित मानको के अनुसार विचार किया जायेगा।

दामोदर घाटी निगम की सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित किया जाना

582. **श्री पी० विश्वम्भर** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम की कौन-कौन सी सेवाओं को अत्यावश्यक सेवायें घोषित किया है ; तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यह घोषणा कब तक लागू रहेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). डी० वी० सी० कर्मचारी संघ और डी० वी० सी० स्टाफ ऐसोसिएशन ने 25 सितम्बर, 1970 की प्रातः से हड़ताल कर देने के अपने विचार का नोटिस दिया। भारत सरकार ने 23 सितम्बर 1970 को अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 की धारा 2 के अधीन एक अधिसूचना जारी की जिसमें डी० बी० सी० द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन, संचय, पारेषण और सप्लाई से सम्बन्धित सेवाओं को अनिवार्य घोषित किया गया क्योंकि इन सेवाओं में हड़ताल से समाज को कष्ट उठाने पड़ेगे। जैसा कि अधिनियम की धारा 2 में उल्लिखित हैं ; संसद के दोनों सदनों के समक्ष अधिसूचना के रखे जाने की तारीख से 40 दिनों के समाप्त हो जाने के बाद इस अधिसूचना का लागू होना बन्द हो जायेगा, यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदन इस अधिसूचना के जारी करने के कार्य को स्वीकृत करने के लिये प्रस्ताव पास नहीं कर देते। यह अधिसूचना 9-11-1970 को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रख दी गई है।

असम की मिजो पहाड़ियों में फुलदंगशे स्थान पर सुरक्षा दलों द्वारा मारे गए नागरिक

5[illegible]3. **श्री पी० विश्वम्भरन** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में मिजो पहाड़ी जिले के मुख्यालय ऐन्जल के 25 मील उत्तर पूर्व में फलुदंगशे स्थान पर 13 सितम्बर, 1970 को सुरक्षा दलों द्वारा काफी संख्या में नागरिक मारे गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) नागरिकों की सुरक्षा के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) से (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

Construction of Canal from Khatkar to Lakheri, Rajasthan

584. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether a survey to construct a canal from Khatkar to Lakheri in Bundi, Rajasthan had been conducted ;

(b) if so, the datails of the survey report ;

(c) whether the aforesaid canal is likely to be constructed during the current Plan period ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (d). The Rajasthan Government have carried out surveys for the extension of the Bundi Canal. This extension is expected to cost Rs. 2 5 crores and irrigate about 1 lakh acres in Sawai Madhopur and Bundi Districts.

In view of the paucity of funds, it is not considered possible by the Rajasthan Government to take it up during the current plan period.

सरकारी परियोजनाओं और बिहार राज्य बिजली बोर्ड में प्राधिकारों का दुरुपयोग

585. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आमतौर पर सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय परियोजनाओं के और विशेष रूप से बिहार राज्य बिजली बोर्ड के कुछ उच्च अधिकारियों द्वारा प्राधिकार के दुरुपयोग एवं धन और कुशलता को हानि पहुँचाने के सम्बन्ध में 'जन शिकायत कोरम' के संयोजक से 17-10-1970 को भारत के राष्ट्रपति को लिखा एक पत्र मिला था ;

(ख) यदि हां, तो पत्र तथा उसके साथ संलग्न पत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). संयोजक, जन शिकायत फोरम (दिल्ली) ने अपने पत्र दिनांकित 28 सितम्बर, 1970 में बिहार राज्य बिजली बोर्ड के विशेषकर एक अधिकारी के आचरण विरुद्ध, बोकारो स्टील प्लांट पर विद्युत केन्द्रों के प्रतिष्ठापन, भारत सरकार के बदरपुर परियोजना और बिहार राज्य बिजली बोर्ड की पथरातु परियोजना के लिये कार्यों के ठेके दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है । इन आरोपों को बिहार राज्य सरकार को भेज दिया गया था और उन्होंने सूचित किया है कि बोर्ड की कार्य-विधि में हानियों और कमियों के कारणों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बिहार राज्य सरकार ने 20 अक्तूबर, 1970 को एक जांच आयोग स्थापित कर लिया है । चूंकि यह आयोग सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच करने की स्थिति में होगा, इसलिये इस समय अलग से जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया है ।

प्रधान मन्त्री के अधीन कार्य कर रही इंटेलीजेंश एजेन्सियों में समन्वय

586. **श्री मधु लिमये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मन्त्री, कैबीनैट सचिवालय, प्रधान मन्त्री सचिवालय के अन्तर्गत हाल ही में लाई गई विभिन्न इंटेलीजेंस एजेन्सियों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या इन एजेन्सियों में प्रभावशाली समन्वय लाने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) :

(i) मन्त्री मण्डल सचिवालय के अधीन केन्द्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय तथा राजस्व आसूचना निदेशालय हैं।

(ii) खुफिया ब्यूरो गृह मन्त्रालय के अधीन है।

(ख) और (ग). विभिन्न आसूचना अभिकरणों के मध्य समन्वय, सूचना के नियमित विनिमय, सम्बन्धित संगठन के अधिकारियों के मध्य कालिक बैठकों तथा विभिन्न स्तरों पर वैयक्तिक सम्पर्क से भी प्राप्त किया जा रहा है।

बिहार सरकार द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के लिए किये गये प्रबन्ध

587. **श्री मधु लिमये** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मंच से सत्तारूढ़ बिहार कांग्रेस से महासचिव द्वारा किये गये उस ऐलान की उन्हें जानकारी है जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक के लिए सभी प्रकार के प्रबन्ध करने के लिए बिहार सरकार के विभागों को धन्यवाद दिया था ;

(ख) क्या उन्होंने बिहार सरकार से इस कार्य के लिए राज्य की सरकारी व्यवस्था का प्रयोग करने को कहा था या निदेश दिया था ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने कुल कितनी राशि खर्च की ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ग). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

सरकारी क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं को हानि

588, **श्री ए० श्रीधरन** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 12 संसद् सदस्यों ने 16-10-1970 को एक पत्र लिखा है जिसमें

राष्ट्रीय महत्व के विषयों के बारे में संयुक्त रूप से सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को हुए करोड़ों रुपये के घाटे का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पत्र का तथा उसके साथ संलग्न पत्रों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। संसद् सदस्यों ने जनशिकायत फोरम (दिल्ली) के संयोजक से प्राप्त पत्र दिनांकित 28 सितम्बर, 1970 की एक प्रतिलिपि पृष्ठांकित की थी।

(ख) और (ग) संयोजक, जनशिकायत फोरम ने अपने पत्र में बिहार राज्य बिजली बोर्ड के विशेषकर एक अधिकारी के आचरण विरुद्ध बोकारो स्टील प्लांट पर विद्युत केन्द्रों के प्रतिष्ठापन, भारत सरकार के बदरपुर परियोजना और बिहार राज्य बिजली बोर्ड की पथरातू परियोजना के लिए कार्यों के ठेके दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायत की है। इन आरोपों को बिहार राज्य सरकार को भेज दिया गया था और उन्होंने सूचित किया है कि बोर्ड की कार्य-विधि में हानियों और कमियों के कारणों की जांच करने के लिये जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत बिहार सरकार ने 20 अक्तूबर, 1970 को एक जांच आयोग स्थापित कर दिया है। चूंकि यह आयोग सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच करने की स्थिति में होगा, इस लिए इस समय अलग से जांच कराना आवश्यक नहीं समझा गया है।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चलाया जा रहा विदेशी व्यापार

589. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन सरकारी उपक्रमों के उत्पादों का विदेशी व्यापार राज्य व्यापार निगम द्वारा पूर्ण रूप से किया जाता है और वह किन देशों के साथ किया जाता है और किन उपक्रमों का विदेशी व्यापार आंशिक रूप से किया जाता है और किन देशों के साथ ;

(ख) ऐसे कौन से सरकारी उपक्रम हैं जो राज्य व्यापार निगम की मध्यस्थता के बिना विदेशी व्यापार चला रहे हैं ; और

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके भारत को निर्यात करने तथा भारत से आयात करने के लिये राज्य व्यापार निगम अथवा सम्बन्धित सरकारी उपक्रमों से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वतन्त्र रह कर कार्य करने वाले अपने अधिकरण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (चौधरी राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—4239/70]

(ख) और (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कलकत्ता के एक भूतपूर्व पुलिस कांस्टेबल का नक्सलवादी गतिविधियों के लिये गिरफ्तार किया जाना

590. **श्री जि० मो० बिस्वास** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता में एक भूतपूर्व पुलिस कांस्टेबल को उसकी नक्सलवादी गतिविधियों के लिये गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) और (ख). तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

रेल डिब्बों के निर्यात के लिये राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों का युगोस्लाविया जाना

591. **श्री जि० मो० बिस्वास**: क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों का एक दल रेलवे के माल-डिब्बों के निर्यात की सम्भावना का पता लगाने के लिये युगोस्लाविया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनके बारे में क्या परिणाम निकले हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (चौधरी राम सेवक) : (क) राज्य व्यापार निगम के एक अधिकारी ने सितम्बर/अक्तूबर, 1970 में युगोस्लाविया की यात्रा की।

(ख) युगोस्लाविया को रेल के 3600 माल-डिब्बों के निर्यात के लिये एक संविदा की गई थी।

उड़ीसा राज्य के लिए 1971-72 के लिये वार्षिक योजना

59 **श्री वे० अमात**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य के लिये 1971-72 की वार्षिक योजना पर हाल ही में विचार करके उसे अंतिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत कितनी-कितनी राशि नियत की गई है ;

(ग) राज्य द्वारा प्रस्तावित मांगों को किस हद तक पूरा किया गया है और इन नियतनों के अन्तर्गत कितनी मांगें अभी पूरी की जानी शेष हैं ; और

(घ) कम नियतन से कौन-कौन सी योजनाएं किस-किस हद तक प्रभावित होंगी ?

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता।

चीनी साहित्य का प्रदर्शन और माओ विचारधारा के प्रचार जैसी नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि

593. **श्री राज देव सिंह** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है कि भारत के कुछ भागों में चीनी साहित्य के प्रदर्शन और माओ विचारधारा के प्रचार सहित नक्सलवादी गतिविधियां दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य-मन्त्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) अप्रैल, 1970 के तीसरे सप्ताह से पश्चिमी बंगाल में नक्सलवादियों तथा समवर्गी उग्रवादी दलों की हिंसात्मक गतिविधियों में बढ़ौत्तरी के प्रति सरकार को जानकारी है । हाल के सप्ताहों में बिहार में ऐसी गतिविधियों में और अधिक तेजी भी आई है ।

(ख) राज्य सरकारें नक्सलवादियों तथा समवर्गी उग्रवादी दलों की गतिविधियों से निपटने के लिये कानून के अन्तर्गत कड़ी कार्रवाई कर रही है । केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से पूरी तरह सम्पर्क बनाये हुये है और अतिरिक्त शस्त्र पुलिस कुमुक, वायरलैस तथा अन्य उपकरण एवं आसूचना के एकीकरण समेत उन्हें सभी उचित सहायता प्रदान कर रही है ।

उत्तर प्रदेश के विकास के लिए केंद्रीय सहायता

594. **श्री राज देव सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगीं कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस राज्य के विकास हेतु विस्तृत योजना बनाने के विचार से राज्य के प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण करने के लिये केन्द्र से सहायता मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और उसपर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, गृह-कार्य मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योग क्षेत्र में रेडियो का उत्पादन कर रही कम्पनियों का बन्द होना

595. **श्री राज देव सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लघु उद्योग क्षेत्र में रेडियो का उत्पादन करने वाली बहुत सी कम्पनियां बड़े उद्योगों से कड़ी प्रतियोगिता के कारण बन्द हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो रेडियो एवं इसके पुर्जों का निर्माण करने वाले लघु उद्योग क्षेत्र के ब्यौरे क्या हैं और सुविधाएं देकर लघु उद्योग क्षेत्र को बचाने के लिए उठाए गए कदम क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) तथा (ख). गत 5 वर्षों के दौरान छोटे पैमाने के क्षेत्र में फर्मों द्वारा रेडियो का उत्पादन देश में कुल वार्षिक उत्पादन का 34 से 35 प्रतिशत रहा है। छोटे पैमाने के क्षेत्र की फर्मों की एक भारी संख्या रेडियो इलेक्ट्रोनिकी संघटकों और पुर्जों का निर्माण कर रही है।

हाल ही में सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि संगठित क्षेत्र में निर्माताओं से कडी प्रतियोगिता के कारण छोटे पैमाने के क्षेत्र को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे पैमाने के क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए संगपठत क्षेत्र में फर्मों द्वारा निर्मित 165 रुपए से कम लागत के प्रति एक सैट पर 10 रुपए वाणिज्यक सरकार ने लगाया है, जबकि छोटे पैमाने के क्षेत्र में फर्मों द्वारा उत्पादित ऐसे रेडियो पर ऐसा कोई कर लागू नहीं है। सरकार इस बात पर सक्रियता से विचार कर रही है कि आया छोटे पैमाने के क्षेत्र के लिए कोई अधिक सुरक्षण आवश्यक है ?

कूच बिहार में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कम्पनी कमान्डर की हत्या

596. **श्री दिनकर देसाई** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 अक्तूबर, 1970 को कूच बिहार केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कमांडर की हत्या कर दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या हत्यारे को गिरफ्तार कर लिया गया ; और

(ग) घटना का ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त संदिग्ध 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ और जांच की जा रही है।

(ग) दिनांक 19-10-1970 को 7 बजे सांयकाल जब 45वीं बटालियन, केन्द्रीय आरक्षित पुलिस के कम्पनी कमाण्डर, श्री शैवदान सिंह बाजार से कुछ खरीद करने के पश्चात् राजबाड़ी को लौट रहे थे तो एक से अधिक व्यक्तियों ने लोहे की छड़ों और चाकुओं से हमला किया गया था। उनके सिर पर दो चोट और अनेक चाकू के घाव थे। स्थानीय पुलिस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां उन्हें मृतक घोषित किया गया।

भाखड़ा जलाशय में पानी की कमी के कारण विद्युत संकट

598. **श्री एन० के० सोमानी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा जलाशय में हाल में ही हुई पानी की कमी के कारण कुछ समय के लिये उत्तरी क्षेत्र में विद्युत संकट उत्पन्न हो गया था ; और

(ख) क्या इससे इस क्षेत्र में उद्योगों पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां। इस वर्ष मानसून के दौरान भाखड़ा जलाशय में कम पानी आने के कारण गत वर्ष के 1684.07 के स्तर के प्रति अधिकतम जलाशय स्तर 1627.22 प्राप्त किया गया।

(ख) भाखड़ा नाँगल कांप्लेक्स से इस वर्ष अगस्त में बिजली का उत्पादन 109.5 लाख यूनिट/दिवस तक सीमित रखा गया। उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ कर अक्तूबर, 1970 में लगभग 132 लाख यूनिट/दिवस हो गया है। इस समय लगभग 10% से 15% तक केवल पंजाब राज्य में ही बिजली की खपत पर पाबंदी जारी है और इसी हद तक इस क्षेत्र में उद्योग पर प्रभाव पड़ा है।

महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के बारे में महाजन आयोग के पंचाट को स्वीकार करने के लिये मैसूर के राज्यपाल का सुझाव

599. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के राज्यपाल ने महाराष्ट्र-मैसूर सीमा विवाद के बारे में महाजन आयोग के पंचाट को स्वीकार करने के लिए सार्वजनिक रूप से मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ये विचार सरकार को औपचारिक रूप से भेजे गये हैं ; और

(ग) राज्यपाल के इस सुझाव को स्वीकार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) और (ख). 19-1-70 को राज्य विधान सभा में अपने अध्यक्षीय भाषण में राज्यपाल ने कहा था कि आयोग की सिफारिशों को एक पंचाट के रूप में समझा जाय और उसको पूर्णतः अमल में लाया जाय। सरकार को उस अध्यक्षीय भाषण का मूलपाठ प्राप्त हो गया है।

(ग) इस विवाद के समाधान के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान है।

पुरस्कारों तथा कमीशन के सम्बंध में समान लाटरी नियमों की आवश्यकता

600. **श्री लखन लाल कपूर** : क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पुरस्कारों तथा कमीशन के सम्बन्ध में समान नियम बनाने का अनुरोध केन्द्रीय सरकार से किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी मांग को मान लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) उत्तरीय क्षेत्र के राज्यों ने सिफारिश की है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से अधिकतम पुरस्कारों, एजेन्टों के कमीशन, इत्यादि, के बारे में एक सामान्य संहिता तैयार की जाय।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में एक नये इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए उड़ीसा की सरकार और जनता की कथित मांग

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्रीमान्, मैं, इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में एक नये इस्पात कारखाने की स्थापना के लिए उड़ीसा की सरकार और जनता की कथित मांगे"

यह बड़े आश्चर्य की बात है कि जब इसका उत्तर दिया जाता है तो प्रधान मंत्री सदन से बाहर चली जाती हैं।

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री ब० रा० भगत) : प्रधान मंत्री दूसरे सदन में वक्तव्य देने में व्यस्त हैं।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस विषय में इस सदन में 30-7-70 को दिए गये अपने वक्तव्य की ओर दिलाना चाहूंगा। इस वक्तव्य के पश्चात इस सदन में 4 अगस्त 1970 को इस विषय पर तीन घण्टे तक बहस हुई थी। इस मामले में सरकार के विचार वही हैं जो इन अवसरों पर व्यक्त किये गये थे।

जैसा कि मैंने बताया था देशीय परामर्शदाताओं जैसे दस्तूर एण्ड कम्पनी और कुलजियन्स तथा कुछ विदेशी परामर्शदाताओं ने कई स्थलों का अध्ययन किया था जिसमें उड़ीसा के कुछ स्थल जैसे बड़ाकोट, सम्बलपुर, हीराकुण्ड और बोनायगढ़ भी शामिल थे। वास्तव में पहले किये गये इन अध्ययनों के आधार पर ही सरकार ने राउरकेला में एक इस्पात का कारखाना लगाने का फैसला किया था। तब से लेकर उड़ीसा में किसी अन्य स्थान पर दूसरा इस्पात का कारखाना लगाने तथा राउरकेला इस्पात कारखाने का विस्तार करने अथवा राउरकेला में ही दूसरा इस्पात कारखाना लगाकर राज्य में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है। लोहा और इस्पात उद्योगों की कर्णधार समितियों ने पहले 1962 में और फिर 1968 में इस बात पर जोर दिया था कि भारी उद्योगों को देश के सभी भागों में फैलाया जाय। इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हास्पेट, विशाखापत्तनम और सेलम में तीन नये इस्पात कारखाने लगाने का निर्णय किया था, जिसकी घोषणा प्रधान मंत्री ने 17 अप्रैल 1970 को की थी। परन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया था इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि वर्तमान कारखानों का विस्तार नहीं किया जायेगा अथवा दूसरे स्थानों पर नये कारखाने नहीं लगाये जायेंगे। वास्तव में, सरकार के इस्पात के परिकल्पित कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में प्रतिवर्ष कम से कम 10 लाख टन इस्पात पिण्ड अतिरिक्त क्षमता लगाई जाएगी। इसके लिए वर्तमान इस्पात कारखानों के विस्तार की तथा नये इस्पात कारखाने लगाने की आवश्यकता होगी।

इस प्रक्रिया में, जो अविरत रूप से चलेगी, उड़ीसा में दूसरा इस्पात कारखाना लगाने की उपयोगिता के प्रश्न पर अन्य राज्यों के वैकल्पिक स्थलों की उपयोगिता के साथ-साथ विचार किया जायेगा। उड़ीसा में दूसरा कारखाना या तो राउरकेला में ही लगाया जा सकता है और इस प्रकार वहां पर पहले से विद्यमान सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकता है अथवा किसी अन्य स्थान पर लगाया जा सकता है। वास्तव में इस प्रश्न पर चौथी योजना अवधि में ही विचार करना होगा ताकि पांचवी योजना अवधि में इस्पात की अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए समय पर निर्णय किया जा सके। मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि इस मामले पर विचार करते समय उड़ीसा में उपलब्ध सुविधाओं की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह उत्तर सदन के लिए अपमान जनक है, क्योंकि जब इस मामले पर सदन में चर्चा हुई तब सदन ने एक मत होकर इसका समर्थन किया था कि जब प्रत्येक बात चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने के पक्ष में है तो सरकार को इस मामले पर निश्चय रूप से विचार करना चाहिए और सरकार की ओर से एक अन्तिम घोषणा की जानी चाहिए। इस वक्तव्य में, मन्त्री महोदय ने दस्तूर एण्ड कम्पनी के प्रतिवेदन के आधार पर राउरकेला में एक इस्पात संयंत्र की स्थापना का प्रश्न उठाकर, मामले को उलझाने प्रयत्न किया है। मैं उन्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि दस्तूर एण्ड कम्पनी ने जून 1965 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। राउरकेला में कारखाना 1954 में स्थापित किया गया था और इससे उत्पादन 1959 में प्रारम्भ हुआ। यह स्थिति जानबूझ कर पैदा की गई है। यह सरकार दबाव देने वालों की सुनती है। अब तक उड़ीसा ने इस राष्ट्रीय मांग को शांतिपूर्ण तथा संवैधानिक ढंग से प्रस्तुत किया है। कल सभी विपक्ष के नेता उड़ीसा के दावे का औचित्य बताने के लिए प्रधान मंत्री के पास गये। सरकार यह बात स्वीकार करती है कि देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ना चाहिए। वह यह भी स्वीकार करती है कि इसके लिए उपयुक्त क्षेत्र उड़ीसा में उपलब्ध है। जब उपयुक्त क्षेत्र उपलब्ध है और सरकार इस्पात संयंत्रों की संख्या में वृद्धि करना चाहती है तो सरकार यह आश्वासन क्यों नहीं देती है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में अगला इस्पात संयत्र उड़ीसा में स्थापित किया जायेगा। उड़ीसा के लोगों में यह भावना घर करती चली जा रही है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है, कोई नहीं जानता है यह स्थिति क्या मोड़ ले ले। यदि पर्याप्त संसाधन तुरन्त उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो कम से कम कार्यरत तो कर ही दिया जाना चाहिए। पिछली बार तो मन्त्री महोदय ने विरोध किया था कि हमने 'बन्द' तथा हड़तालें शुरू कर रखी हैं। सभा ने एक मत होकर उड़ीसा में इस्पात संयंत्र की मांग का समर्थन करते हुए एक संकल्प पारित किया है। क्या सरकार यह चाहती है कि उड़ीसा में खून खराबी हो तब वे इस मांग की ओर ध्यान दें। मैं सरकार को सचेत करता हूँ। हमारा उद्देश्य यह नहीं है कि चौथी योजना के अन्तर्गत ही यह संयंत्र पूरा हो जाना चाहिए। हम केवल यह चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्थायें की जाये और सरकार यह आश्वासन दे कि अगला संयंत्र जब कभी भी यह स्थापित किया जाता है, उड़ीसा में स्थापित किया जायेगा क्योंकि वहां प्रत्येक बात इसकी स्थापना के अनुकूल है और सरकार चौथी योजना के अन्त तक वहां प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दे।

श्री ब० रा० भगत : मैं माननीय सदस्य का पूर्ण आदर करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यह कहा है कि यह सदन के लिए अपमानजनक है, यह ठीक नहीं है। हमने देश के हित में सभी आवश्यक सूचना सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपने कहा है कि चर्चा के पश्चात सरकार का विचार ज्यों का त्यों बना रहा। क्या यह सदन का अपमान नहीं है।

श्री ब० रा० भगत : क्योंकि तथ्यों में कोई परिवर्तन नहीं आया है और इन तीन महीनों के बीच कोई नई बात पैदा नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या आप लुढ़कते हुए देखना चाहते हैं। नई बात पैदा होने से आपका क्या तात्पर्य है ?

श्री ब० रा० भगत : देश के लिए वह बहुत बुरा दिन होगा जब सर फुटाई करके ऐसी बातों का निर्णय किया जायगा। माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि यह मामला सिर फुटाई करके तय किया जाय अथवा तकनीकी आर्थिक वस्तु स्थिति के आधार पर। जैसा कि मैंने पिछली बार चर्चा में कहा था कि पांचवी योजना में आरम्भ किये जाने वाले संयंत्रों के लिए क्षेत्र चयन चौथी योजना के दौरान ही किया जायगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपने स्वयं कहा है कि उड़ीसा में केवल एक ही क्षेत्र नहीं बल्कि तीन या चार क्षेत्र हैं। जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है क्षेत्रीय चयन का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री ब० रा० भगत : अन्य स्थानों पर भी ऐसे क्षेत्र उपलब्ध हैं। अतः क्षेत्रीय चयन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहला कार्य यही करना है। इसके पश्चात सुविधा संबंधी अध्ययन किया जायेगा तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति और बहुत सी दूसरी बातों की ओर ध्यान दिया जायेगा क्योंकि एक इस्पात संयंत्र की स्थापना में 8 वर्ष का समय लग जाता है। मैंने कहा है कि उड़ीसा के मामले पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जायेगा क्योंकि यहां सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध हैं। क्षेत्र चयन कार्यक्रम में उड़ीसा के क्षेत्रों पर ध्यान दिया जायगा। यही मैंने अपने इस वक्तव्य में कहा है। इसलिए उड़ीसा की उपेक्षा करने तथा वहां पर इस्पात संयंत्र की स्थापना के महत्व की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या वह एक निश्चित आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि जब भी कोई नया इस्पात संयंत्र स्थापित किया जायगा, यह उड़ीसा में ही होगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैं ऐसा आश्वासन नहीं दे सकता ऐसा करना मेरे लिये अनुचित होगा, क्योंकि कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां इस्पात संयंत्र स्थापित किये जा सकते हैं और अगली योजना में कितने संयंत्र की स्थापना की जानी है यह मुझे पता नहीं है एक भी हो सकता है, दो भी और तीन भी। अतः क्षेत्र का चयन तकनीकी आर्थिक आधार पर किया जायगा। यदि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि उड़ीसा में बहुत सी सुविधायें है तो उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

स्थापित किया जायगा। परन्तु इस बारे में कोई वायदा नहीं कर सकता जब तक कि यह मामला एक समिति को नहीं सौंप दिया जाता जो अन्तिम निर्णय के लिये परिस्थिति का तकनीकी आर्थिक आधार पर अध्ययन करेगी। मैं समिति के बारे में पहले से ही कुछ नहीं बता सकता।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : लोहा और इस्पात दो मूल वस्तुयें ऐसी हैं जिनसे विभिन्न वस्तुओं के मूल्य बहुत सीमा तक निर्धारित रहते हैं। इस्पात का उत्पादन और इसका प्रति व्यक्ति उपयोग किसी देश की आर्थिक स्थिति के मापक हैं। जापान की, जहां लौह अयस्क बिल्कुल नहीं होता है, इस्पात उत्पादन क्षमता इस समय 7 करोड़ 50 लाख टन है जो बहुत शीघ्र ही 10 करोड़ टन हो जायगी। मंत्री महोदय ने दस्तूर एण्ड कम्पनी और कुलजिमान के प्रतिवेदन के तकनीकी आर्थिक पहलुओं की पूरी तरह उपेक्षा की है, क्योंकि राउरकेला संयंत्र उससे बहुत पहले स्थापित किया गया था। अब एक नई बात पैदा हो गई है, बोकारो इस्पात संयंत्र चालू होने की स्थिति में है। बोकारो इस्पात संयंत्र कोयले पर आधारित है और इसे परिवहन सुविधा का लाभ है। अमला इस्पात संयंत्र लोहे पर आधारित होना चाहिये जिससे बोकारो से खाली माल के डिब्बे, जो उड़ीसा की खानों से लौह-अयस्क लेने के लिये आते हैं उड़ीसा में स्थापित किये जाने वाले इस्पात संयंत्र के लिये बोकारो से कोयला लेकर आ सकते हैं। बोकारो के नये इस्पात संयंत्र के विषय में भी इस पहलू को ध्यान में रखना होगा। मंत्री महोदय ने यह कह कर कि पिछले अगस्त से कोई नई बात नहीं हुई है सदन को गुमराह किया है। पिछले अगस्त से जब सरकार इस मामले पर चुप रही, उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा था कि उन्हें विदेशी सहयोग से एक अपना इस्पात संयंत्र स्थापित करने की अनुमति दी जाय, सरकार इस मामले पर भी चुप रही और इस पत्र का आज तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को देश के विकास में बाधक नहीं बनना चाहिये। उन के सम्पूर्ण उत्तर के अंत में एक आशा की झलक दिखाई पड़ी है जहां कि उन्होंने यह कहा है कि चौथी योजना में ऐसी कार्यवाही की जायेगी जिससे कि पांचवी योजना के अन्तर्गत वहां इस्पात कारखाना लगाया जा सके। बोकारो इस्पात कारखाने के संचालन और मुख्यमंत्री के भारत सरकार को लिखे गये पत्र के सन्दर्भ में, मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि भारत सरकार अपनी ओर से ही, उड़ीसा सरकार को इस्पात कारखाना लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर देगी।

श्री ब० रा० भगत : माननीय सदस्य ने मुख्यमंत्री के 8 नवम्बर के पत्र का उल्लेख किया है जोकि मुझे 9 नवम्बर को प्राप्त हुआ और आज केवल 11 तारीख है। इस का योजना आयोग से गहरा सम्बन्ध है और फिर उसके साथ-साथ मुझे भी इस पर विचार करना है। भला इतनी जल्दी इसका उत्तर कैसे दिया जा सकता है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि यदि हम उसे विदेशी सहयोग की स्वीकृति दे दें, तो इस्पात कारखाना लगाने के संसाधन उनके पास विद्यमान है। जहां तक विदेशी सहयोग का सम्बन्ध है। हम 49 प्रतिशत से अधिक की अनुमति नहीं दे सकते 51 प्रतिशत तो फिर भी राज्य सरकार को अपने पास से लगाना होगा।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह प्रस्ताव तो हास्यास्पद है। राज्य सरकार के पास तो सड़कें बनाने के लिए भी पैसा नहीं है। इस लिए यह तो केन्द्रीय परियोजना ही होनी चाहिए।

श्री ब० रा० भगत : यह तो खुशी की बात है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इसके पीछे इस्पात कारखाना नहीं अपितु अन्य राजनीतिक या स्थानीय कारण है। माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि राज्य सरकार के पास धन नहीं है। अगर हम विदेशी सहयोग की स्वीकृति दे भी दें तो राज्य सरकार को 51 प्रतिशत, लगभग 250 करोड़ रुपये से भी अधिक लगाना पड़ेगा। उड़ीसा के चिए चौथी योजना में 223 करोड़ रुपये है, और यदि यह सारा धन इस्पात कारखाने पर लगा दिया जाये तो अन्य योजनाओं के लिए भला क्या बचेगा ? अतः मैं योजना आयोग के साथ परामर्श करने के बाद ही मुख्यमंत्री को कोई उत्तर दे सकूंगा।

उन्होंने खनिज लोहे पर आधारित इस्पात कारखाने की बात की है और यह है भी ठीक, परन्तु इस समय तो हम अपने सभी संसाधनों का उपयोग उन्हीं इस्पात कारखानों के निर्माण के लिए कर रहे हैं जिन्हें हम हाथ में ले चुके हैं। मांग सर्वेक्षण के अनुसार हमें अपना इस्पात उत्पादन 19 लाख टन बढ़ाना है और इसके लिए हम भिलाई इस्पात कारखाने का विस्तार करेंगे, बोकारो तथा अन्य तीन कारखानों में 40 लाख टन उत्पादन बढायेंगे अतः हम अपने सभी आर्थिक, तकनीकी और इंजीनियरिंग संसाधनों को इस कार्य में जुटाने के लिए कटिबद्ध है।

जैसा कि मैंने कहा है कि यह प्रक्रिया निरन्तर चलती रहेगी। छटी योजना में हमें 3 करोड़ टन इस्पात की आवश्यकता होगी। अतः हम अन्य इस्पात कारखानों के लिए स्थानों का चयन करेंगे। यह एक लम्बा काम होता है और एक इस्पात कारखाना बनाने में लगभग आठ या दस वर्ष का समय लग जाता है। अतः हम इसके बारे में चौथी योजना में ही निर्णय कर लेंगे ताकि पांचवीं योजना के अन्तर्गत कार्य आरम्भ किया जा सके। मैं अभी भी कहता हूं कि उड़ीसा के स्थानों का अध्ययन चौथी योजना में ही किया जायेगा।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि प्रत्येक वर्ष तक 10 लाख टन वाला इस्पात कारखाना लगाया जायेगा, परन्तु यदि इनका उद्देश्य 300 लाख टन उत्पादन 10 वर्षों में करने का हो तो प्रतिवर्ष 20 लाख टन के उत्पादन का कारखाना लगाया जाना चाहिये। उन्हें एक वर्ष में ही यह बता देना चाहिये कि आर्थिक तथा राष्ट्रीय हितों की दृष्टि से यह कारखाने कहां लगाये जायेंगे। अगर वह इसका उतर नहीं देते तो उन पर और प्रभाव डाले जायेंगे। जब तक वह इसके बारे में निर्णय नहीं करते, तब तक भ्रम बना रहेगा।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi) : Mr. Speaker, Sir, it is an issue in which the economic development of the country is involved and it must be studied in economic content. I am pained to say that such vital issues are decided on political considerations. All the requirements for a steel plant are fulfilled by Orissa but still its case is not being considered because of political considerations. I would like to know, how long this Government will continue to decide the economic questions on party-politics, or under pressures ?

In view of the fact that all the requisite resources for steel plant are available in Orissa, can Government give an assurance that the demand of the people of Orissa will be conceded ?

Shri B. R. Bhagat : It has been rightly stated by hon. Member that while deciding the location of the steel plants, the technical and economic aspects must be considered. At the same time he wants us to decided in favour of Orissa.

It is a case of self-contradiction. While deciding an issue like that we appoint a committee of experts and their recommendations are given due consideration. The basic thing for a steel plant is that it must be located in a place where sufficient quantity of pig iron and other necessary resources are available. I will request my Orissa brothers that these considerations will be kept in view while taking the decision for steel plant. Even today Rourkela Steel Plant of Orissa is producing the best material which is meeting the most of our Defence and other requirements. If this steel plant is run of its rated capacity, it can yield enough profit and the country will also get more of iron.

Shri Rabi Ray (Puri) : You are responsible for this you should resign.

Shri B. R. Bhagat : But last year there was a loss of 1,72,590 man hours in Rourkela Steel Plant.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : केवल आप ही इसके लिए उत्तरदायी है। दुर्गापुर में कोई झगड़ा नहीं है। सारी समस्या का मूल कारण आपके अकुशल तथा नौकरशाह प्रबन्धक ही हैं। इस प्रश्न को यहाँ उठाने की क्या आवश्यकता है ? अध्यक्ष महोदय, अब जब यह प्रश्न इन्होंने उठा ही दिया है। तो मैं इन्हें चुनौती देना चाहता हूं। वह बताये कि रूरकेला इस्पात कारखाना अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने में असमर्थ क्यों रहा ? इसका दायित्व किस पर है ? क्या वहां के प्रबन्धक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि प्रश्न अन्य नये इस्पात कारखानों के स्थान के बारे में था। रूरकेला का तो केवल उल्लेख हुआ था।

श्री ब० रा० भगत : इन्होंने पूछा था कि इस्पात कारखाना अधिक लाभप्रद किस स्थान पर हो सकता है और मैंने कहा कि स्थान के साथ साथ अधिक उत्पादिता भी इसे लाभप्रद बनाने में सहयोग देती है।

श्री हरदयाल देवगुण : क्या आप यह स्वीकार करते है कि पूर्ण उत्पादन करने पर यह अन्य कारखानों से अधिक लाभप्रद होगा ?

श्री ब० रा० भगत : जी, हां।

श्री श्रीचन्द गोयल (चण्डीगढ़) : श्रीमन् आप जानते ही है कि आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से उड़ीसा भले ही पिछड़ा हुआ हो, शक्ति की दृष्टि से यह देश का सब से अच्छा राज्य है। इस्पात कारखाने से सम्बद्ध सभी संसाधन इस राज्य में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ-साथ वहां पानी और विद्युत भी उपलब्ध है। इन्हीं सब बातों के आधार पर तो श्री ए० एन० खोसला, जोकि देश के एक बहुत बड़े इन्जीनियर है और उड़ीसा के राज्यपाल भी थे, ने इस्पात कारखाने के उड़ीसा में लगाये जाने की मांग की है। इसी प्रकार उड़ीसा के नयागढ़ स्थान के लिए मैसर्ज दस्तूर एण्ड कम्पनी से भी परामर्श किया गया। उनके प्रतिवेदन के अनुसार भी यह इस कार्य के लिए उपयुक्त स्थान है। यहां जिस लौहे का उत्पादन किया जायेगा वह सस्ता और अधिक लाभप्रद होगा। परन्तु अचानक 17 अप्रैल 1970 को प्रधान मंत्री ने इन इस्पात कारखानों के स्थानों की घोषणा कर दी। यह निर्णय राजनीतिक दृष्टि से किया गया था। आंध्र-प्रदेश के लोग तेलंगाना के प्रश्न से रूष्ट थे। उन्हें खुश करने के लिए यह निर्णय लिया गया। अब वह

मैसूर राज्य को खुश करने के लिए कह रहे हैं कि वहां भी इस्पात कारखाना लगाया जायेगा। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सभी निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों से लिए गये है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि वह क्षेत्रीय असंतुलनों, जिनसे की उड़ीसा अत्याधिक प्रभावित है, को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? उद्योगों को सम्पूर्ण देश में फैलाने का जो नियम है वह सभी उद्योगों पर लागू होता है या केवल एक विशेष उद्योग पर? अर्थ शास्त्रियों के अनुसार पांचवी योजना के अन्त तक हमें 220 लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी। तो क्या इस 220 लाख टन की मांग की पूर्ति के लिए एक ओर इस्पात कारखाना लगाना जरूरी है? यदि वह शिलांग या हरियाणा के लिए नई राजधानी बनाने के लिए 50 करोड़ रुपया तो खर्च सकते हैं तो क्या उड़ीसा में नया इस्पात कारखाना लगाने के लिए 30 या 40 करोड़ रुपया खर्च नहीं सकते? पांचवी पंच वर्षीय योजना के अंत तक आने वाली अपनी मांगों की पूर्ति के लिए, क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह उड़ीसा में इस्पात कारखाना लगाने का निर्णय अभी कर दें?

श्री ब० रा० भगत : अब मैं केवल उसी कार्यवाही का उल्लेख करूंगा जोकि इस्पात कारखाना लगाने के लिए आवश्यक है। पांचवी योजना के अन्त तक हमें 190 लाख टन इस्पात की आवश्यकता होगी। इस मांग की पूर्ति हम भिलाई इस्पात कारखाने की क्षमता को बढ़ाकर, बोकारों कारखाने की उत्पादन क्षमता में 40 लाख टन का विस्तार करके और तीन नये इस्पात कारखाने लगाकर करेंगे। परन्तु यह यही समाप्त नहीं होगा। यह तो एक निरन्तर प्रक्रिया है। अन्य नये इस्पात कारखाने लगाने के लिए, इसी योजना के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। माननीय सदस्य ने उड़ीसा में, इसके लिए उपयुक्त जिन संसाधनों और क्षमताओं का उल्लेख किया है, उन सभी पर विचार किया जायेगा।

Shri Rabi Ray (Puri) : The reply given by hon. Minister is highly unsatisfactory. Therefore. we are walking out.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उन्होंने इसके बारे यह नहीं कहा जो कि प्रधान मंत्री ने कहा था (व्यवधान)। अपना विरोध प्रकट करने के लिए मैं सभा छोड़कर जा रहा हूँ।

श्री प्र० के० देव : मैं भी सभा छोड़कर जा रहा हूं।

(इसके बाद श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी और श्री प्र० के० देव सदन से बाहर चले गये)
(Shri Surendranath Dwivedy and Shri P. K. Deo then left the House)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में
RE : ADJOURNMENT MOTION

श्री राम मूर्ति (मदुरै) : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी जो श्रीमती पारूल बोस पर किये गये घातक आक्रमण और कलकत्ता के महापौर को सुरक्षा प्रदान न करने में प्रशासन की असफलता के बारे में थी।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें कार्य मन्त्रणा समिति में भी इस सम्बन्ध में बता दिया था।

श्री राम मूर्ति : मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समय मिलना चाहिये और कार्य मंत्रणा समिति का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है, यह तो आपको ही तय करना है। और अब मैं अपना पक्ष सदन में रख रहा हूँ। मुझे इसकी अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैंने वायदा किया है कि पश्चिम बंगाल पर चर्चा होगी।

श्री राम मूर्ति : इसमें सामान्य चर्चा की बात नहीं हैं, मैंने एक विशेष मामले की सूचना दी है।

अध्यक्ष महोदय : पश्चिम बंगाल की कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर चर्चा होगी उसमें यह आ जाएगा। पर यदि आपने शोर मचाने का ही निश्चय किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ।

श्री उमानाथ (पुद्दू कौटै) : पर ऐसा करने के लिये उन्हें आपने ही उकसाया है। हमने पहले दिन ही इसकी सूचना दी थी। आपने इसकी अनुमति न देना तय कर लिया है।

श्री राम मूर्ति : आप कम से कम मेरी बात सुनकर तय करें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कल ही बता चुका हूँ।

श्री राम मूर्ति : उस समय मेरे पास समय नहीं था, मैं पूरी बात नहीं कह सका।

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी थी।

श्री उमानाथ : कार्य मन्त्रणा समिति इसके बीच में वैसे आती है। इसका निर्णय तो आपको ही करना है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): My only request is that you should first listen to Shri Ram Murti and then you give your ruling whatever that be.

अध्यक्ष महोदय : उनकी बात सुनने से पहले मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मेरी बात सुनें। अध्यक्ष होने के नाते मेरे सम्मुख बहुत सी कठिनाइयां हैं।

श्री राम मूर्ति के स्थगन प्रस्ताव की बात जब मैंने गृह-मंत्री से कही तो फिर पश्चिम बंगाल पर चर्चा के लिए मैं सहमत हो गया।

अपने वायदे के अनुसार मैं इस चर्चा के लिए समय निश्चित करना चाहता था। कल की बैठक में एक अन्य प्रस्ताव मेरे सामने आया जो सदन में 20 तारीख को लिया जायेगा। मुझे नहीं पता यह मामला पहले दिन कब उठाया था। श्री नाथ पाई का पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था के प्रश्न से सम्बन्धित एक संकल्प आया है। इसमें यह सब बात आ जाती है। मेरे सम्मुख कठिनाई यह है कि एक से ही दो विषयों पर अलग-अलग चर्चा कैसे हो सकती है। इसी कारण हमने श्री ज्योतिर्मय बसु और श्री राम मूर्ति से इसी संकल्प में कुछ संशोधन करने को कहा था,

जिससे कि दोनों बातों पर एक साथ ही चर्चा हो जाये क्योंकि वह संकल्प पहले ही से सदन के सम्मुख था। अब यदि आप प्रस्तुत करने के समय को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इसमें कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो ऐसा हो सकता है। स्थगन प्रस्ताव के रूप में मैं इसे अस्वीकृत कर चुका हूं

श्री राम मूर्ति : मैं आपको ऐसा करने से रोकूंगा नहीं पर कम से कम मेरी बात तो सुनें।

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्धी नियम से मैं सहमत हूँ, पर यह एक विशेष घटना से सम्बन्धित प्रश्न है और मैं उसे 5 तारीख को नहीं रख सका क्योंकि उस दिन सदन की बैठक नहीं हुई।

यह घटना 4 तारीख को हुई और उससे तीन दिन पहले इसकी सूचना दे दी गई थी कि श्रीमती पाल पर हमला होगा पर उनकी सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और उनको छुरा मार दिया गया। अतः एक विशेष मामला है कि सुरक्षा का आश्वासन देकर भी उन्हें पूरी सुरक्षा नहीं दी गई। यहां यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या पुलिस की हत्यारों के साथ सांठ-गांठ थी। अब आप ही देखिये कि क्या यह सामान्य कानून और व्यवस्था की सीमा में आने वाली घटना है ? मैं भी इस घटना के साथ और बातें जोड़ सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया और अपने प्रश्न को एक विशेष घटना तक ही सीमित रखा। आपको इसकी अनुमति देनी चाहिए अन्यथा आप इस सदन का और हमारे अधिकारों का गला घोटेंगे। आप इसे सामान्य चर्चा के साथ नहीं जोड़ सकते।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : श्री ज्योति बसु के पुलिस कमिशनर को भी इस सम्बन्ध में कहने के बावजूद यदि समुचित सुरक्षा-व्यवस्था नहीं की गई, तो मैं समझता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने के लिये यह पर्याप्त है अतः मैं इसका समर्थन करता हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण-दिल्ली) : यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण मामला है और मैं समझता हूँ कि स्थगन प्रस्ताव के लिये यह उपयुक्त विषय है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता—उत्तर-पूर्व) : मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही विशिष्ट मामला सदन में उठाया गया है।

यदि इस विशेष मामले पर विस्तार में चर्चा की जानी है तो इस पर विशिष्ट चर्चा होनी चाहिये। इसके बिना हमें सरकार का आश्वासन नहीं मिल सकता। मेरा विचार है कि इस पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्य मन्त्रणा समिति का सदस्य होने के नाते मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : आप इतने चिन्तित क्यों हैं ? स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देना मुझ पर निर्भर करता है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मेरा दल श्रीमती पारूल बोस पर किये गये घातक आक्रमण की निन्दा करता है। देश के नारी वर्ग का अपमान सारे देश की जनता का अपमान है। इस लिये हम स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। कल अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि पश्चिमी बंगाल में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर 20 तारीख को चर्चा होगी और परामर्शदात्री समिति की बैठक 17 तारीख को होगी। अतः हमें सदन में इस विषय पर चर्चा करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। पश्चिमी बंगाल में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यदि इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दी जाती तो कल कुछ भी हो सकता है। हर रोज लोग पुलिस की गोलियों के शिकार हो रहे हैं। युवकों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। रोज कर्फ्यु लगने के समाचार मिलते हैं। अतः इस विषय पर भली-भांति चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दी जानी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : दिनांक 4 तारीख के 'दि स्टेट्समेन' के पृष्ठ 4 पर एक समाचार छपा था जिसमें कहा गया है कि 30 अक्तूबर से 9 नवम्बर के बीच कलकत्ता में उपद्रवों में कारण पुलिस की गोली से 21 व्यक्ति मारे गये और सात व्यक्ति घायल हुये। आपने इस विषय पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया। आपको यह स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत करना चाहिए।

श्री स० मो० बनर्जी : कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक में अध्यक्ष महोदय ने नियम का हवाला देते हुए कहा था कि यदि कोई प्रस्ताव पहले से ही विचाराधीन है तो स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया जा सकता। आपके समक्ष यही कठिनाई है।

अध्यक्ष महोदय : यही तो कठिनाई है।

श्री स० मो० बनर्जी : परन्तु इस कठिनाई को दूर किया जा सकता है। श्री नाथ पाई द्वारा दिये गये संकल्प में सभी बातें आ जाती हैं। संकल्प की सूचना तीन महीने पूर्व दी गई थी जब सितम्बर में संसद स्थगित हुई थी और इस पर चर्चा नहीं हुई थी। अब 20 तारीख को इस विषय पर चर्चा हो सकती है। लेकिन यह स्थगन प्रस्ताव हाल ही में कलकत्ता में हुए उपद्रवों से सम्बन्धित है जिसमें श्रीमती पारूल बोस पर घातक आक्रमण किया गया है। अतः इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिये।

श्री रा० ढ़ो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : मैं श्री राम मूर्ति द्वारा प्रकट किये गये इन विचारों से सहमत हूं कि पश्चिमी बंगाल की स्थिति न केवल संसद सदस्यों के लिये बल्कि देश के लिए उत्तेजना का कारण बन गई है। उन्होंने एक विशिष्ट प्रश्न उठाया है परन्तु मैं उसका समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि वह मामला न्यायालय निर्णयाधीन है। जहां तक पश्चिमी बंगाल की स्थिति का प्रश्न हैं, उस पर हम आज, कल या कभी भी चर्चा करने के लिये तैयार हैं।

श्री अ० कु० गोपालन (कासोरगढ़) : अभी तक कोई चार्ज शीट तैयार नहीं की गई हैं। अतः मामला न्यायालय के निर्णयाधीन होने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : कठिनाई यह है कि जब कोई भी विषय किसी दूसरे रूप में विचाराधीन होता है तो उसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव या अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाती। श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने नियम 193 के अन्तर्गत बढ़ती हुई हिंसा की घटनाओं, नक्सलवादियों आदि के सम्बन्ध में एक संकल्प प्रस्तुत की सूचना दी थी। मुख्य रूप से वह संकल्प पश्चिमी बंगाल के बारे में था। उसी विषय पर श्री नाथपाई ने एक संकल्प की सूचना दी थी जोकि श्री प्रकाशवीर के संकल्प के होते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता था परन्तु उसे स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार पश्चिमी बंगाल बजट, राष्ट्रपति की उद्घोषणा, कानून तथा व्यवस्था की स्थिति जैसे सारे विषयों पर विभिन्न रूपों में गत सत्र में चर्चा की गई थी। अतः मेरा कहना है कि इस मामले में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर चर्चा करने से नहीं रोक रहा हूं। दूसरा मामला अनियत दिन वाला प्रस्ताव था। और यह प्रस्ताव देश में बढ़ती हुई सिंहात्मक गतिविधियों के बारे में था और श्री नाथपाई द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव पश्चिमी बंगाल में जीवन, सम्पत्ति, सुरक्षा तथा प्रजातंत्र के खतरे से सम्बन्धित है। यदि आप इसे एक ही मामले तक सीमित रखते हैं तो आप यह नहीं कह सकेते कि यह सामान्य लोक महत्व का विषय है जैसा कि नियमों द्वारा अपेक्षित है।

श्री राम मूर्ति : स्थगन प्रस्ताव का यही अर्थ है।

अध्यक्ष महोदय : श्री भंडारे ने न्यायालय के विचाराधीन मामले पर बात की जिसके कारण और भी परेशानी हो गई।

श्री उमानाथ : आपके पास सम्बद्ध कागजात नहीं हैं। अतः आप यह निर्णय नहीं कर सकते कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री को इस मामले की कोई जानकारी है?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं पता लगाऊंगा।

श्री राम मूर्ति : आप सीधे ही प्रस्ताव पेश करने की स्वीकृति दे सकते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली-सदर) : यदि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो पश्चिमी बंगाल पर दिये गए अन्य स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बात की जांच करूंगा कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है या नहीं।

श्री उमानाथ : आपके पास सम्बद्ध कागजात नहीं हैं जिसकी सहायता से आप यह निर्णय दे सकें कि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है या नहीं। अतः आपको यह मानकर चलना चाहिए कि मामला न्यायालय के विचाराधीन नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उस दिन स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया था। लेकिन मैंने पश्चिमी बंगाल पर विशेष चर्चा करने की अनुमति दी थी।

श्री मोरारजी देसाई (सूरत) : श्री ज्योति बसु का कहना है कि उन्होंने घटना से दो दिन पूर्व पुलिस को सूचना दी गई थी परन्तु पुलिस के इस आश्वासन के बावजूद कि श्रीमती पारुल बोस की रक्षा की जाएगी, उनपर घातक आक्रमण किया गया। अतः इस विषय पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उस दिन मैंने स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था और केवल चर्चा करने की अनुमति दी थी। उसके बाद यह संकल्प मेरे ध्यान में लाया गया। यह संकल्प बहुत ही विस्तृत है और इसमें ऐसा कोई विषय नहीं जिस पर चर्चा की जा सके। लेकिन संसद सदस्य इस बात के लिए इच्छुक है कि विशिष्ट मामले पर चर्चा की जाए।

श्री राममूर्ति : यदि आप चाहते हैं कि नियम 184 के अन्तर्गत इस विषय पर कल चर्चा की जाएगी तो मुझे स्वीकार है।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर मंत्री महोदय से बातचीत करनी पड़ेगी।

डा० रामसुभग सिंह (बक्सर) : मंत्री महोदय उपस्थित हैं।

संसद-कार्य और पोत परिवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : प्रथमतः तो सदन के समक्ष कोई संकल्प नहीं है। दूसरे, जब भी संकल्प प्रस्तुत किया जाता है, उसकी जांच की जाती है और हमें देखना पड़ता है कि मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है या नहीं... (व्यवधान)

श्री उमानाथ : यह निर्णय करना अध्यक्ष महोदय का कार्य है। आप चाहते हैं कि चर्चा न की जाए।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, the hon. Minister does not know whether this matter is sub-justice or not. If he is certain, he should say so now. To my knowledge, this is not sub-justice. Therefore you should allow discussion at 4 P.M. today under Rule 184.

श्री राम मूर्ति : यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया भी जाता है और किसी के विरुद्ध मुकदमा दायर भी किया जाता है तो हम सम्बद्ध व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहते। हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे कि व्यक्ति दोषी है या नहीं। हमारी चर्चा का विषय तो संरक्षण देने में प्रशासन की असफलता है। अतः इसे न्यायालय के निर्णयाधीन किस प्रकार कहा जा सकता है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : जैसा कि श्री मोरारजी देसाई ने बताया कि पुलिस प्रशासन से सम्बन्धित कानून तथा व्यवस्था की समस्या है जहां पुलिस के आश्वासन के बावजूद भी श्रीमती पारुल बोस पर घातक आक्रमण किया गया। यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है या नहीं, इस बात का यहां प्रश्न ही नहीं उठता। गृह-मंत्री को इस मामले के बारे में कोई जानकारी

नहीं। श्री गोपालन ने हमें बताया कि किसी ने भी न्यायालय में मामला दर्ज नहीं कराया है। अब संसद-कार्य मंत्री का कहना है कि वे इस बात की जांच करेंगे कि मामला न्यायालय के विचाराधीन है अथवा नहीं। यह एक अतर्कसंगत बात है। गृह-मंत्री को इस बात की पुष्टि करनी होगी कि मामला न्याय.लय के निर्णयाधीन है या नहीं ? यदि यह कहा जाता है कि यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है और बाद में यह सिद्ध होता है कि मामला न्यायालय के निर्णयाधीन नहीं है तो गृह-मन्त्री महोदय ही दोषी कहे जाऐंगे।

श्री रा० ढ़ो० भंडारे : किसी भी संसद सदस्य को व्यवस्था के प्रश्न पर न्यायालय के निर्णयाधीन मामले को उठाने का अधिकार है। मुझे यह सूचना मिली है कि दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। यह हत्या का मामला है और 24 घंटों के भीतर पहली सूचना दंडाधीश को भेजी जानी है।

श्री अ० कु० गोपालन : पारुल बोस की हत्या नहीं की गई, आक्रमण किया गया। वह अभी तक मरी नहीं हैं।

श्री रंगा कोई भी संसद सदस्य यह कह सकता है कि मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है और यदि यह बात असत्य भी सिद्ध हो जाती है तो माननीय सदस्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यदि यह मामला निर्णयाधीन है तो भी अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था बदल सकते हैं और उन्हें ऐसा करने का पूरा अधिकार है। अध्यक्ष महोदय ने आज ही इच्छा प्रगट की थी कि इस विषय पर चर्चा की जाए। जब अध्यक्ष महोदय की ऐसी इच्छा है तो इस अवसर पर स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

श्री अ० कु० गोपालन : पश्चिमी बंगाल में राष्ट्रपति शासन है अतः गृह-मंत्री का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि लोगों के जीवन की सुरक्षा का उपाय करे। पुलिस के आश्वासन के बावजूद भी श्रीमती पारुल बोस पर घातक हमला किया गया। अतः स्थगन प्रस्ताव के अस्वीकृत करने का मैं कोई कारण नहीं समझता।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : इस विषय पर 20 तारीख को चर्चा करने के लिए कहा गया है। यह एक अत्यन्त लोक महत्व का विषय है। अतः इस पर आज शाम को 4 बजे चर्चा होनी चाहिए।

श्री श्रीचन्द गोयल : मैंने 'मे' लिखित पुस्तक 'पार्लियामेंटरी प्रेक्टसिज' पढ़ी है। उसमें लिखा गया है कि यदि कोई मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है तो भी सरकार को उस मामले पर चर्चा करने की मनाही नहीं है। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं जहां न्यायालय में निर्णयाधीन मामले पर संसद में चर्चा हुई है। अतः मामले पर चर्चा करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

श्री राममूर्ति : यदि मंत्री महोदय ने यह कहा होता कि कुछ पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं और उन्हें चार्जशीट दी गई है तो यह मामला न्यायालय के निर्णयाधीन माना जा सकता

था । परन्तु मंत्री महोदय ने ऐसा कुछ नहीं कहा । यह अत्यन्त लोकमहत्व का विषय है और इस पर आज चर्चा की जानी चाहिए ।

श्री कंवरलाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय चाहें तो स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं । यह निर्णय करना अध्यक्ष महोदय पर निर्भर करता है कि यह मामला निर्णयाधीन है या नहीं ।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Speaker, Sir, It has generally been seen that general procedure is being followed consistantly. The House wants a discussion. You may allow it today. I would go even to extent of saying that in giving your rulings you are guided more by yours whims than by the procedure. I would request that exact procedure should be followed.

श्री अमजद अली (बसीरहाट) : माननीय सदस्य श्री राममूर्ति ने एक विशिष्ट घटना के बारे में प्रश्न उठाया है और इसलिए यह प्रश्न स्थगन प्रस्ताव की परिधि में आता है और इस पर चर्चा की जा सकती है । परन्तु नियम 58(7) में यह स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई मामला निर्णयाधीन है तो उस पर चर्चा नहीं की जाएगी । अतः हमें इस बात का पता लगाना होगा कि कोई मामला न्यायालय के निर्णयाधीन है या नहीं । यदि कोई मामला निर्णयाधीन नहीं है तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : कल माननीय सदस्यों ने यह स्वीकार किया था कि इस विषय पर अगले सप्ताह चर्चा हो सकती है । मैंने उस दिन स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया था । हां, मैंने इस विषय पर बाद में चर्चा करने की हामी अवश्य भरी थी । परन्तु साथ ही मुझे इस संकल्प के बारे में कोई जानकारी नहीं थी । अब माननीय सदस्य यदि संकल्प से संतुष्ट नहीं है तो इस स्थिति में यदि किसी रूप में मुझको कोई नोटिस भेजा जाता है तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

श्री राममूर्ति : हम चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दी जाए ।

श्री उमानाथ : आप अपने निर्णय को बदल सकते हैं और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य नियम 184 के अन्तर्गत मामला उठा सकते हैं ।

श्री राममूर्ति : यदि नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दी जा सकती हैं तो स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति क्यों नही दी जा सकती ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया है ।

श्री कंवरलाल गुप्त : यदि अध्यक्ष महोदय नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं तो स्थगन प्रस्ताव पर भी चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मामला न्यायालय के निर्णयाधीन नहीं है तो मैं इस चर्चा की अनुमति दे सकता हूँ ।

श्री बलराज मधोक : अध्यक्ष महोदय को अभी निर्णय देना होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नियम 184 के अन्तर्गत इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति दे सकता हूँ ।

Shri Kanwar Lal Gupta : We want to Censure the Government on this matter. When you are allowing discussion under rule 184 why cannot you admit the Censure Motion on this subject.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सरकार के विरुद्ध निन्दा का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

श्री अ० कु० गोपालन : आज मामला न्यायालय के निर्णयाधीन नहीं है, पर कल को हो सकता है ।

श्री बलराज मधोक : हमें स्थगन प्रस्ताव या नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव लाने का पूरा अधिकार है । चूंकि यह अत्यन्त लोकमहत्व का विषय है । अतः इस पर आज चर्चा होनी चाहिए । यदि चर्चा को अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया तो प्रस्ताव पेश करने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा ।

श्री रामनिवास मिर्धा : यह मामला इतना आकस्मिक है कि बिना जांच-पड़ताल किये यह नहीं बताया जा सकता कि वास्तविक तथ्य क्या है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आज सांय 4.30 बजे इस विषय पर नियम 184 के अन्तर्गत चर्चा करने की अनुमति देता हूँ ।

श्री रघुरामैया (गुन्टूर) : चर्चा में कौन-कौन से विषय आएंगे ?

अध्यक्ष महोदय : चर्चा केवल श्री राममूर्ति द्वारा श्रीमती पारुल बोस पर किये गये घातक आक्रमण के बारे में पेश किये गये प्रस्ताव पर होगी ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952, शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम तथा अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

(1) मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1952 की धारा 11 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मंत्री (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1266 में प्रकाशित हुए थे । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—422/70**]

(2) शस्त्रास्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत शस्त्रास्त्र (दूसरा संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1689 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—4221/70]

(3) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सख्या जी०एस०आर० 1690 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल०टी०—4222/70]

(4) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का दसवां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 22 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1207 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) छठा संशोधन विनियम 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 22 अगस्त 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1208 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय सिविल सेवा भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1231 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय सिविल सेवा (गैर-योरोपीय सदस्य) भविष्य निधि (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1232 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) राज्य सचिव सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1233 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) राज्य सचिव सेवायें (चिकित्सीय सुविधा) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1234 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय सिविल सेवा परिवार पेंशन निधि (अहस्तांतरित धारा) (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1235 में प्रकाशित हुए थे ।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का 10वां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1237 में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1238 में प्रकाशित हुए थे ।

(दस) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) पांचवां संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 29 अगस्त, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1262 में प्रकाशित हुए थे ।

(ग्यारह) अखिल भारतीय सेवायें (भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1268 में प्रकाशित हुए थे ।

(बारह) भारतीय सिविल सेवा (भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1269 में प्रकाशित हुए थे ।

(तेरह) भारतीय सिविल सेवा (गैर-योरोपीय सदस्य) भविष्य निधि तीसरा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1270 में प्रकाशित हुए थे ।

(चौदह) राज्य सचिव सेवाएं (सामान्य भविष्य निधि) तीसरा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1271 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षकों की अंतिम परीक्षा) संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1275 में प्रकाशित हुए थे ।

(सोलह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का तेरहवां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनाँक 12 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1316 में प्रकाशित हुआ था।

(सत्रह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 12 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1317 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (आपातकालीन कमीशन प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 12 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1318 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 12 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1332 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) भारतीय पुलिस सेवा (आपातकालीन कमीशन प्राप्त और अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारी) (प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्ति) संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 12 सितम्बर 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1333 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) भारतीय वन सेवा (भर्ती) संशोधन नियम 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 19 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1680 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का सातवां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1699 में प्रकाशित हुआ था।

(तेईस) जी०एस०आर० 1700, जो दिनांक 26 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसमें दिनांक, 25 जुलाई 1970 की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1081 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(चौबीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 का 1970 का चौदहवां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1732 में प्रकाशित हुआ था।

(पच्चीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) चौथा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1733 में प्रकाशित हुये थे।

(छब्बीस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में संख्या का निर्धारण) छठा संशोधन विनियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 3 अक्तूबर 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1734 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम 1954 का 1970 का पन्द्रहवां संशोधन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 3 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1735 में प्रकाशित हुआ था।

(अट्ठाईस) भारतीय वन सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 10 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1758 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल० टी०—4223/70]

नागरिकता अधिनियम, 1955

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 18 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, नागरिकता (संशोधन) नियम, 1970 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ जो दिनांक 19 सितम्बर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० 1342 में प्रकाशित हुए थे। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये** संख्या एल० टी० 4224/70]

———

केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1968-69 के वित्तीय लेखे

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं, श्री विद्या चरण शुक्ल की ओर से केन्द्रीय सरकार के वर्ष 1968-69 के वित्तीय लेखे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी०—4226/70]

———

केन्द्रीय रेशम बोर्ड के वर्ष 1969-70 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 12क के अन्तर्गत केन्द्रीय रेशम

बोर्ड के वर्ष 1969-70 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—4225/70]

(2) निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) खनिज और अयस्क वर्ग दो का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 1 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3271 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) जूतों का निर्यात (निरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1970, जो दिनांक 5 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3274 में प्रकाशित हुये थे।

(तीन) नाशिकीटमार और उसके निरूपण का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1970, जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3311 में प्रकाशित हुये थे।

(चार) रबड़ के हौजों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1970, जो दिनांक 12 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3319 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) जूट उत्पादों का निर्यात (किस्म नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1970, जो दिनांक 14 अक्तूबर, 1970 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस०ओ० 3396 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—4227/70]

श्रीमती शाहजहां बेगम की पेन्शन के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 122 के सबन्ध में पूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

गृह-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : श्री डी० एन० पाटोदिया द्वारा पूछे गए अंतिम पूरक प्रश्न कि डा० जाकिर हुसैन की विधवा की पेन्शन नियत करने में तथा सुविधाएं देने के लिए क्या मापदण्ड अपनाये गये हैं, के उत्तर में गृह-मंत्रालय में मंत्री ने बताया था कि यह राशि अवकाश प्राप्त करने वाले राष्ट्रपति को दी गई 12000 रु० प्रतिवर्ष की राशि के बराबर है। राष्ट्रपति की पेन्शन अधिनियम 1951 के अनुसार अवकाश प्राप्त राष्ट्रपति 12000 रु० नहीं अपितु 15000 रु० वार्षिक पेन्शन पाने का हकदार है। अतः 12000 रु० की संख्या को 15000 रु० पढ़ा जाय।

समितियों के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEES

रबड़ बोर्ड

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 4 की उपधारा 3(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुने।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि रबड़ अधिनियम, 1947 की धारा 4 की उपधारा 3(ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें. उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए रबड़ बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

इलायची बोर्ड

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इलायची अधिनियम, 1965 की धारा 4 की उपधारा (3) (ग) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष महोदय निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन, निर्वाचन की तारीख से आरम्भ होने वाली आगामी अवधि के लिए इलायची बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए, अपने में से दो सदस्य चुनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

53 वां प्रतिवेदन

संसद कार्य और पोतपरिवहन तथा परिवहन मन्त्री (श्री रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्य-मंत्रणा समिति के 53 वें प्रतिवेदन से, जो 10 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मन्त्रणा समिति के 53 वें प्रतिवेदन से, जो 10 नवम्बर, 1970 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कलकत्ता में श्रीमती परूल बोस संरक्षण देने में सरकार की असफलता के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FAILURE OF GOVERNMENT TO PROTECT THE LIFE OF MRS. PARUL IN CALCUTTA

अध्यक्ष महोदय : यह विशेष प्रस्ताव है :

"कि यह सभा सरकार की श्रीमती पारूल बोस को संरक्षण देने में असफलता की, जिन्हें 4 नवम्बर, 1970 को कलकत्ता में अपने विद्यालय में कार्य करते हुए छुरा मारा गया, हालाकि पुलिस आयुक्त को इस घटना से तीन दिन पूर्व इस सम्बन्ध में सूचना दी जा चुकी थी, निन्दा करती है ।"

इसने मेरा सिर-दर्द दूर कर दिया है । कार्य मन्त्रणा समिति ने कहा था कि वह इसका हल नहीं निकाल सकती और वह अध्यक्ष महोदय के लिए सिर-दर्द है, यहां आप सब लोगों ने बोलना आरम्भ कर दिया, मुझे आश्चर्य है ।

(इसके पश्चात लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बज कर तीस मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई)

(The lok Sabha then adjourned for lunch till Thirty minutes past fourteen of the Clock)

(मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बज कर पैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई)

(The Lok Sabha re-assembled after lunch at thirty-five minutes past Fourteen of the Clock)

[श्री श्रीचंद गोयल पीठासीन हुए ।]

[Shri Shri Chand Goyal *in the Chair.*]

श्री इन्द्रजीत गुप्ता (अलीपुर) : समाचार-पत्रों में एक गंभीर विषय प्रकाशित हुआ है जिसकी ओर मैं सरकार तथा शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। स्थानीय कालेजों में से 'सलवान कालेज' के श्री जावद आलम नामक व्याख्याता को उसके मुस्लिम होते हुये भी हिन्दू लड़की से विवाह करने के आधार पर बर्खास्त कर दिया गया। शासी निकाय के अध्यक्ष ने उसे बुला कर कहा कि कुछ व्यक्तियों ने जिनमें दो संसद् सदस्य भी शामिल हैं, उसके विवाह पर आपत्ति उठायी है अतः उसे सेवा में नहीं रखा जायेगा। इस धर्म निरपेक्ष राज्य में ऐसा नहीं होना चाहिए तथा उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

Shri George Fernandes (Bombay South) : I beg to move the motion regarding adjournment of discussion under Rule 109 which is going to be held.

Three lakh employees of Maharashtra have gone on strike for an indefinite period since yesterday mid-night on the grounds of their demand for dearness allowance. They are demanding dearness allowance at par with the employees of the Central Government. The work in Hospitals, Courts, milk scheme and other offices in the cities of Bombay and Poona has been stopped. People have to face a great difficulty. In these circumstances it is nccessary for the Central Government to look into the matter. There is much responsibility on Shri Y. B. Chavan because he is leader of Maharashtra and Maharashtra Congress. He must intervene immediately and take decision on this matter.

The State Government have to face financial difficulty while meeting the demands of State employees in giving them dearness allowance equal to that of the Central Government employees. The responsibility of removing this difficulty comes on the Union Ministry of Finance. The situation must be discussed first before we proceed to discuss the Bill. I have just gone through the news appearing in newspapers that the Chief Minister of Maharashtra has announced that he will have to postpone the meeting of Legislative Assembly of Maharashtra sheduled to begin from Monday next because that cannot be called due to strike by State Government employees. This situation would grow serious if this Parliament does not pay attention to it. Therefore, I request the hon. Minister to take this matter first and provide opportunity to us for discussion on this matter.

श्री विक्रम चन्द महाजन (चम्बा) : महोदय, आज आपने समाचार सुना होगा कि विदेशी पर्यटकों को तंग किया जाता है। हमारे देश को विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है तथा यह भी आवश्यकता है कि यहां विदेशी पर्यटक आयें। परन्तु जब विदेशी पर्यटक यहां रात्रि के 12 बजे आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती है। मैं चाहता हूँ कि इस विषय में मंत्री महोदय एक वक्तव्य दें कि तथा कथित होलिडे-आन-आइस पर कार्य कर रहे उन तीन विदेशी पर्यटकों को रात्रि के 12 बजे क्यों गिरफ्तार किया गया चाहे वे उसी समय आये थे अथवा वे भारत में एक महीने पहले से रह रहे थे। कौन अधिकारी इस गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार थे?

सभापति महोदय : तीन माननीय सदस्यों ने तीन अलग-अलग बातें उठाई हैं और संसदकार्य उप-मन्त्री श्री पार्थसारथी यहां पर उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि उन्होंने इन बातों पर ध्यान दिया होगा और महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के लिए वे महाराष्ट्र सरकार से कहेंगे। मूलतः यह मामला राज्य सरकार का है। मैंने पंजाब और हरियाणा

के मुख्य मंत्रियों को राज्य सरकारी कर्मचारियों को अन्तरिम राहत देने के लिए पत्र लिख दिया है। मैं श्री पार्थसारथी से निवेदन करूंगा कि वह इसे वित्त मंत्री के ध्यान में लायें।

अब सदन कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा प्रारम्भ करेगा।

कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक—जारी

TAXATION LAWS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—जारी

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : महोदय, विभिन्न वित्त मंत्रियों ने समय-समय पर आयकर उपबन्धों को सुव्यवस्थित करने और अधिनियम में परिवर्तन न करने के आश्वासन दिये हैं। इस प्रकार प्रतिवर्ष कुछ उपबन्धों में परिवर्तन किये जाने के कारण इस वर्ष खरीदी गई किताबें बेकार हो जायेंगी क्योंकि एक ही साल में कभी-कभी दो बार परिवर्तन कर दिये जाते हैं और लोगों को यह पता नहीं चलता कि उन्होंने किन उपबन्धों का पालन करना है।

यह कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक कुछ उपबन्धों को सुव्यवस्थित करने का एक प्रयास है। परिशोधन का उपबन्ध वास्तव में लाभकारी होगा परन्तु वस्तुओं की श्रेणी बनाने के कार्य को आय-कर अधिकारियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

मशीनों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में ले जाने के बारे में मूल विधेयक के उपबन्ध को अब यह मान कर निकाल दिया गया है कि मशीनों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का किसी विशेष राज्य के कुछ कानूनों को नहीं मानने का अर्थ है। ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार की कुछ चीनी मिलों को पर्याप्त गन्ना नहीं मिलने के कारण सरकार की अनुमति से उन मिलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया गया है अतः उस उपबन्ध को बनाये रखा जाना चाहिए और जो संशोधन किया गया है उसे भी स्वीकृत किया जाना चाहिए।

आय-कर अधिनियम, सम्पत्ति-कर अधिनियम और उपहार-कर अधिनियम में दण्ड के लिए उपबन्ध हैं। इस बारे में कुछ ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए कि अधिकारियों को भ्रष्ट करने वाले कार्य समाप्त किये जा सकें। विभिन्न कर कानूनों के दण्ड सम्बन्धी उपबन्धों का औचित्य स्थापित करने के लिए कुछ कार्यवाही की जानी चाहिए।

किसी एक व्यक्ति द्वारा अविभक्त हिन्दू परिवार की सम्पत्ति के स्थानान्तरण का उपबन्ध भी ठीक नहीं है। आयकर देने के दबाव के कारण अविभक्त हिन्दू परिवार विभाजित कर रहे हैं। अविभक्त हिन्दू परिवार को स्थानान्तरित की गई सम्पत्ति के मामले में हस्तांतरक से कर लेने का उपबन्ध रखा गया है। जब तक विभाजन नहीं होता है तब तक ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार कुछ अन्य उपबन्ध हैं और उनकी जांच की जानी चाहिए ताकि जिन कठिनाइयों का पता चला है उन्हें दूर किया जा सके।

अनिगमित निर्धारितियों को भी, जो इस उपबन्ध से लाभ उठाना चाहते है, लेखा परीक्षित लेखे पेश करने चाहियें।

तकनीशनों के सम्बन्ध में अवधि को कम करके 24 घंटे कर दिया है परन्तु तकनीशनों को दी जाने वाली अधिकतम राशि 4000 रुपये है जो कि किसी अच्छे तकनीशन द्वारा पर्याप्त राशि नहीं बताई जायेगी। यह राशि 7000 रुपये तक बढ़ाई जानी चाहिए।

कुछ उपबन्धों का औचित्य स्थापित करने के लिए जो कार्यवाही की गई है उसे दूसरे उपबन्धों के साथ भी किया जाना चाहिये जिससे विभाग तथा निर्धारितियों को ज्ञात हो सके कि मामला किस प्रकार चलता है और उपबन्धों को मानने में कम कठिनाई होगी तथा राजस्व को भी लाभ होंगा और लोग अधिक सुरक्षित प्रतीत करेंगे।

श्री न० कु० सांघी (जोधपुर) : हम कराधान विधिया (संशोधन) विधेयक पर विभिन्न अधिनियमों में संशोधन करने की दृष्टिकोण से चर्चा कर रहे हैं। मैं प्रवर समिति का सदस्य था जिसने इस विधेयक के बारे में प्रस्ताव किये थे।

इस कराधान कानून पर उचित चर्चा करने से पूर्व हमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर देखना होगा। वर्ष 1860 के पश्चात वर्ष 1922 में यह अधिनियम था जो 40 वर्षों तक वैसा ही बना रहा। वर्ष 1961 में जब वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 बना तो उसका बहुत स्वागत किया गया और कहा कि इस देश में सब निर्धारितियों की समस्या को यह अधिनियम हल कर देगा। परन्तु 10 वर्ष की अवधि के अन्दर ही 400 से अधिक संशोधन इस अधिनियम के लिये लाये गये, बहुत से उपबन्ध जोड़े गये और बहुत से भाग निकाल दिये गये। वित्त मंत्री श्री मोरार जी देसाई ने आश्वासन दिया था कि इस अधिनियम के सम्बन्ध में यदि कोई कानून बनाया जायेगा तो वह अलग कानून द्वारा बनाया जायेगा। वित्त विधेयक, 1970 के द्वारा बहुत सी कराधान विधियां बदल दी गई तथा उससे कानूनी कठिनाइयां उत्पन्न होने जा रही हैं।

इस संदर्भ में उच्चतम न्यायालय के वर्तमान जस्टिस श्री जे० सी० शाह के शब्द विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनका कहना है कि प्रस्तुत कराधान विधियों ने न्यायालयों और अधिकरणों के कार्यों को बहुत बढ़ा दिया है। आये दिन इन विधियों से सम्बन्धित कोई न कोई समस्या न्यायालयों के समक्ष आ खड़ी होती है। वास्तव में वर्तमान कराधान-विधियों की यही सब से बड़ी समस्या है। फिर भी यह बड़े संतोष की बात है कि वर्तमान विधेयक को एक पृथक-विधान के रूप से सभा के समक्ष रखा गया और इसी तरह ही इसे प्रवर समिति को भेजा गया है। प्रवर समिति द्वारा इसे अन्तिम रूप देने से पूर्व काफी कार्य करना पड़ा। सैकड़ों लोगों ने उसके समक्ष साक्षियां दी। अधिकांश खण्डों को जो मूलतः सरकार द्वारा ही प्रस्तुत किये गये थे, छोड़ देने पड़े। उदाहरण के तौर पर, फर्मों को मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में, फर्मों को मान्यता प्रदान करने की नई योजना के द्वारा, इस विधान को सरल बनाने का समूचा विचार ही लुप्त हो गया, यद्यपि इसकी पूर्व कल्पना की गई थी। इसी प्रकार हिन्दू संयुक्त परिवार का उदाहरण भी लिया जा सकता है। इससे सम्बन्धित विधान की व्यवस्था करके हम संयुक्त हिन्दू परिवार के मूल उद्देश्य को ही समाप्त कर रहे हैं। वास्तव में हमें हिन्दुओं और समस्त समाज की भावनाओं

और आकांक्षाओं को समझने का प्रयास करना होगा । सैकड़ों वर्षों से जो परम्परा और पद्धति चली आ रही है, हमें इस प्रकार उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए । साक्षियों के आधार पर, सरकार इस बात पर तो सहमत हो गई है कि यह 1965 की अपेक्षा 31 दिसम्बर, 1969 से लागू होगा । परन्तु फिर भी यह एक ऐसा सुझाव है कि यदि कुछ अधिक राजस्व प्राप्त करने का उद्देश्य है, तो भी संयुक्त हिन्दू परिवार की कर-दर में थोड़ी वृद्धि करके समूचा मामला हल किया जा सकता है । मेरा विचार है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार को अभी विचार करना चाहिए और यह उपबन्ध समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

प्रस्तुत विधेयक में एक अन्य बात व्यय के परिशोधन से सम्बद्ध है जिसकी कि अनुमति दी गई है । यह सुझाव तो अपने आप में बहुत अच्छा है, परन्तु ढाई प्रतिशत की जो अधिकतम सीमा रखी गई है, वह उचित नहीं है ।

इस नये विधेयक में एक मूल भूत परिवर्तन सरकार को संक्षिप्त कर-निर्धारण, विशेषकर ऐसे मामलों में करने से सम्बद्ध है, जहां कि करदाता की आय बहुत थोड़ी है । यह वास्तव में एक बहुत अच्छा सुझाव है । इस नये विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि आयकर अधिकारियों की संक्षिप्त कर-निर्धारण करने की अनुमति होगी, परन्तु उन्हें ये मामले पुनः तब तक नहीं उठाने दिये जायेंगे जब तक कि उन्हें यह मालूम न हो जाये कि उसमें वास्तव में कोई दोष है और धारा 147 और 140क के अन्तर्गत तो इन मामलों को पुनः उठाने के लिए वर्तमान उपबन्धों में उन्हें दण्ड देने की भी पर्याप्त व्यवस्था की गई है ।

संक्षिप्त कर-निर्धारण के सम्बन्ध में वर्तमान विधान में बहुत कम उल्लेख किया गया है । जिन लोगों ने विवरणी नहीं भेजी है, उन्हें कारावास का दण्ड देने की व्यवस्था की गई है । यह बात ठीक नहीं है और न ही इससे समस्या का समाधान ही होगा । आज समय आ गया है जबकि सरकार को एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए जिसमें कि प्रत्येक व्यक्ति यह अनुभव करे कि देश के विकास के लिए, करों का भुगतान करना उसका नैतिक कर्तव्य है ।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं हमने जो दण्ड निर्धारित किये है वह किस स्थिति में दिये जा सकते हैं ? यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पति छिपा कर, विवरणी भर देता है तो वह कर से बच जाता है, उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है ? इसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति जिसकी सम्पति दो लाख की है, विवरणी में उसे केवल एक लाख दिखाता है, उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था की गई है ? केवल विवरणी न भरने के लिए दंड निर्धारित करने से तो काम नहीं चलेगा । दूसरे आज सम्पत्ति का मूल्यांकन करना भी तो कोई आसान कार्य नहीं है । जो लोग अपनी सम्पत्ति के बारे में ठीक ठीक अनुमान नहीं लगा सकते, उन्हें दंड देना भला कहा का न्याय होगा ? मेरा विचार है कि सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और यह दंड समाप्त कर दिया जाना चाहिए ।

आज हमें एक रुपये की कर वसूली के लिए 2.2 पैसे खर्च करने पड़ते है जबकि पहले 1.3 पैसे प्रति रु या खर्च करना पड़ता था । वांचू समिति ने इस सम्बन्ध में अपने निष्कर्ष दिये हैं कि कर-की चोरी को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा सकते हैं । आज मैं एक बात स्पष्ट

करना चाहता हूँ। हमारे कृष्चेलर राजस्व का अनुमान 17,000 करोड़ रुपये है परन्तु इसमें से केवल 780 करोड़ रुपये का कर ही वसूल होता है। दूसरी ओर 1500 करोड़ रुपये की कृषि आय पर केवल 11 करोड़ रुपये का आयकर प्राप्त होता है। इस भारी विषमता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अतः हमें कृषि आय पर भी कुछ कर लगाना चाहिये क्योंकि ऐसे कृषक भी हैं जो विभिन्न प्रकार के बिना कृषि से सम्बद्ध कार्य भी कर रहे हैं।

प्रत्यक्ष कर बोर्ड कानून तो बना देता है परन्तु उनकी व्याख्या के बारे में कभी निर्णय नहीं देता। इसके लिए हमें किसी अधिकरण उच्च न्यायालय या उच्चत्तम न्यायालय में जाना पड़ता है। कई बार छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी समस्यायें उपस्थित कर देती है। अतः हमें एक इस प्रकार का सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना चाहिये जिससे कि करदाता और कर-प्राप्त करने वालों के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित किये जा सकें।

आयकर विभाग के पास भूमि खंड पड़े है परन्तु वह उन पर भवन निर्माण नहीं कर रहा यद्यपि उसे अपने कार्यालयों तथा कर्मचारियों के लिए उनकी आवश्यकता होती है। इस बात पर भी कुछ ध्यान दिया जाना चाहिए।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : मैं वित्त मन्त्री द्वारा कही गई इस बात से पूर्णतया सहमत हूँ कि यह विधेयक, जैसा प्रवर समिति से आया है, मूल विधेयक की अपेक्षा इसमें काफी सुधार किया गया है। इससे पूर्व कि मैं विधेयक की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करूं, मैं श्री हिम्मतसिंहका और श्री सांघी द्वारा कर-संहिता को स्पष्ट बनाने और उसके सरलीकरण करने की मांग का समर्थन करता हूँ। प्रत्यक्ष कर प्रशासन जाँच समिति से लेकर प्रशासनिक सुधार आयोग तक जिसमें भूतलिंगम समिति भी शामिल है, सभी ने कराधान नियमों को स्पष्ट और सरल बनाने की सिफारिश की है। परन्तु उनके बड़े बड़े सुझावों के बाद भी यह सम्भव नहीं हो सका है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हर वर्ष इसमें कुछ न कुछ संशोधन किये जाते हैं, जिससे कि मामला और गम्भीर होता जा रहा है। अतः मेरा यह नम्र निवेदन है कि इन समितियों या आयोगों द्वारा की गई सिफारिशों पर अमल करने के श्री डी० टी० कृष्णामचारी से लेकर मोरार जी देसाई तक के विभिन्न वित्त मन्त्रियों द्वारा दिये आश्वासनों को पूरा किया जाना चाहिये। प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्य में भी यह स्पष्ट किया गया है कि कराधान-विधियों को सरल बनाने के लिए यह विधेयक पेश किया जा रहा है, परन्तु मुझे इस बात पर खेद है कि अपेक्षित संशोधन द्वारा भी इस मूल समस्या की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। इसमें हमने कोई बात अमरीका के अधिनियम से ली है, कोई आस्ट्रेलिया से तो कोई किसी अन्य देश से। इस प्रकार हमने उसे अच्छा बनाने के प्रयत्न में ही बुराईयों से भर दिया है। मुझे विश्वास है कि वांचू समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सरकार फिर इसमें कुछ संशोधन करने का प्रयत्न करेगी। यह ठीक है कि इस समिति की सिफारिशें काफी मूल्यवान होगी, सरकार उन्हें बेशक स्वीकार करे। परन्तु सरकार को यह तो निर्णय करना चाहिए कि किस समय तक यह प्रयोग समाप्त हो जायेंगे और विधेयक में कोई अन्य संशोधन नहीं किया जाएगा, ताकि न केवल करदाताओं, बल्कि कर-प्रबन्धकों और कर-सलाहकारों को भी सुख की सांस लेने का अवसर मिले।

विधेयक के उपबन्धों पर चर्चा करते समय मैं सर्वप्रथम धारा 52 पर विचार करना

चाहूँगा । इसमें विवरणियां न भेजने के कारण कारावास आदि दंड की व्यवस्था की गई है। परन्तु हमारे यहां ऐसे मन्त्री भी हैं जिन्हें मन्त्री बने 15 वर्ष हो गए हैं परन्तु वह विवरणी भरना भूल जाते हैं। अगर उनकी यह स्थिति है, तो साधारण नागरिकों से हम क्या आशा कर सकते हैं ? अतः मेरा विचार है कि इसके लिए दंड नहीं दिया जाना चाहिए। शारीरिक दंड विचार-परिवर्तन के लिए दिया जाना चाहिए न कि सामाजिक-आर्थिक बुराईयों के लिए। खण्ड 30 इस विधेयक की आत्मा है। इस उपबन्ध द्वारा जिन व्यक्तियों की आय 20,000-25,000 रुपये होगी । वे आयकर विभाग की परेशानी से मुक्त होंगे क्योंकि आयकर अधिकारी को इस तरह की मनमानी नहीं करने दी जाएगी । उन्हें केवल सांख्यिकी अशुद्धियों को सही कर सकेंगे और इसके साथ ही वह उसमें कुछ अन्य ऐसी बातें भी जोड़ सकेंगे जिनका कि करदाता कोई प्रतिरोध न कर सकता हो। वह ऐसे खर्चे की अनुमति भी दे सकेंगे, जिसका कि करदाता ने कोई दावा न किया हो। अतः इस में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। जिसकी कि करदाता को शिकायत करनी पड़े।

खंड 16 तो हिन्दू समाज की जड़ों को खोखला कर देगा। मूल रूप से इस खंड के बहुत से घातक परिणाम हो सकते हैं। इससे न केवल करदाता ही परेशान होंगे, अपितु यह विभाग के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। ऐसे बहुत से सच्चे मामले भी हो सकते है जहां कि सामाजिक आवश्यकताओं के कारण सम्पत्ति को इकट्ठा करना जरूरी होता है। संयुक्त हिन्दू परिवार एक प्रकार से समाजवादी व्यवस्था दी है। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारी सरकार जो हर समय समाजवाद का शोर मचाते नहीं थकती, वह इस प्रकार की आधार भूत समाजवादी व्यवस्था को नष्ट करने पर क्यों तुली हुई है। मैंने जो संशोधन प्रस्तुत किया है, यदि उसे स्वीकार कर लिया जाए तो व्यवस्था के कारण जो अभाव उत्पन्न होता है, उसे पूर्ण किया जा सकता है।

श्री विक्रम चन्द्र महाजन (चम्बा) : मैं समझता हूं कि सरकार इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि आखिर उसने पुरानी जीर्ण-शीर्ण करधान कानून में परिवर्तन लाने का प्रयास तो किया है। वर्तमान विधेयक के खंड 16 के अन्तर्गत संयुक्त सम्पत्ति अथवा संयुक्त आय पर कर लगाने का प्रयास किया गया है। इसका कुछ विरोधी दलों ने विरोध भी किया है। इनमें कुछ शेष भी दृष्टिगोचर होते हैं। सरकार को इन्हें दूर करने की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि साझेदारियों को ठीक प्रकार से रजिस्टर करने के समबायों की आय पर उचित ढंग से कर लगाने का प्रयास किया गया है। परन्तु वसूली पर बढ़ते हुये खर्चों को कम करने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। करदाता को कर देते समय जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कम करने की ओर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया ताकि यदि वह आयकर अधिकारी के विरुद्ध अपील करना चाहे, तो कर सके। अपीलीय आयुक्त को बहुत सरलता से छोड़ा जा सकता था। न्यायाधिकरण की अनुमति को भी छोड़ा जा सकता था, परन्तु इन सभी बातों पर ध्यान देने का तनिक भी प्रयास नहीं किया गया।

मैं आपके समक्ष एक अन्य उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगा। संशोधनों के फलस्वरूप लगभग 1 लाख मामले समाप्त हो गये थे। लगभग 2 लाख करदाता कर मुक्त हो गये थे परन्तु इसके बाद कृषि भूमि पर सम्पत्ति कर लगाया गया तो आयकर विभाग ने इस कार्य के लिए लगभग 100

आयकर-अधिकारियों और कुछ आयुक्तों की मांग की। उनका कहना था कि इस नये कर से काम बढ़ गया है परन्तु संशोधनों के कारण जो विभाग के कार्य में भारी कमी हुई थी, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वहां कर्मचारी बढ़ते जाते हैं, काम में कितनी वृद्धि होती है, इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता।

कराधान विधियों में जो भी संशोधन किया जाता है उसका प्रमुख उद्देश्य करदाता के कार्य को आसान से आसान बनाना होना चाहिये जिससे कि करदाता सम्मानपूर्वक अपने करों का भुगतान कर सके। परन्तु यह खेद की बात है कि आज तक जितने भी संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं, उनमें से किसी ने भी इन बातों को नहीं उठाया। यह आश्चर्य की बात है कि स्वतन्त्रता से पूर्व आयकर विभाग कर एकत्रित करने के लिए, करदाताओं को कर-निर्धारण फार्म स्वयं भेजा करता था। परन्तु आज स्वतन्त्रता के बाद करदाताओं को फार्म लेने के लिए भी स्वयं जाना पड़ता है। यही नहीं कई बार फार्म लेने जो करदाता जाता है उन्हें यह उत्तर भी मिलता है कि फार्म समाप्त हो गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप कर अपवंचन के लिए तो भारी सजाओं की व्यवस्था कर सकते हैं, परन्तु फार्म लेट देने, या चक्कर लगाने पर भी न दिए जाने के लिए क्या आपने कोई सजा रखी है? इसके साथ ही कई बेचारे ऐसे करदाता होते हैं जो कराधान विधियों को समझने में असमर्थ होते हैं, अशिक्षित होते हैं, उन्हें अपनी विवरणियां भेजने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। फिर हमारी कराधान विधियां तो दिन प्रतिदिन होने वाले संशोधनों के फलस्वरूप जटिल होती चली जा रही है। एक एक धारा पर न जाने कितने-कितने संशोधन हो चुके हैं। अतः मेरा यह निवेदन है कि उन्हें सरल बनाया जाये ताकि उन्हें सभी लोग आसानी से समझ सकें।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कराधान-विधियां इस प्रकार से बनाई जानी चाहियें कि वह अधिक राजस्व एकत्रित कर सके और वह अधिक स्थायी हो। कुछ कराधान विधियों में संशोधन की आवश्यकता है। इसी प्रकार मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र में कर न लगाने का कोई औचित्य नहीं है। यदि 6000 रुपये तक की कृषयेलर आय पर आप कोई कर नहीं लगाते, तो कृषि आय पर होने वाली इससे अधिक आय यथा 10,000 तक ही कोई कर लगा दीजिये। अतः मेरा विचार है कि अब समय आ गया है जबकि हमें कराधान विधियों पर पूर्ण विचार करना चाहिए ताकि अधिक राजस्व एकत्रित किया जा सके।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापतनम) : श्रीमान जी, यह सौभाग्य की बात है कि मैं आयकर देने वालों के वर्ग में नहीं आता। मैं आयकर विवरणियां भरने वाली श्रेणी में नहीं आता क्योंकि यहां मिलने वाले वेतन के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई आय का साधन नहीं है। यहां मुझे यही निवेदन करना है कि वह सरकारी कर्मचारी, जिनका आयकर उनके एक ही स्रोत से कटता है और जो पहले ही यह घोषणा कर चुके होते हैं कि उनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है, उन्हें आयकर विवरणियां भरने के लिए नहीं कहा जाना चाहिये।

अगली बात मुझे संयुक्त हिन्दू परिवार के सम्बन्ध में कहनी है। संयुक्त हिन्दू परिवार से सम्बद्ध उपबंध अच्छा नहीं है क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि जो सामूहिक सामग्री में डाली

जाता है, वह अलग सम्पत्ति होती है। परन्तु यह समझना तो कानूनी अदालतों का कार्य होता है न कि सरकार या विधान सभा का हमें यह मालूम नहीं होता कि वे इसका अनुमान कैसे लगा लेते हैं, इसका अन्य लोगों की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा और संयुक्त परिवार के अन्य सदस्यों की आय का उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मंत्री महोदय के साथ विभाग के जो अन्य कर्मचारी वहां उपस्थित थे, हमने उन्हें समझाने का प्रयत्न किया परन्तु उन्होंने उत्तर दिया कि हमारे पास सत्ता है, इसीलिए हम जो कुछ भी कहेंगे, वही कानून होगा। अतः हमारे यहां इस प्रकार का कानून होता है। खैर फिर भी, मैं अपने अन्य साथियों के साथ मन्त्री महोदय को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने विधेयक में सुधार करने के लिए, अन्य लोगों के कुछ साधारण संशोधनों को सहर्ष स्वीकार किया है।

मेरा यह भी विचार है कि जिस गृह सम्पत्ति का मूल्य एक लाख रुपये से कम है, उसे प्रस्तुत नये खंड के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता नहीं है।

वर्तमान विधेयक की सबसे बड़ी त्रुटि बट्टेखाते के बारे में है। सरकार को कोई कर बट्टेखाते में डालने का अधिकार केवल उसी स्थिति में हैं, जबकि वह वसूली के योग्य न हो। आयकर अधिकारी छोटे करदाताओं के बारे में उदारता नहीं दिखाते परन्तु दूसरी ओर वह धनी लोगों के मामले में लाखों रुपये का कर बट्टेखाते में डाल देते हैं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर मंत्री महोदय को कुछ-न-कुछ विचार अवश्य करना चाहिए।

इसके साथ-साथ कारावास का दण्ड देने का विचार भी अच्छा नहीं है। इस सम्बन्ध में विभाग सदैव ही यही दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि यदि कारावास का दण्ड नहीं होगा, तो कोई भी व्यक्ति कर नहीं देगा। मेरे विचार से इस प्रकार का तर्क बिल्कुल गलत है। इस प्रकार तो हम सभी करदाताओं को अपराधी बना देंगे और इसका परिणाम यह होगा कि लोगों की सद्भावनाएं समाप्त हो जायेंगी। मेरे विचार से इसे केवल अन्तिम दण्ड ही रखा जाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और यदि कुछ संशोधन स्वीकार कर लिये जायें तो सदन इसे और भी सहर्ष स्वीकार करेगा। मौलिक विधेयक की अपेक्षा वर्तमान विधेयक निश्चय ही अच्छा है यद्यपि यह विधेयक उतना अच्छा नहीं बन पाया जितना कि श्री दांडेकर इसे बनाना चाहते थे।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : सभापति महोदय, मैं कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मुझे न्यायाधीश सीमरसेट के यह शब्द स्मरण हो आते है कि कर देने का कार्य अपने आप में कठिन कार्य है और विधान मंडल समय-समय पर न केवल इसे और कठोर ही बना देता है अपितु इसे इतना कठिन बना देता है कि कर देने वाले की अपेक्षा कर वसूल करना भी कठिन बन जाता है। श्री महाजन ने भी इस ओर संकेत किया है कि कर-कानून इतने कठिन है कि उन्हें समझना किसी के बस का रोग नहीं है और मैं भी उनकी इस मान्यता से पूर्णतया सहमत हूं। यदि कोई वकील भी यह कहता है कि मुझे कर-कानूनों की पूर्ण जानकारी है, तो वह पाखंड करता है। प्रशासन ने तो इसे और भी दुष्कर बना दिया है।

इस समस्या के दो पहलू हैं। एक तो यह है कि जिस प्रकार हम आये दिन अपने कर-कानूनों में संशोधन करते रहते हैं। इससे तो हमारे कानूनों का स्थायी प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। दूसरे इससे कर-दाता का अनादर तथा अपमान होता है। इसीलिए मैंने केवल साधारण, साधारण बातों पर ही कर कानूनों में संशोधन करने का कड़ा विरोध किया है। इनमें पहले ही बहुत अधिक संशोधन किये जा चुके हैं।

जहां तक वर्तमान कराधान विधियां (संशोधन) विधेयक का सम्बन्ध है, इसकी बात दूसरी है। यह विधेयक प्रशसनीय है और इसे सभा के प्रत्येक वर्ग ने सराहा है। आठ वर्षों में यह पहला अवसर आया है जबकि हमारे कर-कानूनों को सच्चे अर्थों में सार्थक बनाने के लिए कोई प्रयत्न किया जा रहा है। आठ वर्ष कुछ कम समय नहीं होता है इतने समय के बाद आज हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि जिन उद्देश्यों के लिऐ कानून बनाये गये थे, क्या वह पूर्ण हुये हैं या नहीं। अब जबकि हमारे सभी उद्देश्य तथा मान्यतायें स्पष्ट हो चुकी है, तो फिर अपने कराधानों में निरन्तर परिवर्तन करने का कारण मुझे समझ नहीं आता।

मैंने विधेयक के विभिन्न खंडों पर की गई आलोचना सुनी है। सब को खुश करने वाला कर-कानून खोज निकालना तो किसी के लिए भी सम्भव नहीं है। अतः मैं मंत्री महोदय की कठिनाई को समझता हूं। यद्यपि मेरा सम्बन्ध शासन दल से है फिर भी मैं समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सिफारिशों से सहमत नहीं हूँ। परन्तु दृष्टिकोण में मतभेद होना अवश्यमभावी है।

अब मैं विधेयक के कुछ विशिष्ट खंडों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करूंगा। खंड 8 के अन्तर्गत आयकर अधिनियम में दो नई स्वीकृतियों, धारा 35(घ) तथा 35(ङ) को शामिल करने का उद्देश्य रखा गया है। इस का उद्देश्य कुछ व्ययों का परिशोधन करना है। मैं मानता हूँ भारत में कराधान विधि में परिशोधन करने का यह विचार लाभदायक तथा सराहनीय है। परन्तु फिर भी इसकी कोई सीमाबन्दी होनी चाहिए अन्यथा इस सुविधा का कोई लाभ नहीं होगा। विलय किये जाने व्यय के साथ-साथ मिश्रण का भी परिशोधन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा एकाधिकारों पर रोक लगाने के लिए किया गया है तो इसके लिए एक अन्य विधेयक है। विलय कोई आवश्यक नहीं है। मैं अपने माननीय मित्र झा साहब का सम्मान करता हूँ। मैं भी एकाधिकारों को समाप्त करने का उतना ही समर्थन करता हूं जितना कि वह करते हैं और मैं भी इसी की बात कर रहा हूं।

इसके बाद खंड 16 आता है जिसमें कि संयुक्त हिन्दू परिवार की बात आती है। अभी-अभी मुझे श्री तेन्नेटि विश्वनाथम का विद्वत्तापूर्ण वक्तव्य सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री दांडेकर ने भी अपने वक्तव्य में प्रस्तुत खंड का अनुमोदन नहीं किया। उनका मत था कि प्रस्तुत खंड के जोड़ने या हटाने पर ही संयुक्त हिन्दू परिवार का भाग्य निर्भर करता है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा विचार है कि धारा 64 का क्षेत्र विस्तृत नहीं किया जाना चाहिए। इसके बजाय इसको ऐसे मामलों पर लागू किया जाना चाहिए जैसे केशवलाल लल्लू भाई के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के फलस्वरूप विभाग को अवयस्क, पति या पत्नी की आय जोकि हस्तांतरण, करने वाले के अधिकार में होती है, पर पहुंचने से रोका जाना चाहिए। इसके साथ ही यह भी

ध्यान रखा जाना चाहिए जब बड़े करदाता अपनी संपत्ति को बांटते हैं तब केवल छोटे करदाता जोकि 15-20 वर्षों तक परिश्रम करते हैं और फिर अपनी आय संयुक्त स्टाक में लगाते हैं। छोटे करदाता जो कर देते हैं वह किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कर के सममूल्य ही होता है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि इस खंड के अन्तर्गत किसी छोटे करदाता को भला क्यों दंडित किया जाता है।

अब मैं कराधान के सम्बन्ध में धारा 143 की उप-धारा 1 को पुनः लिखने वाले खंड 34 के विषय में अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करूंगा। यह समस्या उस समय उत्पन्न हुई जब उच्चतम न्यायालय ने जयपुर उद्योग लिमिटेड के बारे में निर्णय करते समय यह कहा कि आयकर अधिनियम की धारा 141 के अनुसार कर निर्धारण दाखले के आधार पर ही किया जाना चाहिए। यदि मैं विवरणी में अपनी ठीक ठीक आय नहीं दिखाता, तो मुझे भारी दण्ड दिया जा सकता है और मुकदमें के बाद जेल भी भेजा जा सकता है। मेरी बात सुने बिना, मेरी विवरणी के किसी आँकड़े को बदलने या ठीक करने का आयकर अधिकारी को कोई अधिकार नहीं है। यह एक अन्य बात है कि इस का उत्तरदायित्व करदाता पर ही होता है और यदि उसे अपील करनी होती है तो पहले वह अपीलीय आयकर सहायक आयुक्त के पास जाती है और फिर अपीलीय सहायक आयुक्त के पास भेज दी जाती है। अतः यह जहां आप के कानून में ही एक त्रुटि है, दूसरी ओर इससे दूसरे व्यक्ति को अपनी बात कहने तक का भी अधिकार नहीं दिया जाता। अतः यह भी सन्देहपूर्ण बात है कि क्या संवैधानिक दृष्टि से भी ऐसा उपबन्ध कभी युक्तियुक्त होगा? अचलसिंह द्वारकादास के मामले में निर्णय देते समय उच्चतम न्यायालय ने 41 आई०टी०आर० का उल्लेख किया है खंड 34(ग) के उपबन्ध के अन्तर्गत इस बात की व्यवस्था करने पर विचार किया गया है कि पुनः करनिर्धारण करते समय आयकर-अधिकारी केवल अपील करने वाले करदाता की ही नहीं अपितु किसी भी तीसरे पक्ष के कारदाता का बिना निश्चित सीमा के पुनः कर-निर्धारण भी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अंशतः उन उपबन्धों को अवैध घोषित कर दिया है और कहा कि ये उपबन्ध केवल उसी व्यक्ति पर लागू होते हैं जिन्होंने अपील नहीं की है। ऐसे व्यक्ति के प्रति प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं दिए जा सकते। यह एक अजीब स्थिति है अर्थात मैं कार्यवाही का एक पक्ष हूँ फिर भी मेरे पर उत्तरदायित्व थोपे जाते हैं। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी की नौबत पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि माननीय मंत्री इस मामले पर ध्यान देंगे जैसा कि उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि वे सदन द्वारा प्रस्तुत उपयुक्त संशोधनों को स्वीकार करेंगे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि कोई व्यक्ति अपनी आय छिपाता है या भुगतान में विलम्ब करता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष की सजा दी जाए। लेकिन कराधान नियम इतने कठिन हैं कि उन उपबन्धों का पालन करना किसी के लिए भी असम्भव है। कराधान नियम जीवन की वास्तविकताओं से जुड़े होने चाहिए। सरकार का कार्य उन लोगों को सजा देने का है जो जानबूझ कर अपवंचन करते हैं और विवरणिका नहीं भेजते हैं। अतः माननीय मंत्री को ऐसा उपबन्ध बनाना चाहिए ताकि केवल वही व्यक्ति दंडित हों जिन्हें दंड दिया जाना है, भोले भाले लोगों को जेल नहीं भेजा जाना चाहिए। यदि उपबन्ध को वैसा ही बना रहने दिया गया, जैसा वह है, तो कर अपवंचक तो दंड पाने से बच जाएंगे और भोले भाले व्यक्ति जेल जायेंगे। अब मैं खंड 43 के बारे में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 185 में संशोधन की बात कही गई है, कहना

चाहता हूं : यह अच्छी बात है कि माननीय मंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि फर्मों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नहीं बदला जाएगा । लेकिन एक परिवर्तन किया गया है और वह यह कि यदि किसी मामले में कोई साझेदार दूसरे साझेदार का वेनामादार है तो उस फर्म का पंजीकरण नहीं किया जाएगा । मान तो 'ख' 'क' का वेनामादार है और 'क' अपनी विवरिणका में 'ख' को अपना वेनामादार दिखाता है और अपनी विवरिणका में उसकी आय को शामिल करता है तो इसमें धोखे की क्या बात है ? जो व्यक्ति विवरिणका में यह सब नहीं बताता उसे तो नियम उल्लघंन के लिए सजा नहीं दी जाती परन्तु जो ईमानदार व्यक्ति सारे तथ्य बता देते हैं उन्हें परेशान किया जाता है । कैसे अव्यवहारिक नियम बनाए जा रहे हैं ? माननीय मंत्री कृपया इन पर विचार करें । इस उपबन्ध से उस व्यक्ति पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जो तथ्य छिपाता है बल्कि इससे तो वही ईमानदार व्यक्ति प्रभावित होगा जो यह तथ्य बता देता है कि अमुक व्यक्ति उसका वेनामादार है और केवल इसी आधार पर फर्म का पंजीकरण रोक दिया जाता है । मुझे आशा है कि सरकार विधेयक पर खंडवार विचार करते हुए इस पहलू पर विचार करेगी ।

Shri Shinkre (Panjim): I was a member of the Select Committee which was appointed in regard to this Bill. I made a number of suggestions and they were accepted. But one suggestion, which was made by Shri Dandeker, was not accepted by the Ministry and the Legal Adviser on the plea that it is out of the scope of the Select Committee. If this amendment is accepted Bill will be beneficial to the people of Goa. I request the hon. Minister to reconsider the suggestion made by Shri Dandeker.

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Many amendments have been made in our taxation laws but they proved useless due to the basic problems of our tax-structure. To my knowledge, there are three basic problems of tax-structure. First problem is that more facilities are provided to the persons who earn their money by property than those who get income by hard work. Second problem is this that tax rate is being increased and tax base is being reduced. Third problem is of tax-evasion. According to a number of experts amount of tax-evasion reaches 5 or 6 crores per year. Nothing has been done to solve this problem. It has become necessary to make such amendments in our tax legislation which can help to remove these drawbacks.

A new facility has been given in form of amortisation to start new companies and industries. Till now such facility has not been given to tax-payer. Industrialists and traders are given a number of facilities such as development fund, depreciation fund, special development fund, tax help. In this way they receive a huge amount from the Government which they have not even spent in their business. It means that they can start new industry without spending money. The policy of giving such help to industrialists and monopolists at the cost of the society as a whole is improper and therefore it cannot be accepted.

Discrimination is being made between the persons who are in service and the persons who operate business for the payment of taxes. While making assessment under our existing taxation rules businessman is given rebate on the expenditure which is "wholly or exclusively laid out or expanded for the purpose of business. On the other side hard workers are given rebate on amount which is "wholly, exclusively and necessarily incurred in the performance of the duty." For businessman it is not 'necessary' but for hard worker it is not 'necessary'. Such type of discrimination should not be made.

On one hand Government say that we should be self-dependent and on the other hand it is commended that foreign technicians and foreign capital should be encouraged

through taxes. The policy to encourage foreign trade through taxes should not be adopted. Why they should be encouraged at the cost of the society as a whole ? But it is a deplorable State of affairs that facility of amortisation is being also given to the resident non-Cooperative assessee in which foreigners are also included.. (*Interruptions*). This should be made clear that such facility will not be given to foreign capital or foreign companies.

The salary of foreign technicians who is earning four and a half thousand in a month is free from tax. It has been demanded to employ more foreign technicians so as to earn more profit. But it should not be done when a number of technicians in India are out of job. Similarly owners of tea plantation are being given special facilities. The grant which is given to them by the Government is free from tax. It is being done because foreign capital is involved in tea plantation. In this way help is being given to foreigners owning tea plantation ? Is it a part of our policy ? Since the judgement of the Supreme Court, the Joint Hindu family is being used as Chief excuse for tax-evasion. In villages, members of Joint family show themselves as single just as to avoid land ceiling. In urban areas, separate families show themselves as joint families so as to get the facilities. We should eradicate the sources of tax-evasion. Therefore, I want that to solve the three basic problems which I stated above a comprehensive Bill should be introduced so that we can solve our economic problems.

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) ; The Policy of Government about taxation law is quite unscientific, ambiguous and vague. Whenever any Committee is set up and gives its recommendations, they are further amended with the remarks that it could be further streamlined and further rationalised. It shows that the Government policy about taxation is quite vague. This Bill is simply a clever attempt to meet some immediate exigencies. This is a policy of the Government to make only such laws which are not practicable.

In the Bill, there is a provision to punish the man who evades taxes or liability. But a new system named amortisation is a clever attempt to help Companies. Government are not liberal to give rebate in taxes to cripple or invalid persons. No doubt the ceiling has been increased from 2000 rupees to 4000 rupees. But in view of the decreasing value of money this ceiling is not enough. It is guaranteed that amortisation will be used as a tool of tax evasion.

कलकत्ता में श्रीमती परूल बोस को संरक्षण देने में सरकार की असफलता के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : FAILURE OF GOVERNMENT TO PROTECT THE LIFE OF MRS. PARUL IN CALCUTTA

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा सरकार की श्रीमती परुल बोस को संरक्षण देने में असफलता की, जिन्हें 4 नवम्बर, 1970 को कलकत्ता में अपने विद्यालय में कार्य करते हुये छुरा मारा गया, हालांकि पुलिस आयुक्त को इस घटना से तीन दिन पूर्व इस सम्बन्ध में सूचना दी जा चुकी थी, निन्दा करती है।"

ऐसा कहा जा सकता है कि मैं मार्क्सवादी समाजवादी दल का सदस्य हूँ और जिस व्यक्ति को छुरा मारा गया था वह भी इसी दल का है। इसलिये मैं घटना का संक्षेप में उल्लेख कर रहा हूँ जो कि 'युगान्तर' समाचार-पत्र में प्रकाशित हुई थी। इस पत्र के अनुसार श्रीमती पारुल बोस, जो महिला समाज की एक प्रसिद्ध कार्यकर्त्री हैं और साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) की एक सदस्या

हैं, 9.30 बजे प्रातः बलियाघाट के एक बालिका स्कूल में गईं। 9.40 बजे प्रातः लगभग 20 गुण्डे स्कूल में घुसे और वे उन्हें खोजने लगे। स्कूल की अन्य अध्यापिकाओं ने श्रीमती पारुल बोस की श्रेणी की छात्राओं को उनके इर्द-गिर्द घेरा डालने और उनका संरक्षण देने के लिए कहा। कई छात्रायें तुरन्त खड़ी हो गईं। इससे पहले कि वे उनका संरक्षण कर पातीं, उनमें से एक गुण्डा सीधा उन तक पहुँच गया और उसने तुरन्त उनकी छाती की बाईं ओर छुरा मार दिया।

फिर गुंडों ने उन्हें आधे घंटे तक पुलिस को तुरन्त सूचना देने से रोके रखा और निश्चिन्त हो जाने के बाद वहां से चले गये। लगभग 45 मिनट के पश्चात श्रीमती पारुल बोस के पति श्री के० जी० बोस को सारे मामले की सूचना दी गई और पुलिस को भी सूचित कर दिया गया। उनको अस्पताल ले जाने के लिये एम्बुलैंस मांगे जाने के बावजूद भी यह उपलब्ध नहीं की गई। यह घटना एक ऐसे क्षेत्र में हुई, जो कि एक अशान्त क्षेत्र समझा जाता है। काफी पुलिस को वहां लगाया गया है तो भी चलती फिरती गाड़ी वहां उपलब्ध नहीं हुई। तुरन्त बाद उनको अस्पताल ले जाया गया। उनकी स्थिति गंभीर थी। सौभाग्य से आप्रेशन के पश्चात, किसी प्रकार उनकी दशा सुधरती जा रही हैं और वह खतरे से बाहर हो गई हैं।

प्रश्न यह है कि सरकार की इस विशेष मामले में क्या सांठ-गांठ है। यदि किसी अध्यापिका को स्कूल में छुरा मार दिया जाता है तो हम सरकार को इसमें किस प्रकार अन्तर्ग्रस्त कर सकते हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Speaker *in the Chair*]

जब छुट्टियों के लिये स्कूल बन्द हुआ तब हमें यह सूचना मिली थी कि यदि स्कूल पुनः खुलने के बाद वह स्कूल में उपस्थित हुई तो उन पर पुनः आक्रमण किया जायेगा और उन्हें जीवित नहीं छोड़ा जायेगा। इस प्रकार की धमकी उस क्षेत्र के समाज-विरोधी तत्त्वों द्वारा दी गई। अतः पुलिस को सूचित कर दिया गया। श्री ज्योति बसु स्वयं श्री के० जी० बोस के साथ पुलिस आयुक्त के पास गये थे और उन्होंने इस विषय पर बातचीत भी की थी। उनको बताया गया कि उन्हें इस विषय में इस की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पुलिस यह देखने के लिये पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय कर रही है कि इस प्रकार की घटना न होने पाये। इस घटना के एक दिन पूर्व, 3 तारीख को, स्थानीय पुलिस अधिकारी बोस के घर आया और उसने वहां उनसे बातचीत की। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस काफी सुरक्षात्मक उपाय कर रही है और श्रीमती पारुल बोस बिना किसी बाधा के स्कूल जा सकती है। इससे पूर्व वह स्कूल जाने में संकोच कर रही थीं क्योंकि वह महसूस करती थीं कि वह अनावश्यक रूप से इस प्रकार के संकट में न पड़ जायें। लेकिन वह उस स्थानीय पुलिस अधिकारी के द्वारा आश्वासन देने पर स्कूल गईं और इस प्रकार सारी घटना घटी।

इससे यह भी प्रकट होता है कि इस मामले में पुलिस उनसे मिली हुई है। यह केवल पुलिस की लापरवाही का मामला ही नहीं है, अपितु निरन्तर कुछ महीनों के दौरान पुलिस समाज विरोधी तत्त्वों के साथ सांठ-गांठ करके कार्य करती है। पुलिस को सरकार से अनुदेश प्राप्त हुआ है कि चुनावों के कराये जाने से पहले साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के मध्यम संवर्ग का दमन कर

दिया जाये और ऐसा करने के लिए किस प्रकार के ढंग अपनाये जा सकते हैं। इसी आधार पर गुण्डे पुलिस के साथ इधर उधर घूम रहे हैं।

दुर्गापुर में पुलिस की उपस्थिति में हमारे एक साथी को इतना पीटा गया कि उसकी मृत्यु हो गई। इस पर पुलिस ने तुरन्त कह दिया कि वह लड़का अपनी जेब में बम ले जा रहा था। बम के फट जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। परन्तु शव-परीक्षा के प्रतिवेदन से जाहिर हो गया कि वह पीटे जाने के कारण मरा।

15 जून को पुनः साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के एक सदस्य श्री चिन्मय हाजरा को जब पुलिस स्टेशन में ले जाया जा रहा था तो उन्हें निर्दयता पूर्वक पीटा गया और उन्हें पुलिस जेल में भी रिवाल्वर की नोक दिखाकर पीटा गया और उन्हें बिजली के झटके दिये गये। उनके पांवों को बिजली के हीटर से जलाया गया। इस प्रकार की यातना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। 8 अगस्त, 9, 13 और 14 अक्तूबर, तथा 2 नवम्बर को गैर-सामाजिक तत्त्वों ने पुलिस के साथ मिलकर कस्बा क्षेत्र में मकानों पर छापे मारे। कलकत्ता पुलिस के उप-आयुक्त श्री चक्रवर्ती गुंडों द्वारा हम पर किये जाने वाले ऐसे आक्रमणों का संचालन कर रहे हैं।

हमारे साथ आज जो कुछ हो रहा है वह अन्य उन सभी दलों के साथ भी होने वाला है जो कांग्रेस (सत्तारूढ़) का विरोध करते हैं। वे अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के तरीके अपना रहे हैं।

जब श्रीमती पारूल बोस को छुरा मारा गया तो स्पष्ट है कि सरकार और प्रशासन की ऐसे आक्रमणों में सांठ-गाँठ है। पुलिस के थानेदार उप-आयुक्त तथा आयुक्त के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की ? सरकार हमारे साथियों को समाप्त करने में रुचि रखती है। सभी स्थानों पर सरकार ऐसा कर रही है। लोगों को पीटा जाता है, महिलाओं का चीर-हरण किया जाता है और सरकार कहती है कि वह मामले की जांच करेगी।

मेरे इस विशेष प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का यही उद्देश्य था कि पुलिस तथा प्रशासन की यह असफलता साधारण असफलता नहीं है।

सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में जो नीतियां अपनाई जा रही हैं उन सब पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वे मेरे संकल्प के विषय से बाहर की बातें हैं। मैं जानता हूं.....** गृह सचिव श्री एल० पी० सिंह : **

अध्यक्ष महोदय : उन व्यक्तियों की आलोचना न कीजिये जो सदन में उत्तर देने के लिए उपस्थिति नहीं है। यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री राममूर्ति : महोदय, में उस बात को नहीं कहता हूँ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : शब्द ** रिकार्ड में नहीं रखा जाना चाहिए।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

** Expunged as ordered by the Chair.

श्री राममूर्ति : मैं नहीं कह रहा हूं **। सरकार के गृह-सचिव को पश्चिम बंगाल में ऐसे आक्रमणों का पता लगाने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। उन्होंने वहां पर समूचे मामले को संगठित किया इसलिए ये सब बातें वहां पर निरन्तर हो रही हैं।

मार्क्सवादी साम्यवादी दल के लिए इसका प्रत्युत्तर देना कठिन नहीं है। वह काफी शक्तिशाली हैं।

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : आपके द्वारा चेतावनी दिये जाने के बावजूद भी वह अधिकारी का निरन्तर नाम ले रहे हैं जो यहां प्रत्युत्तर देने के लिए उपस्थिति नहीं है।

श्री राममूर्ति : हमने बहुत दिनों तक देख लिया है। हम स्थिति का सामना करने से डरते नहीं हैं। हमने इससे भी खराब मामले देखे हैं।

सभा में सभी दलों को यह जानना चाहिये कि आज पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। इस प्रकार की घटनायें पश्चिम बंगाल में नहीं होने देनी चाहिए।

मैं सदन की स्वीकृति के लिए संकल्प की सिफारिश करता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री हिम्मतसिंहका (गोड्डा) : मुझे प्रसन्नता है कि श्री राममूर्ति ने इस घटना की निन्दा करना उचित समझा है और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहा है...

अध्यक्ष महोदय : जैसाकि मैं पहले कह चुका हूँ कि यह प्रस्ताव 2 घंटे तक चलेगा। 5.30 बजे हमें आधे घण्टे की चर्चा का प्रस्ताव लेना है। परन्तु उसे स्थगित करना पड़ेगा।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उसे स्थगित करना ही पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : हमें आधे घण्टे की चर्चा को किसी अन्य दिन के लिये स्थगित करना पड़ेगा। यह चर्चा 2 घण्टे की है तथा 6.30 बजे समाप्त होगी।

श्री हिम्मतसिंहका : श्री राममूर्ति पश्चिम बंगाल में नागरिकों की रक्षा करने में सरकार की असफलता की निन्दा करना चाहते हैं। यह सच है कि वहाँ पर सरकार इस मामले में असफल रही है। प्रतिदिन चार या पांच हत्यायें हो रही हैं और इस प्रकार की बातें कई महीनों से चल रही हैं। केवल 5 नवम्बर को समाचार पत्रों से पता चला कि सरकार पश्चिम बंगाल में निवारक निरोध अधिनियम पुनः लागू करने के लिये सहमत हुई है।

इस सम्बन्ध में मैं सदन का ध्यान इन आतंकों की पृष्ठभूमि की ओर दिलाना चाहूंगा। पश्चिम बंगाल में दो संयुक्त मोर्चा सरकारों के राज्य में लोगों को गड़बड़ी करने के लिये

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

**Expunged as ordered by the Chair.

प्रोत्साहन दिया जाता था और वे हिंसात्मक तरीकों को अपनाते थे तथा पुलिस को उन व्यक्तियों के विरुद्ध, जो कानून भंग कर रहे थे, कार्यवाही नहीं करने दी जाती थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि हिंसा बढ़ गई है और लोगों की रक्षा नहीं की जाती जो कि की जानी चाहिये।

अतिवादी दलों ने पहले घेराव से शुरुआत की, फिर उन्होंने दूसरे तरीके अपनाये फिर अन्तर्दलीय द्वेष उत्पन्न हुआ और समय 2 पर विभिन्न दलों के कार्यकर्त्ता मारे जाते रहे। अतः स्थिति यह है कि सरकार विभिन्न कार्यकर्त्ताओं के जीवन की रक्षा करने में असफल हो गई है। पश्चिम बंगाल में विशेषतया कलकत्ता में और अन्य स्थानों पर लोगों की उपस्थिति में छुरे मारे जाते हैं। वहां पर पुलिस अतिवादी राजनीतिक दलों के हमले की सबसे बड़ी लक्ष्य बनी हुई है जिसके परिणामस्वरूप उसका उत्साह समाप्त हो गया है। इसका विशेष कारण यह है कि वर्तमान राज्यपाल के अधीन पश्चिम बंगाल की सरकार प्रभावहीन है। जो किया जाना अपेक्षित है उसे वह नहीं करते हैं। जिसके परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में ऐसी घटनायें हो रही हैं। मालदा और अन्य स्थानों पर बहुत से कांग्रेसी कार्यकर्त्ताओं की हत्या की गई है और किसी भी अन्य राजनीतिक दल से विरोध का एक भी शब्द नहीं आया है जबकि इस प्रकार की कई हत्यायें हुई हैं।

हम सब जानते हैं कि प्रसिद्ध नेताओं की मूर्तियां गिरा दी गई हैं। परन्तु इसके विरोध में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा है। इन बातों से समाज विरोधी तत्वों और अतिवादियों को प्रोत्साहन दिया है। कलकत्ता में स्थिति यह है कि कोई व्यक्ति अपनी कार में चढ़ने का प्रयास करता है इतने में ही उसके छुरा मार दिया जाता है।

जब संयुक्त मोर्चा सरकार सत्ता में थी तो बुर्दवान में पांच भाइयों की हत्या की गई थी। उनमें से एक का रक्त लिया गया और मां के माथे पर लगाया गया तब भी कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही किसी राजनैतिक दल ने निन्दा की। जिसका परिणाम यह हुआ कि यह चीज अन्य दलों पर भी हावी हो गई है और वे परस्पर एक दूसरे दल के सदस्यों की हत्या कर रहे हैं। सरकार किसी प्रकार की रक्षा करने में नितान्त असफल रही है। यह देश में दुर्भाग्य की बात है।

आक्रमणों से नागरिकों की रक्षा न करने पर सरकार की निन्दा की जानी चाहिये। इसके साथ इस बात पर भी ध्यान देना है कि कुछ राजनीतिक दलों ने यह कार्य प्रारम्भ कर दिया है जो कि नियंत्रण के बाहर हो गया है। कलकत्ता अब व्यावहारिक रूप में बम के कारखानों का नगर बन गया है।

अध्यक्ष महोदय : दलों को बोलने के लिये इस प्रकार समय दिया गया है: कांग्रेस (विरोधी) 12 मिनट ; स्वतन्त्र 8 मिनट ; जनसंघ 7 मिनट ; द्रमुक 6 मिनट ; भारतीय साम्यवादी दल 6 मिनट ; भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) 15 मिनट ; संसोपा 4 मिनट ; प्रसोपा 4 मिनट ; यू० आई० जी० 6 मिनट ; भाक्रांद 2, निर्दलीय 6 और कांग्रेस 44 मिनट।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : यह मजेदार बात है कि भारतीय साम्यवादी दल

(मार्क्सवादी) का प्रतिनिधि जो कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल की पुलिस के पक्ष में था आज उसकी आलोचना करने के लिये आगे आया है। चूंकि हम श्रीमती पारुल बोस पर किये गये आक्रमण के बारे में उतने ही क्रुद्ध हैं किन्तु क्या हम पश्चिम बंगाल में हो रही हत्याओं तथा हिंसात्मक स्थिति की उपेक्षा कर सकते हैं। जिसके बारे में भारतीय साम्यवादी दल के प्रवक्ता बिल्कुल चुप्पी साधे हुये हैं। क्या हम पश्चिम बंगाल में बहुत से पुलिस वालों की निर्मम हत्या को भूल सकते हैं। अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में अपना कार्य कर रहे पुलिस वालों की निर्मम हत्या की गई।

ऐसी कठिन परिस्थितियों में पुलिस वाले अपना कार्य करने में सक्रिय हो गये हैं। उनकी भर्त्सना किये जाने की अपेक्षा उनकी सराहना की जानी चाहिये। यदि कोई कमी है तो वह समुचित शस्त्रास्त्र उपलब्ध नहीं किये जाने की है इसलिये वे इतने सक्रिय नहीं है।

उन्हें हतोत्साहित करने के लिए कौन उत्तरदायी है ? जब श्री ज्योति बसु सत्तारुढ़ थे और मार्क्सवादी साम्यवादी दल के स्वयंसेवक लोगों की हत्या करने में लगे हुये थे तो पुलिस वालों को वहां न जाने की हिदायतें दी गई थी। उनको अपनी डायरियों में नोट करने तथा जांच करने से रोका गया था और इस प्रकार पुलिस वालों को अपना काम करने में हतोत्साहित किया गया। किन्तु आज जब वे कुछ सक्रिय हो गये हैं तथा जो कुछ थोड़ा बहुत अपना कार्य कर रहे हैं उस पर मार्क्सवादी दल किस प्रकार दोष लगाने का प्रयत्न कर रहा है ?

पश्चिम बंगाल में समस्या पुलिस के कार्यों से सम्बन्धित नहीं है। समस्या यह है कि पुलिस वाले सरकार द्वारा उचित रूप से शस्त्रों से सुसज्जित नहीं किये जाते हैं तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण करने के लिये उनको पर्याप्त अधिकार नहीं दिये हैं। वर्तमान राज्यपाल जो वहां कार्य कर रहे हैं, प्रभावशाली ढ़ंग से काम नहीं कर रहे हैं और केन्द्रीय सरकार अभी भी उसी प्रकार के प्रशासन से कार्य चला रही है।

आज पश्चिम बंगाल में हिंसात्मक तथा हत्याओं से पूर्ण वातावरण व्याप्त है। कोई ऐसा दिन नहीं होता है जिस दिन पश्चिम बंगाल में समाज का कोई न कोई वर्ग धमकियों से डरा हुआ न रहे। शाम के समय कलकत्ता तथा आस पास के क्षेत्रों में घूमना खतरे से खाली नहीं है। समाज-विरोधी तत्व विभिन्न बस्तियों के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं तथा धन की मांग करते हैं। यदि कोई कानून का आदर करने वाला नागरिक धन देने के लिये तैयार नहीं होता तो उस पर हमला कर दिया जाता है और कभी कभी तो उसकी हत्या भी कर दी जाती है। यदि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में व्याप्त इस प्रकार के वातारण की ओर ध्यान दिया होता तो उसे इसकी ठीक प्रकार से जांच करने की आवश्यकता महसूस होती। ये सब प्रकार की घटनायें पूर्व-निर्धारित योजना के आधार पर हो रही है। हमारे दल के प्रवक्ता गत 2½ वर्षों से इस ओर सरकार का ध्यान दिला रहे हैं।

इस बात को सिद्ध करने के लिये श्री चारु मजूमदार का नाम लिया जा सकता है, जो कुछ उन्होंने कहा है, वह समाचार-पत्रों में छपा हुआ है।

श्री मजूमदार ने कहा कि फरवरी तक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जायेगी कि कानून

तथा व्यवस्था बनाये रखने वाली शक्तियों के साथ खुला संघर्ष सम्भव हो सके । यदि सरकार वास्तव में वहां स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए चिंतित है तो उसे ससस्या को इसके वास्तविक रूप में समझने की आवश्यकता है । पश्चिम बंगाल सरकार को केवल सीमित विधान का अधिकार देकर समस्या हल नहीं होगी । जो तत्व हमारे संविधान को नष्ट करने पर तुले हुए हैं तथा अराजकता की स्थिति पैदा कर रहे हैं, ऐसे तत्वों को समाप्त करना आवश्यक होगा । लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए यदि आवश्यक समझा जाये तो वहां सैनिक शासन भी लागू किया जा सकता है ।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : हमें बहुत दुःख है कि वहां श्रीमती पारुल बोस के छुरा मारा गया । इसके अतिरिक्त हम उन व्यक्तियों से जिन्होंने सभा में यह प्रस्ताव पेश किया है, यह पूछना चाहती हूँ कि हिंसा की ऐसी स्थिति में जहां हिंसा को खुली छूट मिली हुई है, वहां इसके अतिरिक्त और क्या होता । वे लोग अपने ही दिल से पूछें । क्या यह सत्य नहीं है कि ज्योति बसु ने 3000 गुंडों को खुला छोड़ा हुआ था और वे साम्यवादी मार्क्सवादी दल से मिल कर पश्चिम बंगाल में विध्वंसकारी कार्य कर रहे थे । (**व्यवधान**)

मैं सदन के ध्यान में लाती हूं कि एक महिला की मृत्यु पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया । हम सबको इस बात का खेद है । जब हजारों लोगों की मृत्यु हो गई तो क्या स्थगन प्रस्ताव लाये गए थे । वास्तव में यह आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस (पुरानी) ने साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के साथ गठबन्धन करने के लिए प्रयास किया है ।

डा० राम सुभग सिंह और श्री मोरार जी देसाई ने भी सोचा है कि स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाएगा । मुझे बहुत हैरानी है क्योंकि उनके अनेक कार्यकर्ताओं को भी मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया है । संयुक्त मोर्चा सरकार के शासन काल में बहुत सी घटनाएं हुई परन्तु उन पर उस शासन के मंत्री श्री हरे कृष्ण कोगार ने प्रसन्नता व्यक्त की थी । संयुक्त मोर्चा शासन काल में कचहरी तक में घातक हमले किए गए । पुलिस के सामने अनेक बातें हुई । किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा न थी परन्तु कोई कार्रवाई नहीं की गई ।

रविन्द्र सरोवर की घटना हुई जिसमें स्त्रियों पर आक्रमण हुए (**अन्तर्बाधाएं**) न्यायिक जांच भी न हो सकी ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : ** (**अन्तर्बाधाए**)

श्रीमती इला पालचौधरी : वे इसे सिद्ध करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह सब कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्रीमती इला पालचौधरी : उनके द्वारा फैलाई गई हिंसा में उनके दल के कुछ लोग मर गए । वे हिंसा फैलाने वाले ही थे और उसका उन्हें परिणाम मिला ।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।
Expunged as ordered by the Chair.

मैं एक दृष्टान्त बताती हूँ और यह सदन उसे जान ले। एक आदिवासी स्त्री को, जिसके बच्चा होने वाला था, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट दल के लोगों ने मार दिया। उसके अंतिम शब्द थे "मैंने अपने बच्चे का मुख नहीं देखा।" (**अन्तर्बाधाएं**) कोई यह नहीं जानता कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की बर्बरता की सीमा रेखा क्या है और नक्सलवादियों की सीमा वहां से प्रारंभ होती है तथा मार्क्सवादी तत्व प्रशासन में किस हद तक घुसे हैं? इस प्रकार की हिंसा को रोकना है तो प्रशासन को सख्त करना होगा।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हिंसा को रोकने के लिए सरकार किसी भी कानून को बनाए तथा कोई भी शक्ति धारण करे। जिससे कि हमारे लड़के, लड़कियों जवान बच्चों और अजन्में बच्चों को मारा न जा सके। श्री हरे कृष्ण कोगार एवं श्री ज्योतिर्मय बसु जैसे लोगों को अपने पर घमंड है परन्तु मुझे विश्वास है कि इन बातों को सुनकर श्री बसु का सिर शर्म से झुक जाएगा। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसु कृपया आप बैठ जाएं। आप बार बार खड़े क्यों हो रहे हैं? (**अन्तर्बाधाएं**)

श्रीमती इला पालचौधरी: इस सबकी प्रतिक्रिया होगी। इस हिंसा के विरुद्ध लोग समूह बना लेंगे। मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी ने भारत में हिंसा एवं अभद्रता फैलाई है। लोग अब इस से डर कर नहीं रहेंगे। (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चर्चा चाहते हैं तो आपको इसे सुनना चाहिये। मेरा विचार है कि चर्चा में आप की अभिरुचि नहीं है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी (मन्दसौर): इसमें कोई शक नहीं कि श्रीमती पारूल बोस पर हुए हमले की निन्दा होनी चाहिये। परन्तु क्या यह एकाकी घटना है। निश्चित रूप से ऐसा नहीं है।

केन्द्रीय सरकार क्या विश्वास के साथ यह दावा कर सकती है कि पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती व्यवस्था के प्रति उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। उस राज्य में राष्ट्रपति शासन है और वह राज्य केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण में है। स्थिति इस हद तक बिगड़ चुकी है कि मैं समझता हूँ कि पश्चिम बंगाल में कानून व व्यवस्था के पुनः स्थापन के लिए हमें निश्चित प्रयास करना चाहिये।

पिछले छः महीनों से अधिक समय से सुना जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। परन्तु स्थिति फिर भी शोचनीय ही है। क्या इसका कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार पर इसके कुछ मित्रों का दबाव पड़ रहा है?

हम सब जानते हैं कि निवारकता निरोधक अधिनियम कलकत्ता के लिए आवश्यक बन चुका हूँ। परन्तु फिर भी वह कानून वहां लागू नहीं है। नक्सलवादियों या समाज विरोधी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के लिए यदि एक सुस्पष्ट निवारक निरोधक अधिनियम संसद के समक्ष लाया जाता है तो हम उसका समर्थन करेंगे।

परामर्शदात्री समिति की बैठक में पिछली बार क्या हुआ ? श्री भूपेश गुप्त के विरोध के कारण सरकार को यह विधेयक वापस लेना पड़ा ।

श्री त्रिदिव कुमार चौधरी (बरहामपुर) : डा० राम सुभग सिंह ने भी तो विरोध किया था ।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : मैंने तो केवल अवसरवादिता का विरोध किया था । देश में शांति व व्यवस्था सुधारने के लिए किये जाने वाले सभी प्रयासों का मैं समर्थन करने को तैयार हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । परामर्शदात्री समिति की कार्यवाही इस सभा में उद्धृत करने के सम्बन्ध में सुस्पष्ट नियम हैं । श्री भूपेश गुप्त इस सदन में उपस्थित नहीं । अतः वह अपना बचाव नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी प्रार्थना है कि परामर्शदात्री समिति की कार्यवाही यहां उद्धृत न की जाये···(अन्तर्बाधाएं) । आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है । इस सम्बन्ध में अपने विचार मैंने पहले ही व्यक्त कर दिये हैं ।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : अब मैं कानून और व्यवस्था के दूसरे पहलू की बात करता हूँ । श्रीमती बारूल बोस पर हुये हमले व अन्य घातक हमलों के कारण मार्क्सवादी कम्यूनिस्टों के साथ हमें सहानुभूति है । परन्तु हिंसा का यह वातावरण पश्चिम बंगाल में कैसे बना ? राज्य में हिंसा पैदा करने व पुलिस को अकर्त्तव्य बनाने के लिये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ही उत्तरदायी है । संयुक्त मोर्चा सरकार के शासनकाल में यह सब प्रारंभ हुआ । हिंसा के साथ किसी की सहानुभूति नहीं हो सकती और लोकतन्त्र में विश्वासी सभी इसकी निन्दा करेंगे ।

सरकार की मैं निन्दा करता हूँ, परन्तु मुझे यह भी कहना है कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्टों ने जो बोया अब उसका फल काट रहे हैं ।

सभ्यता और लोकतन्त्र के लिये कानून ओर व्यवस्था मूल आवश्यकता है और इसे बनाये रखने के लिए पुलिस को यदि शक्तियों की अपेक्षा है तो उसे वे मिलनी ही चाहिएं ।

वर्तमान राज्यपाल को पश्चिम बंगाल से हटाने के सम्बन्ध में पिछले छः महीनों से अधिक समय में अधिकतर दलों व लोगों ने उस व्यक्ति की निन्दा की है और मांग की है कि केन्द्रीय सरकार उन्हें हटा कर वहां किसी प्रशासक को नियुक्त करे । केन्द्रीय सरकार से मैं फिर अनुरोध करूंगा कि पश्चिम बंगाल में राजनैतिक दार्शनिकों की नहीं प्रशासकों की अपेक्षा है जो वहां कानून और व्यवस्था बनाए रख सकें ।

पश्चिम बंगाल में चुनावों की मांग है । परन्तु वहाँ जो स्थिति है क्या उसमें लोग वोट दे पाएंगे ? हिंसा समाप्त होने व शांति के वातावरण में ही चुनाव हो सकते हैं । इस समय की स्थिति में चुनाव की मांग व्यर्थ है ।

पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के सलाहकारों व प्रशासकों द्वारा कई योजनायें बनाई गई परन्तु सब की सब कागज पर ही हैं । भूमिगत रेलवे जैसी बड़ी योजनाओं के, जो कभी पूरी नहीं

होगीं, बनाने का क्या लाभ है ? ऐसे ही कई अन्य प्रस्ताव हैं । मैं केवल एक चेतावनी दूंगा कि यदि आप बेरोजगारी तथा बढ़ रहे मूल्यों की समस्या हल कर सके तो इससे उत्पन्न होने वाला नैराश्य इस देश में फैल जाएगा । पश्चिम बंगाल की अशाँति तब देश भर में फैल जाएगी । मेरा यह कहना है कि इस दिशा में आवश्यक प्रयास किए जाएं ।

निष्कर्ष रूप में अन्त में मैं कहूंगा कि कानून और व्यवस्था सख्ती के साथ बनाई जाए । समाज विरोधी तत्वों को कड़ाई से दबाया जाए । पश्चिम बंगाल में तत्काल रूप से निरोधक अधिनियम फिर से लागू किया जाना चाहिये और वर्तमान राज्यपाल के स्थान पर कुशल प्रशासक को नियुक्त किया जाना चाहिये ।

श्री रा० ढो० भंडारे (बम्बई-मध्य) : यह बहुत ही दुख की बात है कि स्कूल के भीतर श्रीमती पारूल बोस को कत्ल किया गया है । क्योंकि केन्द्रीय सरकार की निंदा का प्रस्ताव है अतः मैं केवल एक साधारण सी बात पूछूंगा कि पश्चिम पंगाल के विपक्षी दलों ने कितनी बार केन्दीय सरकार को सचेत किया ? आज की स्थिति इसका परिणाम है । एकाकी रूप से बंगाल की स्थिति का अध्ययन नहीं किया जा सकता । प्रश्न केवल यह है कि इसके लिए उत्तरदायी कौन है ? **(अन्तर्बाधायें)**

इसके लिए सारा उत्तरदायित्व उग्रवादियों, नक्सलवादियों और मार्क्सवादी कम्यूनिस्टों पर आता है । जब वह शक्ति में थे तो उन्होंने इस प्रकार के बीज बोए और अब वह उसका फल पा रहे हैं । उसके लिए केन्द्रीय सरकार की इस सदन में निंदा करना चाहते हैं । इन लोगों ने लोकतंत्र का नाश करने के लिए लोकतंत्र का ही उपयोग किया ।

[**श्री क० न० तिवारी पीठासीन हुए**
Shri K. N. Tiwary *in the Chair*]

भारत के इतिहास में लिखा यह एक तथ्य है ।

हम इस बात को भूले नहीं कि इस सदन के तथा बाहर के कई उग्रवादी यह कहते रहे हैं कि वे संविधान को नष्ट करना चाहेंगे । उन्होंने यहां तक कहा कि देश में अपेक्षित तबदीली तथा लोगों की सामाजिक आर्थिक अवस्था बदलने के लिए लोकतन्त्रात्मक तथा संवैधानिक उपाय पर्याप्त नहीं । मुझे बलपूर्वक यह बात कहनी है कि बाकी के देश के लिए कलकत्ता तथा पश्चिम बंगाल को एक गम्भीर चेतावनी के रूप में लेना है । हमें देखना है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है । डा० अम्बेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में रूप-रेखा तथा विधि दोनों विद्यमान हैं । सरकार का यह एक ऐसा ढंग है जिसके द्वारा खून-खराबे के बिना क्रांतिकारी आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन सम्भव किये जा सकते हैं । परन्तु इन उग्रपंथियों का लोकतन्त्रात्मक पद्धति में विश्वास नहीं है । आज मुझे इस बात से आश्चर्य हो रहा है कि कुछ विपक्षी दल इस प्रस्ताव के साथ हैं । मैं उन से अनुरोध करूंगा कि मार्क्सवादी कम्यूनिस्टों, नक्सलवादियों या उग्रवादियों के साथ सहयोग बहुत खतरनाक बात है ।

डा० राम सुभग सिंह : आप भी तो कम्यूनिस्ट सरकार का समर्थन कर रहे हैं ।

श्री रा० धो० भंडारे : विपक्षी दल के नेता को मैं बता दूं कि इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में मार्क्सवादी कम्यूनिस्टों के साथ उनका सहयोग आज का एक चमकता उदाहरण है।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूँ।

श्री एस० कन्डप्पन (मैंदूर) : राज्य के राष्ट्रपति शासन के अधीन ही इस बात का प्रमाण है कि केन्द्रीय सरकार राज्य में सामान्य स्थिति लाने में असमर्थ है। विधि का ज्ञान रखने वाले लोगों से मैं इस बात की जानकारी चाहूँगा कि कानून और व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति में केन्द्रीय सरकार तत्काल उस राज्य को अपने अधीन ले लेती है परन्तु यदि बाद में स्थिति और भी बिगड़े तो उसका क्या इलाज है। वहां मार्शल लॉ लगाना, जैसा कि सुझाया गया है, इसका इलाज नहीं है। यह ठीक है कि इस समस्या को राजनैतिक आधार पर ही हल किया जा सकता है। परन्तु केवल ऐसी ही बात नहीं है।

सारे वातावरण में घृणा फैली हुई है। इसके लिये मैं मार्क्सवादियों को ही दोष नहीं देता क्योंकि उस दल के तो सिद्धांत ही इस प्रकार के हैं। परन्तु मैं माननीय मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि पिछले आठ या नौ महीनों में राज्य में हिंसा के फैलाव को समाप्त करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ? ऐसा दिखाई देता है कि संयुक्त मोर्चा शासन काल से अधिक हिंसा इस समय वहां व्याप्त है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के अवसर पर संयुक्त मोर्चा दलों ने चेतावनी दी थी कि मध्यावधि चुनाव न होने की अवस्था में स्थिति और भी बिगड़ेगी और आज वह इसी चेतावनी को कृतार्थ करने में संलग्न हैं।

केन्द्रीय सरकार ने इसके विरुद्ध उचित कार्रवाई नहीं की अतः सारा दोष उस पर आता है। यहां तक इस प्रस्ताव का प्रश्न है। मेरे विषय में यह एक एकाकी मामला है। मैं चाहूंगा कि पुलिस द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्रवाई के बारे में गृह-कार्य मन्त्री प्रकाश डालें। यदि यह सब सत्य है तो यह एक अति गम्भीर मामला है और केन्द्रीय सरकार द्वारा तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिये। यदि यह सब सच नहीं तो भी इस सम्बन्ध में पूरी जांच होनी चाहिये।

इस प्रस्ताव के समर्थन के सम्बन्ध में हम तब तक कुछ नहीं कहना चाहते जब तक हम गृह-कार्य मन्त्री का उत्तर न सुन लें और उसके पश्चात् ही हम अपना मत बताएंगे।

जो लोग इस विचार के हैं कि केन्द्र को सुदृढ़ बनाने से देश में सारा सुधार हो जायेगा उन से मैं पूछना चाहता हूँ कि स्वाधीनता के पश्चात् से केन्द्र सुदृढ़तर होता जा रहा है। परन्तु अधिकतर राज्यों में स्थिति बिगड़ रही है। यह नक्सली खतरा कोई नई बात नहीं है और न ही केन्द्र के अधीन रिजर्व पुलिस एवं सेना के होने से इस समस्या का अन्त होगा। इन समस्याओं को हमने समाजिक रूप से राजनैतिक रूप से देखना है।

मेरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल की इस घटना के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय हमें तथ्यों से अवगत करायेंगे।

डा० रानेन सेन (बारसाट) : सब से पहले मुझे यह कहना है कि श्रीमती बोस पर हुए घातक हमले की हम सब को निन्दा करनी है। मेरे दल ने भी इसकी निन्दा की है। परन्तु इस प्रस्ताव का हम समर्थन नहीं कर सकते (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री राम मूर्ति ने पश्चिम बंगाल की सारी स्थिति को केवल अपने दल के दृष्टिकोण से ही देखा है।

उन्होंने राज्य की आज की अवस्था की सही तस्वीर नहीं पेश की है। तीसरे राज्य में व्याप्त इस हिंसा का वास्तविक कारण भी छिपाया गया है। इस सदन में मैं खुले रूप से मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी को दोषी ठहराता हूं। उन्होंने राज्य में आंतक फैलाया और संयुक्त मोर्चे के टूटने का यही कारण था।

29 अक्तूबर, 1970 के "स्टेटमैन" में मार्क्सवादी नक्सलवादी विद्वेष की समीक्षा है।

मैं केवल समाचार पत्र से उद्धृत कर रहा हूं और वे भी समाचार पत्र से उद्धृत कर रहे थे अतः समाचार पत्र से उद्धृत करना कोई अपराध नहीं।

श्रीमती पेरूल बोस पर हमला 4 नवम्बर को किया गया। यह हमला किसने किया? भारतीय साम्यवादी दल (मा०) ने।

श्री नम्बियार : नहीं, बिलकुल नहीं।

श्री समर गुह : ये मेरे सहपाठी के सुपुत्र हैं। मेरे पास इनके बारे में सारे कागज मौजूद हैं।

डा० रानेन सेन : मैं वहां नहीं था, मैं समाचार पत्र से उद्धृत कर रहा हूँ। अगस्त के महीने में हमारी पार्टी ने पश्चिम बंगाल की सभी पार्टियां विशेषकर भारतीय साम्यवादी दल (मा०) से ऐसे आंतक तथा राजनैतिक हत्या बन्द करने की अपील की थी। लेकिन भारतीय साम्यवादी दल (मा०) ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। यही नहीं, श्री ज्योति बसु का नाम खुले तौर पर इस नारे—दांत का बदला दांत और आंख का बदला आंख से लिया जायेगा के साथ जोड़ा जा रहा है। क्या यह एक राजनैतिक नेता का भाषण है?

श्री नम्बियार : सुरक्षा क्या है? पुलिस हमारी रक्षा नहीं करेगी? हमें अपनी रक्षा नहीं करनी चाहिये?

डा० रानेन सेन : इस प्रस्ताव में पुलिस द्वारा सी०पी०आई० (मा०) पर किये गये अत्याचारों का ही वर्णन है। यदि वे ईमानदार हैं, यदि वे पश्चिम बंगाल के हितों की रक्षा कर रहे हैं तो उन्हें कम से कम अपने भाषणों द्वारा इतना तो कहना ही चाहिये था कि नक्सलवादियों के साथ लड़ने के नाम पर पश्चिम बंगाल में अकथित रूप से पुलिस हिंसा पर उतारू है। नक्सलवाद एक राजनैतिक संकट है और जिसका सामना राजनैतिक ढंग से ही किया जाना चाहिए। क्या मैं उन्हें याद दिला सकता हूँ कि साम्यवादी दल के संस्थापकों में से श्री अब्दुल सलीम नामक एक व्यक्ति के पुत्र को श्री ज्योति बसु ने थोड़े दिन के लिये जेल में डलवा दिया था। दूसरे आन्दोलन के दौरान उसको रिहा कर दिया गया था। अब उसे तथाकथित नक्सलवादी कहते हैं। क्या आप उन्हें समाज विरोधी तत्व मानेंगे?

श्री नम्बियार : लेकिन हमने उसे रिहा करा दिया था।

डा० रानेन सेन : कृपया इस तरह बीच में न बोलो। साम्यवादी आन्दोलन के प्रति हमारी आपत्ति राजनैतिक है। हम उन्हें समाज विरोधी नहीं कहते। समाज विरोधी तत्वों का अधिकांश भाग तो सी० पी० एम० के झंडे के नीचे है और इसे पश्चिम बंगाल में सभी जानते हैं।

नक्सलवादियों से लड़ने के नाम पर सी०पी०एम० के लोग नक्सलवादियों को सी०आर०पी० को दिखा रहे हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो सी०आर०पी० के विरुद्ध जाते हैं। वास्तव में ये सी०आर०पी० को सहयोग दे रहे हैं।

श्री नम्बियार : यह बहुत ज्यादा है।

डा० रानेन सेन : यह इनके लिये बहुत ज्यादा बन गया। लेकिन प्रतीक्षा कीजिये। इन्हें कुछ और ज्यादा मिलेगा। ये भी कुछ आंकड़े हैं। 15 सितम्बर तक तीन महीने के अर्से में लगभग 100 राजनैतिक हत्यायें हुई जिनमें से 73 केवल सी०पी०एम० ने की हैं। इस हिंसा के शिकार 56 नक्सलवादी समर्थक हैं, 9 सी०पी०आई० तथा शेष फारवर्ड ब्लाक, आर०एस०पी० अथवा सी०पी०आई०, संसोपा तथा प्रसोपा के लोग हुये...(व्यवधान)...इस लिये मैं कहता हूँ कि हम बहुत खुश होते यदि श्री राममूर्ति पश्चिम बंगाल में नक्सलवादियों की हिंसा की निंदा करने वाला प्रस्ताव सामने लाते। फिर हम अवश्य ही श्री राममूर्ति का समर्थन करते। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि हर बात सी०पी०एम० के चारों ओर घूमती है। वे पुलिस द्वारा रक्षा की बात करते हैं। सांझे मोर्चे की सरकार के बाद किसने पुलिस द्वारा रक्षा की बात की है? श्री ज्योति बसु, श्री हरिकृष्ण कोनार, फिर प्रशांत सुर तथा फिर श्रीमती के० जी० बोस ने की है। काफी लोग पुलिस द्वारा रक्षा के लिए लाईन में खड़े हैं। उनका उप मुख्य मन्त्री पश्चिम बंगाल के नागरिकों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर सका। अब वे राष्ट्रपति शासन की निंदा करके अपनी सुरक्षा की बातें करते हैं। सी०पी०एम० को इस प्रकार की गुटबन्दी वाला दृष्टिकोण त्याग देना चाहिये। यदि वे ईमानदार हैं और यदि सचमुच इस प्रकार की हिंसा को समाप्त करना चाहते हैं तो उन्हें खुली तरह से राजनैतिक हत्याओं तथा व्यक्ति विशेष को आतंकित करने की निंदा करनी चाहिये क्योंकि उनका दल एक मजबूत दल है। पुलिस द्वारा रक्षा के लिये दौड़ने की अपेक्षा उन्हें सभी राजनैतिक दलों के साथ बैठ कर व्यक्ति विशेष को आंतकित करने तथा राजनैतिक हत्याओं की निंदा करनी चाहिए तथा इस बारे में किसी समझौते पर पहुंचना चाहिये। मुझे सी०पी०एम० नेताओं जो यहां उपस्थित है, से अपील करने का अवसर मिला है कि वे पश्चिम बंगाल में नया वातावरण पैदा करें।

श्री विक्रम चन्द महाजन : श्री राममूर्ति द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित दुर्भाग्यपूर्ण तथा दुखपूर्ण घटना, उनके दल के कुशासन तथा श्री ज्योति बसु सरकार के कुशासन का सीधा परिणाम है। यदि किसी को दोष दिया जाये तो केवल उन्हें ही। उस सरकार के कुशासन के फलस्वरूप अब पथभ्रष्ट समाज विरोधी तत्व एक हाथ में चीनी शस्त्र तथा दूसरे हाथ में चीनी नोट लिए फिरते हैं। सन् 1967 में सांझे मोर्चे की सरकार में जब श्री ज्योति बसु गृह मन्त्री थे तो नक्सलवादी आन्दोलन के दोनों नेता सर्व श्री चारू मजूमदार तथा कानु सन्याल जेल में

थे । लेकिन श्री ज्योति बसु तथा उनके साथियों ने उन्हें रिहा कर दिया । अत: वर्तमान स्थिति को सीधी जिम्मेदारी सी०पी० एम० पर आती है ।

इतना ही नहीं लगभग 1400 हिंसा के मामले भी लम्बित पड़े थे जिनमें से 000 के करीब श्री ज्योति बसु द्वारा नियंत्रित सरकार ने वापिस ले लिये : 26 मई, 1970 की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित तत्कालीन मुख्य मन्त्री के एक वक्तव्य क अनुसार सांझी सरकार के 9 मास की अवधि के दौरान राज्य में 510 राजनैतिक दंगे हुए । देश के इतिहास में यह एक ऐसा उदाहरण है जहां एक मुख्य मन्त्री को अपनी सरकार के विरुद्ध भूख हड़ताल करनी पड़ी ।

उन्होंने समाज विरोधी तत्वों को घेराव के लिए प्रोत्साहित किया उनके कुशासन के फलस्वरूप पुलिस के अन्दर नक्सलवादियों की घुसपैठ हुई जिसका परिणाम यह है कि पुलिस समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध सही कार्यवाही नहीं करती । अब नक्सलवादी चीन और पाकिस्तान के विदेशी एजेन्टों का काम कर रहे हैं जिनकी मुख्य जिम्मेवारी सी०पी०एम० पर ही आती है ।

अब वे कहते हैं कि बेरोजगारी तथा बिगड़ती आर्थिक दशा ही वर्तमान स्थिति का कारण हैं । बंगाल के बेरोजगार लोग कानून को अपने हाथ में नहीं ले रहे । कानून को अपने हाथ में लेने वाले वे लोग हैं जो समाज विरोधी तत्वों से घूंस खाते हैं, जो इन्हें धन देते हैं । समाज का निर्बल वर्ग यह सब नहीं कर रहा । अत: उस पर दोष नहीं लगाया जा सकता । इस स्थिति का सामना करने का उपाय पुलिस को पुनर्गठित तथा सुसंगठित करना, अन्य राज्यों की पुलिस को पुलिस स्टेशनों पर तैनात करना तथा नजरबन्दी कानून लागू करना है । मैं साथ साथ यह भी कहना चाहूंगा कि यद्यपि विरोधी दलों ने भी सरकार की निंदा की है फिर भी इस क्षेत्र की सरकार के हाथों को मजबूत करने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया ।

Shri Rabi Ray : In the context of this resolution moved by Shri Ramamurti. I would like to say that the way police protection was assured to Shrimati Porul Bose and the way she was assaulted despite assurances for police protection, speakes of the failure of the President's Rule in Bengal.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

Accordingly, Central Government is answerable for the maintainance of law and order in Bengal. We have no objection to that part of Dr. Ranen Babu's speech which deals with reign of violence in Bengal. But may I say that atrocities of the Central Government and police violence have totally been overlooked in that speech.

Shri Ramamurti is not at present in the House. I would like to tell him through you, Sir, that he should think with some reasoning. Once upon a time Bengal was abode of nationalism and international brotherhood But the responsibility for the spread of present terrorism in Bengal lies with the present and the past State Government. There can be political differences with the Congress (R) but all of us will be answerable if political activities are based on violence in this land of Gandhi. As already stated the responsibility for the reign of violence in Bengal is on the political parties. All of us should unite to eradicate the reign of violence in Bengal and swear that violence will not be allowed to be the basis of political activity not only in Bengal but throughout the entire country. I

agree that the possibilities of small incidents of violence cannot be ruled out in the event of great revolutions. But violence has been the basis of two or three parties in Bengal for the last some years. We have also gone through the auto-biographies as revolutionaries. Lenin or some other revolutionaries never assaulted or murdered women and children and never used violence for fulfilling their own political purposes. There can be violence at the time of revolutions but using violence for fulfilling political purposes is not good.

I would request the Central Government to restore the law and order in Bengal by holding mid-term elections there.

Shri Kanwar Lal Gupta : Mr. Speaker, how much more time it is likely to take ?

Mr. Speaker : Four or five members have yet to speak.

Shri Kanwar Lal Gupta : Any approximate idea.

Mr. Speaker : What idea can be there in this house.

श्री श्रीचन्द गोयल : क्योंकि यह प्रस्ताव नियम 184 के अधीन है, तो इसे कल तक के लिये स्थगित किया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं ।

श्री श्रीचन्द गोयल : हमारे पास 1½ घंटा शेष है । गैर-सरकारी कार्य 6.30 पर आरम्भ होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Please let us know the time when the Hon'ble Minister will give a reply.

Mr. Speaker : After 10 or 15 minutes. He will take 15 minutes. In this way Half an hour will be taken.

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Shri Rammurti in the discussion initiated by him has accused the Government for violence in Bengal. As far as I think, it is not correct. The Government was not the cause of numerous murders committed in Bengal in the name of revolution during the last two or three years.

The revolution does not mean the murder of women. It is scientific way of changing the system.

C.P.I.(M) and C.P.I.(M.L.) talk about revolution. The adoption of Stalin Code of 1917 will not work here. They have to work keeping in view the general atmosphere prevailing in India. You are sitting in Parliament after swearing in the name of constitution that we will work in a democratic way. I am pained to see that people are acting otherwise after taking the oath.

I endorse the view expressed by a C.P.I. Members earlier that all parties should unite, mix up with the masses and persuade them not to resort to violence.

श्री समर गुह (कंटाई) : हम किसी भी शब्द द्वारा श्रीमती पारुल बोस पर किये गये बर्बरतापूर्ण हमले की निन्दा नहीं कर सकते । मैंने अपने दल के सचिव के नाते इस दुर्घटना के बारे में ऐसा किया है । हमने रविन्द्र सरोवर दुर्घटना की भी ऐसी ही निन्दा की थी ।

मार-पिटाई, हत्या बसों को जलाना, सिर तोड़ना, राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियों का अपमान करना, विद्यार्थियों को मारना, बाजारों को लूटना आदि-आदि घटनायें आज नित्यप्रति बंगाल में हो रही हैं ।

पश्चिम बंगाल में जो कुछ आज हो रहा है, वह सचमुच सनसनी खेज है। सात नवम्बर तक पिछले नौ महीनों में वहां 2467 हिंसक दुर्घटनायें हुईं, 227 राजनैतिक हत्यायें हुई, विभिन्न दलों के बीच 519 संघर्ष हुए, 47 व्यक्ति पुलिस के गोलीकांड में मारे गये, पुलिस पर 211 आक्रमण हुए तथा 35 पुलिस के सिपाही मारे गये।

आज मैं इस सदन में सी० पी० एम० मित्रों को दोषी नहीं ठहराना चाहता क्योंकि वे पहिले से ही दोषी हैं। यह सभी जानते हैं कि सी० पी० एम० के निर्दयी लोगों ने बंगाल के बर्बरता तथा आतंक के भयानक जंगल में परिवर्तित कर दिया है। सी० पी० एम० के राजनैतिक दर्शन, इसकी कथनी-करनी, इसकी हिंसा तथा आतंकवाद के दर्शन की जानकारी पश्चिम बंगाल में किसको नहीं है। बंगाल के लोग ठीक समय पर ठीक जवाब देंगे लेकिन केन्द्रीय सरकार से मैं एक बात जानना चाहता हूँ। मैं गृह मन्त्री, प्रधान मन्त्री से जानना चाहता हूँ कि पिछले नौ महीने से वे क्या करती आ रही है। पिछले नौ महीने में परामर्श-दात्री समिति की केवल एक ही बैठक हुई है। मैं उन्हें इसलिए भी दोषी ठहराता हूं कि जब बंगाल जल रहा था तो गृह-मन्त्री एक नये राजनीरों का रोल अदा कर रही थी। यह बात मैंने इस सदन में, प्रश्न तथा अन्य साधनों द्वारा एक, दो, तीन नहीं बल्कि चार या पांच बार उठाई है। सांझे मोर्चे की सरकार गिरने से दो महीने पहले श्री ज्योतिर्मय बसु ने 47 वर्ष पुराने पुलिस संगठन को अमान्य करार देकर पश्चिम पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता प्रदान की। इस संघ के अध्यक्ष तथा सचिव दोनों सी० पी० आई० (मा०) दल से सम्बन्ध रखते हैं। इस संघ में तीन प्रतिशत पुलिस बालों की भी आस्था नहीं है। क्या इन नौ महीनों में इस संघ को अमान्य करार नहीं दिया जा सकता था ? आज वहां पुलिस का उत्साह बिलकुल गिर चुका है। उन्होंने आत्मविश्वास खो डाला है। पुलिस डर के मारे हिंसा की कई मामलों की जांच भी नहीं कर सकती। मैं पूछना चाहता हूँ कि इन नौ महीनों में इस पुलिस संगठन को अमान्य करार देने का छोटा सा काम भी नहीं किया जा सकता था ?

दूसरी बात मैं प्रधान मन्त्री, जो साथ-साथ गृह मन्त्री भी है, को यह बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को वापिस बुलाने के लिए बंगाल को सभी अखबारों, सभी संगठनों, सभी राजनैतिक संस्थाओं ने मांग की है, उस भद्रपुरुष अर्थात**जिन्हें श्री धन कहा जाता है, के विरुद्ध मुझे कुछ शब्द प्रयोग करने की आज्ञा दी जावे। उन्हें न तो सर्वसाधारण का विश्वास प्राप्त है और न ही प्रशासन का।

अध्यक्ष महोदय : वह शब्द रिकार्ड में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री समर गुह : एक उत्तेजित अवस्था में मैंने इसका प्रयोग किया है। यह मेरी आदत नहीं है। आप जानते ही हैं कि मैं ऐसे रुखे शब्दों का प्रयोग नहीं करता।

अध्यक्ष महोदय : क्या ये समझते हैं कि यह एक कड़ा शब्द था, एक आपत्तिजनक शब्द था ?

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया

Expunged as orderd by the chair.

श्री समर गुह : मैं इसे वापिस लेता हूं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने एक वक्तव्य में कहा था कि असंख्य लोगों, पुलिस वालों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं आदि आदि के जीवन की रक्षा करना, उन्हें कलकत्ता की सड़कों पर गोली मारने की अपेक्षा अच्छा है। लेकिन फिर भी असंख्य लोगों की हत्यायें हो चुकी हैं क्योंकि संरक्षात्मक अभिरक्षा अधिनियम अथवा किसी एक ऐसे अन्य कदम का उपयोग नहीं किया गया । इसी कारण आप असंख्य लोगों का जीवन न बचा सके । असंख्य नक्सलवादी कोठरियों में छिप गये हैं। यदि वे बाहर आयें तो इन्हें गोली से मारा जायेगा । इनमें से अनेक की हत्या भी की जा चुकी है । यदि इन लोगों को संरक्षणात्मक हिरासत में रखा जाये तो इन्हें बचाया जा सकता है ।

यदि स्वभाव से अपराधी कई लोगों को अपराध करने से रोका जा सके तो पुलिस का काम कुछ आसान हो जायेगा । यदि केन्द्रीय सरकार अथवा प्रधान मंत्री पश्चिम बंगाल में सचमुच शान्ति व्यवस्था लाना चाहती है तो पहली शर्त श्री धवन को वापिस बुलाने की है । दूसरी बात यह है कि आपको इस सदन में इस आशय का एक स्पष्ट वक्तव्य भी देना चाहिए कि 1972 से पहले कोई भी मध्यावधि चुनाव नहीं होंगे इससे पश्चिम बंगाल के प्रशासन तथा पुलिस के अन्दर विश्वास पैदा हो जायेगा । और तीसरी जरूरी बात यह है कि राष्ट्रीयता तथा प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले सभी राजनैतिक दलों को एक होकर लोगों के बीच जाकर उनके विश्वास को जमाना होगा। नजरबंदी कानून नहीं, बल्कि यही एक रास्ता है । जिससे नक्सलवादी हिंसा को रोका जा सकता है । यदि आपका मन साफ है तो आप सभी राजनैतिक दलों को एक होकर इन शक्तियों का मुकाबला करने के लिए कह सकते हैं। यदि पश्चिम बंगाल को अराजकता की ओर जाने दिया जायेगा तो मैं प्रधान मन्त्री को चेतावनी देना चाहता हूं कि शेष भारत भी ऐसी स्थिति में शांत नहीं रहेगा ।

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहाम पुर) : मुझे माननीय सदस्यों को यह बताने की आवश्यकता नहीं कि डेनमार्क में नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के राज्य में कोई खराबी है । ऐसी कोई बात जरूर है जहां केन्द्रीय सरकार शान्ति व्यवस्था कायम रखने में असफल रही है ।

यह प्रश्न श्रीमती पारुल बोस की हत्या ही का नहीं । आज हर साधारण नागरिक को पुलिस व सरकार से वह संरक्षण नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिये । नक्सलवादियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । हर हत्यारे, हर लुटेरे हर डाकु को नक्सलवादी कहा जाता है । लेकिन केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है ? एक सीधी-सादी बात लीजिये । एक औरत को बुरी तरह धमकाया गया । तीन दिन पहले पुलिस कमिश्नर को सूचित किया गया । पुलिस द्वारा सुरक्षा का आश्वासन दिये जाने पर भी दुर्घटना के दिन पुलिस ने सुरक्षा के कोई प्रबंध नहीं किये । पुलिस वाले जानते ही थे कि कुछ होने वाला है ।

अब पुलिस को काफी शक्तियां मिल गई हैं । किसी भी व्यक्ति को वह गिरफ्तार कर सकती है और 24 घंटे तक अपनी हिरास्त में रख सकती है । लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं किया गया । पश्चिम बंगाल से बाहर के लोग शायद यह नहीं जानते कि आज कल कलकत्ता में सादे कपड़े वाले पुलिस वालों को किसी भी व्यक्ति पर गोली मारने की शक्ति है । अभी हाल में

कलकत्ता के एक क्वाटर में सादे कपड़े पहनने वाले एक पुलिस वाले ने भौमिक नामक एक नौजवान को गोली से मारा। यह श्रीमती पारुल की ही सुरक्षा की बात नहीं, हर व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में है। केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह इस सदन को विश्वास दिलाये कि इस दिशा में क्या क्या कदम उठा रही है। वैसे मैं इस प्रस्ताव के सीमित उद्देश्यों से संतुष्ट नहीं। इसलिए मैंने एक पृथक संशोधन की सूचना दी है जिसके स्वीकार करने का मैं सदन से आग्रह करूंगा।

डा० मैत्रेयी बसु (दार्जिलिंग) : श्रीमती पारुल बोस पर किये गये निर्मम हमले की निंदा करने में मैं माननीय सदस्यों के साथ हूं। कई माननीय सदस्यों की यह गलत धारणा है कि यह महिला मर चुकी है। यह बात सच नहीं। वह मरी नहीं। वह अब भी हमारे साथ है।

डा० रानेन सेन का भाषण आश्चर्यजनक न था। उनका भाषण चातुर्य पूर्ण था। एक तरह से प्रस्ताव भी बहुत ही चातुर्यपूर्ण था यह केवल इन्दिरा गांधी की सरकार पर हमला है और कुछ नहीं। श्रीमती पारुल बोस के नाम पर यह हमला किया गया। और प्रस्ताव पेश करने के लिए श्री राममूर्ति को चुना गया। बंगाल से 5,6 सी०पी०एम० के सदस्य हैं। वे बंगाल के कल्याण में रुचि नहीं रखते। श्री राममूर्ति रुचि रखते हैं जिन्हें सरकार पर हमला करने के लिये चुना जाता है।

श्री नाम्बियार : वे हमारे नेता हैं।

श्री मैत्रेयी बसु : श्री अ० कु० गोपालन कौन है? क्या आपने उन्हें निकाल दिया है? .....(व्यवधान)

प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। ये सरकार की निन्दा इसलिए करना चाहते हैं कि उनके सदस्य पर चाकू से हमला किया गया। सी०पी०एम० द्वारा किये गये कुकर्मों की वे कोई बात नहीं करते। दुर्भाग्यवश इस महिला पर चाकू से हमला किया गया। वह एक सप्ताह के अन्दर अस्पताल से बाहर आ गई है। यह हमला इतना गम्भीर तथा घातक नहीं था कि इतना शोर शराबा किया जाये। यह केवल एक साम्प्रदायिक कदम है। लगता है कि वे पुलिस व सरकार से नफरत करते हैं। यह वह पुलिस नहीं जो वहां पहले से थी। पुलिस दल के हौसले को श्री ज्योति बसु ने बिलकुल नष्ट कर दिया है। अलीपुरद्वार में क्या हुआ?

**केवल दो महीने पहिले.....(व्यवधान)

श्री मैत्रेयी बसु : **

श्री नाम्बियार : यह बहुत असंसदीय भाषा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस शब्द को नहीं मानूंगा।

श्री मैत्रेयी बसु : उत्तर-पूर्व सीमान्त रेलवे के जी० सी० एम० श्री ए० के० सरकार के घर में कालु नंदी नामक एक व्यक्ति रहता था। उस घर की एक औरत ने उसे घर के अन्दर

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।
Expunged as ordered by the chair.

ताले में बन्द कर रखा था । पुलिस को यह बताया जाता था कि वह वहां नहीं है । फिर वह मिला । इस कालु नंदी की फौजदारी के मामलों के बारे सारे बंगाल में पूछताछ होती थी । जब मैंने श्री कृष्ण चन्द्र पन्त, गृह मंत्री से यह बात पूछी तो उन्होंने कहा कि वे इसका उत्तर नहीं दे सकते । इतने महीने में वे इसका उत्तर नहीं दे सके । यह क्यों हो रहा है ? जब कालु नन्दी को मजिस्ट्रेट के सामने लाया गया तो उसे रिहा किया गया । श्रीकृष्ण कोनर ने उन्हें एस०डी०ओ० से मजिस्ट्रेट के पद पर उन्नत किया । अब उसे वापिस पहले पद पर ले लिया गया है और एस० डी० ओ० को स्थानांतरित किया जाना है क्योंकि वह छुट्टी पर था । बंगाल की स्थिति यह है । और अब वे यहां आकर यह कहते हैं कि श्रीमती पारुल बोस को चाकु से मारा गया ।

डा० रानेन सेन ने कहा है कि इस हिंसा को सी० पी० एम० ने खुली छूट दे रखी है । इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ ।

अत: श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार को गिराने का कोई लाभ नहीं । बंगाल के विकास के लिए एक जोरदार कार्यक्रम होना चाहिये । जब तक वह नहीं होगा, उस समय तक कुछ भी नहीं हो सकेगा ।

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat): We are witnessing a new development today in this House. Today CPM is candemning violence. While on the other hand treasury benches are accusing Shri Jyoti Basu of harbouring anti-social elements. Previously whenever this issue was discussed in the House, the Home Minister and the Prime Minister had never accused CPM for these problems. Keeping pace with this changed development I have to suggest an amendment to the effect that this Home condemns the Government and it condemns Communist Parties, who are resposible for creating this atmosphere of violence.

Seeondly, we are discussing here the steps to check the violence. To those who oppose P.D. Act I have to ask that they should suggest the ways to deal the situation. The Government should hear the cries of people and take effective steps, whether it is a P.D, Act or any any other measure. The Prime Minister has said that a Bill is being brought up before the House. But when all this would be done ?

I also support the demand for elections and popular Government. But there should be proper atmosphere for conducting elections and only then these should be held.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon): It has appeared to the ruling party today that CPM gave birth to Naxalites. It is the CPM who is responsible for the lawlessness and violence. But for running their minority Govcrnment they seek its support. Is it not a crime ? The Prime Minister had said that due to increasing disparity between rich and poor is lending support to Naxalite movement. I regret to say that CPM is to be blamed this lawlessness. I have also to say that Prime Minister's rule of Bengal as a Home Minister of Central Government has been complete failure because she could not maintain rule of law. Today police has also to seek her protection. Today Bengal is burning, there is no security of life, there is no business. It is a duty of the Central Government to provide protection to people so that normal life activities could continue and if it is not possible for the Central Government the Prime Minister should resign. (*Inierruptton*)

गृह-कार्य मंत्रालय में और इलेक्ट्रोनिक्स और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभागों में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) (नैनीताल) : इस प्रस्ताव के प्रस्तावक ने इसका

विषय क्षेत्र सीमित रखा गया था परन्तु बोलते हुए बाद में वे उस सीमा से बाहर चले गये पारिणामतः अन्य वक्ताओं ने भी उस सीमा के बाहर के विषयों को छुआ। श्री राममूर्ति शायद अब सोच रहे होंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

इस घटना के सम्बन्ध में मैंने सभी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की है और पश्चिम बंगाल से सरकार प्राप्त सूचना के अनुसार श्री के० जी० बोस ने 31 अक्टूबर, 1970 को टेलीफोन पर सरकार के गृह सचिव के साथ संबंध स्थापित किया और इस बात को पूछा कि क्या गृह सचिव को किसी ऐसी योजना की सूचना थी कि पूजा की छुट्टियों के उपरान्त दो नवम्बर को स्कूलों के खुलने पर नक्सलवादियों द्वारा श्रीमती बोस पर हमला किया जाएगा। गृह सचिव ने उन्हें कहा कि वे 1 नवम्बर को उनके साथ संबंध स्थापित करें, कलकत्ता पुलिस से जांच करने के पश्चात् गृह सचिव ने उस दिन उन्हें बताया कि किसी ऐसे हमले की योजना के संबंध में उन के पास सूचना नहीं। श्री बोस ने उसी दिन कलकत्ता पुलिस के आयुक्त से संबंध स्थापित किया और - नबम्बर को श्री ज्योति बसु ने आयुक्त के साथ टेलीफोन पर बात की। गृह सचिव ने श्रीमती बोस को आवश्यक संरक्षण प्रदान करने व स्थिति पर नजर रखने का आदेश दिया। बेलियाघाट पुलिस स्टेशन द्वारा 2 और 3 नवम्बर को श्रीमती बोस के संरक्षण के लिए बिना वर्दी के सशस्त्र पुलिस तैनात की। तीन नवम्बर की रात्रि को बेलियाघाट थाने के इंचार्ज व दो सब-इन्सपेक्टरों ने श्री बोस से जाना कि उनकी पत्नी 4 नवम्बर को स्कूल नहीं जाएगी। अतः उस दिन कोई पुलिस का आदमी तैनात नहीं किया गया। तथापि श्रीमती चार नवम्बर की सुबह को स्कूल गई और वहां पर युवकों के एक समूह ने उन पर आक्रमण किया।

श्रीमती बोस अब प्रगति कर रही है व मामले की तत्काल जांच प्रारम्भ की गई और अब तक 16 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

श्री बोस ने एक वक्तव्य दिया कि उन्होंने पुलिस को यह नहीं कहा था कि उनकी पत्नी स्कूल नहीं जाएगी। पुलिस आयुक्त ने तथ्यों की जांच की है और पाया है कि यह बात गलत है।

एक स्त्री पर घातक हमला अति निन्दनीय बात है और मुझे विश्वास है कि सभी इसकी निन्दा करेंगे। इस स्त्री के प्रति सरकार की पूरी सहानुभूति है और हमें प्रसन्नता है कि अब उनकी अवस्था प्रगति पर है। मुझे विश्वास है कि हिंसा को त्यागने और शांति स्थापना में सहयोग करने के लिए यह घटना सब को प्रेरणा देगी।

श्री राममूर्ति ने दोष लगाया है कि सरकार मार्क्सवादी दल के मध्य वर्ग को समाप्त करना चाहती है। मुझे यह कहना है कि हम कानून और लोकतन्त्र में विश्वास रखते हैं। महोदय, देश की इस बात से बहुत भलाई होगी यदि श्री राममूर्ति अपने उत्तर में यह कहें कि वे भी इन्हीं बातों में विश्वास रखते हैं।

मेरे लिए एक व दूसरे दल में कोई अन्तर नहीं। यदि किसी की भी जान जाती है तो

हमें उसकी निन्दा करनी चाहिये । बंगाल में आज घटित हो रहीं घटनाएं हमारी परम्पराओं के विरुद्ध हैं।

एक बात की मुझे बहुत खुशी है कि सामान्यता सब ने माना है कि पुलिस को भी कुछ कर्त्तव्य निभाना होता है । मुझे विश्वास है कि केन्द्रीय आरक्षित पुलिस की आवश्यकता पर सन्देह नहीं किया जायेगा । हिंसा का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त बल की भी आवश्यकता होती है । और भी यदि न केवल मार्क्सवादी दल के कार्यकर्त्ता अपितु किसी भी साधारण नागरिक द्वारा संरक्षण की मांग की जाती है तो उसे वह मिलना ही चाहिये । इसके लिए भी बड़े दल की आवश्यकता है । मुझे विश्वास है कि श्री राममूर्ति इस बात का समर्थन करेंगे ।

माननीय सदस्य ने पुलिस पर ज्यादतियों का दोष लगाया है । इक्का-दुक्का कोई ऐसी बात हो सकती है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कारवाई की जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सब से बुरी बात तो यह है कि यदि गोली भी चल जाए तो कोई जांच नहीं की जाती ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस संबंध में हम फिर विचार-विमर्श करेंगे ।

हमें यह देखना होगा कि पिछले छह मास के लगभग समय में पश्चिम बंगाल में कई पुलिस कर्मचारी मारे गए व जख्मी हुए । कठिन परिस्थितियों में भी पुलिस ने संयम से कार्य किया । अतः पुलिस के जो लोग मर गए व जख्मी हुए उनके परिवार के साथ भी हमें सहानुभूति होनी चाहिये ।

माननीय सदस्य इस बात को सोचे कि संयुक्त मोर्चा शासन काल में उनके दल के कुछ कार्यों से क्या वर्तमान स्थिति को बल नहीं मिला है ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : बिल्कुल नहीं ।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : राजनैतिक उद्देश्यों के लिए हिंसा को प्रोत्साहन दिया गया । गम्भीर आरोप लगे व्यक्तियों को छोड़ा गया ।

मुझे विश्वास है कि नक्सलवादियों एवं समाज-विरोधी तत्वों की हिंसा को खत्म किया जायेगा । इस संबंध में मैं सदन के सभी पक्षों का सहयोग चाहता हूं ।

हिंसा के विरुद्ध अभियान की बात से हम सहमत हैं और किसी भी ऐसे अभियान में भाग लेने के लिए तैयार हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव तथा संशोधनों का विरोध करता हूँ ।

श्री राममूर्ति : यह चर्चा बहुत बड़े कैन्वस पर हुई है । समय की कमी के कारण मैं इस समय उतने विस्तार में नहीं जाऊंगा । पुलिस के साथ संबंध स्थापित करने की बात को गृहमन्त्री भी अस्वीकार नहीं कर सके । पूर्व सूचना दिये जाने के पश्चात् भी पुलिस ने कोई

कार्रवाई नहीं की। पुलिस आयुक्त की रिपोर्ट तो दोषी व्यक्ति की रिपोर्ट है। परन्तु तथ्यों से तो इन्कार नहीं किया जा सकता। पुलिस ने उन्हें कहा कि आप स्कूल जा सकती हैं आप को संरक्षण दिया जायेगा। अपनी असफलता को छुपाने के लिए अब बहाना ढूंढा जा रहा है।

हमारी संस्था के सदस्य पर आक्रमण इस प्रस्ताव का कारण नहीं है। हम अपनी रक्षा करना जानते हैं। (अन्तर्बाधाएं) परन्तु हम स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहते। इस घटना के संबंध में हमने पुलिस को पहले चेतावनी दी और इसके बावजूद वे असफल रहे इसी कारण से यह सांठगांठ का दोष है।

श्री रानेन सेन ने कहा कि वर्तमान अवस्था के लिए दोषी ठहराते हुए सारी पुलिस की निन्दा कर प्रस्ताव मैं क्यों नहीं लाता। उन्होंने मुझे सुना नहीं। मैंने अपने दल के लोगों के साथ ही नहीं सामान्य जनता के साथ पुलिस के जुल्मों की बात कही। अब मैं इस से अधिक नहीं कहना चाहता कि यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि शासक वर्ग की कठिनाई के समय ''सामाजिक लोकतन्त्र'' उसका सहायक बनता है। यहां कम्यूनिस्ट पार्टी शासक वर्ग का समर्थन कर रही है।

श्रीं पन्त ने चाहा है कि मैं यह घोषणा करूं कि मार्क्सवादी दल हिंसा के विरुद्ध है। इस संबंध में मैं अपने दल के कार्यक्रम की ओर उनका ध्यान दिलवाता हूं। (अन्तर्बाधाएं) हम ने घोषित किया है कि शान्तिपूर्ण उपायों से हम इस देश में हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। इसके साथ ही हमने समाज को यह चेतावनी दी है कि सत्ता के हाथ से जाने को रोकने के लिए शासक वर्ग किसी भी सीमा तक जा सकता है। इसके लिए आवश्यक हो तो वह वर्ग लोकतन्त्र को दबाने में सैनिक शासन भी स्थापित कर सकता है। समाज को उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

लोगों ने संयुक्त मोर्चा सरकार की बाते की हैं। मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि यदि हम इतने बुरे हैं तो बंगाल में चुनाव के अवसर की दृष्टि से कम्यूनिस्ट पार्टी और अन्य दल कांग्रेस के साथ समझौतों की बातें क्यों सोच रहे हैं।

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : आप सिन्डीकेट तथा जनसंघ के चक्कर में हैं।

श्री राममूर्ति : यदि सिन्डीकेट कांग्रेस इस प्रस्ताव का समर्थन करती है तो यह उनकी अपनी बात है न कि हमारी। मैं तो चाहूँगा कि अन्य पक्ष भी इसका समर्थन करें। पूर्व सूचना दिये जाने के उपरान्त भी संरक्षण देने में सरकार की असफलता के प्रश्न पर मैं मत की मांग कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि सब लोग इस का समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : इस पर दो संशोधन हैं। क्या श्री समर गुह इन पर आग्रह कर रहे हैं।

श्री समर गुह: नहीं।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें संशोधन संख्या 1 वापिस लेने की सभा की अनुमति है।

माननीय सदस्य : जी, हां ।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was by leave withdrawn.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negetived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"कि यह सभा सरकार की श्रीमती पारूल बोस को संरक्षण देने में असफलता की, जिन्हें 4 नवम्बर, 1970 को कलकत्ता में अपने विद्यालय में कार्य करते हुए छुरा मारा गया हालांकि पुलिस आयुक्त को इस घटना से तीन दिन पूर्व इस सम्बन्ध में सूचना दी जा चुकी थी, निन्दा करती है।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok-Sabha divided.

पक्ष में	विपक्ष में
39	191
Ayes	**Noes**
39	**191**

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 12 नवम्बर, 1970/21 कार्तिक, 1892 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Thursday, the 12th November, 1970/Kartika 12, 1892(Saka)

Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.